VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

नवम्बर - 2019

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution) 6

1.1. राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (Nationwide NRC) 6

1.2. 'सूचना का अधिकार' के दायरे में भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय (CJI Under RTI) 8

1.3. अधिकरण के सदस्यों के पदस्थापन संबंधी नियमों का उच्चतम न्यायालय द्वारा निरसन (Supreme Court Strikes Down Rules on Tribunal Postings)....10

1.4. चुनावी बॉण्ड्स (Electoral Bonds)....12

1.5. कर्नाटक के विधायकों की निरर्हता (Karnataka MLA's Disqualification) 14

1.6. राजनीति में महिलाओं की भागीदारी (Women Participation in Politics) 15

1.7. सबरीमाला मंदिर मामला (Sabarimala Temple Issue) 16

1.8. अयोध्या निर्णय (Ayodhya Verdict)....18

1.9. ओवर-द-टॉप मीडिया सामग्री का विनियमन (Regulating Over-The-Top Media Content)....19

1.10. अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment of US president) 21

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 23

2.1. बदलते विश्व में भारतीय विदेश नीति (Indian Foreign Policy in a Changing World) 23

2.2. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी और भारत का मुक्त व्यापार समझौतों के साथ अनुभव (RCEP and India's Experience with Free Trade Agreements)....25

2.3. भारत-जर्मनी संबंध (India-German Relations) 27

2.4. भारत-श्रीलंका संबंध (India-Sri Lanka Relations)....29

2.5. भारत और जापान के मध्य 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक (India And Japan 2+2 Ministerial Meeting) 30

2.6. ब्रिक्स (BRICS)....31

2.7. भारतीय सब्सिडी के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के निर्णय (WTO Ruling Against Indian Subsidies) 33

2.8. रूस के नेतृत्व में साइबर अपराध संधि पर संकल्प (Russian Led Resolution On Cybercrime Treaty)....35

2.9. ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 (Global Migration Report 2020) 35

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 37

3.1. डिजिटल वित्तीय समावेशन (Digital Financial Inclusion)....37

3.2. ई-कॉमर्स नियम, 2019 का प्रारूप (Draft E-Commerce Rules 2019) 38

3.3. सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री (Strategic Sale of PSUs) 40

3.4. भूमि पट्टा (Land Leasing)....42

3.5. खाद्य तेल की कमी (Edible Oil Deficiency)....44

3.6. अनुबंध कृषि (Contract Farming)....46

3.7. वाणिज्यिक कोयला खनन (Commercial Coal Mining) 48

VISION IAS

3.8. औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक (Code on Industrial Relations Bill) 50
3.9. स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति (Steel Scrap Recycling Policy) 52
4. सुरक्षा (Security) 54
4.1. देश में आतंकवाद-रोधी क़ानून (Anti-Terror Laws in the Country)....54
4.2. बोडोलैंड विवाद: NDFB पर आरोपित प्रतिबंध की अवधि में वृद्धि (The Bodoland Dispute: Ban on NDFB extended) 56
5. पर्यावरण (Environment) 58
5.1. दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) 58
5.2. स्वच्छ उद्योग के लिए कार्य योजना (Action Plan for Cleaner Industry)....61
5.3. रोडमैप फॉर एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी इन इंडिया (Roadmap for Access to Clean Cooking Energy in India) 63
5.4. उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट (The Emissions Gap Report)....65
5.5. पाइप्ड पेयजल की गुणवत्ता पर रिपोर्ट (Report on The Quality of Piped Drinking Water)....66
5.6. गंगा नदी के लिए ई-प्रवाह मानदंड (E-Flow Norms for River Ganga)....68
5.7. एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रोडमैप (Energy Storage System Roadmap) 69
5.8. पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण (Ecological Fiscal Transfers) 71
5.9. हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन - कार्य योजना की तैयारी हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (National Guidelines for Preparation of Action Plan-Prevention and Management of Heat Wave)....73
5.10. राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (National Landslide Risk Management Strategy)....75
5.11. वैश्विक तापन के कारण वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन (Global Warming Alters Rainfall Pattern) 76
5.12. वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 (World Energy Outlook 2019)....77
5.13. ओलिव रिडले टर्टल (Olive Ridley Turtles) 78
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 79
6.1. पब्लिक गुड के रूप में शिक्षा (Education as a Public Good) 79
6.2. लर्निंग पावर्टी (Learning Poverty)....81
6.3. डिजिटल लर्निंग पर औद्योगिक दिशा-निर्देश (Industry Guidelines on Digital Learning) 82
6.4. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 {The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019}....84
6.5. मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट (Maternal Mortality Decline)....86
6.6. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 (Swachh Survekshan Grameen Awards 2019) 87
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 89
7.1. ई-सिगरेट पर प्रतिबंध (Banning E-Cigarettes) 89
7.2. पारंपरिक औषधि (Traditional Medicine)....90

VISION IAS

7.3. टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन (Typhoid Conjugate Vaccine) 91
7.4. कार्टोसैट-3 (CARTOSAT-3) 92
7.5. अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट (Space-Based Internet) 93
7.6. अरोकोथ- अल्टिमा थुले का परिवर्तित नाम (Ultima-Thule Renamed as Arrokoth) 93
7.7. जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस ऑफ इंडिया (Geochemical Baseline Atlas of India) 94
8. संस्कृति (Culture) **95**
8.1. गुरु नानक (Guru Nanak) 95
8.2. तिरुवल्लुवर (Thiruvalluvar) 96
8.3. भारतीय इतिहास की व्याख्या में यात्रा वृतांतों की भूमिका (Travelogues in Decoding Indian History) 96
8.4. यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UNESCO's Creative Cities Network) 97
9. नीतिशास्त्र (Ethics) **98**
9.1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता (Need of Scientific Temper) 98
10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short) **100**
10.1. मेघालय का आगंतुकों के प्रवेश संबंधी कानून (Meghalaya Brings Entry Law for Visitors) 100
10.2.पत्थलगड़ी आंदोलन (Pathalgadi Movement) 100
10.3. विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम {Special Protection Group (Amendment) Act} 100
10.4. कुलभूषण जाधव केस (Kulbhushan Jadhav Case) 101
10.5. एच-1बी वीजा निरस्तीकरण (H-1B Visa Denials) 101
10.6. मूल्य न्यूनता भुगतान (Price Deficiency Payment) 101
10.7. पेटेंट अभियोजन राजमार्ग कार्यक्रम (Patent Prosecution Highway Programme) 101
10.8. खादी हेतु पृथक एच.एस. कोड आवंटित (Khadi Gets Separate HS Code) 102
10.9. ओ.ई.सी.डी. इकोनॉमिक आउटलुक 2019 (OECD Economic Outlook 2019) 102
10.10. क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी सर्विस आवास पोर्टल (Credit-Linked Subsidy Services Awas Portal) 102
10.11. जूट बोरियों में अनिवार्य पैकेजिंग (Mandatory Packaging in Jute Materials) 102
10.12. 'आइसडैश' एवं 'अतिथि' (ICEDASH and ATITHI) 103
10.13. कूर्ग का कोडावास समुदाय (Kodavas Community of Coorg) 103
10.14. अग्नि- II का रात्रि परीक्षण (Night Trial of Agni-II) 103
10.15. सैन्य अभ्यास (Military Exercises) 103
10.16. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, 2019 (Global Terrorism Index: GTI, 2019) 104
10.17. सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु (Migratory Birds Die in Sambhar Lake) 104
10.18. लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना (Loktak Inland Waterways Project) 104
10.19. NTCA की 'मानव-भक्षक' बाघों पर नई नीति (NTCA's New Policy On 'Man-Eater' Tigers) 104

VISION IAS

10.20. मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज (Meghalaya Living Root Bridges) 105
10.21. ग्लाईफोसेट- आधारित शाकनाशी (Glyphosate-Based Herbicides) 105
10.22. न्यूजेन मोबिलिटी समिट (Nugen Mobility Summit) 105
10.23. SACEP की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग (Governing Council Meeting of SACEP) 105
10.24. ग्रीन क्लाइमेट फंड (Green Climate Fund: GCF) 106
10.25. चेन्नई में बाढ़ शमन हेतु रेड एटलस मैप और कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम ऐप (Red Atlas Map and CFLOWS App for Flood Mitigation in Chennai) 106
10.26. एशियन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस (Asian Dendrochronology Conference) 107
10.27. यौन संबंधों द्वारा डेंगू वायरस का संचरण (Sexual Transmission of Dengue Viruses) 107
10.28. 3S परियोजना (3S Project) 107
10.29. इंडियन ब्रेन एटलस {Indian Brain Atlas (IBA 100)} 107
10.30. फास्टैग (Fastag) 108
10.31. एक्सेलेरेटर लैब (Accelerator Lab) 108
10.32. सौर-मंडल में बौने ग्रह (Dwarf Planets in Solar System) 108
10.33. 'सांस' अभियान (SAANS Campaign) 108
10.34. अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए विंटर-ग्रेड डीजल (Winter-Grade Diesel for High Altitude Regions) 109
10.35. जीनोम अनुक्रमण द्वारा एच.आई.वी. के नए उप-प्रकार की खोज (New HIV Subtype Found By Genetic Sequencing) 109
10.36. ग्लोबल बायो-इंडिया समिट, 2019 (Global Bio-India Summit, 2019) 109
10.37. एशिया के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (QS World University Rankings for Asia) 109
10.38. भारतीय पोषण कृषि कोष (Bharatiya Poshan Krishi Kosh) 110

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes In News) 111

11.1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: PMMVY) 111
11.2. प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY) 111
11.3. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana: PMMY) 112

VISION IAS

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution)

1.1. राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (Nationwide NRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens: NRC) को लागू करने के स्पष्ट संकेत दिए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये संकेत केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए हैं।
- NRC वस्तुतः देश के सभी वैध नागरिकों (आवश्यक दस्तावेज धारक) की एक सूची होती है।
- इससे पूर्व, उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए, सरकार द्वारा असम में NRC को अपडेट करने का कार्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 19 लाख से अधिक आवेदक NRC की सूची में स्थान प्राप्त करने में असफल रहे थे।

नागरिकता के निर्धारण के लिए मानदंड

- नागरिकता अधिनियम, 1955 में स्पष्ट रूप से यह वर्णित है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात् परंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व जन्मा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा।
- भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके पश्चात् परंतु 3 दिसम्बर 2004 {नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने की तिथि} से पूर्व जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके पश्चात् भारत में हुआ है, तो वह उसी दशा में जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके माता-पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों अथवा माता या पिता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो।
- इसका एकमात्र अपवाद असम था, जहाँ वर्ष **1985 के असम समझौते (Assam Accord)** के अनुसार 24 मार्च 1971 से पूर्व तक राज्य में आए व्यक्तियों को भारतीय नागरिकों के रूप में नियमित (वैध) किया जाना था।
- इस संदर्भ में, केवल असम में 24 मार्च 1971 तक प्रवेश कर चुके विदेशियों की नागरिकता को नियमित करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
- देश के शेष भागों के संदर्भ में मौजूदा प्रावधान यह है कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात् देश के बाहर जन्म लेने वाले और उचित दस्तावेज़ों के बिना भारत में रहने वाले व्यक्तियों को विदेशी व अवैध प्रवासी माना जाएगा।

राष्ट्रव्यापी NRC के पक्ष में तर्क

- **नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करना:** NRC वस्तुतः देश में अवैध प्रवासन की समस्या के संदर्भ में अति-आवश्यक समाधान प्रदान करेगा। इसकी सहायता से अवैध अप्रवासियों द्वारा देश की जनसांख्यिकी को परिवर्तित करने और विभिन्न राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने जैसी आशंकाओं को भी समाप्त करने में सहायता मिलेगी।
- **कुछ हितधारकों द्वारा की गई मांग:** असम पब्लिक वर्क्स (APW) जैसे NGOs द्वारा पिछली NRC को अपग्रेड करने हेतु उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
- **राज्य का वैधानिक दायित्व:** नागरिकता अधिनियम, 1955 की **धारा 14A** की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि **"केंद्र सरकार अनिवार्यतः भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत करेगी एवं उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करेगी"।**
  - **भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Indian Citizens: NRIC)** को तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया **"नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003"** में निर्दिष्ट है।
- **आव्रजन संबंधी मुद्दों का समाधान:** NRC, भविष्य में देश में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को हतोत्साहित करेगा।
  - यह प्रभावी सीमा प्रबंधन (विशेष रूप से नेपाल और बांग्लादेश सीमाओं के संदर्भ में) में एजेंसियों की सहायता कर सकता है।

VISION IAS

राष्ट्रव्यापी NRC से संबंधित समस्याएँ

- **निर्वासन संबंधी प्रावधानों की विद्यमानता:** चूंकि आप्रवासियों से संबंधित विषय **'विदेशी विषयक अधिनियम, 1946'** और **'पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920'** जैसे कानूनों के अधीन हैं तथा अधिकरणों को उनका पता लगाने, उन्हें बंदी बनाने और निर्वासित करने संबंधी अधिकार पहले से ही प्राप्त हैं।
- **कानूनी बाधाएं:** पिछली बार जब केंद्र सरकार ने आधार परियोजना के अंतर्गत एकल पहचान हेतु नामांकन को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया था, तब इसका अत्यधिक (सीमित और न्यायोचित मामलों को छोड़कर) विरोध किया गया था और अंततः इसे निरस्त करना पड़ा था। प्रस्तावित NRIC योजना से निजता के अधिकार के संबंध में के. एस. पुट्टास्वामी वाद में दिए गए निर्णय का प्रत्यक्ष उल्लंघन भी होगा।
- **असम के अनुभव की उपेक्षा:** पिछली NRC से संबंधित जटिलताओं को देखते हुए जैसे कि-
    - **पिछले परिणामों पर कोई स्पष्टता नहीं:** पिछली NRC से बाहर हुए 19 लाख से अधिक लोगों पर अंतिम परिणाम क्या होंगें, इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। उल्लेखनीय है कि इन लोगों की राज्यविहीन स्थिति बनी हुई है और इनके बांग्लादेश (जो इन्हें अपना नागरिक मानने से अस्वीकार करता है) "निर्वासित" किए जाने का जोखिम बना हुआ है।
    - **सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी:** कई आलोचकों द्वारा करदाताओं के धन के व्यय (जिसका व्यय पिछली NRC पर किया गया था) के संबंध में आलोचना की जा रही है।
    - **क्षमता का अभाव:** असम के प्रथम डिटेंशन कैंप का निर्माण जारी है, लेकिन यह कैंप केवल 3,000 लोगों के लिए ही रहने योग्य है, जबकि अंतिम NRC से बाहर हुए लोगों की संख्या लगभग 19 लाख है। इसके अतिरिक्त, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि डिटेंशन कैंपों में अमानवीय जीवन स्थितियां विद्यमान होती हैं।
    - **विरोध:** असम के कई वर्गों, जैसे- बोडोलैंड के छात्रों ने असम में NRC की पुनरावृत्ति का विरोध किया है।
- **अल्पसंख्यकों का मुद्दा:** ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इस तरह की योजनाओं द्वारा देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सकता है।
    - **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019** वस्तुतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू अवैध प्रवासियों और कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाता है। हालाँकि, यह इस प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों के पृथक होने संबंधी आशंका उत्पन्न करता है।
- **कार्यान्वयन संबंधी विसंगतियाँ:** NRC, देश के सामान्य लोगों, विशेष रूप से **निर्धन और अशिक्षित** वर्गों के **समय, धन एवं उत्पादकता** को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।
    - विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के अंतर्गत, कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत आवेदक पर निर्भर करता है न कि राज्य पर। इसके अतिरिक्त, यह भी ज्ञात नहीं हैं कि इस प्रकार के कार्य को किस प्रकार संपादित किया जाएगा।
    - इसके अतिरिक्त, भारत में **निम्नस्तरीय दस्तावेजी संस्कृति** विद्यमान है और लगभग 125 करोड़ भारतीयों को अधिवासित पूर्वजों से अपने संबंधों को प्रदर्शित करने हेतु अपने पूर्वजों के दस्तावेजी प्रमाण को एक निश्चित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।
- **लोगों के भविष्य निर्धारण संबंधी कोई विशिष्ट नीति नहीं:** सरकार द्वारा अभी तक NRC के पश्चात् की स्थितियों के संबंध में कोई कार्यान्वयन योजना भी तैयार नहीं की गई है, क्योंकि अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश निर्वासित (वापस भेजे जाने) किए जाने की संभावना कम ही है, क्योंकि सूची से बाहर हुए लोगों को बांग्लादेश के प्रमाणित नागरिक होना चाहिए और ऐसे में बांग्लादेश से सहयोग की आवश्यकता होगी।
- **मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप:** जैसा कि दक्षिण एशिया में मानवाधिकारों के मामले पर अमेरिकी कांग्रेस में हुई सुनवाई के दौरान न केवल कश्मीर मुद्दे को, बल्कि असम के NRC के मुद्दे को भी उठाया गया था।
    - **राज्यविहीन होने का मुद्दा:** ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इसके परिणामस्वरूप भारत में भी राज्यविहीन लोगों के एक नवीन समूह का निर्माण हो जाएगा, जैसा कि म्यांमार से बांग्लादेश में पलायन हुए रोहिंग्याओं के साथ हुआ है।

आगे की राह

- **अधिकतम दो पीढ़ियों के लिए एक सामान्य कट-ऑफ तिथि का निर्धारण:** जो नागरिकों के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगी।
    - असम में समस्या का प्रमुख कारण वर्ष 1971 को कट-ऑफ वर्ष के रूप में निर्धारित करना था, जिसने इतने पुराने दस्तावेजों को प्राप्त करना असंभव बना दिया था।
    - NRC की सहायता से भविष्य में होने वाले अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। ज्ञातव्य है कि बिना किसी मानवीय संकट के अतीत में हुए अवैध प्रवास की समस्या का समाधान सरलता से नहीं किया जा सकता है तथा इससे उन राज्यों की व्यष्टि-अर्थव्यवस्था भी बाधित हो सकती है जहां ये अवैध प्रवासी प्रवासित एवं कार्यरत हैं।

VISION IAS

- **वर्ष 2021 की जनगणना के साथ NRC को संबद्ध करना:** वर्ष 2021 की जनगणना का कार्य संभवतः सितंबर 2020 से प्रारंभ होगा, अत: लोगों को अपने दस्तावेज तैयार करने और उनको जनगणना कार्यकर्ताओं को सत्यापन के लिए सौंपने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध है, जिसे वे दस्तावेजों की वैधता को प्रमाणित करने वाले निर्दिष्ट न्यायाधिकरण या पीठ को प्रेषित कर सकते हैं।
- **एक निष्पक्ष प्रक्रिया को स्थापित करना:** ऐसे आरोप भी लगाए गए थे कि असम में NRC के कार्यान्वयन के दौरान कुछ वर्गों ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। एक राष्ट्रव्यापी NRC के दौरान इस प्रकार की समस्या को दृष्टिगत रखना चाहिए।
- **अवैध प्रवासन के मुद्दे का समग्र रूप से समाधान करना:** व्यापक सीमा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त (UNHCR) से सहयोग प्राप्त करना चाहिए।
    - भारत सरकार को अपने स्वयं के मतदाता और नागरिकता रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इस कार्य को व्यापक **दक्षेस अभिसमय (SAARC Convention)** के अंतर्गत भी संचालित किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग:** जैसे **डिजिटल लॉकर** का उपयोग करना। नागरिकों से कहा जाना चाहिए कि वे अपने सभी दस्तावेजों को डिजिटल लॉकरों में प्रमाणित करवाएं, ताकि NRC सत्यापन के दौरान उन्हें केवल डिजिटल लॉकर तक पहुंच उपलब्ध कराने की ही आवश्यकता होगी।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स** का उचित रूप से उपयोग कर, सरकार कई डेटाबेस के उपयोग की सहायता से सुगमतापूर्वक निवासियों और अप्रवासियों के संदिग्ध होने की पहचान कर सकती है।

1.2. 'सूचना का अधिकार' के दायरे में भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय (CJI Under RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के उच्चतम न्यायालय के **केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल वाद** में उच्चतम न्यायालय के पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने घोषणा की है कि भारत के **मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के अंतर्गत एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण'** है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2007 में, RTI कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बारे में जानकारी मांगी थी जिसमें कहा गया था कि "प्रत्येक न्यायाधीश को अचल संपत्ति एवं निवेश के रूप में अपनी सभी संपत्तियों की घोषणा करनी चाहिए"।
- हालाँकि, संपत्ति की यह घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करनी होती थी और इसे स्वैच्छिक रूप से भी पब्लिक डोमेन में रखने का अधिकार नहीं था।
- वर्ष 2009 में, सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम और सरकार के मध्य पत्राचार के विवरण के संबंध में सूचना प्राप्ति हेतु मांग की गई थी।
- इन दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय ने सूचना साझा करने से मना कर दिया था। इसके बाद सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में अपील की गयी, जिसने निर्णय दिया कि भारत के **मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय RTI अधिनियम के दायरे में आता** है और उच्चतम न्यायालय RTI अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने से मना नहीं कर सकता है।
- **इसके पश्चात् वर्ष 2009 में CIC के इस निर्णय को चुनौती देने हेतु यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय** के समक्ष आया। उच्चतम न्यायालय के पक्षकारों का तर्क था कि CJI के समक्ष न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा **"व्यक्तिगत सूचना"** के तहत शामिल है और इसलिए इसे RTI अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि **"अत्यधिक पारदर्शिता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है"।**
- हालाँकि, वर्ष 2010 में, **दिल्ली उच्च न्यायालय ने CIC के निर्णय को यह कहते हुए वैध ठहराया** कि CJI का कार्यालय भी RTI अधिनियम के दायरे में आता है।
- तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय ने इस मामले (अर्थात् भारत के उच्चतम न्यायालय के **केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल वाद** में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय) को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को प्रेषित किया था।

RTI और न्यायपालिका

- न्यायपालिका के साथ RTI का संबंध प्रारम्भ से ही विवाद का विषय रहा है।
- **RTI अधिनियम** द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को RTI के प्रावधानों को लागू करने का **अधिकार प्रदान** किया गया है तथा इन सभी न्यायालयों द्वारा अपने-अपने नियमों का निर्माण किया गया है।
- हालांकि, **उच्चतम न्यायालय के नियमों ने चार प्रमुख तरीकों से RTI के प्रभाव को कम किया है।** RTI अधिनियम के विपरीत ये नियम

निम्नलिखित की सुविधा प्रदान नहीं करते हैं:
  - सूचना प्रदान करने हेतु एक निश्चित समय सीमा;
  - एक अपील तंत्र;
  - सूचना प्रदान करने में विलंब या अनुचित तरीके से मना करने के लिए दंड; तथा
  - लोक हित में प्रासंगिक सूचनाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराना।
- इसके अतिरिक्त, कई उच्च न्यायालयों द्वारा अत्यंत प्रतिकूल नियम बनाए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन हो गया है। उदाहरण के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रत्येक सूचना की प्राप्ति हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दस रुपये के विपरीत 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है।
- संक्षिप्त में, इन नियमों ने न्यायपालिका को अपने निर्विवाद विवेक के आधार पर सूचना प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है, जो RTI के उद्देश्य और मूल भावना के विपरीत है।
- RTI अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में अपील करने की अनुमति नहीं है। फिर भी, इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है कि भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किसी भी विधि को समाप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का निर्णय अंतिम होगा और केंद्रीय सूचना आयोग के पास किसी भी स्वतंत्र अपील पर निर्णय का अधिकार नहीं होगा।

उच्चतम न्यायालय का तर्क

क्या CJI सार्वजनिक प्राधिकरण है?

- इस निर्णय में कहा गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय और CJI का कार्यालय दो अलग-अलग सार्वजानिक प्राधिकरण नहीं हैं। **अनुच्छेद 124** के अनुसार CJI और अन्य न्यायाधीशों का कार्यालय उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत शामिल होता है। इसलिए यदि उच्चतम न्यायालय एक सार्वजानिक प्राधिकरण {RTI अधिनियम की धारा 2 (h) के अनुसार} है, तो **CJI का कार्यालय** भी एक सार्वजानिक प्राधिकरण है।

न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा

- इसने वर्ष 2010 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को वैध ठहराते हुए कहा कि CJI **न्यासीय सामर्थ्य** (fiduciary capacity) के आधार पर न्यायाधीशों की व्यक्तिगत संपत्ति की जानकारी नहीं रखता है। इसलिए, सेवारत न्यायाधीशों की व्यक्तिगत संपत्ति के विवरण का खुलासा करना उनके **निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं** है।
- न्यायाधीशों की संपत्ति की सूचना किसी भी तरह से **व्यक्तिगत सूचना के दायरे के अधीन नही है,** इसलिए निजता के आधार पर इसे RTI के तहत छूट प्रदान नहीं की जा सकती है।

RTI अधिनियम की धारा 8(1)(J) में कहा गया है कि व्यक्तिगत सूचना, जिसका किसी भी लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जिसके कारण व्यक्ति की निजता का अनुचित अतिक्रमण हो सकता है, केवल तभी सार्वजनिक की जा सकेगी जब अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट हो जाए कि व्यापक लोकहित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण उचित है।

व्यक्तिगत सूचना का प्रकटीकरण

- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि RTI के अंतर्गत सूचना का अधिकार **निरपेक्ष नहीं** है और इसे न्यायाधीशों की व्यक्तिगत निजता के अधिकार के साथ संतुलित होना चाहिए।
- इस प्रकार, सूचना आयुक्त को न्यायपालिका की निजता और स्वतंत्रता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए आनुपातिकता के आधार पर सूचना का प्रकटीकरण करना चाहिए।
- निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि प्राप्त अंक, ग्रेड और पेशेवर रिकॉर्ड, योग्यता, प्रदर्शन, मूल्यांकन रिपोर्ट, ACR आदि व्यक्तिगत सूचना के तहत शामिल हैं। ऐसी व्यक्तिगत सूचनाओं को निजता के अनुचित अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। **(RTI अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत)**
- इस संदर्भ में, इस निर्णय में न्यायालय द्वारा एक **'नॉन-इग्ज़ॉस्ट फैक्टर' (non-exhaustive factors)** की सूची प्रदान की गई और कहा गया कि **RTI की धारा 8 के अंतर्गत लोक हित का आकलन** करते समय लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं: सूचना की प्रकृति और विषय-वस्तु, गैर-प्रकटीकरण के परिणाम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आनुपातिकता आदि।

- **इसके विरुद्ध उठाए गए मुद्दे:**
    - इसके लिए अति न्यायिक कुशाग्रता की आवश्यकता होती है और माना गया कि **RTI अधिनियम की धारा 8(1)(J) के आधार पर अधिकांश PIO स्पष्ट रूप से सूचना के प्रकटीकरण से मना** कर सकते हैं और इस प्रकार यह सूचना की मांग करने वालों को उनके आदेशों के विरुद्ध अपील करने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
    - इसके विपरीत, न्यायालय को न्यायाधिशों की व्यक्तिगत सूचना के उन पक्षों को अधिक स्पष्ट रूप से सार्वजनिक कर देना चाहिए, ताकि PIO लोकहित के लिए बिना न्यायिक निर्णय की आवश्यकता के प्रकटीकरण कर सके।

न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित सूचना के संदर्भ में

- यहाँ, उच्चतम न्यायालय द्वारा **'इनपुट'** और **'आउटपुट'** प्रक्रिया के मध्य अंतर किया गया है। कोलेजियम रिज़ॉल्यूशन का अंतिम परिणाम 'आउटपुट' प्रक्रिया है, जबकि "इनपुट" अवलोकन, सांकेतिक कारण, इनपुट्स और डेटा होते हैं, जिनकी कॉलेजियम द्वारा जांच की जाती है।
- यहां, केवल कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों के नामों **(आउटपुट)** का खुलासा किया जा सकता है, न कि कारणों **(इनपुट)** का। उच्चतम न्यायालय ने कहा **"सूचना के अधिकार को निगरानी के उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"**
- इसी प्रकार, जब सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के अपने कारणों का प्रकटीकरण करती है, **तब भी इस संबंध में न्यायपालिका के निर्णय पर सार्वजनिक चर्चा नहीं की जा सकती है।**
- साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कॉलेजियम के विचार-विमर्श से संबंधित सूचनाओं को **तृतीय-पक्ष से संबद्ध गोपनीय सूचना** के रूप में माना जाता है।
- ऐसे मामलों में, **PIO को RTI अधिनियम की धारा 11 में निहित अनिवार्य प्रक्रिया का अनुपालन** करना चाहिए। सूचना के लिए RTI के अनुरोध के बारे में सबसे पहले तृतीय-पक्ष (संबंधित न्यायाधीश) को नोटिस जारी किया जाना चाहिए। PIO द्वारा सूचना जारी करने से पूर्व तृतीय-पक्ष के विचार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- **इसके विरुद्ध उठाए गए मुद्दे:**
    - यह **एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य वाद (1981)** में उच्चतम न्यायालय के दावे के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि कानून मंत्री या केंद्र सरकार के अन्य उच्च-स्तरीय पदाधिकारियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश के मध्य नियुक्ति और गैर-नियुक्ति आदि के संबंध में होने वाले पत्राचार से संबंधित दस्तावेज को प्रकटीकरण से **प्रतिरक्षा के लिए संरक्षित नहीं माना** जा सकता है।

निष्कर्ष

उच्चतम न्यायालय ने सटीक विश्लेषण किया है कि "पारदर्शिता और जवाबदेही परस्पर संबद्ध होनी चाहिए"। RTI के अंतर्गत बढ़ती पारदर्शिता न्यायिक स्वतंत्रता के समक्ष कोई खतरा उत्पन्न नहीं करती है। इस प्रकार, यह निर्णय, न्यायिक व्यवस्था में लोगों के विश्वास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।

कुछ सीमाओं के बावजूद, उच्चतम न्यायालय का निर्णय अधिक पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करता है और इसका अन्य संस्थाओं जैसे कि पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा प्रकटीकरण जैसे मुद्दों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

1.3. अधिकरण के सदस्यों के पदस्थापन संबंधी नियमों का उच्चतम न्यायालय द्वारा निरसन (Supreme Court Strikes Down Rules on Tribunal Postings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सहित 19 प्रमुख न्यायिक अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन हेतु वित्त अधिनियम, 2017 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को निरस्त कर दिया गया।

पृष्ठभूमि

- अधिकरणों को शासित करने वाले विभिन्न प्रावधानों को वित्त अधिनियम, 2017 के तहत शामिल किया गया था। वित्त अधिनियम, 2017 के तहत निम्नलिखित संशोधनों को शामिल किया गया था:
    - इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार, अधिकरणों के अध्यक्षों और अन्य सदस्यों की नियुक्तियों, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते, त्यागपत्र, पदमुक्ति तथा अन्य सेवा शर्तों के संदर्भ में नियम निर्धारित कर सकती है।
    - इसमें उपबंधित किया गया था कि केंद्र सरकार को एक अधिसूचना के माध्यम से अधिकरणों की सूची में संशोधन करने की अधिकारिता प्राप्त होगी।
    - कुछ मौजूदा अधिकरणों को प्रतिस्थापित कर उनके कार्यों को अन्य अधिकरणों को हस्तांतरित किया गया था। उदाहरण के लिए, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (TDSAT) से प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

- **इन संशोधनों के कारण अनेक चिंताएं उत्पन्न हुईं थीं तथा इनके निम्नलिखित निहितार्थ थे:**
    - **संसदीय संवीक्षा का ह्रास:** इसने सरकार को नियमों के माध्यम से सदस्यों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और पदमुक्ति को निर्धारित करने की अनुमति प्रदान कर संसदीय संवीक्षा में कमी का मार्ग प्रशस्त किया था। इससे पूर्व ये कार्य अधिकरणों से संबंधित अधिनियमों में संशोधन के माध्यम से किए जाते थे, जिसमें संसद शामिल होती थी।
    - **न्यायिक स्वतंत्रता का ह्रास:** इन संशोधनों से न्यायिक स्वतंत्रता में कमी आई थी क्योंकि इनके माध्यम से कार्यपालिका को अधिक शक्तियां प्रदान की गईं थीं। वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अपीलीय अधिकरण के कार्य और शक्तियां उच्च न्यायालयों के समान होते हैं तथा इसलिए उनके सदस्यों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए।
    - **अस्पष्ट तर्क:** कुछ अधिकरणों को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रदत्त तर्क अस्पष्ट थे। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट नहीं था कि TDSAT, जो मुख्य रूप से दूरसंचार विवाद निपटान से संबंधित है, विमानपत्तन सेवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों के निवारण हेतु कैसे विशेषज्ञता प्राप्त करेगा।
- इस वित्त अधिनियम को एक धन विधेयक के तौर पर पारित किया गया था, जिसे चुनौती दी गई थी।

अधिकरण

- अधिकरण एक अर्ध-न्यायिक निकाय होता है। भारत में इनका गठन अनुच्छेद 323-A या 323-B के अंतर्गत संसद या राज्य विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा इनके समक्ष प्रस्तुत विभिन्न विवादों के न्यायनिर्णयन या विचारण हेतु किया जा सकता है।
- संविधान में अनुच्छेद 323A और 323B को **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1976 में **42वें संविधान संशोधन अधिनियम** के माध्यम से अंतःस्थापित किया गया था।
    - अनुच्छेद 323-A प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है।
    - अनुच्छेद 323-B अन्य विषयों के लिए अधिकरणों से संबंधित है।
- ये विशेष रूप से तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विवादों के न्यायनिर्णयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।
- ये सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निर्धारित किसी भी एकसमान प्रक्रिया का पालन करने हेतु बाध्य नहीं हैं, लेकिन इनके द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
- इन्हें दीवानी न्यायालय (civil court) की कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे - समन जारी करना और गवाहों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना। इसके निर्णय कानूनी तौर पर पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होते हैं, हालांकि इनके विरुद्ध अपील की जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश

- उच्चतम न्यायालय ने **"अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरण नियम, 2017"** को पूर्णतः निरस्त कर दिया है तथा कहा कि ये नियम "विभिन्न कमियों" से ग्रस्त हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी वर्णित किया कि ये नियम "संविधान में परिकल्पित कुछ सिद्धांतों के विपरीत हैं, जिसकी व्याख्या इस न्यायालय द्वारा की गई है"।
- हालाँकि, न्यायालय ने वित्त अधिनियम की धारा 184 को बरकरार रखा, जिसके तहत केंद्र सरकार को अधिकरणों में नियुक्ति, सेवा शर्तों, पदमुक्ति और अन्य पहलुओं को निर्धारित करने के लिए नियमों के निर्धारण का अधिकार प्रदान किया गया है। इसने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त सिद्धांतों के अनुरूप नियमों में पुनः संशोधन करे।
    - केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नए नियमों के अंतर्गत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये नवीन नियम गैर-भेदभावपूर्ण हों और सेवा शर्तें (सुनिश्चित कार्यकाल सहित) समान हों।
- न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि जब तक नए नियमों को तैयार नहीं कर लिया जाता तब तक नियुक्तियां, मौजूदा कानूनों के अनुसार की जाएँगी, न कि वित्त अधिनियम, 2017 के तहत।
- न्यायालय ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को आदेश दिया है कि वह वित्त अधिनियम, 2017 के कारण हुए परिवर्तनों के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए अधिकरणों का 'न्यायिक प्रभाव आकलन' आयोजित करे।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह निपटाए जाने वाले विषय-वस्तुओं की समरूपता का परीक्षण कर मौजूदा अधिकरणों के यथोचित एकीकरण के कार्य को पूरा करे तथा कार्यभार के आधार पर पीठों का गठन करे।
- न्यायालय ने यह भी प्रस्तावित किया है कि अधिकरणों के कामकाज की निगरानी हेतु विधायिका द्वारा **'राष्ट्रीय अधिकरण आयोग'** नामक एक सांविधिक संगठन का गठन किया जाएगा। साथ ही, अधिकरण प्रणाली के प्रभावी कार्य-संचालन हेतु एक **अखिल भारतीय अधिकरण सेवा** के गठन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया।
- न्यायालय ने यह भी चिंता व्यक्त की कि प्रशासनिक मामलों के संदर्भ में कुछ अधिकरण सरकारी विभागों के अधीन प्रतीत होते हैं और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

VISION IAS

- इस वित्त अधिनियम को एक धन विधेयक के तौर पर पारित किए जाने के विषय पर:
  - उच्चतम न्यायालय द्वारा इस विषय को सात न्यायाधीशों की पीठ को प्रेषित किया गया है।
  - इसने कहा कि **के. एस. पुट्टास्वामी वाद (आधार मामले)** में बहुमत ने **अनुच्छेद 110(1)** में उपबंधित **'केवल'** शब्द के प्रभाव पर पर्याप्त चर्चा नहीं की थी।
  - आधार मामले में उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम को धन विधेयक के तौर पर पारित करने की वैधता को बरकरार रखा था।

1.4. चुनावी बॉण्ड्स (Electoral Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी में चुनावी बॉण्ड्स के संबंध में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

अन्य संबंधित तथ्य

- **"देश में राजनीतिक वित्त-पोषण की प्रणाली को पारदर्शी बनाने"** के उद्देश्य से वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में चुनावी बॉण्ड्स योजना की घोषणा की गई थी।
- चुनावी बॉण्ड्स के माध्यम से अब तक एकत्रित किए गए 5,896 करोड़ रुपये में से 91 प्रतिशत से अधिक एक करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग वाले बॉण्ड्स थे। ऐसे में उच्च मूल्य वर्ग वाले बॉण्ड्स के प्रभावी उपयोग से यह स्पष्ट होता है कि लगभग संपूर्ण धन समाज के सबसे धनी वर्ग की ओर से आया है। निम्नलिखित के द्वारा भी इसकी पुष्टि की जा सकती है:
  - 1 करोड़ और 10 लाख रुपये के संयुक्त बॉण्ड्स का मूल्य, सभी बॉण्ड्स के कुल मूल्य का लगभग 99.7 प्रतिशत है।
  - एक हजार, 10 हजार और एक लाख रूपये के मूल्य वर्ग वाले चुनावी बॉण्ड्स का कुल मूल्य मात्र 15.06 करोड़ रुपये है।
- चुनावी बॉण्ड्स के मूल्य के आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि कुल चार शहरों (अर्थात् मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और हैदराबाद) में 83 प्रतिशत बॉण्ड्स खरीदे गए।
- पूर्व में कई आलोचकों ने चुनावी बॉण्ड्स से संबद्ध पारदर्शिता पर आपत्ति जताई थी, और इन तथ्यों से कुछ हद तक उनकी आपत्तियों की पुष्टि हुई है।

चुनावी बॉण्ड्स की शुरूआत के पीछे तर्क

- **राजनीतिक वित्त-पोषण में नकदी के प्रयोग को सीमित करना:** पूर्व में, व्यक्तियों/कॉर्पोरेट्स द्वारा वित्त-पोषण के अवैध साधनों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक चंदे के रूप में बड़े पैमाने पर नगद राशि दी जाती थी। इस प्रकार विगत प्रणाली पूर्णतया अपारदर्शी थी तथा पूर्ण अनामिकता (anonymity) सुनिश्चित करती थी।
  - पूर्व में, दाताओं के पास अपनी व्यावसायिक क्रियाओं से धन निकालने व नकद रूप में दान करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता था।
  - चुनावी बॉण्ड्स की योजना को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया था कि एक पार्टी को किए गए सभी दान का लेखा-जोखा बैलेंस शीट में रखा जाएगा और यह सार्वजनिक रूप से दानकर्ता के विवरण को उजागर किए बिना प्रदान किया जाएगा।
- **काले धन पर अंकुश लगाने के लिए- चुनावी बॉण्ड्स में सम्मिलित निम्नलिखित विशेषताओं के कारण:**
  - चुनावी बॉण्ड्स के निर्गमन हेतु भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट या चेक के द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम या खरीदारों के 'खाते' से प्रत्यक्ष निकासी (डेबिट) के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इस प्रकार इन बॉण्ड्स की खरीद हेतु काला धन प्रयुक्त नहीं हो सकता है।
  - इन बॉण्ड्स के क्रेताओं के लिए KYC अनिवार्यताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। साथ ही, लाभार्थी राजनीतिक दल के लिए, प्राप्त धन की रसीद का प्रकटीकरण करना और प्राप्त धन का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  - बॉण्ड्स की वैधता हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि बॉण्ड एक समानांतर मुद्रा न बन सके।
- **कपटपूर्ण राजनीतिक दलों का अपवर्जन:** यह ऐसे दलों को बाहर कर देती है जो कर वंचना के आधार पर निर्मित किये गये हैं क्योंकि इस योजना के अंतर्गत राजनीतिक दलों के लिए अर्हता हेतु एक कठोर उपबंध को समाविष्ट किया गया है।
- **राजनीतिक उत्पीड़न से दानकर्ताओं की सुरक्षा:** क्योंकि दानकर्ताओं की पहचान का गैर-प्रकटीकरण योजना का मूल उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त, क्रेता का रिकॉर्ड बैंकिंग चैनल में सदैव उपलब्ध रहेगा तथा प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा आवश्यकतानुसार इसे कभी भी पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

राजनीतिक वित्त-पोषण के संदर्भ में चुनावी बॉण्ड्स के उपयोग का विश्लेषण

- **निम्नलिखित कारणों से अभी भी राजनीतिक वित्त-पोषण के संदर्भ में अस्पष्टता बनी हुई है:**
  - साधारण नागरिक को यह जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है कि कौन किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दे रहा है। साथ ही, ये बॉण्ड्स राजनीतिक चंदे की अनामिकता को बढ़ा रहे हैं।
  - चुनावी बॉण्ड्स योजना से पूर्व, राजनीतिक दलों को **20,000 रुपये से अधिक** के चंदे के रिकॉर्ड को बनाए रखना पड़ता था। जबकि, चुनावी बॉण्ड्स को इस शर्त के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए, अब राजनीतिक दलों को उन्हें प्राप्त चुनावी बॉण्ड्स के रिकॉर्ड्स को निर्वाचन आयोग के सम्मुख जाँच के लिए जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दल **आयकर अधिनियम, 1961** की **धारा 13A** के तहत अपना वार्षिक आयकर रिटर्न जमा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। हालांकि, चुनावी बॉण्ड्स को आयकर अधिनियम से भी छूट दी गई है।
- ये चुनावी बॉण्ड्स विदेशी वित्त-पोषण के लिए भी उपलब्ध हैं, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के हालिया विसम्मति (dissent) नोट के अंतर्गत रेखांकित किया गया है। इसने इस तथ्य को उजागर किया है कि इस योजना का उपयोग वास्तव में काले धन के प्रचलन, मनी लॉन्ड्रिंग, सीमा-पार जालसाजी और धोखाधड़ी को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

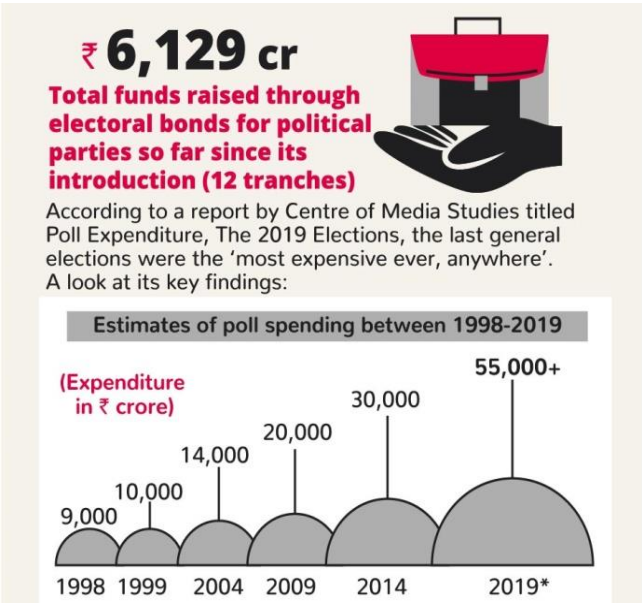

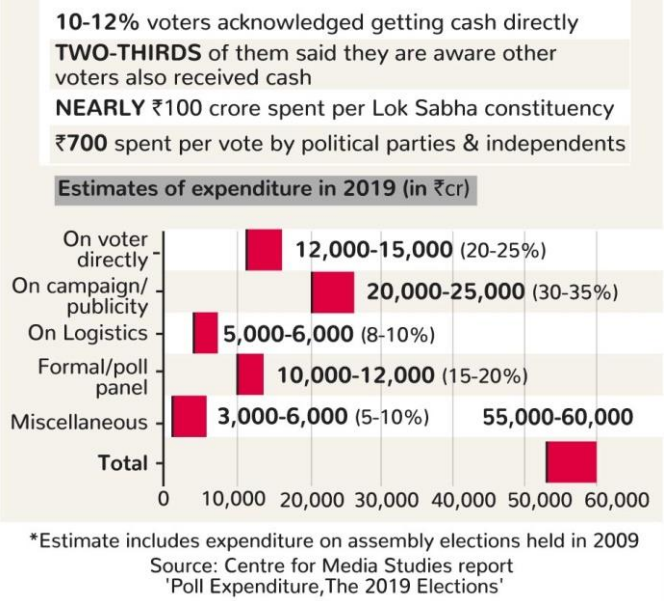

- **कॉर्पोरेट द्वारा दुरुपयोग की संभावनाओं का बढ़ाता है:** जैसा कि ऊपर चर्चा की गई लेन-देन की प्रकृति से पता चलता है।
  - इससे पूर्व, कोई भी कंपनी अपने लाभ का 7.5 प्रतिशत से अधिक किसी राजनीतिक पार्टी को दान नहीं कर सकती थी, लेकिन इस योजना के तहत यह सीमा पूरी तरह से हटा दी गई है।
  - इससे पूर्व, कंपनियों को अपनी राजनीतिक फंडिंग के विवरण का ब्यौरा देना होता था, लेकिन इसको भी इस योजना के तहत हटा दिया गया है।
  - इसने मुख्य रूप से राजनीतिक दलों को फंड प्रदान करने हेतु अनैतिक लोगों द्वारा कंपनियों के गठन करने के मार्ग को सुलभ बनाया है।
- **राजनीतिक वित्त-पोषण के मामले में एक समान अवसर का अभाव:** जैसे कि-
  - चुनावी बॉण्ड्स के लाभों को केवल कुछ राजनीतिक दलों तक सीमित रखने के लिए सरकार ने **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम** की **धारा 29B** में संशोधन किया है।
  - सत्तारुढ़ दल की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से सामने आए आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ है कि उसे (सत्तारुढ़ दल) वर्ष 2017-18 में बेचे गए सभी चुनावी बॉण्ड्स का 94.6 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।
  - **शहरी क्षेत्रों की परिघटना:** विभिन्न आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया है कि चुनावी बॉण्ड्स का प्रयोग अधिकांशतः शहरों में अमीर अभिकर्ताओं द्वारा किया गया है, जबकि देश की बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

निष्कर्ष

चुनावी बॉण्ड्स के शुरुआती रुझान इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं (जैसा कि राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भय जाहिर किया था) कि यह नया माध्यम अनियंत्रित कॉर्पोरेट प्रभाव को बढ़ावा देगा जिससे भारत के चुनावी लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, उसकी गहन जाँच करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह राजनीतिक वित्त सुधारों और पारदर्शिता मानदंडों में प्राप्त महत्वपूर्ण लाभ को पूर्ववत कर सकता है।

1.5. कर्नाटक के विधायकों की निरर्हता (Karnataka MLA's Disqualification)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा के 17 बागी विधायकों को निरर्ह घोषित करने के वहाँ के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के निर्णय को मान्य ठहराया, लेकिन न्यायालय ने बागी विधायकों को उपचुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी।

पृष्ठभूमि

- इस वर्ष जुलाई माह में, कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) पार्टियों के 17 विधायकों के इस्तीफे के कारण अंततः कर्नाटक में गठबंधन सरकार गिर गयी थी।
- तत्कालीन अध्यक्ष ने इन विधायकों के इस्तीफे को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि उनका इस्तीफा स्वैच्छिक या तर्कपूर्ण/प्रामाणिक नहीं था। साथ ही, अध्यक्ष ने दल परिवर्तन के आधार पर इन विधायकों को विधान सभा के कार्यकाल के अंत तक (अर्थात् वर्ष 2023 तक) निरर्ह घोषित कर दिया था।
- इसके उपरांत, इन 17 पूर्व-विधायकों ने अध्यक्ष द्वारा उन्हें निरर्ह ठहराए जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और न्यायालय से यह अनुरोध किया गया था कि उन्हें कर्नाटक की 15 विधान सभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों में चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाए।

दल परिवर्तन विरोधी कानून

- **दसवीं अनुसूची** संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा अंतःस्थापित की गई थी।
- यह विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधायकों को **दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह घोषित करने हेतु प्रक्रिया** को उपबंधित करती है।
- इसके तहत एक विधायक को **स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता त्याग देने या सदन में मतदान के दौरान दल के नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना करने** की स्थिति में दल परिवर्तन का दोषी माना जाता है।
- यह कानून **संसद और राज्य विधान-मंडल** दोनों पर लागू होता है।
- दल परिवर्तन से उत्पन्न **निरर्हता के संबंध में कोई भी प्रश्न सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित** किया जाता है।
- **कानून के तहत अपवाद:** यह कानून एक दल को अन्य दल में विलय की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते उस दल के कम से कम दो-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों। इस स्थिति में, विलय का समर्थन करने वाले सदस्य या मूल दल के साथ बने रहने वाले सदस्य निरर्हता के दायरे से बाहर होंगे।

विधायकों की निरर्हता पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- **न्यायिक पुनर्विलोकन:** उच्चतम न्यायालय की पीठ ने उल्लेख किया कि **किहोतो होलोहन बनाम जोचिल्हु एवं अन्य वाद (1992)** में प्रदत्त निर्णय के अनुसार, विधायकों को निरर्ह घोषित करने की शक्ति का प्रयोग करते समय अध्यक्ष, एक अधिकरण की भांति कार्य करता है और इसलिए, उसके आदेशों की वैधता का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है।
- **त्यागपत्र की स्वीकृति:** उच्चतम न्यायालय ने माना कि एक बार जब यह प्रदर्शित हो जाता है कि एक सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से त्यागपत्र देने हेतु तैयार है, तो अध्यक्ष के पास त्यागपत्र को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।
- **त्यागपत्र बनाम निरर्हता:** त्यागपत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बावजूद, त्यागपत्र से पूर्व उत्पन्न होने वाली निरर्हता के परिणामस्वरूप दल-परिवर्तन के लिए एक वैध आधार बना रहता है; और उक्त मामला विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में रहता है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने विधायकों की निरर्हता को बरकरार रखा।
- **निरर्हता की अवधि:** उच्चतम न्यायालय ने विधान सभा की अवधि के अंत तक (अर्थात् वर्ष 2023 तक) इन विधायकों को निरर्ह घोषित करने के अध्यक्ष के आदेश को अस्वीकार कर दिया। दसवीं अनुसूची के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष के पास न तो एक व्यक्ति की निरर्हता की अवधि तय करने (जिसके लिए उसे निरर्ह घोषित किया गया है) और न ही उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, दसवीं अनुसूची के तहत निरर्ह घोषित एक सदस्य, **संविधान के अनुच्छेद 75(1B), 164(1B) और 361B** के तहत प्रावधानित प्रतिबंधों के अधीन होगा। ये प्रावधान ऐसे व्यक्ति (विधायक) को उनकी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या उस तारीख तक जिसको वह किसी सदन के लिए कोई चुनाव लड़ता है, और निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, की अवधि के दौरान, मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा कोई लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने के लिए भी निरर्हित करते हैं।

1.6. राजनीति में महिलाओं की भागीदारी (Women Participation in Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"लोकनीति-CSDS और कोनराड एडेनॉयर स्टिफ्टंग"** ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत में राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के विभिन्न आयामों पर महिलाओं के अनुभव का आकलन किया गया है।

सर्वेक्षण द्वारा रेखांकित प्रवृत्तियां

- **राजनीतिक भागीदारी का निर्धारण करने वाला सामाजिक-आर्थिक वर्ग:** उच्च सामाजिक (जाति) और उच्च आर्थिक वर्गों से संबंधित महिलाएं, सामाजिक एवं आर्थिक पदानुक्रम के निचले स्तर पर स्थित महिलाओं की तुलना में चुनावी राजनीति में अधिक सक्रिय हैं।
- **मतदाताओं के रूप में भागीदारी में वृद्धि:** विगत कुछ वर्षों में मतदाताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। भारत के कई राज्यों में, महिला मतदान का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है।
- **राजनीति संबंधी निर्णयन की सीमित स्वायत्तता:** दो-तिहाई महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपनी राजनीतिक भागीदारी के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। सीमित स्वायत्तता महिलाओं द्वारा उनके परिवारों में सामना की जाने वाली प्रतिबंधात्मक प्रथाओं से प्रत्यक्षतः संबद्ध है।
- **पुरुष उम्मीदवारों को अपेक्षाकृत अधिक वरीयता:** लगभग 50% महिलाओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि चुनाव लड़ने हेतु टिकट वितरण में दलों द्वारा सदैव पुरुष उम्मीदवार को वरीयता प्रदान की जाती है और 40 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने यह अनुभव किया कि भारतीय मतदाताओं द्वारा पुरुषों के पक्ष में मतदान करने की अधिक संभावना होती है।
- **सर्वप्रमुख बाधा के रूप में पितृसत्तात्मकता:** प्रत्येक पांच में से एक महिला का मत है कि समाज के पितृसत्तात्मक मानदंड/संरचना राजनीति में महिला भागीदारी को प्रतिबंधित करने वाली सर्वप्रमुख बाधा है। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत बाधाएं और सांस्कृतिक मानदंड आदि अन्य प्रमुख बाधाएं हैं।
- **राजनीति में रुचि में वृद्धि, किंतु करियर के रूप में राजनीति को अपनाने के प्रति अनिच्छा:** युवा पीढ़ी, विशेषतः जिनकी शिक्षा तक पहुंच है, राजनीति में अधिक संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की रूचि में, विशेषकर स्थानीय राजनीति में, भी अत्यधिक वृद्धि हुई है।
  - हालांकि, तीन चौथाई महिलाओं ने अवसर दिए जाने पर भी राजनीति को अपना करियर बनाने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की है।
- **मीडिया समाचारों तक पहुँच:** यह राजनीतिक सूचनाओं का एक प्रमुख स्रोत है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं में राजनीति के प्रति रूचि में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मीडिया समाचारों तक अत्यधिक पहुँच रखने वाली महिलाओं ने कम पहुँच या पहुँच न रखने वाली महिलाओं की तुलना में राजनीति में अधिक रुचि व्यक्त की है।

राजनीति में अधिक महिला भागीदारी की आवश्यकता

- **संतुलित दृष्टिकोण:** राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं और पुरुषों दोनों की पूर्ण एवं समान भागीदारी एक संतुलन प्रदान करती है जो समाज की संरचना को अधिक सटीक रूप से प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ग्राम पंचायत (गाँव) स्तर पर प्रलेखित साक्ष्य दर्शाते हैं कि निर्वाचित पदों पर महिलाओं का अधिकाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित निकाय की प्रक्रिया और प्राथमिकताओं को संतुलित करता है।
- **महिलाओं से संबंधित और अन्य सामाजिक मुद्दों का समाधान:** कुपोषण, रक्ताल्पता (एनीमिया), प्रजनन स्वास्थ्य, बाल कल्याण, निर्धनता आदि जैसे मुद्दों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।
- **संसदीय समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका:** विभाग से संबंधित संसदीय समितियाँ भारत में सरकार के निर्णयों, कानून और कार्यों की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। इसलिए, इन समितियों में महिला सांसदों की भागीदारी यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि संसद द्वारा निर्मित विधियाँ और नीतियाँ लैंगिक-समावेशी हों।
- **आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि:** संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन में ज्ञात हुआ कि भारत में महिला विधायक, पुरुष विधायकों की तुलना में प्रति वर्ष लगभग 1.8 प्रतिशत अंकों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों के आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि करती हैं।
- **सशक्तीकरण:** राजनीतिक सशक्तीकरण महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवसरों की उपलब्धता को प्रेरित कर सकता है और परिणामतः, उनके लिए समान अवसरों का सृजन हो सकता है। लैंगिक असमानता जैसी बहुआयामी समस्या को समाप्त करने के लिए, एक बहु-आयामी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है तथा विभिन्न पहलों के साथ महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है।

महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय

- **संसद में महिलाओं के लिए कोटा:** भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय की एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल पुरःस्थापित एवं पारित किये जाने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- **राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए आरक्षण:** यद्यपि यह कदम महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि के संबंध में कोई ठोस आश्वासन प्रदान नहीं करता है, तथापि यह योग्यता आधारित वर्धित भागीदारी और अपेक्षाकृत कम जटिल विधि उपलब्ध कराता है। स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इसके मुख्य उदाहरण हैं।
- **उन सभी संरचनात्मक और कानूनी बाधाओं को समाप्त** करना जो लड़कियों एवं महिलाओं की राजनीति और निर्णयन प्रक्रिया में भागीदारी तथा उनके उत्तरदायित्व को सीमित करती हैं।
- लड़कियों एवं महिलाओं के लिए नेतृत्व कौशल में वृद्धि करने वाले तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले **सामुदायिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना।** कार्यकारी पदों पर और कॉर्पोरेट बोर्डों में महिलाओं के अधिकाधिक समावेशन के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं के नेतृत्व का समर्थन करना।
- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में **व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से भाग** लेने के लिए लड़कियों और महिलाओं में क्षमता-निर्माण करने वाली **जमीनी स्तर पर कार्यरत संस्थाओं का वित्तपोषण करना।**

राजनीति में महिला भागीदारी से संबंधित अन्य प्रवृत्तियां

- **स्वतंत्रता के पश्चात् दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है:** प्रथम लोकसभा (वर्ष 1952) और 17वीं लोकसभा (वर्ष 2019) के मध्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.4 प्रतिशत हो गया। राज्य सभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्ष 1952 के 6.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014 में 11.4 प्रतिशत हो गया है।
- **वैश्विक औसत से कम:** महिला-भागीदारी का वैश्विक औसत 22.9 प्रतिशत है। भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी (49.5%) के परिपेक्ष्य में, संसद में उनका प्रतिनिधित्व अत्यधिक निम्न है। विश्व के विधान-मंडलों के निचले सदन में महिलाओं के प्रतिशत के संदर्भ में भारत 190 देशों में से 153वें स्थान पर है।
- **स्थानीय निकायों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व:** पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 13.45 लाख है जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी का 46.14% है। देश भर की कुल ग्राम पंचायतों में से 43 प्रतिशत में महिला सरपंच हैं।

हालांकि, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण राजनीति में उनकी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किंतु वर्तमान में भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे-

- **पंचायती राज अधिनियम और नियमों के संबंध में स्वयं निर्वाचित महिलाओं के मध्य पर्याप्त ज्ञान का अभाव है** तथा अशिक्षा के कारण यह समस्या और अधिक जटिल बनी हुई है।
- राजनीतिक प्रशासन में **अनुभव की कमी,** संस्थाओं में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों द्वारा लैंगिक पूर्वाग्रहों को अपनाया जाना, महिलाओं की गतिशीलता के समक्ष बाधाएं, प्रतिकूल कार्य परिवेश आदि समस्याएं विद्यमान हैं।
- जब निर्वाचित महिलाओं का उनके पुरुष रिश्तेदारों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है तो उस स्थिति में उन्हें पर्याप्त **अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।** अधिकांशतः, प्राप्त शक्तियों पर उनके पति और परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, जिन्होंने महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था।

निष्कर्ष

समाज में निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिकाओं के महत्व को चिन्हित करते हुए सभी नागरिकों के मध्य अवसरों की समानता के साथ एक प्रगतिशील समाज के निर्माण हेतु महिलाओं की संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

1.7. सबरीमाला मंदिर मामला (Sabarimala Temple Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने **"सबरीमाला निर्णय" (2018)** के पुनर्विलोकन पर अपना निर्णय, सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता और संवैधानिक नैतिकता** जैसे व्यापक मुद्दों की जांच किए जाने तक, आस्थगित कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- सबरीमाला मंदिर की प्राचीन प्रथा के तहत, महिलाओं को उनके प्रजनन चरण (मासिक धर्म के चरण) के दौरान इस आधार पर मंदिर में प्रवेश करने से **प्रतिबंधित** किया गया है कि मंदिर में विराजमान **देवता पूर्णत: ब्रह्मचारी** हैं।
- **इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य वाद (2018)** में, उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 4:1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक निर्णय में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर आरोपित दशकों पुराने प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था।
    - इस निर्णय में टिप्पणी की गई कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध, **अस्पृश्यता का समर्थन करने जैसा है और इस प्रकार यह अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है।**

VISION IAS

- हालाँकि, **सबरीमाला मंदिर बोर्ड** ने तर्क दिया था कि यह "आस्था" एवं "विश्वास" का विषय है और इसे प्रतिगामी या महिला-विरोधी नहीं माना जा सकता है। इसलिए, उन्होंने **न्यायालय से इस प्रचलित प्रथा में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया था।**
- **न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा** ने भी इस आधार पर बहुमत के निर्णय के विरुद्ध असंतोष व्यक्त किया था कि न्यायालय को सती जैसी घृणित प्रथाओं के अतिरिक्त किसी अन्य हानिरहित धार्मिक मान्यताओं पर निर्णय नहीं देना चाहिए।

- हाल ही में, उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध समीक्षा याचिका (Review Petition) दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वर्ष 2018 का निर्णय त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि **संवैधानिक नैतिकता एक प्रकार की अस्पष्ट अवधारणा है** जिसका उपयोग आस्था और विश्वास के ह्रास के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है।
- हालांकि, न्यायालय द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णय पर रोक नहीं लगाई गयी है, जिसके तहत 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी।
- भविष्य में, मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश और दाऊदी बोहरा संप्रदाय में प्रचलित फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (खतना प्रथा) से संबंधित धार्मिक मुद्दों पर बड़ी बेंच द्वारा निर्णय किया जाएगा।

सबरीमाला मामले में उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के निहितार्थ

- **विभिन्न प्रमुख संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होंगे:** सात न्यायाधीशों की पीठ निम्नलिखित प्रश्नों की जाँच करेगी:
  - संविधान के **अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म की स्वतंत्रता** तथा अन्य मूल अधिकारों, विशेषकर समता के अधिकार (अनुच्छेद 14) के मध्य संतुलन संबंधी प्रश्न।
  - क्या **"अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं" या "अनिवार्यता के सिद्धांत (Doctrine of Essentiality)"** को **अनुच्छेद 26** (धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए?
  - एक व्यक्ति, जो उस धर्म {जिससे संबंधित प्रथा का परीक्षण करने के लिए उसने जन हित याचिका (PIL) दायर की है} से संबंधित नहीं है, द्वारा दायर PIL के संदर्भ में न्यायालय द्वारा दी जाने वाली न्यायिक मान्यता की **"अनुमेय सीमा"** (permissible extent) क्या है?
  - क्या एक न्यायालय यह जांच कर सकता है कि एक धर्म के लिए कोई प्रथा अनिवार्य है अथवा नहीं या क्या इस प्रश्न को संबंधित धार्मिक समुदाय के प्रमुख द्वारा निर्धारण किए जाने हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए?
- **लैंगिक समानता पर संवैधानिक बहस इस व्यापक मुद्दे के साथ** पुनः प्रारंभ हो जाएगी कि क्या कोई धर्म महिलाओं को पूजा स्थलों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर सकता है अथवा नहीं।

संवैधानिक नैतिकता/सदाचार (Constitutional Morality)

- 'नैतिकता' या 'संवैधानिक नैतिकता (सदाचार)' शब्द को संविधान में **परिभाषित नहीं** किया गया है।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, **संवैधानिक नैतिकता का परिमाण और विस्तार** केवल संविधान के प्रावधानों और शाब्दिक पाठ तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके तहत एक **व्यापक परिमाण** के सद्गुण शामिल होते हैं, जैसे- **संविधानवाद के अन्य सिद्धांतों** का अनुपालन करते हुए एक बहुलवादी और समावेशी समाज की स्थापना करना।
- वर्ष 2018 के सबरीमाला निर्णय में न्यायालय द्वारा बहुमत से **अनुच्छेद 25** में वर्णित **'सदाचार'** (morality) को संवैधानिक नैतिकता के रूप में परिभाषित किया गया था।
- अनुच्छेद 25 के अनुसार, "लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने का समान अधिकार होगा"।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, "मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में **'सदाचार'** शब्द का तात्पर्य स्वाभाविक रूप से **संवैधानिक नैतिकता** होता है और न्यायालय द्वारा अपनाया गया कोई भी दृष्टिकोण, संवैधानिक समानता की अवधारणा के सिद्धांतों एवं बुनियादी नियमों के अनुरूप होना चाहिए।"

अनिवार्यता के सिद्धांत की समझ और संबंधित विवाद

- **अनिवार्यता का सिद्धांत:** "अनिवार्यता" का सिद्धांत वर्ष 1954 में 'शिरुर मठ' मामले में उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके तहत न्यायालय ने निर्णय दिया था कि "धर्म" शब्द में एक धर्म के लिए “अनिवार्य” सभी "संस्कार और प्रथाएं" शामिल होंगी और एक धर्म के लिए अनिवार्य तथा गैर-अनिवार्य प्रथाओं को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय का होगा।
- **संबंधित विवाद**
  - **अनिवार्यता बनाम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार: 'रतिलाल गांधी बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे' (1954)** में उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि “प्रत्येक व्यक्ति को उसके निर्णय या अंतरात्मा से अनुमोदित धार्मिक विश्वासों का आचरण करने का मूल अधिकार प्राप्त है। हालाँकि, इस स्वायत्तता पर अनिवार्यता परीक्षण लागू होता है।

        - शीर्ष न्यायालय ने निजता (2017), धारा 377 (2018), और व्यभिचार (2018) से संबंध वादों में स्वयं अपने निर्णयों में स्वायत्तता और चयन की स्वतंत्रता पर बल दिया है।
    - **न्यायिक अतिक्रमण (Judicial overreach) का मामला:** अनिवार्यता के सिद्धांत की कई संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई है। उनका तर्क है कि यह न्यायपालिका को अपने अधिकार-क्षेत्र से इतर कार्य करने हेतु प्रेरित करता है और न्यायाधीशों को **विशुद्ध धार्मिक विषयों पर निर्णय करने की शक्ति प्रदान करता है**, जिनका निर्धारण धर्मशास्त्रियों द्वारा किया जाना चाहिए।
- **धारणा संबंधी मुद्दे:** धर्म के केवल उन तत्वों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिन्हें न्यायालय "अनिवार्य" मानता है, और जो त्रुटिपूर्ण हैं। यह दृष्टिकोण धर्म के एक तत्व या प्रथा को दूसरे से स्वतंत्र मानता है।
- **अनुप्रयोग संबंधी स्वेच्छाचारिता:** विगत वर्षों में, इस विषय के संबंध में न्यायालय द्वारा विपरीत निर्णय दिए गए हैं अर्थात् कुछ मामलों में उन्होंने अनिवार्यता के निर्धारण हेतु धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया है जबकि कुछ मामलों में अनुयायियों के अनुभवजन्य व्यवहार का, वहीं अन्य मामलों में निर्णय इस तथ्य के आधार पर किए गए हैं कि क्या धर्म के उद्भव के समय ये प्रथाएं अस्तित्व में थी अथवा नहीं?
- **सामूहिक अधिकार बनाम व्यक्तिगत अधिकार:** उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के धार्मिक विश्वासों का आचरण करने का मूल अधिकार प्राप्त है"। हालांकि, अनिवार्य प्रथाओं की जांच करना, **अधिकारों की व्यक्तिपरक अवधारणा** के विपरीत है। इस परीक्षण के तहत, न्यायालय कुछ धार्मिक प्रथाओं को अन्य पर वरीयता प्रदान करता है और इस प्रकार समूह के अधिकारों की रक्षा करता है।

1.8. अयोध्या निर्णय (Ayodhya Verdict)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील पर लंबे समय से विवादित टाइटल सूट (भूमि के मालिकाना हक से संबंधित वाद) के संबंध में अपना निर्णय दिया गया।

पृष्ठभूमि

- बाबरी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1528 में अयोध्या में किया गया था। हिंदू समूहों का दावा है कि इसे एक मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया था।
    - वर्ष 1853 में, पहली बार इस स्थल पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। वर्ष 1859 में, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग पूजा स्थलों को चिन्हित करने वाले स्थल के चारों ओर एक बाड़ लगा दी गयी थी और लगभग 90 वर्षों तक यही स्थिति बनी रही।
    - मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियों को स्थापित किए जाने के पश्चात् वर्ष 1949 में पहली बार इस स्थल से संबंधित विवाद न्यायालय में लाया गया।
- वर्ष 1992 में मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए।
- **अप्रैल 2002 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस स्थल पर स्वामित्व के निर्धारण हेतु सुनवाई आरंभ की गयी।** न्यायालय द्वारा वर्ष 2010 में अपना निर्णय दिया गया, जिसके तहत विवादित हिस्से को तीन भागों में विभाजित करने और इन्हें निर्मोही अखाड़ा, रामलला और उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंपने हेतु आदेश पारित किया गया था।
    - रामलला अर्थात् भगवान राम स्वयं इस मामले के एक पक्षकार थे क्योंकि वर्ष 1989 में न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि **भगवान राम एक न्यायिक व्यक्ति** (कानून द्वारा प्राकृतिक व्यक्ति या मानव की भांति अधिकारों और कर्तव्यों के हकदार के रूप में मान्यता प्राप्त एक व्यक्ति) हैं।
- कुछ माह पश्चात्, हिंदू समूहों और मुस्लिम समूहों द्वारा उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की गई। वर्ष 2011 में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।
    - इस वर्ष के आरंभ में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन-सदस्यीय दल द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से इस विवाद के संबंध में सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने में विफल रहने के पश्चात्, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6 अगस्त से लगातार सुनवाई आरंभ की, जो 40 दिनों तक चली।

इस निर्णय से संबंधित प्रमुख तथ्य

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुमान और परिकल्पनाओं की भांति पुरातात्विक साक्ष्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
    - पुरातात्विक साक्ष्य इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण खाली स्थान पर नहीं, बल्कि एक हिंदू संरचना के अवशेषों पर किया गया था।
    - हालांकि, **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण** के निष्कर्षों में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि मस्जिद निर्माण के लिए एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया था या नहीं।

- न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि वर्ष 1992 में **मस्जिद को ध्वस्त करना उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन** था। वर्ष 1949 में मूर्तियों को रखकर मस्जिद का अपवित्रीकरण और **मस्जिद को ध्वस्त करना कानून के विरुद्ध** था।
- **उच्चतम न्यायालय द्वारा संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित भूमि का आवंटन मंदिर निर्माण के लिए कर दिया गया है।**
  - विवादित ढांचे पर मंदिर निर्माण के लिए एक **न्यास बोर्ड** की स्थापना हेतु केंद्र द्वारा तीन माह में एक योजना बनाई जाएगी।
- न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि मस्जिद के निर्माण हेतु **उपयुक्त पाँच एकड़ वैकल्पिक** भूमि का आवंटन किया जाएगा।
  - यह भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी।
- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि विवादित स्थल को तीन भागों में विभाजित करने हेतु वर्ष 2010 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय अनुचित था।
- उच्चतम न्यायालय ने निर्मोही अखाडे के दावे को निरस्त करते हुए कहा कि इसे किसी प्रकार का सेवादार का अधिकार (पुरोहिती का अधिकार) भी प्राप्त नहीं है।
- हालांकि, न्यायालय ने निर्देश दिया कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की स्थापना में निर्मोही अखाड़े को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए (बॉक्स देखें)।
- बाबरी मस्जिद के संदर्भ में सुन्नी बोर्ड के विरुद्ध शिया वक्फ बोर्ड के दावे को भी अस्वीकृत कर दिया गया।
- उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि पंथनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल ढांचे का भाग है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142

- संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को किसी भी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक किसी भी डिक्री या आदेश को पारित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- उच्चतम न्यायालय ने इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए:
  - पांच एकड़ की वैकल्पिक भूमि को मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित करने का निर्देश दिया है।
  - निर्मोही अखाड़ा (जिसके दावे को अस्वीकार कर दिया गया था) को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले ट्रस्ट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
- पूर्व में भी, न्यायालय ने इस अनुच्छेद का उपयोग जेपी (Jaypee) और होमबॉयर्स, भोपाल गैस त्रासदी आदि जैसे मामलों में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए किया है।

निर्णय का महत्व

- **सर्वसम्मति आधारित निर्माण:** उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय सभी प्रमुख पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उस पर विचार करने और विभिन्न विवादास्पद मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने के पश्चात् दिया गया है।
- **सर्वसम्मत निर्णय:** यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित पांच न्यायाधीशों की एकमतता के आधार पर लिया गया है। दशकों से जारी विवाद की प्रकृति, उसके राजनीतिक महत्व और धार्मिक परिवर्तनों के परिपेक्ष्य में, सर्वसम्मत निर्णय जन असंतोष को नियंत्रित रखने में सहायक होगा।
- **गैर-धार्मिक दृष्टिकोण:** निर्णय में कहा गया है कि संवैधानिक मूल्यों ने भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद के वैध समाधान की सुविधा प्रदान की है। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया है न कि आस्था और विश्वास के आधार पर। न्यायालय द्वारा वर्ष 1992 में मस्जिद के विध्वंस की कटु आलोचना भी की गयी। यह दृष्टिकोण भविष्य में भी ऐसे मामलों के लिए एक ढांचा प्रदान कर सकता है।
- **व्यावहारिक और प्रवर्तन योग्य:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया है, जिसे व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है।
- **सभी वर्गों के अनुकूल:** अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए और सभी पक्षों को पर्याप्त राहत एवं क्षतिपूर्ति प्रदान करते हुए, न्यायालय द्वारा एक पूर्ण न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जो सभी पक्षों को संतुष्ट करता है।
- **इस प्रकार के अन्य मामलों पर रोक:** इस संपूर्ण निर्णय की सभी कार्यवाईयों, संभावनाओं, कानूनी उपचारों और मतों को समाप्त करते हुए इस निर्णय से संबंधित अन्य मामलों को हतोत्साहित किया गया है।

1.9. ओवर-द-टॉप मीडिया सामग्री का विनियमन (Regulating Over-The-Top Media Content)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने कहा है कि ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली मीडिया सामग्री पर सेंसरशिप या प्रमाणन (certification) आरोपित करने के बजाए, उसे स्वयं द्वारा ही विनियमित होना चाहिए।

OTT प्लेटफॉर्म के बारे में

- ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म वस्तुतः केबल, ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट टेलीविजन जैसे परंपरागत प्लेटफॉर्मों के बजाए इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो, वीडियो तथा अन्य मीडिया सामग्री को प्रेषित करते हैं। इन्हें ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर (OCCP) के रूप में भी जाना जाता है।

- **ये सब्सक्रिप्शन-बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड (SVoD) प्लेटफॉर्म होते हैं** और उपभोक्ताओं को विश्व भर की व्यापक सामग्री तक पहुँच प्रदान करते हैं।
- हाल ही के दिनों में भारत में OTT सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑडियो और वीडियो सामग्री में व्यापक वृद्धि हुई है।
    - भारत में नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़ॅन प्राइम आदि लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म हैं।
    - औद्योगिक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 तक, भारत OTT के क्षेत्र में विश्व स्तर पर 10वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है, जिससे लगभग 4,000 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति होती है।
    - अगले 5 वर्षों में इसमें 23% की वृद्धि होने की सम्भावना है।
- OTT प्लेटफॉर्म में निम्नलिखित सामग्री सम्मिलित होती है:
    - भारत के सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित सामग्री;
    - उस सामग्री से संबंधित देश के सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित सामग्री;
    - किसी भी बोर्ड द्वारा प्रमाणित न की गई सामग्री;
    - हॉटस्टार एक्सक्यूलिसिव जैसे ऐप (apps) के लिए विशेष रूप से निर्मित की गयी सामग्री।

पृष्ठभूमि

- समय के साथ, OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित सामग्री में अशिष्टता, अश्लीलता, नग्नता इत्यादि के मामलों पर शिकायतों और वाद-विवादों में वृद्धि के कारण यह मांग उठी है कि सरकार द्वारा इन्हें विनियमित किया जाए।
- मई 2019 में, उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को OTT मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित सामग्री को विनियमित करने हेतु निर्देशित किया गया।

सरकार द्वारा विनियमित किए जाने के विपक्ष में तर्क

- **रचनात्मक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना:** सामग्री के सेंसरशिप या प्रमाणन के अधीन होने पर सामग्री के सृजन से संबंधित रचनात्मकता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है।
- **सीमाविहीन सामग्री:** विश्व स्तर पर सृजित होने के कारण इस सामग्री को तकनीकी रूप से सेंसर/ब्लॉक करना संभव नहीं है।
- **उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वविवेक के आधार पर उपयोग किया जाना:** OCCP द्वारा एक प्रकार की आकर्षक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और इसलिए उपयोगकर्ता उस सामग्री के संदर्भ में पर्याप्त विकल्प का उपयोग करते हैं, जिसे वे देखना चाहते हैं। इस प्रकार, प्रदर्शित सामग्री उपयोगकर्ताओं की मांग पर आधारित होती है और इस पर सेंसरशिप आरोपित करना चयन की स्वतंत्रता के उल्लंघन के समान होगा।
- **व्यक्तिगत विषय:** सिनेमा और टेलीविजन के विपरीत, मोबाइल निजी उपयोग के लिए होता है। अत: उपयोगकर्ताओं को अपनी इच्छानुसार सामग्री देखने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए।
- **जोखिम को नियंत्रित करना:** प्रमुख प्लेटफॉर्म आयु के आधार पर कार्यक्रमों को वर्गीकृत और चिन्हित करते हैं तथा प्रदर्शित करने से पूर्व सामग्री का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार वे सुभेद्य दर्शकों को सामग्री से प्रभावित होने से रोकने के लिए पहले से ही प्रयासरत हैं।
- **लोगों को सशक्त बनाना:** OTT उद्योग के तेजी से विकास के कारण लघु स्तर पर सामग्री निर्माताओं और कलाकारों को लाभ हो रहा है तथा ये मंच राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय फिल्मों को भी उपलब्ध करा रहे हैं।
- **वैश्विक एकीकरण में सहायक:** OTT के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं के साथ वैश्विक सामग्री भी एक ही मंच पर उपलब्ध हो रही है।

सरकार द्वारा विनियमन के पक्ष में तर्क

- **विनियमन से रचनात्मकता बाधित नहीं होती:** प्रारम्भ से ही सिनेमा एक कला के रूप में रहा है और कला सदैव रचनात्मक होती है। OTT कंटेंट के संदर्भ में कोई भी पक्ष नवीन नहीं है। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने वाली किसी भी सामग्री को विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में मापा जाना चाहिए, जैसे- लिंग, जाति आदि तथा किसी भी प्रकार की लोक भावनाओं को प्रदर्शित करने वाली सामग्री को विनियमित करना चाहिए।
- **उपयोगकर्ता के स्वविवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता:** यह तर्क त्रुटिपूर्ण है कि उपयोगकर्ताओं की मांग पर आधारित होने के कारण ऐसी सामग्री के विनियमन की आवश्यकता नहीं है, जबकि उपयोगकर्ता द्वारा हिंसात्मक और आपत्तिजनक सामग्री की मांग की स्थिति में उसका विनियमन आवश्यक होता है।
- **समानता की आवश्यकता:** कला के सभी रूपों में समानता होनी चाहिए तथा यदि सिनेमा तथा टेलीविजन को सेंसर और विनियमित किया जाता है, तो OTT सामग्री को भी सेंसर और विनियमित किया जा सकता है।
- **भ्रामक समाचारों (फेक न्यूज़) के प्रसार का भय:** कोई भी आपत्तिजनक सामग्री तकनीक के माध्यम से वायरल (तीव्र गति से प्रसार) हो सकती है तथा यह फर्जी समाचारों को प्रसारित कर सकता है। साथ ही, ऐसी सूचना के आधार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा सकती है, अश्लीलता का प्रदर्शन किया जा सकता है, सार्वजनिक दंगे या तनाव उत्पन्न हो सकता है।

VISION IAS

- **बच्चों पर दुष्प्रभाव:** मोबाइल और कंप्यूटर तक बच्चों की बढ़ती पहुंच के कारण, उनका अल्प आयु में ही अश्लील सामग्री के साथ संपर्क स्थापित हो सकता है जिससे उनका संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास प्रभावित हो सकता है।

नियामकीय मुद्दा

- OTT प्लेटफॉर्मों के लिए प्रसारण विधि काफी भिन्न होने के कारण (चूंकि सामग्री इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचरित की जाती है) इन्हें विनियमित करना कठिन होता है। यह वर्तमान प्रसारण कानूनों को OTT सेवाओं के लिए अनुपयुक्त बनाता है।

विद्यमान नियामकीय कानून

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम:** यह अश्लील सामग्री पर प्रतिबंध आरोपित करता है। यह ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के लिए दण्ड का प्रावधान करता है। यह स्पष्ट यौन सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को भी प्रतिबंधित करता है।
- **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952:** यह सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए फिल्मों का सिनेमैटोग्राफ प्रमाणीकरण प्रदान करता है।
- **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995:** केबल टेलीविजन पर प्रदर्शित होने वाली सामग्री पर लागू होता है।
- **भारतीय दंड संहिता, 1860:** राष्ट्र विरोधी सामग्री को प्रतिबंधित करता है।
- **बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम, 2012:** चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रतिबंधित करता है।

स्व-नियमन के लिए प्रयास

- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने जनवरी 2019 में वीडियो स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्मों के लिए स्व-नियमन संहिता का मसौदा तैयार किया था जिसका शीर्षक '**कोड ऑफ़ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑनलाइन क्यूरेट कंटेंट प्रोवाइडर**' था।
- यह OTT प्लेटफॉर्मों के लिए ऐसी स्ट्रीमिंग सामग्री पर प्रतिबंध लगाता है जो भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित है, जैसे- राष्ट्रीय प्रतीक का अनादर करना, धार्मिक भावनाओं का अपमान करना, राज्यों के विरुद्ध हिंसा को प्रोत्साहन करना या आतंकवाद अथवा बच्चों द्वारा किए गए यौन कृत्यों को प्रदर्शित करने वाली सामग्री।
- हालांकि, प्रमुख अभिकर्ताओं में से एक अर्थात् अमेज़ॅन ने इस कोड पर हस्ताक्षर नहीं किया है, उसका तर्क है कि वर्तमान कानून विनियमन के लिए पर्याप्त हैं।

आगे की राह

- **मिश्रित मॉडल:** सरकार द्वारा निर्धारित कुछ दिशा-निर्देशों के साथ इसके स्व-नियमन और निगरानी की आवश्यकता है। लेकिन सरकार द्वारा केवल आवश्यक होने की स्थिति में ही हस्तक्षेप करना चाहिए।
- **'वेट एंड वाच' दृष्टिकोण:** सरकार को OTT अभिकर्ताओं को स्व-विनियमित और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
- **OTT अभिकर्ताओं का उत्तरदायित्व:** OTT अभिकर्ताओं को विद्यमान विधिक ढांचे और सांस्कृतिक परिवेश की सीमा में ही वर्तमान सामग्री को उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी OTT अभिकर्ताओं को दर्शकों के विवेक और सतर्कता पर बल देने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना:** बाल संरक्षण और अधिक जोखिम की समस्या के लिए सर्वोत्तम प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। व्यापक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत चाइल्ड लॉक तकनीक को शामिल किया जा सकता है।
- **जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता:** सेंसरशिप केवल हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली सामग्री को ही प्रभावित नहीं करती है अपितु प्रभावी संस्कृति और कला की परिभाषा को भी प्रभावित करती है। लोक संस्कृति को विकसित करना और जनमत को स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। इसे राज्य के अधिनायकत्व के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। दर्शकों हेतु इसे विनियमित करना दर्शकों की बुद्धिमत्ता पर प्रश्नचिन्ह आरोपित करने के समान है।

1.10. अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment of US president)

सुर्ख़ियों मे क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स के स्पीकर द्वारा सदन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया आरम्भ करने की उदघोषणा की गई। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने निजी राजनीतिक लाभ हेतु अपने प्रतिद्वंद्वी की छवि को हानि पहुंचाने के लिए विदेशी राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करके अपने पद की शपथ और राष्ट्र की सुरक्षा का उल्लंघन किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग

- अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी संविधान के तहत, "देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराध और दुराचार" के कारण पद से हटाया जा सकता है।

- **महाभियोग की प्रक्रिया**
  - सर्वप्रथम, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (निम्न सदन) द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध लाए गए महाभियोग (अर्थात आरोपों) के प्रस्ताव (articles) पर मतदान किया जाता है।
  - इस प्रस्ताव के साधारण बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, हालांकि इस स्थिति में उसे पद से हटाया जाना अनिवार्य नहीं है।
  - तत्पश्चात, सीनेट (उच्च सदन) न्यायालय के रूप में कार्य करती है जहाँ दोनों पार्टी अपना पक्ष (साक्ष्य प्रस्तुत करने) प्रस्तुत करते हैं।
  - इस सुनवाई के पश्चात् यदि सीनेट इन आरोपों की पुष्टि करने के साथ-साथ महाभियोग प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।
- **भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से तुलना**
  - भारत में केवल 'संविधान के अतिक्रमण' के आरोप में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता है।
  - भारतीय राष्ट्रपति को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भी संसद द्वारा भारत के 'संविधान का अतिक्रमण' करने के लिए (अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए देशद्रोह, भ्रष्टाचार आदि के विपरीत) महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. बदलते विश्व में भारतीय विदेश नीति (Indian Foreign Policy in a Changing World)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा **"बियॉन्ड द डेल्ही डोग्मा: इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड"** विषय पर व्याख्यान दिया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- व्याख्यान के दौरान उन्होंने विगत **70 वर्षों की भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों का मूल्यांकन** प्रस्तुत किया और वर्तमान में भारत की राजनयिक प्रस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की।

भारतीय कूटनीति के विभिन्न चरण:

- **1947-1962: आशावादी गुटनिरपेक्षता का चरण:**
  - इस चरण को **आशावादी गुटनिरपेक्षता के युग** के रूप में जाना जाता है, जहाँ द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था (संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में) में भारत ने अपने विकल्पों के समक्ष विद्यमान बाधाओं और संप्रभुता के कमजोर होने का विरोध किया था। कोरिया और वियतनाम से लेकर स्वेज और हंगरी के मुद्दे के समय में भारतीय कूटनीति सक्रिय रही थी। हालांकि, भारत द्वारा कभी-कभी कूटनीतिक दृश्यता पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण कठिन सुरक्षा संबंधी कठोर वास्तविकताओं की उपेक्षा की गई है, जैसे-
    - जम्मू-कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना।
    - चीन के "ईस्ट-वेस्ट स्वैप डील" के प्रस्ताव को अस्वीकार करना, जिसके तहत भारत द्वारा अक्साई चिन पर चीनी दावों को मान्यता प्रदान करना था और चीन द्वारा भारत के पूर्वी क्षेत्र पर अपने दावे को त्यागा जाना था।
    - वर्ष 1962 का युद्ध अप्रत्याशित था, किन्तु सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अधिभावी प्राथमिकता को संलग्न करने की अनिच्छा फिर भी बनी थी।
- **1962-71: पुनर्प्राप्ति और यथार्थवाद का चरण (Phase of recovery and realism):**
  - भारत ने गुटनिरपेक्षता से परे सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों के संबंध में व्यावहारिक विकल्पों पर विचार किया, उदाहरणार्थ- वर्ष 1964 में अमेरिका के साथ संपन्न रक्षा समझौता।
    - इसके अतिरिक्त, राजनीतिक अशांति से लेकर आर्थिक संकट के साथ-साथ घरेलू चुनौतियां विशेष रूप से अधिक थीं।
    - भारत ने वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण स्थिति का सामना किया था और अंततः वर्ष 1971 में बांग्लादेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।
    - वर्ष 1971 में भारत-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के पश्चात् भारत और अधिक यथार्थवादी हो गया।
- **तृतीय चरण (1971-91): भारत के (अधिकाधिक) क्षेत्रीय दावों और जटिलताओं वाला चरण:**
  - उदाहरण के लिए इसका प्रारंभ बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुआ, किन्तु समापन श्रीलंका में भारतीय शांति सेना (Indian Peace Keeping Force: IPKF) की तैनाती की घटना के साथ हुआ।
  - वर्ष 1971 में अमेरिका-चीन के मध्य घनिष्ठता एवं वार्ताकार के रूप में पाकिस्तान की भूमिका का अर्थ था कि भारत को अब अमेरिका-चीन-पाकिस्तान धुरी का सामना करना पड़ेगा।
  - वर्ष 1972 में शिमला में, पाकिस्तान के प्रति भारत के आशावादी दृष्टिकोण की परिणति अंततः शत्रु पाकिस्तान तथा जम्मू और कश्मीर में निरंतर समस्या के रूप में हुई।
- **1991-1999: एकध्रुवीयता (unipolarity) का चरण:**
  - "एक-ध्रुवीय" विश्व के उदय ने भारत की सामरिक स्वायत्तता के समक्ष चुनौती उत्पन्न की।
    - भारत ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इजरायल (जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था) के साथ अपने राजनयिक संबंधों को विकसित किया।
    - भारत द्वारा विश्व के साथ मुक्त आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया, लेकिन इस मामले में यह आसियान और चीन से पीछे रह गया, जिन्होंने एक दशक पूर्व ही अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोल दिया था।
    - वर्ष 1998 में, भारत ने स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में घोषित किया, जिसके कारण अमेरिका द्वारा प्रतिबंध आरोपित किया गया।

VISION IAS

- **2000-2013: वाजपेयी-मनमोहन चरण:**
  - भारत ने इस दौर में एक **बैलेंसिंग पॉवर** (शक्ति संतुलनकर्ता) की विशेषताएं प्राप्त कीं, क्योंकि वैश्विक भू-राजनीति में चीन एक द्वितीय ध्रुव के रूप में उभरने लगा था और इसके साथ ही वैश्विक भू-राजनीति का केंद्र एशिया-प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो गया था।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए परमाणु समझौता किया तथा **कारगिल युद्ध** और **ऑपरेशन पराक्रम** के संदर्भ में विश्व समुदाय द्वारा भारत का समर्थन किया गया क्योंकि भारत अब एक बैलेंसिंग पॉवर (शक्ति संतुलनकर्ता) बन गया था।
  - भारत ने जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को संतुलित करने के लिए रूस और जापान की बढ़ती शक्ति का भी उपयोग किया।
- **वर्ष 2014 से वर्तमान समय तक: सक्रिय संबंधों का चरण:**
  - हाल ही में, अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा एक सकारात्मक कदम माना गया है। यह वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती स्थिति को स्पष्ट करता है।
  - **भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** बहु-ध्रुवीय विश्व के केंद्र में रहते हुए एक बहु-ध्रुवीय एशिया पर बल देना।

वैश्विक स्तर पर भारत की सुदृढ़ होती स्थिति

- भारत द्वारा **'ग्लोबल साउथ'** के देशों को कूटनीतिक और भू-राजनीतिक सहायता प्रदान की जा रही है, उदाहरणार्थ-
  - तेल टैंकरों पर हमले के पश्चात् खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना को तैनात किया गया है।
  - चीन के उम्मीदवार को भारी अंतर से पराजित करते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) की सदस्यता के लिए पुन: चयनित किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं को तीव्रता से पूर्ण करना:**
  - अफगानिस्तान में, भारत ने सलमा बांध, संसदीय भवन इत्यादि का निर्माण कार्य पूर्ण किया है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी देश भी इन परियोजनाओं पर कार्य करने हेतु तैयार नहीं थे।
- **बहुपक्षवाद (Multilateralism):**
  - भारत बहुपक्षवाद से संबंधित पक्षकारों के गठबंधन का एक भाग है और नियम स्थापित करने का समर्थन करता है। इसका मानना है कि किसी भी प्रकार के नियम न होने के बजाए नियम होना बेहतर है, भले ही नियम अपूर्ण क्यों न हों।
- **जलवायु परिवर्तन:**
  - भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने के लिए विश्व समुदाय के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में स्थित है।

बदलते परिप्रेक्ष्य में भारतीय कूटनीति हेतु सुझाव

- **यथार्थवाद पर अधिक बल देना:** बदलते वैश्विक व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों की उद्देश्यपूर्ण प्राप्ति आसान नहीं है, लेकिन हमें इस दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए।
- कूटनीति का मार्गदर्शन करने हेतु आर्थिक निरंकुशता, आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन जैसी पुरानी हठधर्मिता (dogmas) के बजाय **पूर्व की तुलना में आर्थिक चालकों की उपलब्धता अधिक है।**
  - RCEP (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी) से बाहर निकलने के हालिया निर्णय के कारण हमारी कूटनीतिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत अग्रसक्रिय व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, जबकि RCEP भारत के लिए एक बेहतर समझौता नहीं था।
- बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो चुका है, ऐसे में बिना किसी को संकट में डाले इसके सभी स्तंभों (यथा- यू.एस.ए., चीन, रूस जापान आदि) से संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है।
- विश्व व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रस्थिति प्राप्त करने हेतु भारत को सुविचारित जोखिम (calculated risk) उठाने की आवश्यकता है, जैसे- उरी और डोकलाम मुद्दा।
- **वैश्विक संवाद (global discourse) को भली-भांति समझने की आवश्यकता है:** उदाहरणार्थ- बढ़ती बहुध्रुवीयता, कमजोर बहुपक्षवाद, व्यापक आर्थिक और राजनीतिक पुनर्संतुलन का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- **हठधर्मिता का त्याग करना:** भारत को वर्तमान बदलती विश्व व्यवस्था के प्रति हठधर्मिता जैसे दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए, उदाहरणार्थ-
  - भारत अनसुलझे सीमाओं (unsettled borders), पृथक्कृत क्षेत्र (unintegrated region) और अल्प-दोहित अवसरों (under-exploited opportunities) जैसे मुद्दों की विद्यमानता के साथ-साथ विकास की गति पर अग्रसर नहीं हो सकता है।
  - भारत को हठधर्मिता का त्याग करने और विरोधाभासी दृष्टिकोणों से निपटने तथा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अभिसरण के इस वास्तविक विश्व में प्रवेश करने की आवश्यकता है, जैसे-
    - RIC (रूस-भारत-चीन) के साथ -साथ JAI (जापान-अमेरिका-भारत);
    - क्वाड (Quad) के साथ-साथ SCO (शंघाई सहयोग संगठन);

VISION IAS

- सउदी अरब के साथ-साथ ईरान; तथा
- फिलिस्तीन के साथ-साथ इजरायल।

2.2. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी और भारत का मुक्त व्यापार समझौतों के साथ अनुभव (RCEP and India's Experience with Free Trade Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) में शामिल **नहीं** होने का निर्णय लिया है।

संबंधित तथ्य

- हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा बैंकॉक (थाईलैंड) में आयोजित **16वें** आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया।
- इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता थाईलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी और इसमें आसियान के सभी राज्यों/शासनाध्यक्षों और भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया था।
- **इस शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:**
  - **राजनीतिक-सुरक्षा सहयोग;**
  - **आर्थिक सहयोग** (RCEP के आलोक में);
  - **आसियान-भारत कनेक्टिविटी**: अय्यावाडी चाओ फ्राया-मेकांग इकोनॉमिक को-ऑपरेशन स्ट्रेटेजी (ACMECS) तथा मेकांग-गंगा के मध्य सहयोग; एवं
  - **सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग।**

अन्य संबंधित तथ्य

- RCEP एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। इस समझौते पर वार्ता में 16 राष्ट्र शामिल थे, यथा- 10 आसियान देश तथा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत।
  - वर्तमान में, भारत को छोड़कर 15 अन्य देशों द्वारा फरवरी 2020 में व्यापार समझौता किए जाने की संभावना है।
- सरकार का कहना है कि, RCEP ने न तो अपने मूल उद्देश्य को प्रतिबिंबित किया है और न ही भारत की प्रमुख चिंताओं को संबोधित किया।
- भारत द्वारा मुख्य रूप से अपने घरेलू बाजार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु बाजार पहुंच के साथ-साथ वस्तुओं की संरक्षित सूचियों (protected lists) का मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् घरेलू बाज़ार में चीन के सस्ते कृषि और औद्योगिक उत्पादों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है।
- RCEP में शामिल होने का अर्थ होगा कि चीन (विनिर्माण क्षेत्रक की सशक्त उपस्थिति एवं बढ़त प्राप्त राष्ट्र) के साथ व्यापार घाटा और अधिक बढ़ जाएगा।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों (जैसे- कृषि, डेयरी, सौर उद्योग, बीज, वस्त्र आदि) के कई विशेषज्ञों द्वारा इस समझौते का विरोध किया गया है। सरकार के इस निर्णय से **भारत के किसानों, MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), डेयरी, विनिर्माण क्षेत्रक आदि को बढ़ावा मिलेगा।**
- विभिन्न क्षेत्रों की चिंताओं को देखते हुए भारत हेतु **यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम** है, क्योंकि **भारत के लिए FTA के लाभ बहुत सीमित रहे हैं।**
- इसके अतिरिक्त हाल ही में, **भारत ने भारत-आसियान FTA की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जो भारत और इसके प्रमुख FTA भागीदारों के मध्य व्यापार की प्रगति की जांच करने के लिए प्रासंगिक है।**

FTA के साथ भारत का अनुभव

- मुक्त व्यापार समझौता वस्तुतः दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य एक समझौता है, जो उनके मध्य आयात और निर्यात संबंधी बाधाओं को कम करता है।
- भारत ने अपने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने हेतु FTA को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में माना है तथा इसी संदर्भ में विभिन्न देशों या समूहों के साथ कई व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - वास्तव में, भारत, एशिया के उन शीर्ष देशों में से एक है, जिसके साथ अधिकतम संख्या में FTAs या तो संचालित हैं या वार्ता के अधीन हैं या प्रस्तावित हैं।
- FTA देशों या विश्व के शेष भागों के साथ भारत के समग्र निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि **नहीं** हुई है।
- भारत द्वारा अब तक हस्ताक्षरित और क्रियान्वयित प्रमुख FTAs निम्नलिखित हैं:

VISION IAS

- दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (South Asia Free Trade Agreement: SAFTA);
- भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA);
- भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA); तथा
- भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)।

- **FTAs में शामिल होने के पक्ष में तर्क:**
  - FTA के तहत प्रशुल्क उदारीकरण प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ **अतिरिक्त बाजार पहुंच,** घरेलू विनिर्माण में बृहद् स्तर पर विस्तार की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है जो इकॉनमी ऑफ़ स्केल का लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है।
  - यह मूल्य-प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है जो कि **ट्रेड डायवर्जन (व्यापार दिक्परिवर्तन)** को अंततः **ट्रेड क्रिएशन (व्यापार सृजन)** में परिवर्तित कर देता है। इससे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलता है।
  - **इंटर-सेक्टोरल लिंकेज** के कारण, अन्य क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया फर्मों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के कारण आरंभ हो गई है।
  - यह अवसरों को सृजित करता है, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chain: GVC) का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य लाभों के अतिरिक्त घरेलू विनिर्माण और सेवाओं के लिए निवेश एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलता है।
  - FTA सदस्यों का WTO के साथ सह-अस्तित्व होता है और वे अपनी आधारभूत भूमिका (बिल्डिंग ब्लॉक) के माध्यम से WTO के उदार व्यापार के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
- हालांकि, वर्ष 2017 में **नीति आयोग** की **एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि मुक्त व्यापार समझौतों ने भारत के लिए बेहतर कार्य नहीं किया है।**
- **FTA के साथ भारत की समस्याएं:**
  - **FTA साझेदारों के साथ भारत का बढ़ता व्यापार घाटा:**
    - पूर्णतः प्रशुल्क समाप्ति का मुद्दा भारत के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि इसका पहले से ही RCEP पक्षकारों के साथ लगभग 106 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा विद्यमान है, जिसमें से, वर्ष 2018 में 57 बिलियन डॉलर से अधिक का घाटा अकेले चीन के साथ रहा था।
    - **आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ऐसे समझौते संपन्न करने के उपरांत भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है** (विशेष रूप से देश में धातु और पूंजीगत वस्तुओं के अत्यधिक प्रवाह के कारण)।
    - **ASEAN के साथ भारत का व्यापार घाटा** वर्ष 2009-10 के 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में लगभग 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।
  - **उद्गम से संबंधित नियम (Rules of Origin):** यह एक मानदंड है जिसका उपयोग किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो निर्यातकों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।
  - **आयात के अनुपयुक्त मानक:** उदाहरण के लिए: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा आसियान देशों से आयातित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में गुणवत्ता मानदंडों की अनुपस्थिति के कारण चिंता व्यक्त की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कीमत पर आसियान के सस्ते प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के आयात और उपभोग को बढ़ावा मिला था।
  - **निर्यात पर FTAs का व्यापक प्रभाव नहीं:**
- यदि भागीदार देश में आयात शुल्क पहले से ही उच्च है, तब इस शुल्क के शून्य (FTAs में शामिल होने पर) होने पर निर्यात में 10% तक की वृद्धि होने की संभावना रहती है। परंतु, **यदि भागीदार देश में आयात शुल्क निम्न** अर्थात् 1-3% के स्तर पर हो, तो निर्यात में वृद्धि की संभावना कम हो जाती है।
- भारत के निर्यात, मूल्य में होने वाले परिवर्तनों की तुलना में आय में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हैं और इस प्रकार प्रशुल्क में कमी/समाप्ति से निर्यात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है।
  - **किसी देश की आर्थिक दक्षता में अंतर:** यदि कोई देश सबसे दक्ष अर्थव्यवस्था नहीं है, तो आयात अवरोध (import wall) कुछ स्तर तक बाह्य निवेश प्राप्त करने में सहायता करता है। आयात अवरोध के बिना, कई कंपनियां अपने उत्पादन को अधिक दक्ष FTA भागीदार देशों में स्थानांतरित कर सकती हैं।

आगे की राह

- FTA के तहत एकीकृत दृष्टिकोण, वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार और निवेश के मध्य परस्पर निर्भरता को मान्यता प्रदान करता है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं के लिए भी अनिवार्य है।
- **प्रशुल्क से इतर साधनों को अपनाना:** इसके अंतर्गत गैर-प्रशुल्क नीतियों, विनियामक तंत्रों और विधिक ढांचे को अपनाया जाना चाहिए।
  - भारत को तकनीकी विनियमों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित एक व्यापक कार्यक्रम को क्रियान्वयित करना चाहिए।
  - प्रौद्योगिकी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने और निम्न-गुणवत्ता वाले सस्ते उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने हेतु, बौद्धिक संपदा कानून प्रवर्तन से संबंधित एक सुदृढ़ ढांचे की आवश्यकता है।
- **उद्गम से संबंधित नियम** (Rules of Origin: ROO) के उल्लंघन की स्थिति से कठोरता से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि सरल लेखांकन हेरफेर के माध्यम से ROO मानदंडों का सरलता से उल्लंघन किया जा सकता है।
- **मोड 4 से इतर प्रावधानों को अपनाना:** उदाहरणार्थ- **मोड 3** (वाणिज्यिक उपस्थिति) हमारे लिए समान महत्व प्राप्त कर चुका है, क्योंकि **मोड 3** के माध्यम से FTA भागीदारों (जापान, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया आदि) के साथ भारत के सेवा व्यापार में वृद्धि हुई है।
  - **मोड 4** में प्राकृतिक व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जो या तो सेवा आपूर्तिकर्ता होते हैं (जैसे कि स्वतंत्र पेशेवर) या जो सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए कार्य करते हैं और जो सेवा की आपूर्ति करने के लिए किसी अन्य WTO सदस्य देश में उपस्थित होते हैं।
- **FTA के तहत व्यापार उपचारों (trade remedies) का उपयोग करना:** जैसे- एंटी-डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी। इसके लिए, व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies) द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **FTA के तहत व्यापार संबंधी आंकड़े:** ऐसे समझौतों के उपयोग के संबंध में आंकड़ों की उपलब्धता से FTAs के बारे में भारत के अनुभवों (विशेष रूप से वस्तु व्यापार के संबंध में) का आकलन करने में सहायता मिलती है। यह वर्धित बाजार पहुंच से प्राप्त होने वाले निर्यात लाभों को अधिकतम करने और आयात के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए समझौतों को बेहतर बनाने एवं अन्य तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
- **हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया को संस्थागत बनाया जाना चाहिए,** जिससे वे अपनी समायोजन लागतों को कम कर सकें और संक्रमण अवधि के दौरान आवश्यक कदम उठा सकें।
- FTAs की उपयोगिता दर को बढ़ाने के लिए **अनुपालन लागत और प्रशासनिक विलंब को कम करना** अति महत्वपूर्ण है।

RCEP के संबंध में अधिक जानकारी हेतु जुलाई 2019 की समसामयिकी देखिए।

2.3. भारत-जर्मनी संबंध (India-German Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल और अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ द्विवार्षिक **अंतर-सरकारी परामर्श** (IGC) के पांचवें दौर की वार्ता के लिए भारत की यात्रा की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत-जर्मनी के मध्य 'अंतर-सरकारी परामर्श' (Inter-Governmental Consultations: IGC) की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। IGC वस्तुतः सरकार प्रमुख के स्तर पर होने वाला एक वार्ता मंच है, जिसके तहत सहयोग के मुख्य बिंदुओं की व्यापक समीक्षा और संबंधों के नए क्षेत्रों की पहचान की जाती है।
- अंतरिक्ष, नागरिक उड्डयन, समुद्री तकनीक, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि क्षेत्रों में भारत और जर्मनी ने **17 समझौतों और पांच संयुक्त घोषणा-पत्रों** (Joint Declaration of Intent) पर हस्ताक्षर किए।

यात्रा के प्रमुख परिणाम

संयुक्त वक्तव्य में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को रेखांकित किया गया:

- **जलवायु और सतत विकास के लिए कार्रवाई करना:**
  - **ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पर भारत-जर्मन भागीदारी के उद्देश्य हेतु संयुक्त घोषणा-पत्र:** इसके तहत जर्मनी **1 बिलियन यूरो का अतिरिक्त वित्त** प्रदान करेगा।
  - दोनों देशों ने अक्षय ऊर्जा के लिए ग्रिड विस्तार और भंडारण प्रणालियों तथा वन परिदृश्य के पुनरुद्धार के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल के द्विपक्षीय आह्वान के तहत 35 मिलियन यूरो के एक भाग को समर्पित करने का निर्णय लिया है।
- **लोगों को परस्पर जोड़ना:**
  - जर्मनी में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ाने हेतु "ए न्यू पैसेज टू इंडिया" (ANPtI) समग्र कार्यक्रम के भाग के रूप में **"इंडो-जर्मन पार्टनरशिप ऑन हायर एजुकेशन" (IGP)** को हस्ताक्षरित किया गया।
  - **वैश्विक उत्तरदायित्वों को साझा करना:**

- दोनों देशों ने आतंकी अवसंरचना को नष्ट करने और आतंकी नेटवर्क को समाप्त करने हेतु सभी देशों के सहयोग का आह्वान किया।
- जर्मनी **सैन्य उपकरणों के निर्यात के साथ-साथ भारत के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।**
- **हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता व साझा हितों के परिप्रेक्ष्य में** भारतीय और जर्मन नौसैनिक उद्योगों (जैसे- पनडुब्बियों) के मध्य समुद्री परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- **व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करना:**
  - दोनों देशों ने **द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते** (Bilateral Trade and Investment Agreement: BTIA) के संबंध में यूरोपीय संघ एवं भारत के मध्य वार्ता को पुन: प्रारंभ करने का आह्वान किया।
  - इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने WTO विवाद निपटान प्रणाली की पूर्ण कार्यप्रणाली को बहाल करने और WTO के मूल सिद्धांतों को कमजोर किए बिना इसमें सुधार करने पर बल दिया है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल रूपांतरण के क्षेत्र में सहयोग।**

भारत-जर्मन संबंधों के बारे में अधिक जानकारी

- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:**
  - वर्ष 2017-18 में 21.98 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ जर्मनी, यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा था।
  - वर्ष 2000-2019 के दौरान 11.7 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ जर्मनी, भारत में सातवां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक रहा है।
  - "मेक इन इंडिया मित्तलस्टैंड" (MIIM) कार्यक्रम का लक्ष्य जर्मन SMEs द्वारा भारत में निवेश की सुविधा प्रदान करना है। 135 से अधिक जर्मन मित्तलस्टैंड (Mittelstand) और परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों (SMEs) द्वारा 1.2 बिलियन यूरो से अधिक के निवेश की घोषणा की गई है।
  - जर्मन इंडियन स्टार्ट-अप एक्सचेंज प्रोग्राम (GINSEP) द्वारा दोनों देशों के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी प्रणालियों के मध्य विनिमय को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:**
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए जर्मनी सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारों में से एक है। भारत एवं जर्मनी के मध्य "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग के विशिष्ट अवसरों की पहचान करने के लिए **उच्च प्रौद्योगिकी भागीदारी समूह (HTPG)** को स्थापित किया गया है।
  - संयुक्त रूप से वित्त पोषित "इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर" की स्थापना वर्ष 2008 में गुड़गांव में प्रत्येक पक्ष द्वारा 1 मिलियन के वार्षिक योगदान के साथ की गई थी।
- **सांस्कृतिक संबंध:**
  - जर्मनी में भारतीय मूल के लगभग 1,69,000 लोग निवास करते हैं (वर्ष 2017 के आंकड़े), जिनमें जर्मन और भारतीय दोनों पासपोर्ट धारक शामिल हैं।
  - जर्मनी में लगभग 20,800 भारतीय छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत अध्ययनरत हैं और लगभग 800 जर्मन छात्र भारत में इंटर्नशिप कर रहे हैं।
  - वर्ष 2015 के समझौते के अनुसार जर्मन शिक्षण संस्थानों में आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:**
  - भारत-जर्मनी रक्षा सहयोग समझौते पर वर्ष 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे।
  - दोनों पक्षों द्वारा "म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इन क्रिमिनल मैटर्स (MLAT)" को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। MLAT, दीवानी या आपराधिक कानूनों को लागू करने के प्रयास हेतु जानकारी एकत्रित करने और आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से दो या अधिक देशों के मध्य एक समझौता होता है।
- **वैश्विक सहयोग:**
  - G-4 के ढांचे के भीतर जर्मनी और भारत, **UNSC में विस्तार के मुद्दे पर सहयोग कर** रहे हैं।
  - दोनों देश G-20 के तहत वैश्विक मुद्दों, जैसे- जलवायु परिवर्तन, सतत विकास आदि पर एक-दूसरे से परामर्श करते हैं।
  - जर्मनी, NSG की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भागीदार भी है।

दोनों देशों के मध्य संबंधों में हालिया सुधार के कारण

हाल ही में, एंजेला मर्केल की भारत यात्रा से पूर्व जर्मनी के संसद द्वारा भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह जर्मनी के व्यापक भू-राजनीतिक दृष्टि से भारत के महत्व को दर्शाता है। इसके कारण निम्नलिखित हैं:

- यूरोप का एक अग्रणी राष्ट्र होने के नाते, जर्मनी को अपने पड़ोसी देशों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों में व्याप्त अनिश्चितताओं (यथा- आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा) से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस पर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने और वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने में अधिक योगदान देने के कारण दबाव बना हुआ है।

- अमेरिकी सुरक्षा नीतियों की मौजूदा अप्रत्याशितताओं एवं चीन-रूस राजनीतिक धुरी की बढ़ती आक्रामकता के कारण जर्मनी, यूरो-अटलांटिक क्षेत्र से परे अपनी वैश्विक भागीदारी को विस्तृत करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए संभावित रणनीतिक साझेदारों की इसकी सूची में भारत अनिवार्य रूप से शीर्ष पर है।
- उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सम्मुख चीन द्वारा प्रस्तुत खतरे के प्रति जर्मनी की चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसमें चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी शामिल है। जर्मनी, हिंद महासागर में चीन के विस्तार पर गंभीरता से निगरानी कर रहा है। इस संदर्भ में, भारत के साथ रणनीतिक सहयोग आवश्यक है।
- भारत भी, यूरोप के साथ लंबे समय तक विद्यमान रणनीतिक उदासीनता को समाप्त कर रहा है तथा यूरोप के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में, जर्मनी के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने का आशय **केवल जर्मनी के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना नहीं है।** इसका आशय समग्र रूप से जर्मनी के नेतृत्व वाले यूरोपीय संघ के साथ सहयोग को आगे बढ़ाना है।
- हालिया वार्ता में, अतीत के विपरीत, भारत-जर्मन चर्चाओं का **एक प्रमुख विषय रक्षा और सुरक्षा रहा है।**

निष्कर्ष

ब्रेक्जिट के साथ, यूरोप के कायाकल्प की प्रक्रिया में जर्मनी की केंद्रीय भूमिका का विस्तार हुआ है और इसलिए यह आवश्यक है कि जर्मनी के साथ हमारी सुदृढ़ भागीदारी हो। आर्थिक, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में दोनों के मध्य संपूरकता 'दोनों हेतु लाभप्रद (विन-विन) स्थिति' का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथ ही, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि तकनीकी और आर्थिक रूप से समृद्ध जर्मनी जैसा देश वर्ष 2022 तक 'नए भारत' के निर्माण के मार्ग में उपयोगी सिद्ध होगा।

2.4. भारत-श्रीलंका संबंध (India-Sri Lanka Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रीलंका के निर्वाचित राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा से यह परिलक्षित हो रहा है कि श्रीलंका, भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु इच्छुक है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यात्रा के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:
  - अवसंरचना विकास,
  - मछुआरों का मुद्दा,
  - हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिति,
  - व्यापार को बढ़ाना,
  - तटस्थता सिद्धांत (अर्थात् श्रीलंका भारत और चीन दोनों के साथ मिलकर कार्य करेगा) आदि।

भारत-श्रीलंका संबंधों को बल प्रदान करने वाले समकालीन कारक

श्रीलंका में भारतीय हितों को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं: श्रीलंकाई गृह-युद्ध के पश्चात् मित्रवत संबंध, श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक लोगों की गरिमा का सम्मान, भारत द्वारा अपने निकटवर्ती पड़ोसियों से मित्रवत व्यवहार, हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा आदि।

- **वाणिज्यिक/व्यापार संबंध:**
  - भारत, विश्व स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि SAARC में श्रीलंका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - निवेश के क्षेत्र में, भारत, श्रीलंका के शीर्ष पांच विदेशी निवेशकों में शामिल है।
  - मार्च 2000 में भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के पश्चात् श्रीलंका और भारत के मध्य व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है।
- **विकासात्मक सहयोग:**
  - श्रीलंका, भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले विकास ऋणों का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता देश है, उदाहरणार्थ- 167.4 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट के माध्यम से, सुनामी से क्षतिग्रस्त **कोलम्बो-मटारा रेल लाइन** की मरम्मत और उन्नयन कार्यक्रम।
- **आर्थिक और अवसंरचना सहयोग:**
  - भारत ने **त्रिंकोमाली बंदरगाह** और तेल टैंक फार्मों तथा कोलंबो के निकट केरावलपिटिया में LNG टर्मिनल को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए भारत-जापान के मध्य संयुक्त समझौता और अन्य परियोजनाएं, जैसे- मटाला हवाई अड्डे को संचालित करने का प्रस्ताव।

- जाफना-कोलंबो रेल ट्रैक और अन्य रेलवे लाइनों को अपग्रेड करने, भारत से बिजली आयात के लिए बिजली पारेषण लाइनें प्रदान करने तथा **कांकेषनथुराई बंदरगाह** के पुनर्निर्माण सहित उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में अवसंरचना का निर्माण।
- **रक्षा सहयोग:** दोस्ती (Dhosti), स्लिनेक्स (SLINEX) आदि अभ्यासों के माध्यम से।

भारत-श्रीलंका संबंधों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां:

- **भारत-श्रीलंका संबंधों में चीनी कारक:** भारत-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा का मंच (श्रीलंका) होने के संदर्भ में, श्रीलंका ने चीन की प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना, यथा- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का समर्थन किया है।
  - यह चीन की समुद्री रणनीति के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रों में से एक है।
  - महिंद्रा राजपक्षे ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह **हंबनटोटा** को चीन को पट्टे पर दिया था, जो कि भारत के लिए एक अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है।
- **नृजातीय मुद्दा:** यह श्रीलंका में सिंहली बहुमत और तमिल अल्पसंख्यकों के मध्य लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष है, जिसने हाल के दशकों में द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से कमजोर किया है। इसके अतरिक्त, इसमें श्रीलंका में युद्ध-अपराध की जांच और जवाबदेही संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं।
- **मत्स्यन संबंधी विवाद:** दोनों देशों के क्षेत्रीय जल (territorial waters) की निकटता को देखते हुए (विशेष रूप से पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी क्षेत्र), मछुआरों के दिग्भ्रमित होने की घटनाएं सामान्य हैं।

निष्कर्ष

- भारत के लिए विशेष हित के कुछ मुद्दों के संबंध में राष्ट्रपति गोतबया का आश्वासन, आपसी विश्वास को प्रगाढ़ बनाने का एक सुअवसर है। भारत-श्रीलंका एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं अर्थात् एक अधिक संतुलित और उत्पादक संबंध को प्रोत्साहित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
- श्रीलंका के लिए अपने बड़े पड़ोसी राष्ट्र की संवेदनशीलता के प्रति जागरूक होने, जबकि भारत के लिए, अपने छोटे पड़ोसी राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करने की चुनौती विद्यमान है।
- इन कदमों के अंतर्गत तमिलों के साथ श्रीलंका के विश्वास बहाली उपायों, व्यापक सीमा-पार आर्थिक सहयोग के साथ-साथ उत्तरी श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य सहयोग को बढ़ाना तथा मत्स्यन संबंधी विवादों के समाधान हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति से कार्य करना शामिल हो सकते हैं।

2.5. भारत और जापान के मध्य 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक (India And Japan 2+2 Ministerial Meeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में भारत और जापान के मध्य **"भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता (2+2)"** संबंधी उद्घाटन बैठक आयोजित हुई।

अन्य संबंधित तथ्य

- '2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता' को दोनों देशों के विदेश और रक्षा सचिवों के मध्य बैठक के उन्नयन के रूप में देखा जा रहा है, जिसके प्रथम दौर का आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था।
- यह बैठक अक्टूबर 2018 में जापान में आयोजित 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिये गए निर्णयों के परिणामस्वरुप आयोजित की गई, जिससे द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और गहरा बनाने के लिए विदेश एवं रक्षा मंत्रालय स्तरीय एक संवाद स्थापित हो सके।
- '2+2 वार्ता' का उद्देश्य दोनों राष्ट्रों की रणनीतिक साझेदारी (विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र) को और गति प्रदान करना है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर दोनों पक्षों द्वारा अपने विचारों का आदान-प्रदान किया गया और इस क्षेत्र में शांति, समृद्धि एवं प्रगति के साझा उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु साथ मिलकर कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

भारत की 2+2 वार्ता प्रणाली

- भारत के साथ इस प्रकार का संवाद स्थापित करने वाला जापान **दूसरा** देश है।
- अब तक, केवल भारत और अमेरिका के मध्य '2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता' व्यवस्था विद्यमान थी, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आधिकारिक स्तर (रक्षा और विदेश सचिवों के मध्य) पर 2+2 वार्ता व्यवस्था विद्यमान है।
- इसके साथ ही, भारत की सभी क्वाड देशों (Quad countries) के साथ '2+2 वार्ता' व्यवस्था स्थापित हो जाएगी।

VISION IAS

2.6. ब्रिक्स (BRICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ब्रासीलिया (ब्राज़ील) में **11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम **"अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक संवृद्धि" (Economic Growth for an Innovative Future)** थी।

ब्रिक्स क्या है?

- वर्ष 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री **जिम ओ 'नील** ने ब्रिक (BRIC) की संकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसमें तीव्रता से संवृद्धि करने वाली चार अर्थव्यवस्थाओं की पहचान की गई थी, जो वर्ष 2050 तक विश्व स्तर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकती हैं।
- एक समूह का सृजन कर इसकी आर्थिक क्षमता को राजनीतिक प्रभाव के रूप में परिवर्तित करने संबंधी विचार को वर्ष 2007 में रूस द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- रूस द्वारा वर्ष 2008 में BRIC विदेश मंत्रियों की बैठक तथा वर्ष **2009 में प्रथम BRIC शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया गया था।
- तदुपरांत वर्ष 2010 में, BRIC (ब्रिक) में साउथ अफ्रीका के सम्मिलित (5वां सदस्य देश) होने से इस समूह का नाम BRICS (ब्रिक्स) पड़ा।

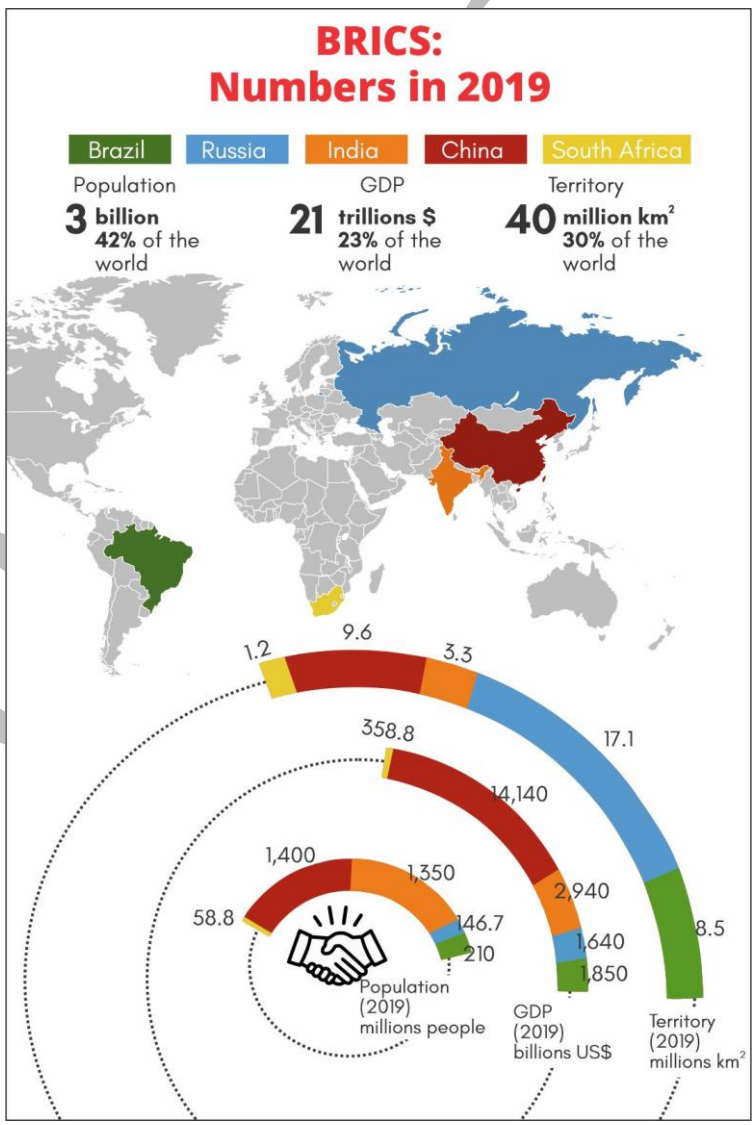

ब्रिक्स की अब तक की उपलब्धियाँ

- वैश्विक संबंधों के संदर्भ में एकध्रुवीय विश्व के प्रभाव को कम करने हेतु ब्रिक्स देशों ने एक नवीन **वैश्विक आर्थिक शासन प्रणाली** (संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव से पूर्ण रूप से स्वतंत्र) को स्थापित किया है। उदाहरण के लिए:
  - **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** ब्रिक्स की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ब्रिक्स के प्रत्येक राष्ट्र का इसकी पूंजी में समान योगदान है तथा सभी को मतदान का समान अधिकार प्रदान किया गया है। यह व्यवस्था इस बैंक को अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से अलग करती है। तीन वर्षों में NDB ने **कुल 12.5 बिलियन डॉलर मूल्य की परियोजनाओं** को स्वीकृति प्रदान की है। NDB द्वारा नए सदस्यों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है।
  - IMF के विकल्प के रूप में **आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement: CRA):** स्विफ्ट (SWIFT) पर निर्भरता को कम करने हेतु ब्रिक्स देशों के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में बैंक ऑफ रशिया द्वारा **ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम (GFMS)** का सृजन किया गया है।
- कृषि एवं ऊर्जा, तपेदिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति आदि क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए एक मंच प्रदान करते हुए **बहु-स्तरीय व्यावहारिक सहयोग (Multi-layered pragmatic cooperation)** स्थापित किया गया है।
  - **नई औद्योगिक क्रांति पर साझेदारी का संचालन** मुख्यतः डिजिटलीकरण, औद्योगीकरण, नवाचार, समावेशन और निवेश में सहयोग पर केंद्रित है। इस साझेदारी को औद्योगिक एवं विज्ञान पार्क, इनोवेशन सेंटर और बिजनेस इन्क्यूबेटरों की स्थापना के माध्यम से सुदृढ़ किया जाएगा।

- विगत वर्षों में, ब्रिक्स द्वारा एक **विस्तृत संवाद संरचना (elaborate dialogue architecture)** की स्थापना की गयी है। ब्रासीलिया घोषणा-पत्र के अंतर्गत वर्ष 2019 के दौरान मंत्री, आधिकारिक, तकनीकी, व्यापार, न्यायिक, विधायी और पीपल-टू-पीपल स्तर पर **आयोजित की जाने वाली 116 बैठकों, सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों** की सूची प्रदान की गई है।

- **ब्रिक्स के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों (एजेंडा)** {जैसे- वैश्विक शासन व्यवस्था (UNO, UNSC, WTO, IMF आदि) में सुधार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि} को शामिल किया गया है।
  - **आतंकवाद से निपटने संबंधी ब्रिक्स की प्रतिबद्धता** को सुदृढ़ करने में भारत सफल रहा है। इसके आतंकवाद-रोधी कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटरिंग टेररिज्म) ने पांच विषयगत उप-समूहों (थीमेटिक सब-ग्रुप) के माध्यम से अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। ये उप-समूह निम्नलिखित से निपटते हैं: आतंकी वित्तपोषण, आतंकी कृत्यों हेतु इंटरनेट का उपयोग, अतिवाद से मुकाबला, विदेशी आतंकी लड़ाकों से संबंधित मुद्दे और क्षमता निर्माण।
- **अंत: ब्रिक्स व्यापार पर ध्यान केंद्रन (Focus on Intra BRICS trade):** वर्ष 2013 में सृजित ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल द्वारा राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार, वीजा उदारीकरण और मानकों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु अनुसंशाएं की गई हैं। व्यापारिक मुद्दों पर एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ब्रासीलिया में एक **'विमेंस बिज़नेस अलायंस'** का गठन किया गया।
- **द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान:** उदाहरण के लिए, हाल ही में भारत और चीन ने भारत को RCEP के भागीदार देश के रूप में पुनः शामिल करने हेतु निरंतर वार्ता करने के लिए ब्रिक्स मंच का उपयोग किया है और हाल ही में वित्त मंत्रियों के नेतृत्व में प्रारम्भ किए गए तंत्र के माध्यम से अपने व्यापार संबंधी मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया।
  - वर्ष 2017 में ज़ियामेन (Xiamen) में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता पर चीन का व्यापक हित निहित होने के कारण **डोकलाम गतिरोध** को समाप्त करने में सहायता प्राप्त हुई थी।

ब्रिक्स के समक्ष चुनौतियां

- **सदस्यों के मध्य समानता का अभाव:** ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश हैं, जबकि चीन और रूस में लोकतांत्रिक सरकारों का अभाव है। वित्तीय प्रणालियों की संरचना; आय, शिक्षा व असमानता का स्तर एवं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ भी ब्रिक्स देशों में पर्याप्त रूप से असमान हैं, जिसके कारण सदस्य देशों के लिए किसी मुद्दे पर आम सहमति बनाने और समन्वित कार्रवाई करना कठिन हो जाता है।
- **साझा भू-राजनीतिक रणनीति का अभाव:** ब्रासीलिया घोषणा-पत्र में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय शासन से संबंधित दृष्टिकोण को साझा किया गया है। हालाँकि, **प्रत्येक राष्ट्र द्वारा इसकी व्याख्या विशिष्ट परिस्थितियों में उसके राष्ट्रीय हित पर निर्भर करती है।**
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के संबंध में ब्रिक्स देशों के मध्य एकमतता नहीं है। "संयुक्त राष्ट्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने" हेतु ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका की "आकांक्षाओं" को चीन एवं रूस की ओर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता है।
- **सदस्य देशों के दीर्घकालिक आर्थिक प्रक्षेपपथ का विषम होना:** यद्यपि, ब्रिक्स के पाँचों राष्ट्रों के संयुक्त आर्थिक परिदृश्य में व्यापक वृद्धि हुई है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि असंतुलित रही है, उदाहरण के लिए- वैश्विक आउटपुट (उत्पादन) में ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका की भागीदारी में वास्तव में वर्ष 2000 के पश्चात् गिरावट आई है।
  - वैश्विक जनसंख्या का 40% होने के बावजूद, विश्व व्यापार में अंत: ब्रिक्स व्यापार की हिस्सेदारी केवल 15% है।
- **प्रमुख कार्यक्रमों पर कोई ठोस उपलब्धि नहीं:** वर्ष 2001 की स्थिति के समरूप, ब्रिक्स देश वर्तमान समय में भी वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अपनी सुदृढ़ पहचान सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। वैश्विक वित्तीय प्रणाली को अभी भी अमेरिका और यूरोप (वैश्विक आउटपुट में इनकी भागीदारी में कमी होने के बावजूद) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
  - संयुक्त राष्ट्र का लोकतांत्रीकरण और UNSC के विस्तार संबंधी प्रक्रिया की गति मंद बनी हुई है।

आगे की राह

- अपने व्यापार और निवेश तंत्र को सुविधाजनक बनाने तथा वैश्विक स्तर पर एक ब्लॉक के रूप में स्थापित होने के लिए ब्रिक्स के सदस्यों को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
- अपने साझा हितों एवं मसौदा प्रस्तावों पर निरंतर चर्चा करने तथा निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु ब्रिक्स को एक **स्थायी सचिवालय** स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अन्य समन्वयकारी एजेंसियों को स्थापित करने की आवश्यकता है, जैसे- विदेश मंत्रियों की समिति, संसदीय प्रतिनिधियों की सभा, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की समिति इत्यादि।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं। संप्रभु राज्यों के समक्ष देशों के मध्य संबंधों को पूर्णतः विनियमित करने के अवसर सीमित हो रहे हैं। इस प्रकार, परंपरागत अंतर-सरकारी संगठनों के बजाए फोरम आधारित व्यवस्था पर भविष्य की कार्यवाहियां निर्भर करेंगी, जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में तीव्र परिवर्तन तथा सीमापार संबंधों के नए स्वरूपों के उदय के साथ बेहतर रूप से अनुकरण करने में सक्षम होंगी। ज्ञातव्य है कि ब्रिक्स इस प्रवृत्ति की पुष्टि कर रहा है।

2.7. भारतीय सब्सिडी के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के निर्णय (WTO Ruling Against Indian Subsidies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के **विवाद निपटान पैनल** ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों को दी जाने वाली सब्सिडियों पर हुए व्यापार विवाद के संदर्भ में भारत के विरुद्ध निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारत द्वारा दी जा रही सब्सिडियां WTO के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत द्वारा निम्नलिखित 5 योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा रही निर्यात सब्सिडियों को चुनौती दी थी:**
  - एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड बायो-टेक्नोलॉजी पार्क (EOU/EHTP/BTP) योजनाएँ;
  - एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (EPCG) योजना;
  - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना;
  - निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त आयात योजना (Duty-Free Imports for Exporters Scheme: DFIS); तथा
  - मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS)।
- अमेरिका ने आरोप लगाया था कि इन योजनाओं ने WTO के **एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स** (SCM Agreement) के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है जो निर्यात प्रदर्शन पर आकस्मिक सब्सिडी को प्रतिबंधित करते हैं।
- WTO के SCM समझौते के **विशेष और विभेदक व्यवहार (Special and Differential Treatment: S&DT)** प्रावधानों के अनुसार, जब किसी सदस्य की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) निरंतर तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1,000 डॉलर (वर्ष 1990 के विनिमय दर के आधार पर) से अधिक हो जाती है, तब उसे अपनी निर्यात सब्सिडी वापस लेनी होती है।

निर्यात सब्सिडी क्या है?

- निर्यात सब्सिडी वस्तुतः विदेश व्यापार की एक नीति होती है, जिसका उपयोग कर सरकारें **निर्यात को प्रोत्साहित** तथा **घरेलू बाजार में वस्तुओं के विक्रय को हतोत्साहित** करती हैं। निर्यात सब्सिडी के उपकरणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: प्रत्यक्ष भुगतान, अल्प लागत वाले ऋण, निर्यातकों हेतु कर राहत, सरकार के वित्त से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन आदि।
  - यह विदेशी आयातकों द्वारा भुगतान की गई कीमत में कमी लाती है।
- निर्यात सब्सिडी, व्यापार को विकृत करती है, क्योंकि इसका उद्देश्य अन्य देशों की कीमत पर विश्व बाजार में निर्यातक देश की हिस्सेदारी में वृद्धि करना है।
  - ये विश्व बाजार की कीमतों को अत्यधिक अस्थिर बना सकते हैं क्योंकि निर्यात सब्सिडी के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय अप्रत्याशित रूप से परिवर्तित हो सकते हैं।
- यह एक संरक्षणवादी उपाय (protectionist measure) है। इससे अक्षमता को बढ़ावा मिलता है तथा सब्सिडी वाले देश में उपभोक्ताओं के लिए लागतें उच्च हो जाती हैं।
- भारत में अधिकांश निर्यात सब्सिडी सीमा शुल्क और अन्य करों से छूट या कटौती से संबंधित है।
  - MEIS के तहत सब्सिडी में सरकार द्वारा जारी किए गए पावती-पत्र (जिसे स्क्रिप्स के रूप में भी जाना जाता है) शामिल होते हैं, जिनका उपयोग कुछ देयताओं के भुगतान हेतु किया जा सकता है तथा ये स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं।
- WTO, अल्प विकसित देशों (LDCs) के अतिरिक्त निर्यात संबंधी अधिकांश सब्सिडी की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित करता है।

निर्यात सब्सिडी के पक्ष में तर्क

- **घरेलू औद्योगीकरण और रोजगार:** सब्सिडीकृत निर्यात से घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, परिणामस्वरुप यह अधिक स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराएगा।
- **नवोदित उद्योगों को संरक्षण:** निर्यात सब्सिडी नवोदित उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है।
- **अल्प विकसित देशों (LDCs) को सहायता:** निर्यात सब्सिडी उन देशों को लाभान्वित करती है, जहाँ सब्सिडी वाले उत्पादों या उनसे संबंधित विकल्पों के सदृश अत्यल्प उत्पादन होता है।
  - सब्सिडी वस्तुतः सब्सिडीकृत देश से आयातक देशों में उपभोक्ताओं के लिए आय हस्तांतरण को प्रदर्शित करती है और इस प्रकार यह आत्मनिर्भरता के निम्न-स्तर वाले आयातक देशों के समग्र कल्याण के लिए उपयोगी है।

- **अन्य राष्ट्रों में न्यून मजदूरी:** घरेलू उत्पादन (उत्पादों) के निर्यात को सब्सिडी प्रदान कर, विकसित देश निम्न मजदूरी लागत वाले देशों में विनिर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को "एकसमान स्तर" पर लाने का प्रयास करते हैं।
- **अनुचित व्यापार:** विदेशी उत्पादकों के अनुचित व्यापार प्रकिया में संलग्न होने के कारण विदेशी आयातित वस्तुओं को घरेलू अर्थव्यवस्था में कम कीमतों पर बेचा जा सकता है, जैसे- उत्पादन लागत से कम कीमतों पर "डंपिंग" करना। निर्यात सब्सिडी से इस प्रक्रिया को बाधित किया जाता है।

WTO का निर्णय और भारत पर इसका प्रभाव

- WTO पैनल ने अनुशंसा की है कि भारत इस रिपोर्ट के अंगीकरण की तिथि से कुछ "प्रतिबंधित सब्सिडियों" (prohibited subsidies) को अग्रलिखित तरीके से वापस लेगा:- DFIS योजना के तहत 90 दिनों के भीतर; EOU/EHTB/BTP, EPCG और MEIS योजनाओं के तहत 120 दिनों के भीतर; तथा SEZ योजना के तहत 180 दिनों के भीतर।
- पैनल ने निर्णय दिया कि भारत द्वारा पहले से ही विशेष और विभेदक व्यवहार प्रावधान क्रमिक रूप में अपनाए जा चुके हैं जो मूल रूप से SCM समझौते के अंतर्गत था। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में इसके संबंध में निर्यात सब्सिडी पर प्रतिबंध लागू हैं।
- WTO पैनल ने इन सब्सिडियों को समाप्त करने हेतु भारत को किसी भी प्रकार की 'संक्रमण अवधि' (ट्रांजिशन पीरियड) प्रदान नहीं की है।
- **भारत पर प्रभाव**
  - यह निर्णय भारत के 7 बिलियन डॉलर के सब्सिडी कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है तथा इन सब्सिडी कार्यक्रमों के प्रमुख लाभार्थियों, जैसे- स्टील उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन आदि के उत्पादकों को प्रभावित कर सकता है।
  - यह निर्णय भारत को चीनी, दाल और स्किम्ड दुग्ध के संबंध में अपनाई गयी नीतियों पर प्रश्नचिन्ह आरोपित करने हेतु अन्य देशों को प्रेरित करेगा। उदाहरार्थ- भारत द्वारा चीनी मिलों को सॉफ्ट-लोन प्रदान करने और चीनी पर आयात शुल्क को दोगुना करने के कारण अन्य देशों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। इससे भारत में कृषि आय संकट में वृद्धि हो सकती है।

WTO की संगठनात्मक संरचना

- **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference):** यह WTO का शीर्ष निर्णयकारी निकाय है और इसमें WTO के सभी सदस्य शामिल हैं। इसकी बैठक प्रति 2 वर्ष में आयोजित की जाती है।
- **सामान्य परिषद (General Council):** इसे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की ओर से कार्य करने और WTO के कार्यों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से बैठक आयोजित करने का अधिकार प्राप्त है। यह विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body) और व्यापार नीति समीक्षा निकाय (Trade Policy Review Body) के तौर पर कार्य करती है।

- **एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स:** यह निम्नलिखित प्रावधान करता है-
  - **सब्सिडी के उपयोग का विनियमन:** सदस्य देश WTO की विवाद निपटान प्रक्रिया का उपयोग, सब्सिडी की वापसी (withdrawal) या इसके प्रतिकूल प्रभावों को समाप्त करने हेतु कर सकते हैं।
  - **सब्सिडी के प्रभावों के प्रतिकार हेतु स्वयं कार्रवाई करना:** सदस्य देश स्वयं की जांच प्रारम्भ कर सकते हैं और अंततः घरेलू उत्पादकों को हानि पहुंचाने वाली सब्सिडी पर अतिरिक्त शुल्क (काउंटरवैलिंग ड्यूटी या एंटीडम्पिंग ड्यूटी) अधिरोपित कर सकते हैं।
- **विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT) संबंधी समझौता:** इसमें कुछ विशेष प्रावधान शामिल हैं, जो निम्नलिखित पर बल देते हैं:
  - **विकासशील देशों के लिए विशेष अधिकार,** जैसे- समझौतों और प्रतिबद्धताओं को कार्यान्वित करने के लिए दीर्घकालीन समयावधि (longer time periods) या विकासशील देशों के लिए व्यापार के अवसरों में वृद्धि करने संबंधी उपाय।
  - **विकसित देश:** WTO के अन्य सदस्यों की तुलना में विकासशील देशों के साथ अधिक अनुकूल व्यवहार करने की संभावना।

आगे की राह

- भारत द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जाएगी, जो पैनल के निर्णय को स्वीकार करने और कार्यान्वयन करने से संरक्षण प्रदान कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त, 11 दिसंबर के पश्चात् विवाद निपटान पैनल के अपीलीय तंत्र के अक्रियाशील होने के कारण (जब संस्था के तीन सदस्यों में से शेष दो सेवानिवृत्त होंगे), भारत पैनल के वर्तमान निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु बाध्य नहीं रहेगा।
- इसके अतिरिक्त, भारत अपनी योजनाओं को WTO के नियमों के अनुरूप बनाते हुए निर्यात को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं को परिवर्तित कर सकता है, जैसे- निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में उपयोग होने वाले पार्ट्स और घटकों पर कर रियायतें (यथा- GST पर छूट) प्रदान करना।

VISION IAS

2.8. रूस के नेतृत्व में साइबर अपराध संधि पर संकल्प (Russian Led Resolution On Cybercrime Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में, साइबर अपराध पर एक पृथक कन्वेंशन की स्थापना हेतु रूस के नेतृत्व वाले एक संकल्प के पक्ष में मतदान किया।

साइबर अपराध संधि पर रूस के नेतृत्व वाले संकल्प के बारे में

- **'आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को अवरुद्ध करना'** (Countering the use of information and communications technologies for criminal purposes) नामक रूसी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक समिति द्वारा पारित किया गया है।
- यह प्रस्ताव एक **नई संधि** स्थापित करने हेतु न्यूयॉर्क में अगस्त 2020 में एक समिति के गठन को प्रस्तावित करता है, जिसके माध्यम से **राष्ट्र-राज्य साइबर अपराध की रोकथाम हेतु समन्वय तथा आंकड़ों को साझा कर सकते हैं।**
- इस संधि को **'बुडापेस्ट कन्वेंशन' के विकल्प के रूप में** देखा जा रहा है। इस ड्राफ्ट कन्वेंशन में डेटा की सीमा-पार पहुंच तथा अनुरोधित डेटा तक पहुंच प्रदान करने से अस्वीकृत करने हेतु हस्ताक्षरकर्ता देशों की क्षमता को सीमित करने वाले बुडापेस्ट कन्वेंशन से कहीं अधिक व्यापक प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, इस संकल्प को अमेरिकी तथा यूरोपीय अधिकारियों एवं मानवाधिकार समूहों द्वारा, इंटरनेट पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन वाले वैश्विक मानदंडों को सृजित करने हेतु रूस और चीन जैसे सत्तावादी राज्यों के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में

- **काउंसिल ऑफ यूरोप (CoE) का साइबरक्राइम कन्वेंशन:** इसे **बुडापेस्ट कन्वेंशन** भी कहा जाता है, जो वर्ष 2001 में लागू हुआ था। यह एकमात्र **बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ या उपकरण है** जो राष्ट्रीय कानूनों को सुसंगत बनाकर, जाँच की तकनीकों के लिए वैधानिक प्राधिकरणों में सुधार लाकर तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि कर इंटरनेट तथा कंप्यूटर संबंधी अपराध का निपटारा करता है।
- यह कॉपीराइट के उल्लंघन, कंप्यूटर संबंधी धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री तथा नेटवर्क सुरक्षा के उल्लंघन जैसे मुद्दों से निपटता है।
- इसका उद्देश्य उपयुक्त विधान को अपना कर तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रोत्साहित कर एवं न्यायिक सहयोग के माध्यम से एक समान अपराध नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- इसे कंप्यूटर प्रणाली द्वारा बढ़ावा दिए गए **"प्रोटोकॉल ऑन जेनोफोबिया एंड रेसिज्म"** के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन सहित इस कन्वेंशन के 56 सदस्य हैं। **भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं है।**
- भारत ने तर्क दिया कि बुडापेस्ट कन्वेंशन राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है और यह भी कहा कि वह संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा क्योंकि इस संधि का मसौदा भारत की सहभागिता के बिना तैयार किया गया था।

2.9. ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 (Global Migration Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा **'ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020'** जारी की गई।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM)

- IOM एक **अंतर-सरकारी संगठन** है जो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रवासी श्रमिकों सहित सरकारों तथा प्रवासियों को प्रवास से संबंधित सेवाएं एवं परामर्श प्रदान करता है।
- इसे **वर्ष 1951 में स्थापित किया गया** था तथा वर्ष 2016 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक संबद्ध संगठन बना।
- इसका मुख्यालय **जिनेवा (स्विट्जरलैंड)** में स्थित है।
- IOM, **प्रवास प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित चार व्यापक क्षेत्रों** में कार्य करता है:
  - प्रवासन और विकास;
  - प्रवासन को सुगम बनाना;
  - प्रवासन का विनियमन; एवं
  - बलात् प्रवासन।
- IOM में **173 सदस्य और 8 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। भारत भी इसका एक सदस्य देश है।**

VISION IAS

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **प्रवासियों की संख्या:** वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या 270 मिलियन है, तथा कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से आधे से अधिक (141 मिलियन) यूरोप और उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासियों के लिए शीर्ष गंतव्य देश बना हुआ है जहाँ लगभग 51 मिलियन प्रवासी निवास करते हैं।
- **प्रवास का कारण:** प्रवासियों में अनुमानित 52 प्रतिशत पुरुष शामिल हैं और कुल प्रवासियों का लगभग दो-तिहाई (लगभग 164 मिलियन) कार्य की तलाश कर रहे हैं।
- **मूल देश:** भारत, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों (17.5 मिलियन) की उत्पत्ति का सबसे बड़ा देश बना हुआ है। इसके बाद मैक्सिको (11.8 मिलियन) और चीन (10.7 मिलियन) का स्थान है।
- **विप्रेषण:** अंतर्राष्ट्रीय विप्रेषण वर्ष 2018 में बढ़कर 689 बिलियन डॉलर हो गया था। शीर्ष तीन विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत (78.6 बिलियन डॉलर), चीन (67.4 बिलियन डॉलर) और मैक्सिको (35.7 बिलियन डॉलर) थे। संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष विप्रेषण-भेजने वाला देश बना हुआ है, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का स्थान है।

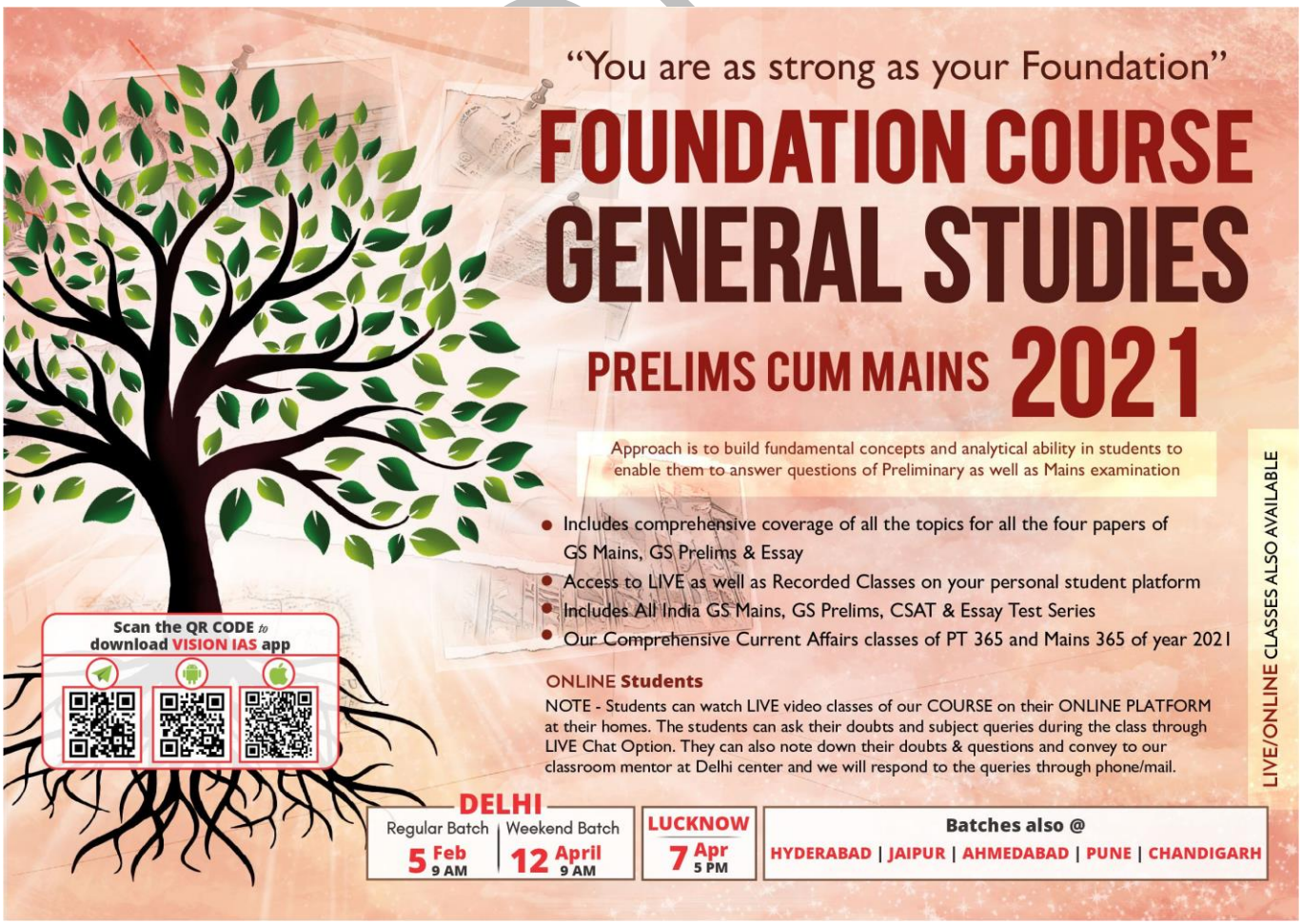

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. डिजिटल वित्तीय समावेशन (Digital Financial Inclusion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

'द इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU)' की **'ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इन्क्लूजन'** रिपोर्ट ने यह इंगित किया है कि भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं में सुधार हुआ है।

डिजिटल वित्तीय समावेशन के लाभ

- **औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच:** डिजिटल वित्तीय समावेशन को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक डिजिटल पहुँच और वंचित एवं अल्पसेवित जनसंख्या के द्वारा इनके उपयोग किए जाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
  - इसमें विकासशील देशों में निर्धन व्यक्तियों को वहनीय, सुविधाजनक और सुरक्षित बैंकिंग सेवा प्रदान करने की क्षमता है।
- यह परिसंपत्ति संचय को सक्षम बनाकर (विशेष रूप से महिलाओं के लिए) तथा आर्थिक भागीदारी बढ़ाकर आर्थिक सशक्तीकरण को भी प्रोत्साहित कर सकता है।
- **सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि:** डिजिटल वित्त व्यक्तियों के साथ-साथ व्यवसायों के लिए विविध प्रकार के वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान कर सकता है। इससे सकल व्यय में वृद्धि हो सकती है जिससे अंततः सकल घरेलू उत्पाद के स्तर में सुधार होगा।
- **जोखिम में कमी:** डिजिटल वित्त को अपनाना नकली मुद्रा के प्रचलन को कम कर सकता है और नकद-आधारित लेन-देन से होने वाले नुकसान, चोरी व अन्य वित्तीय अपराधों के जोखिम को भी कम कर सकता है।
- **लागत में कमी:** यह नकदी में लेन-देन और अनौपचारिक प्रदाताओं का उपयोग करने से जुड़ी लागतों में कमी की ओर अग्रसर करता है। मैक्किंज़े का अनुमान है कि बैंक जाने-आने में लगने वाले समय के कारण भारतीयों को एक वर्ष में लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आय की हानि हो जाती है।
- **बैंकिंग प्रदर्शन में सुधार:** डिजिटल वित्तीय समावेशन, बैंक कार्यों हेतु लगने वाली लाइनों में कमी कर, मैन्युअल कागजी कार्यों में कमी कर और कम बैंक शाखाएं बनाए रखकर बैंकों की लागत कम करने में सहायता करता है।
- डिजिटल वित्तीय समावेशन के माध्यम से बड़ी संख्या में जमाकर्ता एक बैंक को छोड़कर दूसरे बैंक में जा सकते हैं और इस प्रकार यह बैंकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने हेतु बाध्य करता है। ऐसा नहीं करने पर उनके जमाकर्ताओं का प्रतिद्वंदी बैंकों में जाने का जोखिम बना रहता है।

EIU की 'ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इन्क्लूजन रिपोर्ट, 2019'

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन के लिए समग्र परिवेश में सुधार हुआ है तथा भारत, कोलंबिया, पेरू, उरुग्वे एवं मैक्सिको में सबसे अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं।
- डिजिटल वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु समग्र ढांचे के तहत, इस रिपोर्ट में निम्नलिखित चार आधारभूत सक्षमकारी कारकों की पहचान की गई है:
  - गैर-बैंकों को ई-मनी जारी करने की अनुमति प्रदान करना;
  - फाइनेंसियल सर्विसेज एजेंटों की उपस्थिति;
  - ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी (Customer Due Diligence: CDD); एवं
  - प्रभावी वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में, डिजिटल वित्तीय सेवाओं में निहित कुछ जोखिमों के लिए विनियम नियंत्रण विद्यमान हैं और व्यापक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने हेतु नवाचार से संबंधित उपयुक्त क्षेत्रों के लिए स्पष्ट नियम विद्यमान हैं।

भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन में वृद्धि के कारण

- **मोबाइल फोन और स्मार्टफोन की पैठ का लाभ उठाना:** देश में मोबाइल फोन की व्यापक पैठ बैंकिंग और भुगतान सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एक नवोन्मेषी तथा निम्न लागत वाला चैनल प्रदान करती है।
- **सरकार की पहल:** विगत कुछ वर्षों में डिजिटल वित्तीय समावेशन के प्रसार के लिए कई पहलें प्रारंभ की गई हैं, जैसे- डिजिटल इंडिया पहल, डिजीशाला, डिजिटल जागृति आदि।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfers: DBT) और गवर्नमेंट-टू-पर्सन (G2P) भुगतान:** बैंक खातों में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाना एक बड़ी पहल थी, जहाँ वंचित वर्गों द्वारा डिजिटल वित्तीय सेवा का उपयोग किया जा रहा है।
  - सरकार के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले 75 मिलियन से अधिक खातों में DBT के माध्यम से भुगतान किए जा रहे हैं।

VISION IAS

- **विमुद्रीकरण:** विमुद्रीकरण ने डिजिटल भुगतान में वृद्धि के लिए एक त्वरित उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया, जिसने लोगों को पहली बार व्यापक रूप से डिजिटल भुगतान के साथ जुड़ने और इस प्रणाली की कार्यपद्धति को समझने तथा इस प्रणाली में विश्वास को प्रोत्साहित करने में सहायता की।
- **परंपरागत बैंकिंग प्रणालियों की सीमाएं:** ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की स्थापना करना बैंकों के लिए अलाभकर सिद्ध हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों में लघु आकार के लेन-देन, जमा, ऋण आदि के लिए पारंपरिक बैंकिंग मॉडल व्यवहार्य नहीं हैं।
- **फिनटेक क्रांति:** इसका नेतृत्व वाणिज्यिक बैंक, दूरसंचार फर्म, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां जैसे कई प्रकार के प्रतिभागियों के द्वारा किया जा रहा है।

भारत में डिजिटल वित्तीय नियामक

- RBI, भुगतान व्यवस्था और बैंकों को विनियमित करने तथा समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए उत्तरदायी है।
- वित्त मंत्रालय (विशेष रूप से वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा पारंपरिक रूप से सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है और यह प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए उत्तरदायी है।
- डेटा, KYC और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा परामर्श प्रदान किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का समन्वय किया जाता है।

डिजिटल वित्तीय समावेश से संबंधित समस्याएं

- **वित्तीय समावेशन में कमी:** यदि डिजिटल वित्त सेवा प्रदाताओं द्वारा यह महसूस किया जाता है कि निम्न आय वाले ग्राहक संबंधित शुल्क का वहन नहीं कर सकते हैं, तो वे निम्न आय वाले ग्राहकों के स्थान पर उच्च आय वाले ग्राहकों की ओर अपनी विपणन सेवाओं को केंद्रित कर सकते हैं। इससे निर्धन और निम्न आय वाले ग्राहकों के लिए वित्तीय समावेशन के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **विनियामक ढांचा:** भारत में भुगतान व्यवस्था और डिजिटल वित्त का विनियमन, संस्थानों और नियम-निर्धारण करने वाले निकायों का एक जटिल जाल व्युत्पन्न कर सकता है। विनियामक संबंधी यह अनिश्चितता संभावित रूप से विकास को बाधित कर सकती है।
- **साक्षरता और समझ:** निम्न आय वाले बाज़ारों में स्थानांतरित होने वाले डिजिटल वित्त प्रदाताओं को साक्षरता (वित्तीय, डिजिटल और सामान्य) तथा डिजिटल वित्त उत्पादों का उपयोग करने की अवधारणाओं और व्यावहारिक निहितार्थों को समझने की क्षमता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **डिजिटल अवसंरचना की कमी:** डिजिटल सेवा प्रदाता उच्च जोखिम वाले ग्रामीण क्षेत्रों या समुदायों के लिए विशिष्ट डिजिटल वित्त सेवाओं से संबंधित प्रावधान को वापस लेने या बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं, जहाँ विशिष्ट डिजिटल वित्त सेवाओं (जैसे- विद्युत, दूरसंचार नेटवर्क आदि) को जारी रखने के लिए सहायक अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।
- **कराधान प्रणाली में शामिल किए जाने का भय:** कुछ व्यापारियों के मध्य यह धारणा है कि नकदी अर्थव्यवस्था से डिजिटलीकृत वित्तीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने का अर्थ है कि वर्तमान में कराधान प्रणाली से बाहर विद्यमान लोगों और छोटे व्यवसायों को करों का भुगतान करने के लिए विवश किया जाएगा।

आगे की राह

- **डिजिटल वित्त के लिए विनियामक ढांचे का विकास करना:** भविष्य के लिए डिजिटल वित्तीय उद्योग के निरंतर विकास को सक्षम बनाने हेतु विनियामक और कानूनी सुधारों की आवश्यकता है। इसके लिए एक नवीन व एकीकृत भुगतान विनियामक की स्थापना करनी होगी।
- **डिजिटल उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना:** सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डिजिटल वित्त के नए मॉडल के लिए उपभोक्ता संरक्षण ढांचा उपयुक्त और भविष्य के लिए सुरक्षित हो।
- **स्थानीय स्तर के नवाचार को समर्थन प्रदान करना:** स्थानीय स्तर पर नवाचार को अधिक समर्थन प्रदान करने से ऐसे उत्पादों और सेवाओं (जो अधिक क्षेत्रीय या स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं) के निर्माण के लिए महानगरों के बाहर स्थित उद्यमियों तथा संस्थान को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **डिजिटल वित्तीय साक्षरता सुनिश्चित करना:** डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग को संभव बनाने और धोखे से बेचने (मिस-सेलिंग), फिशिंग, हैकिंग जैसी धोखाधड़ियों, डेटा के अनधिकृत उपयोग तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचने हेतु उच्च स्तरीय डिजिटल वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है।

3.2. ई-कॉमर्स नियम, 2019 का प्रारूप (Draft E-Commerce Rules 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्र सरकार के "उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" के **उपभोक्ता मामले विभाग** ने **"उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-कॉमर्स दिशा-निर्देश 2019"** का प्रारूप प्रस्तुत किया है।
- इसका उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना, ई-कॉमर्स फर्मों और परंपरागत रूप से व्यवसाय संचालित करने वाले समकक्षों के लिए समान अवसर प्रदान करने हेतु अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर रोक लगाना तथा उपभोक्ताओं के वैध अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना है।

उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-कॉमर्स दिशा-निर्देशों हेतु मॉडल फ्रेमवर्क

डिजिटल सामग्री प्रदान करने वाली कंपनियों सहित बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

ई-कॉमर्स फर्मों का उत्तरदायित्व	• ई-कॉमर्स इकाईयां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को प्रभावित नहीं करेंगी और सभी के लिए समान अवसरों को बनाए रखेंगी। • इन्हें ऐसे किसी भी व्यापार प्रथा को अपनाने से प्रतिबंधित किया गया है जो कि भ्रामक हैं और उपभोक्ताओं के लेन-देन संबंधी निर्णयों को प्रभावित करती हैं। ये निम्नलिखित हैं: ○ वस्तुओं और सेवाओं के विषय में पोस्ट रिव्यु (खरीद के उपरांत समीक्षा) करने के लिए स्वयं को छद्म उपभोक्ताओं के तौर पर प्रस्तुत करना। ○ विज्ञापनों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को गलत तरीके से या अतिरंजित रूप से प्रस्तुत करना। ○ नकली उत्पादों के विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करना- ▪ उल्लेखनीय है कि **अमेज़न** (एक ई-कॉमर्स कंपनी) ने नकली उत्पादों को समाप्त करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए भारत में **प्रोजेक्ट जीरो** नामक पहल की शुरुआत की है। • उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु उत्पाद की **वापसी, धनवापसी, विनिमय, वारंटी/गारंटी, वितरण/शिपमेंट, भुगतान का तरीका, शिकायत निवारण तंत्र** आदि के संबंध में स्पष्ट शर्तें प्रदान करना। • बिक्री के लिए विज्ञापित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जानकारी का उल्लेख करना। • उपलब्ध भुगतान विधियों के बारे में सूचना प्रदान करना और उन भुगतान विधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। • ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि इस प्रकार का डेटा संग्रहण, भंडारण और उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप हो। • विलंब या खराबी के मामलों में उत्पादों की वापसी को स्वीकार करना और निश्चित समय-सीमा के भीतर धन वापस करना।
विक्रेताओं का उत्तरदायित्व	• विक्रेताओं से विक्रय की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की वारंटी और गारंटी के लिए उत्तरदायी होने की अपेक्षा की गई है तथा साथ ही वस्तुओं के विनियम, वापसी और धन वापसी के संबंध में अग्रिम जानकारी प्रदान करने की भी अपेक्षा की गई है। • सभी अनिवार्य प्रभारों को शामिल करते हुए वस्तुओं या सेवाओं के लिए सिंगल फिगर टोटल और ब्रेक-अप प्राइस को प्रदर्शित करना।
उपभोक्ता शिकायत निवारण	• **शिकायत निवारण अधिकारी** की नियुक्ति करना, जिसके द्वारा समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निपटान किया जाएगा। • उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने और उनकी स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करना।

प्रारूप नियमों से संबंधित समस्याएँ

- **ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस पर प्रभाव:** नए नियमों से ई-कॉमर्स संस्थाओं पर अनुपालन संबंधी भार में वृद्धि होगी और इस प्रकार यह भारत में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
  - प्रारूप नियमों से यह धारणा बन गई है कि सरकार विदेशी इक्विटी वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं पर मूल्य निर्धारण कर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है।
  - विदेशी कंपनियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार, निवेश और भारत में रोजगार परिदृश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- **मुक्त बाजार के सिद्धांतों के विरुद्ध:** कीमतों की जांच में सरकारी हस्तक्षेप (भले ही वे प्रिडेटरी प्राइसिंग न हों) मुक्त बाजार के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
  - वितरण की समय-सीमा और धन वापसी को व्यक्तिगत विक्रेता पर छोड़ देना चाहिए।
  - ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट पर सरकारी नियंत्रण के स्तर के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है।
- **अस्पष्ट परिभाषाएं:** प्रारूप नियमों के कुछ खंड अस्पष्ट हैं, परिभाषाएं संक्षिप्त हैं और इनकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है। उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स इकाई को प्रारूप नियमों में परिभाषित किया गया है, जबकि एक व्यवसाय के रूप में ई-कॉमर्स को परिभाषित नहीं किया गया है।

VISION IAS

- **वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ही श्रेणी में रखना:** प्रारूप नियमों में वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ही श्रेणी में रखा गया है, जबकि सेवाओं को मापना और विनियमित करना कठिन होता है।
    - सरकार वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग आदि जैसी सेवाओं को सम्मिलित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों की सीमा को विस्तारित करने की योजना बना रही है।
    - इसके अतिरिक्त, यह भी ज्ञात नहीं है कि ये नियम सोशल मीडिया कॉमर्स जैसे कि फेसबुक पेज/व्हाट्सएप ग्रुप पर बेचे जाने वाले उत्पादों पर कैसे लागू होंगे।

प्रिडेटरी प्राइसिंग (प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए कीमतों को कम रखना)

- प्रिडेटरी प्राइसिंग वस्तुतः बाजार के अग्रणियों (मार्केट लीडर्स) द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों को उनकी लागत से कम करके प्रदर्शित करने की गतिविधि को संदर्भित करती है।
- हालांकि, ऐसी गतिविधियों से प्रिडेटर (predator) को अल्पकालिक हानियां होती हैं, लेकिन यह अन्य प्रतिभागियों को आघात पहुंचाता है और उन्हें बाजार से बाहर कर देता है।
- तत्पश्चात, प्रतिस्पर्धियों की संख्या कम हो जाने पर प्रिडेटर के द्वारा अपनी हानियों की पूर्ति करने के लिए कीमतों में वृद्धि की जा सकती है। जब प्रिडेटर अपनी हानियों की पूर्ति करने का प्रयास करता है तो उस समय नए प्रतिभागियों को बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए बाजार में प्रवेश करने संबंधी बाधाएं पर्याप्त रूप से उच्च होनी चाहिए। इस तरह के व्यवहार को प्रतिस्पर्धा विरोधी माना जाता है।
- हालांकि, ऐसे फर्म जो लागतों को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम (प्राइस वार) कर देते हैं, उसे प्रिडेटर नहीं माना जाएगा, जैसे- वॉलमार्ट।

ई-कॉमर्स को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- डाटा स्वामित्व, सीमा-पार डाटा के प्रवाह, जालसाजी विरोधी उपायों, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कराधान इत्यादि जैसे मुद्दों से निपटने तथा विधिक और प्रौद्योगिकी ढांचा स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नीति का प्रारूप जारी किया गया था।
- सरकार ने विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन मार्केटप्लेस के संचालन को विनियमित करने के लिए **ई-कॉमर्स हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियम** स्थापित किए हैं:
    - ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसी कंपनियों के माध्यम से और ऐसी कंपनियों के उत्पादों को बेचने से प्रतिबंधित किया गया था जिसमें उनकी इक्विटी हिस्सेदारी है।
    - उन्हें अपने प्लेटफॉर्मों पर उत्पादों की बिक्री के लिए अनन्य समझौता (exclusive deals) करने से प्रतिबंधित किया गया था।
    - ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वस्तु सूची में 25% से अधिक वस्तुएं एकल विक्रेता की नहीं होनी चाहिए।
    - ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस द्वारा अत्यधिक छूट प्रस्तावित करने को भी प्रतिबंधित किया गया है। सरकार इसका पर्यवेक्षण करने और ई-कॉमर्स से संबंधित विवादों का समाधान करने हेतु एक समर्पित नियामक की नियुक्ति का भी प्रयास कर रही है।

आगे की राह

- **ई-कॉमर्स के सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक एकल कानून बनाया जाना चाहिए** ताकि विभिन्न कानूनों, जैसे- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 आदि में विद्यमान विधिक विखंडन (legal fragmentation) को कम किया जा सके।
    - यह विभिन्न ई-कॉमर्स अभिकर्ताओं की परिभाषा और उन पर निर्धारित दायित्वों के स्तर में एकरूपता सुनिश्चित करेगा।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कार्यान्वयन से संबद्ध मुद्दों, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मुद्दों, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री/रिपॉजिटरी, ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा उद्देश्य और प्रयोजन के पूर्ण प्रकटीकरण आदि मुद्दों से निपटने हेतु एक स्वतंत्र विनियामक का गठन किया जाना चाहिए।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के पुनरीक्षण हेतु बेहतर व्यवसाय प्रथाओं का अनुपालन करने वाली एक **प्रत्यायन प्रणाली** को स्थापित करना वर्तमान समय की आवश्यकता है।

3.3. सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री (Strategic Sale of PSUs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्रक के पांच उपक्रमों (PSUs) में प्रबंधन नियंत्रण सहित सरकारी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन PSUs में सम्मिलित हैं: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL); शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया; कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया; टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (THDCIL); और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन।
- बाजार की वर्तमान कीमतों के आधार पर, इन PSUs के शेयरों की बिक्री से सरकार को 78,400 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो वित्त वर्ष 2019-20 के विनिवेश लक्ष्य (1.05 लाख करोड़) के करीब ले जाएगा।

रणनीतिक बिक्री के पक्ष में तर्क

- **सरकार की भूमिका:** रणनीतिक विनिवेश के पीछे प्रमुख विचारधारा यह है कि **"व्यवसाय में संलग्न होना सरकार का कार्यक्षेत्र नही है।"**
  - पुनः, सरकार की भूमिका एक अभिकर्ता के तौर पर सहभागी के रूप में न होकर एक स्वस्थ कारोबारी परिवेश प्रदान करने वाले सुविधाप्रदात्ता की होनी चाहिए।
- **आय का स्रोत:** विनिवेश अतिरिक्त आय प्राप्ति का एक स्रोत है। यह ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब निजी निवेश कम हो रहा है एवं सरकार अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ है।
  - सरकार विनिवेश से प्राप्त धन का उपयोग अवसंरचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर करने हेतु कर सकती है।
- **श्रेष्ठतर प्रबंधन:** ज्यादातर PSUs प्रायः कुप्रबंधन एवं आक्रामक ट्रेड यूनियनों से ग्रसित हैं तथा यह राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप वाला एक क्षेत्र बन गया है। इसके कारण PSUs की अधिकांश परियोजनाएँ विलंबित हो जाती हैं, जिससे दीर्घकालिक दक्षता के सम्मुख व्यवधान उत्पन्न होता है।
  - PSUs में सरकार की धारिता का एक प्रमुख उद्देश्य रोजगार प्रदान करना भी था। LPG (उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण) सुधारों के बाद, सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों में रिक्तियां काफी कम हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों में प्रच्छन्न बेरोज़गारी एवं पुराने कौशल की समस्या अक्षमता का प्रमुख कारण है।
  - ऐसी कंपनियों की आर्थिक क्षमताओं को भी रणनीतिक निवेशक विभिन्न कारकों के द्वारा बेहतर रूप से विकसित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए- पूंजी अंतर्वेशन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बेहतर जवाबदेही, कुशल प्रबंधन इत्यादि।
  - कई मामलों में सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन में भारी सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान जिंक ने वित्त वर्ष 2003 में अपनी बिक्री के समय 67 करोड़ रुपए के स्थान पर वर्ष 2019 में अपनी विशुद्ध बिक्री 9,698 करोड़ रुपए तक दिखाई है।
- **सार्वजनिक ऋण का स्थानांतरण:** विनिवेश के द्वारा भारत सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के बड़े सार्वजनिक ऋणों को भारतीय निजी क्षेत्रक में स्थानांतरित कर सकती है।

रणनीतिक विनिवेश

- विनिवेश आयोग के अनुसार, रणनीतिक बिक्री से आशय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (CPSE) में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ 50 प्रतिशत या इससे अधिक सरकारी हिस्सेदारी (शेयर) की बिक्री से है, अर्थात् इसमें (रणनीतिक विनिवेश) निम्नलिखित दो तत्व शामिल होते हैं:
  - 50 प्रतिशत या इससे अधिक की सरकारी हिस्सेदारी (शेयर) की बिक्री; तथा
  - प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण।
- साधारण विनिवेश के विपरीत (जहां सरकार के पास उक्त इकाई के शेयरों का अधिकांश हिस्सा होता है तथा वह प्रबंधन नियंत्रण को भी बनाए रखती है), रणनीतिक बिक्री का अर्थ कुछ हद तक निजीकरण से है।
- रणनीतिक बिक्री उन प्रकरणों से भी भिन्न है जिसमें सरकार बड़ी हिस्सेदारी को हस्तांतरित तो करती है, लेकिन वह केवल किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम को किया जाता है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है।

मुद्दे

- **निजीकरण करने से दक्षता सुनिश्चित नहीं होती: रंगराजन समिति की वर्ष 1993 की रिपोर्ट के अनुसार**, केवल सार्वजनिक से निजी क्षेत्र में स्वामित्व का परिवर्तन करना ही दक्षता में सुधार की गारंटी नहीं देता है।
  - निजीकरण की सफलता **प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं नियामकों की प्रभावशीलता पर** निर्भर करती है।
  - स्वतंत्र एवं प्रभावी नियामक की अनुपस्थिति में, यह कॉर्पोरेट्स द्वारा एकाधिकार और अल्पाधिकार व्यवहार का कारण बन सकता है।
- **बेरोज़गारी दर में वृद्धि हो सकती है:** यह बड़े पैमाने पर श्रमिकों की छंटनी का कारण बन सकती है, इस वजह से वे अपनी आजीविका से वंचित हो सकते हैं।
  - निजी स्वामित्व, अपने संचालन लागत में कटौती करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त असमानता को नजरअंदाज कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए, निजी क्षेत्रक में पूंजी गहन तकनीकों का उपयोग करने की प्रवृत्ति है, जो भारत के बेरोजगारी परिदृश्य के लिए आगे हानिकारक हो सकता है।

- **सार्वजनिक कोष को हानि:** पूर्व में विनिवेश प्रायः सार्वजनिक संपत्ति के न्यून मूल्यांकन एवं पक्षपात पूर्ण बोली पर आधारित होते थे, जिससे सरकारी खजाने को हानि होती थी।
    - वर्ष 2006 में प्रकाशित 9 PSUs की रणनीतिक बिक्रियों के CAG ऑडिट ने अधिशेष भूमि, सुविधाओं और अप्रत्यक्ष रूप में अपनी बैलेंस शीट पर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के रूप में बिक्री प्रक्रिया में विशिष्ट कमियों को चिन्हित किया है।
- **बेहतर प्रदर्शन करने वाले PSUs की बिक्री:** नुकसान में चल रही इकाइयाँ आमतौर पर खरीदारों को आसानी से आकर्षित करने में विफल रहती हैं, विशेष रूप से गैर-प्रकटीकरण के साथ पूर्ण वित्तीय एवं सरकार से जुड़ी बिक्री के लिए कई शर्तों के कारण।
    - ह्रासमान नकदी / राजकोषीय दबाव जैसे अल्पकालिक अनिवार्यताओं के कारण विनिवेश का उपयोग अतिरिक्त संसाधनों को उत्पन्न करने के विकल्प के रूप में किया जाता है, यहां तक कि बेहतर प्रदर्शन करने वाली PSUs में भी रणनीतिक बिक्री का सहारा लिया गया है (जैसे- BPCL जैसी नवरत्न कंपनी)।

आगे की राह

- विनिवेश प्रक्रिया को एक **सुपरिभाषित नीति पर आधारित** किए जाने की आवश्यकता है तथा PSUs का निजीकरण करने के लिए उपयुक्त मानदंड होने चाहिए।
- PSUs की क्षमता को देखते हुए, उनकी संपत्ति (भूमि, सुविधाएं एवं अमूर्त) का उचित मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता है।
    - PSUs के विनिवेश के समय मूल्यांकनकर्ता को केंद्र द्वारा पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक उपक्रम अपनी संपत्ति का एक विस्तृत रिकॉर्ड रख पाएं।
    - इसके अतिरिक्त, वास्तविक बोली प्रक्रिया के आरंभ होने से पूर्व सरकार द्वारा संभावित खरीदारों को लेखा-जोखा के पूर्ण एवं स्वच्छ सेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि बिक्री उपरांत के दावों को कम किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, पूर्णतया निजीकरण के स्थान पर PSUs परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **घरेलू एवं विदेशी दोनों खरीदारों** को राज्य के लिए स्वतंत्र रूप से बोली लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि PSUs में होने वाला कोई भी निवेश रक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों आदि जैसे पर्याप्त सामाजिक और रणनीतिक लाभ की प्राप्ति के लिए होना चाहिए।
- सरकार को कुशल **बाजार स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने** पर ध्यान देना चाहिए।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि PSUs की रणनीतिक बिक्री प्रक्रिया वस्तुतः विनिवेश संबंधी लक्ष्यों एवं वित्तीय वर्ष की समय सीमा से परे है तथा इससे अधिक व्यवस्थित तरीके से निपटा जाता है।

3.4. भूमि पट्टा (Land Leasing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रस्तावित **मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट, 2016** (आदर्श कृषि योग्य भूमि पट्टा अधिनियम, 2016) के संबंध में मतभेदों का समाधान करने हेतु मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया है।

पृष्ठभूमि

- **भूमि पट्टा** से आशय भूस्वामी और कल्टीवेटर (पट्टेदार) के मध्य एक अनुबंध से है। इसके तहत कल्टीवेटर, पारस्परिक रूप से सहमत एक निर्दिष्ट अवधि तक कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए भूस्वामी की भूमि का उपयोग करता है।
- भारत में, केवल कुछ राज्यों में ही भूमि पट्टा की अनुमति प्राप्त थी और वहां के बाजार भी अल्प विकसित हैं। इससे निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:
    - भूस्वामी, **स्वामित्व (कब्जा) खोने के भय** के कारण भूमि को पट्टे पर नहीं देते हैं तथा नियमित तौर पर काश्तकारों को बदलते रहते हैं।
    - काश्तकार, कृषक ऋण और बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
- विभिन्न राज्यों के वर्तमान कृषि काश्तकारी कानूनों की समीक्षा करने के लिए, नीति आयोग द्वारा **टी. हक की अध्यक्षता में भूमि पट्टा के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति** का गठन किया गया था।
    - इसके द्वारा **आदर्श भूमि पट्टा कानून** का प्रारूप तैयार किया गया। इस कानून के माध्यम से भूस्वामियों के मध्य कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर देने के संबंध में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है।
- हालांकि, भूमि **राज्य सूची का एक विषय** है। इसके कारण कई राज्यों द्वारा अभी तक इस आदर्श कानून को नहीं अपनाया गया है। साथ ही, कुछ केंद्रीय विभागों को इस पर कुछ सुरक्षित अधिकार (reservations) भी प्रदान किए गए हैं।
- गृह, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रियों से मिलकर गठित GoM द्वारा इस आदर्श कानून से संबंधित विवादों का समाधान किया जाएगा। इसके द्वारा भूमि पट्टे को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता, व्यावहारिकता और वांछनीयता के आलोक में आगे की राह की भी अनुशंसा की जाएगी।

आदर्श भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 से संबंधित मुद्दे

- **राज्यों द्वारा इसके अनुप्रयोग का अभाव:** उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे कुछ ही राज्यों ने अपने काश्तकारी कानूनों में संशोधन किया है।
  - कई राज्यों में अभी भी कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर देने पर प्रतिबंध आरोपित हैं। ज्ञातव्य है कि इस स्थिति ने काश्तकारों को अनौपचारिक, असुरक्षित और अक्षम बने रहने के लिए बाध्य किया है।
- भूस्वामी और काश्तकार के मध्य विषमता विद्यमान है क्योंकि भूस्वामी को स्वामित्व के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन भूमि सुधार या फसल की विफलता के संदर्भ में उत्तरदायित्व नहीं प्रदान किए गए हैं।
- यह अधिनियम राज्य सरकारों पर दायित्व आरोपित नहीं करता है कि वे कल्टीवेटर्स को मान्यता प्रदान करें और उन्हें सहायता प्रदान करें। इसके बजाए यह अधिनियम केवल कल्टीवेटर्स द्वारा समझौता करने के संदर्भ में राज्यों पर दायित्व आरोपित करता है।
- कई राज्यों द्वारा किसानों के मध्य इसकी स्वीकार्यता की कमी के संदर्भ में आशंका व्यक्त की गई है। **"संधारणीय और समग्र कृषि के लिए गठबंधन (Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture)"** के अनुसार, आदर्श अधिनियम इस लक्ष्य के कार्यान्वयन के संदर्भ में जमीनी वास्तविकताओं की अवेहलना करता है।

आदर्श भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 के प्रमुख प्रावधान

- भूस्वामियों के लिए भू-स्वामित्व की पूर्ण सुरक्षा और सहमत पट्टा अवधि तक काश्तकारों के लिए भूधृति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम सभी क्षेत्रों में **भूमि पट्टा को वैध** बनाता है।
- यह विभिन्न राज्यों के भूमि कानूनों में उल्लिखित **भूमि पर प्रतिकूल कब्जे से संबद्ध धारा को हटाने का प्रावधान** करता है क्योंकि यह भूमि पट्टा बाजार की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करता है।
- काश्तकारी की समाप्ति के पश्चात् भी काश्तकार के पास भूमि का कोई न्यूनतम क्षेत्र छोड़ने की आवश्यकता के बिना (जैसा कि कुछ राज्यों के कानूनों में इसे आवश्यक बनाया गया है) सहमत भूमि पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात् भूस्वामी के पक्ष में भूमि के **स्वामित्व का स्वत: हस्तांतरण।**
- भूस्वामी के लिए भूमि खोने के किसी भी प्रकार के भय के बिना और काश्तकार की ओर से अधिभोग अधिकार (occupancy right) प्राप्त करने की अनुचित अपेक्षा के बिना भूस्वामी और काश्तकार द्वारा पारस्परिक रूप से **भूमि पट्टे की शर्तें** निर्धारित की जाएंगी।
- अपेक्षित उत्पादन को बंधक के रूप में उपयोग कर बीमा तथा बैंक ऋण तक बटाईदारों सहित सभी काश्तकारों को **संस्थागत सहायता तक पहुंच प्रदान करना।**
- काश्तकारों को प्रोत्साहित करना और उन्हें काश्तकारी की समाप्ति के समय निवेश का अप्रयुक्त मूल्य वापस प्राप्त करने का हकदार बनाकर **भूमि सुधार में निवेश को प्रोत्साहित करना।**
- **टकरावों का समाधान:** कृषक और भूस्वामी, तृतीय पक्ष की मध्यस्थता या स्थानीय सरकार की सहायता से अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं।
  - राज्य सरकारों को **विशेष भूमि अधिकरण** का गठन करना होगा, जो आदर्श अधिनियम के अंतर्गत विवादों के न्यायनिर्णय हेतु अंतिम प्राधिकरण होगा।

भारत में भूमि पट्टा ढांचे की संभावना

- **भूमि का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा** क्योंकि इससे देश में लाखों हेक्टेयर परती भूमि का उपयोग किया जा सकेगा।
  - इससे कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होगा और लघु किसान भी पट्टे पर भूमि लेकर अपने परिचालन जोतों के आकार में वृद्धि कर सकेंगे।
- **काश्तकारों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी** क्योंकि यह भूमिहीन निर्धन, लघु और सीमांत किसानों को बैंक ऋण एवं बीमा सुरक्षा के माध्यम से आजीविका का साधन और संरक्षण प्रदान करेगा।
  - कृषि सहायता सेवाओं के वास्तविक लाभार्थी भूस्वामी रहे हैं न कि वास्तविक कृषक। इसने किसान आत्महत्या, कृषि ऋण को न चुकाना आदि जैसी समस्याओं में वृद्धि की है।
- **कृषि दक्षता में सुधार होगा** क्योंकि एक ओर यह पारिवारिक श्रम की उपलब्धता व ऋण की स्थिति को संतुलित करेगा तथा दूसरी ओर भूमि की उपलब्धता एवं नकदी संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करेगा।
- **व्यावसायिक विविधीकरण:** वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 14% है, लेकिन इसमें देश के कुल कार्यबल का 49% और 64% ग्रामीण कार्यबल नियोजित है।
  - ज्ञातव्य है कि कृषि क्षेत्र एक सीमा से अधिक अतिरिक्त कार्यबल को उत्पादक रूप से नियोजित नहीं कर सकता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्र की ओर जनसंख्या को स्थानांतरित किया जाए।
  - भूमि पट्टा को विधिसम्मत बनाने से बड़े भूस्वामी अपने भू-स्वामित्व अधिकारों को खोने के भय के बिना भूमि पट्टे पर देने और गैर-कृषि उद्यमों में निवेश (उपयुक्त पूंजी और प्रौद्योगिकी सहायता के साथ) करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

VISION IAS

- **समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा,** क्योंकि एक सक्रिय भूमि पट्टा बाजार के विकास के परिणामस्वरूप ग्रामीण निर्धनों को निर्धनता के जाल से बाहर निकालने में सहायता मिलेगी।
    - इससे **किसानों की आय दोगुना करने** का लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।
    - उदाहरणार्थ: काश्तकार किसान भी संविदात्मक समझौता करके अनुबंध कृषि का लाभ उठा पाएंगे, विशेष रूप से विपणन के संबंध में, यदि वे अपनी उपज को किसी विशेष समूह को बेचना चाहते हैं।

निष्कर्ष

पारदर्शी भूमि पट्टा कानूनों की शुरुआत, जो संभावित काश्तकार या बटाईदार को भूस्वामी के साथ लिखित अनुबंध में संलग्न होने की अनुमति प्रदान करते हैं, दोनों पक्षों को लाभान्वित करने वाले सुधार सिद्ध हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप काश्तकारों को भूमि सुधार में निवेश करने संबंधी प्रोत्साहन प्राप्त होगा। भूस्वामी, काश्तकार के हाथों भूमि खोने के भय के बिना भूमि पट्टे पर दे सकेंगे और सरकार, दक्षतापूर्वक अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने में सक्षम हो सकेगी।

3.5. खाद्य तेल की कमी (Edible Oil Deficiency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से **भारत में खाद्य तेल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप** तैयार करने का आग्रह किया है।

पृष्ठभूमि

- भारत अपने अधिकांश खाद्य तेल को **इंडोनेशिया** और **मलेशिया** से आयात करता है। इसके अतिरिक्त, भारत-मलेशिया मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत इंडोनेशिया के विपरीत मलेशिया को शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त हैं।
- **किसानों की आय दोगुनी करने** की सरकार की योजना के अंतर्गत, **वर्ष 2030 तक तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता** प्राप्त करना एक प्रमुख लक्ष्य है।
- साथ ही, अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक में **"शून्य खाद्य तेल आयात"** योजना की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी।

घरेलू स्तर पर खाद्य तेल की मांग को पूरा करने संबंधी चुनौतियां

- विगत पांच वर्षों से तिलहन का उत्पादन लगभग **33 मिलियन टन** पर स्थिर बना हुआ है।
    - **किसानों के लिए निम्न प्रतिफल:** घरेलू आपूर्ति में अत्यधिक कमी के बावजूद, अत्यधिक आयात से तिलहन की कीमतों पर अनुचित दबाव पड़ता है, जिनके मूल्य प्राय: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से भी कम हो जाते हैं।
    - **कृषि जोत के अधीन क्षेत्रफल में कमी:** मक्का, कपास या चना जैसी प्रतिस्पर्धी फसलों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम लाभप्रदता के कारण।
- **आयात निर्भरता:** प्रसंस्करण उद्योग द्वारा स्थानीय उपभोग के लिए पुन: पैकिंग और वितरण करने हेतु तेलों के साथ सीधे मिश्रित करने के लिए रिफाइंड तेल के आयात को वरीयता दी जाती है।
    - इसके अतिरिक्त, कच्चे तेल की तुलना में रिफाइंड तेल पर निम्न करों के कारण, कुल आयात में आयातित रिफाइंड तेल की हिस्सेदारी कुछ वर्ष पूर्व के 12% से बढ़कर 18% हो गई है।
    - खाद्य तेल रिफाइनरियों की औसत क्षमता का उपयोग पांच वर्ष पूर्व के 65% से घटकर 46% रह गया है।
- **कृषि की स्थिति:** इस हेतु वार्षिक कृषि योग्य भूमि लगभग 26.7 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत वर्षा सिंचित है।
    - हालांकि, कृषि उपज में वृद्धि हो रही है, परंतु यह मानसून पर अत्यधिक निर्भर है और इसकी स्थिति वैश्विक मानकों की तुलना में निम्न है।
    - **संसाधनों की कमी:** अधिकांश (85% से अधिक) तिलहन उत्पादक लघु और सीमांत किसान हैं, जिनके पास बेहतर किस्म और संकर किस्मों वाले गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध न होने के साथ-साथ संसाधन आधार भी निम्न स्तरीय हैं।
- **सुसंगत नीति का अभाव:** खरीद एजेंसियों द्वारा उनके द्वारा उपार्जित तिलहन स्टॉक को किस प्रकार परिनिर्धारित किया जाना है, इस संबंध में स्पष्ट नीति के अभाव ने कहीं अधिक समस्याएं उत्पन्न की हैं।

भारत में खाद्य तेल की स्थिति

- वर्तमान में, केवल 7.31 मिलियन टन कुल खाद्य तेल का उत्पादन किया जा रहा है जबकि भारत में खाद्य तेलों की अनुमानित मांग 24.5 मिलियन टन है।
- इसलिए, कुल घरेलू आवश्यकताओं के लगभग 65-70% खाद्य तेलों का आयात किया जाता है, ज्ञातव्य है कि 1990 के दशक के प्रारंभ में मात्र 5% से भी कम का आयात किया जाता था।

- वर्ष 2015-16 के प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 19 किलोग्राम उपभोग की तुलना में लगभग 22 किलोग्राम की खपत का अनुमान लगाते हुए वर्ष 2022 तक कुल खाद्य तेल आवश्यकता के बढ़कर 33.2 मिलियन टन होने का अनुमान किया गया है।
- आयातित और भारतीयों द्वारा खपत किए जाने वाले खाद्य तेल में पाम ऑयल की अत्यधिक हिस्सेदारी है। अन्य प्रमुख तेल हैं - सोयाबीन और सरसों का तेल।
- भारत; संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील के पश्चात् विश्व का चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। वर्तमान में, भारत में प्राथमिक स्रोतों से लगभग 34 मिलियन टन तिलहन का वार्षिक उत्पादन होता है।
- तिलहन की हिस्सेदारी सकल फसली क्षेत्र में 13%, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 3% और सभी कृषि वस्तुओं के मूल्य में 10% है।
- **भारत में प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं:**
  - **मूंगफली:** गुजरात (अग्रणी), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु;
  - **सरसों:** उत्तर प्रदेश, (अग्रणी) हरियाणा और पश्चिम बंगाल; एवं
  - **सोयाबीन:** मध्य प्रदेश (अग्रणी) और महाराष्ट्र।

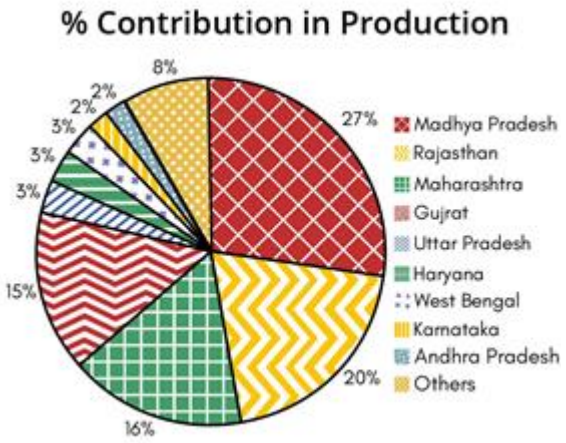

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **कृषि मंत्रालय** ने वर्ष 2022-23 तक के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:
  - **खाद्य तेलों** का वार्षिक उत्पादन वर्तमान के **7.31** मीट्रिक टन से बढ़ाकर **13.69** मीट्रिक टन तक करना।
  - प्राथमिक स्रोतों से वर्तमान के **34** मिलियन टन से बढ़ाकर तिलहन उत्पादन **45.64** मिलियन टन करना।
- तेल आयात को कम से कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी तिलहन मिशन आरंभ करने हेतु हाल ही में **ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (GoS)** का गठन किया गया है।
  - सरकार इस मिशन के वित्तपोषण हेतु कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात पर **2-10%** उपकर अधिरोपित कर सकती है।
- किसानों की आय दोगुना करने के संबंध में **अशोक दलवई समिति** का गठन किया गया था, जिनकी कुछ अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:
  - **तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की रणनीति** में तेल के तीनों स्रोतों को सम्मिलित किया जाना चाहिए-
    - तिलहनी फसलों के 9 प्राथमिक स्रोत {सात खाद्य (सोयाबीन, रेपसीड-सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर) और दो गैर-खाद्य (अरंडी और अलसी)};
    - द्वितियक स्रोत (चावल की भूसी, कपास के बीज, विलायक निष्कर्षित तेल); एवं
    - ट्री बोर्न ऑयल (TBOs), अर्थात्, ताड़ का तेल, नारियल, अन्य वृक्ष और वनों से प्राप्त होने वाले।
  - **पाम ट्री की कृषि को प्रोत्साहित करना:** इसके द्वारा खाद्य तेल विकास निधि (Edible Oil Development Fund: EODF) के माध्यम से किसानों के लिए मूल्य प्रोत्साहन तंत्र का सुझाव दिया गया है, जिसमें अंशदान कच्चे और रिफाइंड पाम तेल के आयात पर विशेष रूप से आरोपित 0.5% के उपकर से संग्रहित किया जाएगा।
- **ISOPOM (तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का फसलों का समन्वित कार्यक्रम)**
  - इसके अंतर्गत तिलहन, दलहन, पाम ऑयल और मक्का से संबंधित चार योजनाओं को केंद्र प्रायोजित ISOPOM में शामिल किया गया है।
  - किसानों को प्रजनक बीज की खरीद, आधारीय बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (NMOOP)**
  - इसे तीन लघु मिशनों (Mini-Missions: MM) अर्थात् **MM I -** तिलहन; **MM II - ऑयल पाम;** एवं **MM III - TBO** (वृक्ष आधारित तेल) के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है।

VISION IAS

- इस मिशन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2022 तक उत्पादन को 34 मिलियन टन से बढ़ाकर लगभग 42 मिलियन टन करना है।
- NMOOP की रणनीति और दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - उपजाति प्रतिस्थापन (Varietal Replacement) पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बीज प्रतिस्थापन अनुपात (SRR) को बढ़ाना; तिलहन के अधीन कवरेज को 26% से बढ़ाकर 36% करना। SSR द्वारा इसकी माप की जाती है कि खेत आधारित बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों से कुल कितना फसली क्षेत्रफल बोया गया।
  - निम्न उपज वाली खाद्यान्न फसलों के स्थान पर तिलहन फसलों से खेत का विविधीकरण करना; अनाज/दलहन/गन्ने के साथ तिलहन के अंतर-शस्यन विधि को अपनाना;
  - धान/आलू की कृषि के बाद परती भूमि का उपयोग करना;
  - जल-संभर एवं बंजर भूमि पर पाम ऑयल और वृक्ष जनित तिलहन की कृषि का विस्तार करना;
  - तिलहन की खरीद और संग्रहण बढ़ाने वाले गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना; तथा
  - वृक्ष जनित तिलहन का प्रसंस्करण।
- **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA):** जैसा कि केंद्रीय बजट 2018 में घोषित किया गया था, इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करना है।
  - इस पहल के अंतर्गत, तीसरा भाग निजी खरीद व स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) है।
  - तिलहन के मामले में, राज्यों के पास चयनित जिलों में PPSS का शुभारंभ करने का विकल्प होगा। इसमें बाजार मूल्य के MSP से नीचे आने पर निजी अभिकर्ता द्वारा MSP पर फसलों की खरीद की जा सकती है।

आगे की राह

- **विविधीकरण:** पूर्वी भारत के चावल के परती खेतों और कुछ तटीय क्षेत्रों जैसे अल्पप्रयुक्त खेतों में तिलहन की कृषि का विस्तार करना।
- **सार्वजानिक वितरण प्रणाली (PDS) के दायरे में लाना:** PDS में खाना पकाने के तेल को सम्मिलित करने से सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित होने के साथ खरीद परिचालन को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **घरेलू किस्मों को प्रोत्साहन:** देशज किस्मों के लाभों को प्रदर्शित करने हेतु उपभोक्ता जागरूकता प्रयासों को बढ़ावा देना।
  - दबावग्रस्त प्रसंस्करण क्षमता को पुनर्जीवित करने के लिए, आयात शुल्क को घरेलू MSP और परिशोधन लागत के साथ संयुक्त करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रशुल्कों में किसी प्रकार का तदर्थ परिवर्तन न किया जाए।
- **आयात पर नियंत्रण:** आयात पर वार्षिक सीमा अधिरोपित करने की आवश्यकता है तथा आयात व्यापार पर गहन निगरानी रखी जानी चाहिए।
- **उन्नत संसाधन:** तिलहन उत्पादन में सुधार की कुंजी गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, उन्नत तकनीकों के संबंध में किसानों में जागरूकता को बढ़ावा देने, सहायक अवसंरचना सुविधाओं को विकसित करने और बेहतर कीमत वसूली के लिए कुशलतापूर्वक प्रबंधित बाजार सुनिश्चित करने में निहित है।

3.6. अनुबंध कृषि (Contract Farming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार के **मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट (अनुबंध कृषि अधिनियम), 2018 की तर्ज पर अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला तमिलनाडु, देश का पहला राज्य बन गया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, **तमिलनाडु कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध कृषि व सेवा (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम** नामक कानून को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।
- यह अधिनियम अत्यधिक फसल उपज या बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान किसानों के हितों की रक्षा करने वाले **पंजीकृत समझौतों के अनुसार किसानों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर भुगतान** किया जाना सुनिश्चित करता है।
- इस कानून के अनुसार, किसानों को **उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार हेतु निवेश, खाद्य एवं चारा, प्रौद्योगिकी आदि के लिए खरीदारों से समर्थन** प्राप्त होगा।
- इस अधिनियम में **कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, पशुपालन या वन गतिविधियों के आउटपुट सम्मिलित हैं,** लेकिन कानून द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध उत्पादों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
- इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु **तमिलनाडु राज्य अनुबंध कृषि एवं सेवा (संवर्धन व सुविधा) प्राधिकरण** नामक छह सदस्यीय निकाय का भी गठन किया जाएगा।
- अधिनियम में राजस्व उप-खंड के स्तर पर विवाद निपटान समिति के गठन का भी प्रावधान है।

अनुबंध कृषि के बारे में

- इसमें **खरीदारों** (जैसे- खाद्य प्रसंस्करण इकाई व निर्यातक) एवं **उत्पादकों** (किसानों या किसान संगठन) के मध्य फसल-पूर्व समझौते (या वायदा अनुबंध) के आधार पर **कृषि उत्पादन** (पशुधन व मुर्गीपालन सहित) सम्मिलित होता है।
- यह **समवर्ती सूची के अंतर्गत** सम्मिलित है; जबकि कृषि, राज्य सूची में शामिल है।
- सरकार ने अनुबंध कृषि में संलग्न फर्मों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की भंडारण सीमा एवं आवाजाही पर मौजूदा लाइसेंसिंग एवं प्रतिबंध से छूट दे रखी है।
- **भारत में अनुबंध कृषि से संबंधित कानून**
  - अनुबंध कृषि के उत्पादकों एवं प्रायोजकों के हितों की रक्षा के लिए कृषि मंत्रालय ने **मॉडल कृषि उपज विपणन समिति (APMC) अधिनियम, 2003** का मसौदा तैयार किया था, जिसमें प्रायोजकों के पंजीकरण, समझौते की रिकॉर्डिंग, विवाद निपटान तंत्र आदि के प्रावधान हैं।
    - फलस्वरूप, **कुछ राज्यों** ने इस प्रावधान के अनुसरण में अपने **APMC अधिनियमों में संशोधन** किया, परंतु पंजाब में अनुबंध कृषि पर एक पृथक कानून है।
  - केंद्र सरकार, **मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018** के माध्यम से राज्य सरकारों को इस मॉडल अधिनियम के अनुरूप स्पष्ट अनुबंध कृषि कानून अधिनियमित करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है।
    - इसे एक **संवर्धनात्मक एवं सुविधाजनक अधिनियम** के रूप में तैयार किया गया है तथा यह विनियामक प्रकृति का नहीं है।

अनुबंध कृषि के लाभ

- **किसान के हितों की रक्षा:** यह किसानों को उनकी उपज के लिए एक आश्वासन वाला बाजार मुहैया करवाकर एवं बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उन्हें सुरक्षित करके उनके जोखिम को कम करती है।
  - पूर्व निर्धारित कीमतें, कटाई के बाद यदि किसी प्रकार की क्षति हो तो, उसे आच्छादित करने का अवसर प्रदान करती हैं।
- **कृषि में निजी भागीदारी:** जैसा कि **राष्ट्रीय कृषि नीति** द्वारा परिकल्पित है, यह कृषि में निजी क्षेत्रक के निवेश को प्रोत्साहित करती है ताकि नई कृषि प्रौद्योगिकी, विकासशील बुनियादी ढांचे, आदि को बढ़ावा दिया जा सके।
- **किसानों की उत्पादकता में सुधार:** यह बेहतर आय, वैज्ञानिक पद्धति एवं क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाकर कृषि क्षेत्र की उत्पादकता व दक्षता को बढ़ाती है, जिससे किसान की आय में वृद्धि होती है, रोज़गार के नए अवसर एवं खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है।
- **बेहतर मूल्य की खोज:** यह **APMC के एकाधिकार** को कम करती है एवं कृषि को एक संगठित गतिविधि बनाती है जिससे गुणवत्ता व उत्पादन की मात्रा में सुधार होता है।
- **निर्यात में वृद्धि:** यह किसानों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा आवश्यक फसलों को उगाने एवं भारतीय किसानों को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से, विशेष रूप से उच्च-मूल्य वाले बागवानी उत्पादन में, जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा खाद्यान्न की बर्बादी को काफी कम करती है।
- **उपभोक्ताओं को लाभ:** विपणन दक्षता में वृद्धि, बिचौलियों का उन्मूलन, विनियामक अनुपालन में कमी आदि से उत्पाद के कृत्रिम अभाव को कम किया जा सकता है तथा खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है।

चुनौतियां

- अनुबंध कृषि के लिए आवश्यक उपजों के प्रकार, स्थितियों आदि के संदर्भ में **राज्यों के कानूनों के मध्य एकरूपता या समरूपता का अभाव है।** राजस्व हानि की आशंका से राज्य, सुधारों को आगे बढ़ाने में अनिच्छुक रहे हैं।
- **क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा:** वर्तमान में यह कृषि विकसित राज्यों (पंजाब, तमिलनाडु आदि) में प्रचलित है, जबकि लघु एवं सीमांत किसानों की उच्चतम सघनता वाले राज्य इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
- **भू-जोतों का आकार:** उच्च लेन-देन एवं विपणन लागत के कारण खरीदार लघु एवं सीमांत किसानों के साथ अनुबंध कृषि को वरीयता नहीं देते हैं साथ ही इस हेतु उन्हें कोई विशेष प्रोत्साहन भी नहीं मिलता है। इससे सामाजिक-आर्थिक विकृतियों को बढ़ावा मिलता है एवं बड़े किसानों के लिए वरीयता की स्थिति पैदा होती है।
  - वर्ष 2015-16 की कृषि संगणना के अनुसार, 86 प्रतिशत भू-जोतों का स्वामित्व लघु एवं सीमांत किसानों के पास था तथा भारत में भू-जोतों का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर था।
- यह निवेश के लिए कॉर्पोरेट जगत पर किसानों की निर्भरता को बढ़ाता है, जिससे वे कमजोर होते हैं।
- पूर्व निर्धारित मूल्य, किसानों को उपज के लिए बाजार में उच्च मूल्यों के लाभ से वंचित कर सकते हैं।

VISION IAS

- **कृषि के लिए पूंजी-गहन एवं कम संधारणीय पैटर्न:** यह उर्वरकों एवं पीड़कनाशियों के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देता है, जो प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, मनुष्यों व जानवरों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं।
- **एकल कृषि को प्रोत्साहित करता है:** यह न केवल मृदा की सेहत को प्रभावित करता है, अपितु खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है एवं खाद्यान्नों के आयात को बढ़ावा देता है।

मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018

- अनुबंध में सम्मिलित दोनों पक्षों में से **किसानों को कमजोर पक्ष मानकर यह अधिनियम किसानों के हितों की रक्षा** करने पर विशेष बल देता है।
- यह अनुबंध में तय **पूर्व-सहमति मूल्य व गुणवता मानकों पर उत्पादक से पूर्व-सहमत संपूर्ण मात्रा की खरीद** सुनिश्चित करता है।
- इसमें **कृषि विज्ञान एवं बागवानी, पशुधन, डेयरी, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन** की सभी श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है।
- उत्पादन-पूर्व, उत्पादन के दौरान (विस्तार सेवाओं सहित) एवं **उत्पादन पश्चात् की सेवाओं सहित कृषि मूल्य शृंखला** की सभी सेवाएं इसके दायरे में शामिल हैं।
- यह हितधारकों के मध्य **अनुबंध कृषि** को लोकप्रिय बनाने तथा इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु **राज्य स्तर** पर एक **अनुबंध कृषि (विकास एवं संवर्धन) प्राधिकरण** की स्थापना का प्रावधान करता है।
- उत्पादन के दौरान एवं उत्पादन के पश्चात् की गतिविधियों से संबंधित त्वरित व आवश्यकता-आधारित निर्णय लेने के लिए यह **गाँव/पंचायत स्तर पर अनुबंध कृषि सुविधा समूह** के गठन का प्रावधान करता है।
  - अनुबंधों को **पंजीकृत करने** के लिए यह **स्थानीय स्तर पर एक पंजीकरण एवं समझौता रिकॉर्डिंग समिति** का प्रावधान करता है।
- यह अनुबंध या अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लघंन से उत्पन्न होने वाले विवादों के त्वरित निपटान के लिए सबसे निचले संभव स्तर पर **विवाद निपटान तंत्र** का प्रावधान करता है।
- यह **किसान उत्पादक संगठनों (FPO) या किसान उत्पादक कंपनियों (FPC)** को बढ़ावा देता है, जो उत्पादन के दौरान एवं उत्पादन-उपरांत की गतिविधियों से लाभान्वित होने के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को लामबंद करते हैं।
- यह किसी भी स्थिति में किसान की जमीन के स्वामित्व के हस्तांतरण (कंपनियां को) पर प्रतिबंध आरोपित करता है। यह प्रयोजकों को किसान की भूमि पर स्थायी ढांचा बनाने से भी रोकता है।
- **जब अधिप्राप्ति तंत्र अप्रभावी हो जाता है, तब यह किसानों को एक विकल्प प्रदान करता है।**
- अनुबंध कृषि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित **APMC अधिनियम** के दायरे से बाहर होगी। खरीदारों को बाजार शुल्क एवं कमीशन शुल्क से भी छूट दी गई है।
- **कृषि उत्पादों के स्टॉकहोल्डिंग की सीमा** अनुबंध कृषि के अंतर्गत खरीदी गई उपज पर **लागू नहीं होगी।**

आगे की राह

- अनुबंध कृषि में सम्मिलित खाद्य संसाधकों को कर में छूट दी जा सकती है, जिसके बदले में उन्हें ग्रामीण आवसंरचना, किसान कल्याण आदि में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
  - अनुबंध कृषि के लिए आयात किए जा रहे कृषि उपकरणों पर लगने वाले शुल्क को हटाया जा सकता है।
- सरकार को किसानों एवं खरीदारों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर एवं सूचना विषमता को कम करके एक सक्षम वातावरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- अंततः, सभी राज्यों को किसानों के लिए एक समान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम को अपनाना एवं कार्यान्वित करना चाहिए। साथ ही, खरीदारों के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना चाहिए।

3.7. वाणिज्यिक कोयला खनन (Commercial Coal Mining)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत अब 'केवल वाणिज्यिक खनन और बिक्री के उद्देश्य से' निजी कंपनियों को कोयला खदानें आवंटित करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। इसके साथ ही कैप्टिव उपयोग हेतु खदान आवंटित करने की पूर्व की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- कोयला मंत्रालय **राजस्व साझाकरण आधार** पर वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी करेगा और शीघ्रतर उत्पादन आरंभ करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा करेगा। इसके अंतर्गत, बोलीकर्ताओं को शीघ्रतर कार्य आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार ने अपनी राजस्व हिस्सेदारी में **20 प्रतिशत** तक की कटौती करने का प्रस्ताव रखा है।
- यह उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यापक पैमाने पर ब्लॉकों को निरस्त करने के पश्चात् **रिवर्स बिडिंग मॉडल** के इतर प्रथम नीलामी होगी। यह राजस्व साझाकरण मॉडल पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त **प्रत्युष सिन्हा** की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है।
  - प्रतिवर्ती नीलामी (reverse auction) में, क्रेता द्वारा आवश्यक वस्तु या सेवा का अनुरोध किया जाता है। तत्पश्चात विक्रेताओं द्वारा उस राशि के लिए बोली लगाई जाती है जो वे उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान किए जाने हेतु तैयार होते हैं तथा नीलामी के अंत में सबसे कम राशि वाला विक्रेता जीतता है।

पृष्ठभूमि

- **देश के विद्युत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत है** और कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इस कदम की आवश्यकता है।
- इसे सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 1973 में "कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973" द्वारा कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
- राष्ट्रीयकरण के उपरांत, केवल **राज्य के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** को कोयला बेचने की अनुमति प्राप्त थी। यहां तक कि कुछ समय पूर्व तक, निजी क्षेत्र की फर्मों को केवल अपने सीमेंट, इस्पात, विद्युत और अल्यूमीनियम संयंत्रों में उपयोग के लिए अर्थात उनके **कैप्टिव (स्वयं के) उपयोग** के लिए कोयला खनन की अनुमति प्रदान की गई थी। इसलिए, CIL, अभी तक देश में एकमात्र वाणिज्यिक खननकर्ता था और भारत के कोयला उत्पादन में CIL की हिस्सेदारी 84 प्रतिशत थी।
- **वर्ष 1993-2014 तक,** कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों को 204 कोयला खान/ब्लॉक आवंटित किए गए थे। हालांकि, इनमें से अधिकांश आवंटनों के संबंध में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लागए गए थे। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार इनके कारण सरकारी खजाने को 1.85 लाख करोड़ रूपये का नुकसान हुआ था। इसी पृष्ठभूमि में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2014 में इन आवंटनों को निरस्त कर दिया था।
- कोयले की बिक्री हेतु नीलामी और आवंटन के माध्यम से कोयला खानों के आवंटन के लिए **कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015** में सक्षमकारी प्रावधान किए गए हैं।
- वर्ष 2015 में कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के अधिनियमित होने से पूर्व, बोली प्रक्रिया (bidding) के माध्यम से कोयला खानों का आवंटन नहीं किया जाता था। इस्पात, सीमेंट, विद्युत, कोयला-से-गैस और कोयला-से-तरल जैसे क्षेत्रकों में कार्यरत कंपनियों द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदन किया जाता था और अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा संवीक्षा के पश्चात् उन्हें अधिकार प्रदान किए जाते थे।

कैप्टिव कोयला खनन से संबंधित समस्याएं

- वर्ष 2018-19 में कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से केवल 25.1 मिलियन टन (MT) कोयले का उत्पादन हुआ था। यह वर्ष 2014-15 के 43.2 मीट्रिक टन उत्पादन से अत्यधिक कम है तब उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे 204 कोयला खदानों के लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया था।
- कैप्टिव खनन के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि यह माना गया था कि विद्युत उत्पादकों, इस्पात निर्माताओं आदि को खनन के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त है और साथ ही इनकी रूचि भी है।
- साथ ही, इसने इकॉनमी ऑफ़ स्केल को भी अवरुद्ध किया है।

इस संबंध में हाल ही में उठाए गए कदम

- फरवरी 2019 में, मंत्रिमंडल ने निजी कंपनियों को कैप्टिव कोयला खदानों से 25 प्रतिशत तक उत्पादन को खुले बाजार में बेचने की अनुमति प्रदान की, जिससे घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई।

वाणिज्यिक कोयला खनन के अपेक्षित लाभ

- **उत्पादन एवं ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि:** इससे देश को वर्ष 2022 तक वार्षिक रूप से 1.5 बिलियन टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- **आयात में कमी:** भारत अभी भी अपनी वार्षिक कोयला आवश्यकता के पांचवे भाग की पूर्ति आयात के माध्यम से करता है, जिसकी लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है। CRISIL का अनुमान है कि आयातित गैर-कोकिंग कोयला को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करने से कोयला आयात में लगभग 30,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
- **विद्युत क्षेत्रक के लिए लाभ:** इससे उत्कृष्ट ईंधन प्रबंधन के माध्यम से संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों को रूपांतरित होने में सहायता मिलेगी। साथ ही, गैर-कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक होने के कारण, सीमेंट और इस्पात क्षेत्रक को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा।
- **दक्षता में सुधार:** निजी खनिकों की भागीदारी से आवश्यक प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होगी, क्योंकि इनके द्वारा किये जाने वाले उच्च निवेश के माध्यम से नवीनतम उपकरण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के उपयोग का दोहन हो सकेगा।
- **कोयला बहुल राज्यों का विकास:** विशेष रूप से देश के पूर्वी भाग में, क्योंकि इन नीलामियों से संपूर्ण राजस्व उन्हें प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है क्योंकि उच्चतम बोली लगाने वाले को कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे।
- **विदेशी निवेश में वृद्धि:** क्योंकि यह ऐसे देशों की विदेशी कंपनियों को व्यापक अवसर प्रदान करता है, जहां कोयला खनन कार्य या तो बंद हैं या इसे पूर्ण रूप से रोक दिया गया है।

VISION IAS

वाणिज्यिक कोयला खनन में चुनौतियां

- **नीलामी प्रक्रिया के लिए प्रतिबंधात्मक मानदंड:** बोली लगाने वालों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण विगत दो नीलामी-प्रक्रियाओं को निरस्त करना पड़ा था क्योंकि निजी उद्योग निर्धारित मानदंडों के प्रति उदासीन बना रहा।
- **भूमि अधिग्रहण में विलंब, राज्य एवं केंद्र सरकार के स्तर पर बहुविध स्वीकृतियाँ प्राप्त करने** के साथ-साथ कोयला परिवहन से संबंधित समस्याओं जैसे कारक स्थिर या गिरते कोयला उत्पादन और उपभोग के लिए उत्तरदायी हैं। CIL को उपर्युक्त कारकों के सन्दर्भ में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने का लाभ मिला था। इन समस्याओं का समाधान किए बिना, वाणिज्यिक खनन के माध्यम से कोयला उत्पादन में वृद्धि के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं।
- **उत्पादन लागत में वृद्धि:** जैसा कि CIL द्वारा अनुमान लगाया गया है, तकनीकी और आर्थिक रूप से केवल 21 बिलियन टन का ही निष्कर्षण किया जा सकता है। इस प्रकार, भारत में आगामी कुछ वर्षों में 300 मीटर की गहराई तक सरलता से निष्कर्षित करने योग्य कोयला समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह होगा कि कंपनियों को और अधिक गहराई तक खनन करना होगा, जिसके लिए उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के साथ-साथ वर्धित मशीनीकरण की आवश्यकता होगी।
- **नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना:** वर्तमान समय में प्रौद्योगिकियों में निवेश और भौतिक परिसंपत्तियों एवं क्षमता सृजन के संदर्भ में नवीकरणीय संसाधनों को अपनाया जा रहा है। ऐसे परिदृश्य में निवेशकों को आकर्षित करना कठिन है।
- **संकुचित एवं अनिश्चित बाजार:** पूर्व के उद्योगों, रेलवे, रक्षा, विद्युत आदि में कोयला उद्योग के लिए बड़े बाजार के मुकाबले, वर्तमान में बाजार केवल विद्युत और सीमेंट क्षेत्रकों तक ही सीमित हो गया है। जब तक निजी निवेशक कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के साथ गठबंधन करने में सक्षम नहीं होंगे, उनके लिए अनिश्चित बाजार में उद्यम स्थापित करने की संभावना अति निम्न होगी।
- कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए असेंडिंग फ़ॉरवर्ड ऑक्शन रूट (ascending forward auction route) अपनाए जाने की अपेक्षा है जिसमें कंपनियां राज्य सरकार को राजस्व के रूप में वास्तविक उत्पादन पर बोली मूल्य का भुगतान करेंगी। जहां निजी अभिकर्ता नीलामी की कीमत कम रखना चाहेंगे, वहीं सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए उच्च बोली मूल्य को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसका आशय है कि वाणिज्यिक खनन से कोयले की कीमत में आवश्यक रूप से कमी नहीं होगी।
- कोयले की अंतिम लागत के अंतर्गत **कर, शुल्क, उपकर और परिवहन प्रभार** सम्मिलित होते हैं; विगत कुछ वर्षों से इनमें से प्रत्येक घटक में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए, भले ही व्यावसायिक खनन के कारण उत्पादन की वास्तविक लागत में कमी आए, लेकिन उपभोक्ता तक कोयले के वितरण से संबंधित शुद्ध लागत के अत्यधिक प्रभावित होने की संभावना नहीं है।
- **स्वतंत्र नियामक का अभाव:** कोयला क्षेत्रक के लिए, स्वतंत्र विनियमन से संबंधित किसी प्रकार की संरचना उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, वाणिज्यिक खनन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने या उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कोई निवारण तंत्र विद्यमान नहीं है।

आगे की राह

- **निजी क्षेत्रक की प्रतिकूल स्थिति को समाप्त करना:** इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों को किए जाने वाले सीधे कोयला आबंटन को समाप्त करना होगा।
    - भूमि अधिग्रहण के मामले में निजी कंपनियों को समान अधिकार देने हेतु **कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957** में संशोधन किया जाना चाहिए।
    - इसके अतिरिक्त, **'खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम'** और '**कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम'** के वैसे प्रावधान जो सरकारी कंपनियों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।
- **नियामकीय निकाय:** कोयला ब्लॉक को चिन्हित करने, निवेश की निगरानी करने और साथ ही मूल्यांकन करने हेतु एक स्वतंत्र नियामकीय निकाय की आवश्यकता है।
    - **हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय** (जो कोल-बेड मीथेन से संबद्ध बोली प्रक्रिया का संचालन करता है), को कोयले की नीलामी प्रक्रिया के लिए भी उपयुक्त रूप से सशक्त किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि अमेरिका में भी एकल ऊर्जा नियामक विद्यमान है।
- **विपणन लिंकेज:** कोयले के लिए कार्यात्मक बाजार की आवश्यकता है, ताकि कुशल उत्पादक प्रभावी मांग के अनुसार लाभप्रद ढंग से अपनी आपूर्ति में वृद्धि कर सकें।

3.8. औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक (Code on Industrial Relations Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा में **"औद्योगिक संबंध संहिता** विधेयक, **2019"** को पुरःस्थापित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- श्रम मंत्रालय ने **44** श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समाहित करने का निर्णय लिया है। ये चार संहिताएँ अग्रलिखित हैं: मजदूरी, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां (कार्यदशा), सामाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिक संबंध।
  - **मजदूरी संहिता:** इसे पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
  - **उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code):** इसे लोकसभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है और स्थायी समिति को संदर्भित किया गया है।
  - **सामाजिक सुरक्षा पर संहिता:** इसे लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया है।
  - **औद्योगिक संबंध संहिता:** इसे भी लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया है।
- **औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता** के तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; व्यापार संघ अधिनियम, 1926; और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 को एकीकृत किया गया है।
- इसका उद्देश्य इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार लाने के लिए श्रम बाजार को अधिक से अधिक लचीला बनाना और श्रम मामलों में अनुशासन स्थापित करना तथा साथ ही उद्यमियों को श्रम गहन क्षेत्रों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

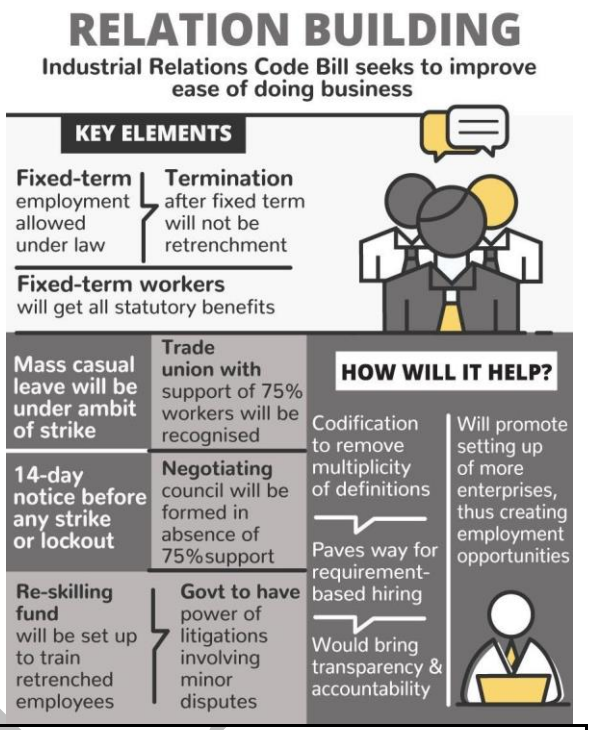

मुद्दे

- **प्रवासी श्रमिकों के लिए अपर्याप्त प्रावधान:** वर्ष 2016 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 10 करोड़ प्रवासी श्रमिक थे, जो कुल श्रमबल का लगभग 20 प्रतिशत थे। उनकी चिंताओं और आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से इस संहिता में शामिल नहीं किया गया है।
- **छंटनी की शर्तों के संबंध में स्पष्टता का अभाव:** यह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के दौरान अनिश्चितता और विवेकाधीन व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है।
- **ठोस ढंग से मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया है:** जैसा कि आलोचकों का आरोप है कि इस संहिता का उद्देश्य दोनों पक्षों का एक प्रकार से तुष्टिकरण करना है, लेकिन वास्तव में दोनों में से किसी को भी राहत प्रदान नहीं की गई है।
  - उदाहरणार्थ - श्रमिक की परिभाषा, जिसके तहत स्पष्ट रूप से प्रशिक्षु को बाहर रखा गया है तथा इसी प्रकार, भिन्न-भिन्न प्रावधानों को लागू करने की भिन्न-भिन्न तिथियां तथा अपवर्जन खंड वस्तुतः संहिताकरण और सरलीकरण की मूल भावना के विरूद्ध हैं।
- **रक्षोपायों की आवश्यकता:** जैसे कि फिक्स्ड टर्म (निश्चित अवधि) वाले रोजगार की स्थिति में, अन्यथा यह स्थायी रोजगार को निश्चित अवधि के रोजगार में रूपांतरण को प्रोत्साहित करेगा।

इस संहिता का महत्व

- **वैश्विक मानकों के समतुल्य:** चूंकि अब भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, इसलिए सभी को एक समान आधार उपलब्ध होना चाहिए। यह संहिता व्यावसायिक व्यवहार्यता की स्थिति में यथासंभव रोजगार को संरक्षण प्रदान करेगी।
- **नियोक्ता एवं कर्मचारियों की चिंताओं को संतुलित करता है:** विधेयक के पूर्व के प्रारूप का ट्रेड यूनियनों द्वारा विरोध किया गया था, जिसमें छंटनी के लिए सरकारी अनुमति हेतु **300** कर्मचारियों की सीमा निर्धारित की गई थी। इसके विपरीत इस आवश्यक सीमा को **100** कर्मचारियों तक अपरिवर्तित रखा गया है।
  - यह संहिता छँटनी किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए **"पुन: कौशल निधि"** (re-skilling fund) की स्थापना का प्रस्ताव करती है। छंटनी के 45 दिनों के भीतर जिन कर्मचारियों की छंटनी की गयी है, उन्हें इस निधि के माध्यम से 15 दिनों के वेतन का भुगतान किया जाएगा।
  - औद्योगिक प्रतिष्ठान को छंटनी किए गए प्रत्येक कर्मचारी के लिए इस निधि में 15 दिनों के वेतन के बराबर राशि या ऐसे अन्य दिनों के समान राशि का अंशदान करना होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- **फ्लेक्सिबिलिटी (लोचशीलता) के साथ सुधारों को संतुलित करना:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सभी राज्यों को केंद्रीय कानून का अनुपालन करने के लिए अपनी विधानसभाओं की स्वीकृति प्राप्त न करनी पड़े, सरकार ने इस हेतु रक्षोपाय प्रदान किए हैं कि कुछ प्रावधान राज्यों द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर अधिभावी नहीं होंगे।

VISION

- **निश्चित अवधि (फिक्स्ड टर्म) के रोजगार का एक समान अनुप्रयोग:** केंद्र सरकार ने प्रशासनिक नियमों के बजाय श्रम कानून के भाग के रूप में निश्चित अवधि के रोजगार को प्रस्तावित किया है, ताकि इसे संपूर्ण देश में लागू किया जा सके।
    - **निश्चित अवधि के रोजगार** का अर्थ है कि किसी श्रमिक को सीजन (मौसम) और ऑर्डर के आधार पर किसी भी अवधि, तीन महीने या छह महीने या वर्ष भर के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
    - वर्तमान में, कंपनियां ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंध श्रमिकों को नियुक्त करती हैं। अब वे उद्योग की मौसमी प्रकृति के आधार पर अनुबंध की अवधि में संशोधन करने के साथ श्रमिकों को निश्चित अवधि के अनुबंध के अंतर्गत सीधे नियुक्त कर सकेंगी।
    - अनुबंध की अवधि के दौरान इन श्रमिकों के साथ नियमित श्रमिकों के समान व्यवहार किया जाएगा। इससे कंपनियों के लिए श्रमिकों को नियोजित करने और निकालने (hire and fire) की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
- **बेहतर औद्योगिक संबंध:** उचित संख्या में आकस्मिक अवकाश और ट्रेड यूनियनों की बहुमत-आधारित मान्यता के प्रावधानों के द्वारा बेहतर औद्योगिक संबंध सुनिश्चित किए जा सकते हैं। इससे श्रम की उत्पादकता में भी सुधार हो सकता है।
- **मामलों का त्वरित निपटान:** क्योंकि यह संहिता दो सदस्यीय अधिकरण (एक सदस्य के स्थान पर) की स्थापना का भी प्रावधान करती है जिसमें महत्वपूर्ण मामलों का संयुक्त रूप से और शेष का एकल सदस्य द्वारा न्यायनिर्णय किया जाएगा।
    - इसके अतिरिक्त, इसने सरकारी अधिकारियों को विवादों के न्यायनिर्णयन की शक्ति प्रदान की है, जिसमें जुर्माने के रूप में अर्थदंड आरोपित करना भी सम्मिलित होगा। इससे अधिकरणों पर कार्यभार में कमी हो सकेगी।

3.9. स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति (Steel Scrap Recycling Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस्पात मंत्रालय ने **'स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति'** ज़ारी की है।

'स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति' की आवश्यकता

- **उपयोगी अपशिष्ट:** 'स्टील स्क्रैप एक पुनर्चक्रण योग्य सामग्री होती है जो इस्पात विनिर्माण या उत्पादन (फैब्रिकेशन) या उत्पाद की उपयोग अवधि समाप्त होने के पश्चात् शेष रह जाती है।
    - स्टील स्क्रैप इस विशेषता के कारण विशिष्ट होता है कि यह 100 प्रतिशत पुनर्चक्रण योग्य होता है। इसे कई बार उपयोग, पुनर्प्रयोग तथा पुनर्चक्रित किया जा सकता है।
    - लौह अयस्क, इस्पात बनाने का जहां प्राथमिक स्रोत बना हुआ है वहीं स्टील स्क्रैप, इस्पात उद्योग के लिए दूसरा कच्चे माल का स्रोत है।
- **स्क्रैप उद्योग को विनियमित करना:** असंगठित स्क्रैप पुनर्चक्रण क्षेत्रक को उद्योग/अवसंरचना का दर्ज़ा प्रदान करने हेतु हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि स्क्रैप के संचयन तथा उसके प्रसंस्करण के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी मानकों और वैधानिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
    - सुरक्षित विखंडन से संबंधित नीतियों का कदाचित ही अनुसरण किया जाता है तथा अपशिष्ट सामग्री के सुरक्षित निस्तारण से संबंधित आवश्यक अवसंरचना में न्यूनतम निवेश हुआ है।
- **इस्पात उत्पादन में सुधार तथा आयात व्यय में कमी करना:** वर्तमान में घरेलू असंगठित स्क्रैप उद्योग द्वारा 25 मीट्रिक टन तथा आयात द्वारा 7 मीट्रिक टन स्क्रैप की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में आयात किए जा रहे 7 मीट्रिक टन स्क्रैप को घरेलू बाज़ार से ही प्राप्त किए जा सकने की पूर्ण संभावना है।
    - इस समय जापान, सयुंक्त राज्य अमेरिका तथा चीन जैसे मुख्य इस्पात उत्पादक देश प्राथमिक स्रोत आधारित इस्पात उत्पादन में कमी कर स्क्रैप आधारित इस्पात उत्पादन में सतत रूप से वृद्धि कर रहे हैं।
    - राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 (NSP-2017) का लक्ष्य भी वर्ष 2030 तक 300 मिलियन TPA इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त कर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग विकसित करना है।
    - **प्रति व्यक्ति बढ़ती हुई इस्पात खपत** (वर्ष 2004 के लगभग 33 कि.ग्रा. से बढ़कर लगभग 60 कि.ग्रा. हो गई है) **के कारण अधिक मात्रा में स्क्रैप प्राप्त करने की आवश्यकता है।**
- **पर्यावरण संबंधी लाभ:** पुनर्चक्रण योग्य इस्पात में लौह अयस्क से इस्पात उत्पादन करने की तुलना में 56 प्रतिशत कम ऊर्जा की खपत होती है तथा CO_2 के उत्सर्जन में 58 प्रतिशत की कमी आती है।

VISION IAS

इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया

- **वात्या भट्ठी (Blast Furnace: BF)-बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (Basic Oxygen Furnace: BOF):** अधिकाँश बड़े इस्पात उत्पादकों द्वारा BF-BOF का उपयोग किया जाता है। वात्या भट्ठियां लौह अयस्क को तप्त धातु (तत्पश्चात उन्हें द्रव अवस्था से इस्पात के रूप में प्रसंस्कृत किया जाता है) या पिग-आयरन (ठोस होने पर) में परिवर्तित कर देती हैं।
- **इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (Electric Arc Furnace):** इस भट्ठी को 100 प्रतिशत स्क्रैप को इनपुट धातु के रूप में चुनापत्थर तथा डोलोमाइट के साथ उपयोग कर परिचालित किया जा सकता है, जिससे स्लैग का निर्माण होता है। यह लौह अयस्क का उपयोग कर प्राथमिक स्टील निर्माण के मुकाबले कम ऊर्जा की खपत करता है।
- **इंडक्शन फर्नेस (Induction furnace: IF):** आरम्भ में, स्टेनलेस स्टील स्क्रैप को पिघलाने के लिए IFs का प्रयोग किया जाता था। अस्सी के दशक के मध्य से इन भट्ठियों (फर्नेस) का उपयोग हल्के इस्पात के उत्पादन के लिए किया जाता है। IF सर्वाधिक कम लागत वाली तकनीकों में से एक है किन्तु इसमें इस्पात के परिशोधन की प्रक्रिया का अभाव है।

इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति की प्रमुख विशेषताएं

- **पर्यावरण अनुकूल:** यह संगठित, सुरक्षित तथा पर्यावरण के लिए अनुकूल पद्धति से उत्पादों के संचयन, प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है।
    - इस नीति में ऐसी कार्य प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है जिससे **"खतरनाक और अन्य कचरा (प्रबंधन और सीमापार परिवहन) नियम, 2016"** (Hazardous & Other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016) का अनुपालन करते हुए विखंडन व श्रेडिंग संयंत्रों (shredding facilities) से उत्पन्न अपशिष्ट तथा अपशिष्ट प्रवाहों के शोधन का निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन:** इस नीति का लक्ष्य स्टील क्षेत्रक में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। स्टील स्क्रैप को पुनर्चक्रित कर उच्च गुणवत्तायुक्त स्टील का उत्पादन किया जाएगा। इसका अन्य उद्योगों यथा उपकरणों के निर्माण, ऑटोमोबाइल तथा अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योग में उपयोग किया जा सकता है।
- **उच्च गुणवत्तायुक्त स्टील:** स्क्रैपिंग नीति में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण स्क्रैप, स्टील उद्योग के लिए उपलब्ध हो। यदि गुणवत्तापूर्ण स्क्रैप को विद्युत् भट्ठी में चार्ज (ईंधन) के रूप में प्रदान किया जाता है तो भट्ठियां हाई ग्रेड स्टील का उत्पादन कर सकती हैं।
- **प्राधिकृत स्टील स्क्रैपिंग केंद्र:** यह प्राधिकृत केन्द्रों के माध्यम से गैर-लौह स्क्रैप सहित सभी पुनर्चक्रण योग्य स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के माध्यम से 6R (रिड्यूस, रियूज, री-साईकिल, रि-कवर, रि-डिजाइन और रि-मेन्युफैक्चर) सिद्धांत को बढ़ावा देती है।
- **हब एंड स्पोक मॉडल:** स्क्रैप एकत्रित करने संबंधी मुद्दे के समाधान तथा पर्यावरणीय एवं वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्रक को पुनर्गठित करने हेतु एक हब एंड स्पोक मॉडल का सुझाव दिया गया है।
    - **4+1 हब एंड स्पोक मॉडल** की स्थापना की जाएगी, जहाँ 4 संग्रहण तथा विखंडन केंद्र, एक स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्र को आपूर्ति करेंगे। इस प्रकार की मिश्रित इकाई के माध्यम से 400 नौकरियों का सृजन किया जा सकता है।
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति:** एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति की स्थापना की गयी है। इस्पात मंत्रालय के सचिव को इसका संयोजक (Convener) बनाया गया है तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH); भारी उद्योग विभाग (DHI); पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC); राजस्व विभाग और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिवों को इसके सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस समिति के अधिदेश निम्नलिखित हैं:
    - एक संगठित स्टील स्क्रैपिंग पारितंत्र के निर्माण हेतु आवश्यक नीतिगत परिवर्तन करना; तथा
    - इस संदर्भ में प्रासंगिक कानूनों/नियमों के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन की निगरानी करना।

VISION IAS

4. सुरक्षा (Security)

4.1. देश में आतंकवाद-रोधी क़ानून (Anti-Terror Laws in the Country)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने 'गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण (Gujarat Control Of Terrorism And Organised Crime: GCTOC) विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- गुजरात विधान सभा द्वारा पारित इस विधेयक को वर्ष 2004 के पश्चात् से राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु तीन बार भेजा गया था, लेकिन विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण पूर्व में इसे वापस भेज दिया गया था।

आतंकवाद-रोधी कानून के सृजन की आवश्यकता

- **ऐसे कानून आतंकवाद-रोधी मूलभूत व्यवस्था को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं,** जिसमें निम्नलिखित तीन प्रमुख तत्व शामिल हैं:
  - आतंकवाद के सभी पहलुओं को शासित करने वाला एक **कानून;**
  - समयबद्ध तरीके से आतंकवाद के मामलों को सुलझाने के लिए **एकल जांच एजेंसी;** तथा
  - आतंकवाद से संबंधित **ख़ुफ़िया सूचनाओं की जांच, विश्लेषण और प्रसार** के लिए एक एजेंसी।
- **मौजूदा क़ानूनों में व्याप्त कमियां एवं अपर्याप्तता:** विगत वर्षों में, जहाँ एक ओर आतंकी घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ इनकी तीव्रता और भौगोलिक विस्तार में भी व्यापक वृद्धि हुई है तथा जिन्हें बाह्य कारकों द्वारा निरंतर बढ़ावा एवं सहयोग मिलता रहा है, वहीं दूसरी ओर सामान्य कानूनों में व्याप्त कमियों के चलते ऐसी घटनाओं को कानून एवं व्यवस्था से संबद्ध कर निपटने की प्रवृत्ति विद्यमान रही है, जिसके कारण ये कानून अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं।
- **आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु:** ऐसे कानून प्रभावी रूप से आतंकवादी समूहों के संचालन स्थलों और गतिशीलता को सीमित कर सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों के निष्पादन को प्रतिबंधित करने में सक्षम होंगे।
  - **संघीय ढांचे में मौजूदा अंतराल को कम करने हेतु:** जांच एजेंसियों के मध्य अंतर-प्रचालन (inter-operability) को सुनिश्चित करने के लिए, जो राज्य सरकारों के साथ-साथ संघ सरकार के नियंत्रणाधीन हैं।
  - **सीमा-पार आतंकवाद से निपटने के संबंध में:** विदेशों में स्थित आतंकी केंद्रों से संबद्ध साक्ष्यों को जुटाने पर विशेष ध्यान केन्द्रन।
- **आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता हेतु:** जिसमें इसकी परिभाषा, कार्यप्रणाली, साक्ष्य और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनका आतंकवाद से निपटने के दौरान पालन किया जा सकता है।

इसके परिणामस्वरूप विगत वर्षों में आतंकवाद-रोधी विभिन्न कानून अस्तित्व में आए, जिनका वर्णन नीचे बॉक्स में किया गया है।

देश में आतंकवाद-रोधी प्रमुख विधायी संरचना का विकास

- आरंभ में, भारत में आतंकवाद की घटनाओं को आम तौर पर **कानून और व्यवस्था** का विषय मानते हुए संबंधित मौजूदा कानूनों की मदद से उनसे निपटा जाता था। इसलिए ऐसे मामलों की जांच एवं अभियोजन हेतु **भारतीय दंड संहिता, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम** और ऐसे अन्य कानूनों में उल्लिखित दंडात्मक प्रावधानों का अनुपालन किया जाता था, जबकि क़ानूनी प्रक्रियाओं में **आपराधिक प्रक्रिया संहिता** के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता था।
- **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967:** गैर-कानूनी गतिविधियों को शामिल करते हुए इसे सामान्य कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था।
  - हालांकि, पोटा (Prevention of Terrorism Act: POTA) अधिनियम के निरस्त होने के बाद, इसे वर्ष 2008 में 'आतंकवादी गतिविधियों' को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था।
  - सामयिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए **आर्थिक** और **वित्तीय अपराधों** को शामिल करने हेतु इसे वर्ष 2013 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत के बाहर की जाने वाली आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी अभियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है।
- **आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम {Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act: TADA}, 1985:** वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि में इसे अधिनियमित किया गया था। यह वर्ष 1995 तक लागू रहा और फिर दुरुपयोग के गंभीर एवं व्यापक आरोपों के कारण इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।
- **आतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA), 2002:** इसे वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के पश्चात् अधिनियमित किया गया था। हालांकि, यह राजनीतिक रूप से विवादित विषय बना रहा और कथित रूप से मानवाधिकार के व्यापक उलंघन के कारण इसे

VISION IAS

गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यह क़ानून बहुत कम समय तक अस्तित्व में रहा तथा वर्ष 2004 में इसे निरस्त कर दिया गया।

- पोटा के निरस्त होने के बाद, किसी भी अदालत को पोटा के तहत (इस अधिनियम की समाप्ति के एक वर्ष के पश्चात्) किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति नहीं थी।

- **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (Armed Forces Special Power Act: AFSPA):** भारत के कुछ क्षेत्रों में उग्रवाद की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए इसे अधिनियमित किया गया था। इस कानून के तहत कुछ क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां यह अधिनियम सशस्त्र बलों को कुछ अतिरिक्त शक्तियों के साथ विशेष कार्यवाही के लिए, विधिक उन्मुक्तियां प्रदान करता है।
  - हालांकि, सामान्य शब्दों में, AFSPA को आतंकवाद-रोधी विशिष्ट कानून के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, अपितु यह अशांत क्षेत्रों में विशेष स्थितियों से निपटने हेतु सशस्त्र बलों के लिए एक सक्षमकारी प्रावधान है।

आतंकवाद-रोधी कानूनों के विकास के पीछे कारक

- **असंबद्धता और दुरुपयोग:** आतंकवाद-रोधी कानूनों को जल्दबाजी में अधिनियमित किए जाने के कारण व्यापक असंगति देखने को मिली है, जहाँ ऐसे कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रयुक्त भाषा में मामूली बदलाव किए जाने एवं उनके अनपेक्षित परिणामों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था।
  - TADA और POTA के दुरुपयोग तथा इनके नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किए बिना कई अन्य राज्यों द्वारा ऐसे समान कानून अधिनियमित किए गए हैं, इस प्रकार उनके दुरुपयोग संबंधी जोखिमों में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप उनमें संशोधन और बदलाव हुए हैं।
- **न्यायिक संवीक्षा:** न्यायालय इस तथ्य को स्वीकार करता है कि आतंकी गतिविधि एक **'असाधारण अपराध'** है, इसलिए न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक के व्यक्तिगत मानवाधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए नए विधानों/कानूनों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं और कार्यवाही की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करता रहा है।
  - न्यायालयों द्वारा प्रदत्त **न्यायिक दिशा-निर्देशों और सिफारिशों** के आधार पर, कुछ केंद्रीय और राज्य विधानों को अधिनियमित किया गया तथा आतंकवाद और संबंधित मुद्दों से निपटने हेतु मौजूदा कानूनों में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।
- **भारतीय संघवाद की जटिलताएँ:** विभिन्न राज्यों के कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा है और इसी तरह, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (National Counter Terrorism Centre) के सृजन संबंधी कानूनी प्रयासों को राज्य सरकारों द्वारा विफल कर दिया गया।

हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि हाल के दशकों में आतंकवाद की प्रकृति और आतंकवाद से निपटने के प्रयासों में बदलाव आया है, फिर भी व्यापक स्तर पर यह देखा गया है कि TADA के बाद से आतंकवाद से संबंधित विधियों की भाषा और संरचना में **कुछ आधारभूत विधिक दृष्टिकोण** का अनुपालन किया गया है।

आतंकवाद से निपटने हेतु राज्यों में पृथक कानून क्यों?

केंद्रीय विधानों (ऊपर बॉक्स में उल्लिखित) के बावजूद, आतंकवाद से निपटने के लिए अलग-अलग राज्यों ने अपने पृथक कानून निर्मित किए हैं। इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं:

- **संवैधानिक सामर्थ्य:** विधि निर्माण हेतु राज्य विधान-मंडलों को भी संविधान द्वारा सशक्त किया गया है। यही कारण है विभिन्न राज्यों में आतंकवाद-रोधी पृथक कानूनों का अस्तित्व है, क्योंकि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत **पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था** का उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा गया है।
- **संघीय कानूनों के मध्य विधायी अंतराल:** वर्ष 2004 में POTA के निरसन और वर्ष 2008 में UAPA को संशोधित करने के मध्य चार वर्षों का एक दीर्घ अंतराल मौजूद था। इस अवधि के दौरान भारत में आतंकवाद-रोधी कोई विशेष संघीय कानून उपस्थित नहीं था, परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को वैकल्पिक सक्षम कानूनों को अधिनियमित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- **सीमा प्रबंधन:** अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले राज्यों, यथा- गुजरात एवं जम्मू-कश्मीर (वर्तमान में संघ-शासित प्रदेश) और पूर्वोत्तर के राज्यों को सीमा-पार आतंकवाद से निपटने के लिए GCTOC, AFSPA जैसे अधिक कठोर कानूनों की आवश्यकता पड़ती रही है।
- **राज्य आधारित समस्याएं:** जैसे कि महाराष्ट्र एवं अरुणाचल प्रदेश में अंडरवर्ल्ड और संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क की उपस्थिति के कारण संगठित अपराध के खिलाफ MCOCA (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) व APCOCA (अरुणाचल प्रदेश कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) जैसे क़ानूनों का सृजन करना पड़ा।

निष्कर्ष

आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनाए जाने की आवश्यकता है, जहां संघीय एवं राज्य विधान दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

VISION IAS

4.2. बोडोलैंड विवाद: NDFB पर आरोपित प्रतिबंध की अवधि में वृद्धि (The Bodoland Dispute: Ban on NDFB extended)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967** के प्रावधानों के तहत नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) पर लागू प्रतिबंधों को और पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 1986 में गठित NDFB, एक **नृजातीय विद्रोही संगठन** है, जो असम में बोडो नृजातीय समूह के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग करता है।
- **यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA)** के साथ भी इसके घनिष्ठ संबंध हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, NDFB, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है तथा यह अवैध एवं हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है, जैसे- जबरन वसूली, आतंकवाद, भारत विरोधी ताक़तों से सहायता प्राप्त करना, नृजातीय हिंसा, अलगाववादी गतिविधियों में संलग्नता आदि।

बोडोलैंड के बारे में

- यह असम के **बोडो** नामक एक **आदिवासी समुदाय** द्वारा की जाने वाली एक अलग राज्य की मांग को संदर्भित करता है। बोडो समुदाय की संख्या, असम की जनसंख्या का 5-6 प्रतिशत है।
- बोडोलैंड के तहत असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ बैंक के उत्तर में अवस्थित क्षेत्र (भूटान और अरुणाचल प्रदेश के गिरिपाद तक) शामिल हैं।

बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (Bodoland Territorial Council: BTC)

- इसे **बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (BTAD)** में 40 से अधिक नीतिगत क्षेत्रों में विधायी, प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- **BTAD** के अंतर्गत असम के चार जिले **(कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदलगुरी)** शामिल हैं।
- यह **भारतीय संविधान की छठी अनुसूची** के प्रावधानों के तहत कार्य करता है।

बोडोलैंड विवाद का विकासक्रम

- **1929:** बोडो नेता गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ने साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपते हुए विधान सभा में आरक्षण और अपने लोगों के लिए एक अलग राजनीतिक इकाई के निर्माण हेतु मांग की थी। हालाँकि, उनका यह प्रयास असफल रहा।
- **1960 और 1970 का दशक:** बोडो-आबादी बहुल क्षेत्रों पर आप्रवासियों द्वारा अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए बोडो और अन्य जनजातियों द्वारा **'उदयाचल'** के रूप में एक अलग राज्य की माँग की गई थी। हालाँकि, यह मांग **प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम** (एक राजनीतिक संगठन) के तत्वावधान में उठाई गई थी।
- **1980 के दशक का उत्तरार्ध: ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU)** द्वारा असम को विभाजित (50-50) करने की मांग की गयी थी। हालांकि, ABSU द्वारा शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया गया था।
- इसी दौर में **बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स (BLT)** और **NDFB** जैसे **सशस्त्र अलगाववादी समूहों** का उदय हुआ था।
- **फरवरी 1993:** केंद्र, असम सरकार और ABSU द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके पश्चात् **बोडोलैंड स्वायत्त परिषद (Bodoland Autonomous Council: BAC)** का गठन किया गया। हालांकि, समझौते के विभिन्न प्रावधानों को लागू नहीं करने के कारण BAC अपने गठन के उदेश्यों की प्राप्ति में विफल रही।
- **फरवरी 2003:** केंद्र, असम सरकार और BLT के मध्य हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के उपरांत **बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC)** का गठन किया गया तथा BLT को भंग कर दिया गया।
- **वर्ष 2005:** NDFB समूह द्वारा युद्ध-विराम (असम सरकार और केंद्र के साथ) की घोषणा की गई। इस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, यह समूह तीन गुटों में विभाजित हो गया। उन गुटों में से एक, NDFB (S) द्वारा हिंसक हमलें किए जाते रहे हैं।

VISION IAS

मांग के कारण

- **बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध आप्रवासन:** इसने बोडो समुदाय के सम्मुख निम्नलिखित चुनौतियों को प्रस्तुत किया है-
  - **बदलता जनसांख्यिकी:** यह उन्हें अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक समुदाय में परिवर्तित कर सकता है।
  - **मतदाता सूची में अवैध आप्रवासियों को शामिल करना:** इसे एक बाहरी समूह को सशक्त बनाने के लिए जानबूझकर किए गए कृत्य के रूप में देखा जाता है, ताकि बोडो अपनी राजनीतिक शक्ति खो दें।
- **विशिष्ट भाषा और संस्कृति की क्षति संबंधी जोखिम:** जबरन आत्मसात कराए जाने के कारण।
- **बढ़ता असंतोष:** हाल के वर्षों में BTAD में अल्पसंख्यक समुदायों के राजनीतिक सशक्तीकरण के कारण।
- **BTC की विफलता:** कमजोर प्रशासनिक संस्थाओं और BTC के सदस्यों की विभाजनकारी राजनीति के कारण भी उनकी असुरक्षा को बढ़ावा मिला है।

आगे की राह

- सरकार को संविधान की छठी अनुसूची के आधार पर असम में स्थापित स्वायत्त एवं प्रशासनिक प्रभागों को मजबूत करना चाहिए।
- स्थानीय लोगों के लिए कम्प्यूटरीकृत और पहुंच योग्य भूमि रिकॉर्ड प्रणाली स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे बाह्य लोगों के कारण उत्पन्न होने वाली भूमि अतिक्रमण की आशंका को समाप्त किया जा सके।
- नृजातीय हिंसा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में राज्य नागरिक प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों दोनों की उपस्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।
- सरकार को इस क्षेत्र के अन्य आर्थिक क्षेत्रों, जैसे- कृषि आधारित उद्योगों के विकास, पर्यटन और जलविद्युत आदि के सुधार के लिए उपाय करना चाहिए।
- उनकी भाषा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली के वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न स्रोतों पर परिचर्चाएँ पुनः आरंभ हुई हैं।

भूमिका

- वायु प्रदूषण में वृद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया है।
- प्रतिवर्ष शीतकाल (विशेष रूप से नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी के महीनों में) के आगमन के साथ ही, वायु प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच जाता है। जब वायु प्रदूषण का स्तर निर्दिष्ट मानदंडों से अत्यधिक हो जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए प्रदूषण संबंधी खतरनाक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के पाँच प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:

- **वाहन:** प्रदूषणकारी वाहनों, जैसे- ट्रक और डीजल वाहनों के साथ ही स्वच्छ ईंधन एवं विकसित उत्सर्जन प्रौद्योगिकी को न अपनाने वाले वाहनों की बढ़ती संख्या।
- **विद्युत संयंत्रों एवं उद्योगों** में पेट कोक, कोयला और बायोमास जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों का **दहन करना।**
- ऐसे अपशिष्ट भराव स्थलों (landfills) तथा अन्य स्थानों पर जहां पर संग्रह, प्रसंस्करण या निपटान की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां पर **अपशिष्ट को जलाना।**
- **धूल कण:** सड़कों, निर्माण स्थलों आदि पर विद्यमान धूल कण, जो कणीय प्रदूषण (particulate pollution) में योगदान देता है।
- **फसल अवशेषों (पराली) का दहन,** क्योंकि किसानों के पास पुआल को जलाने के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस विकल्प विद्यमान नहीं है।

प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण

- **प्रमुख प्रदूषण कारक: पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल अवशेषों (पराली) का दहन**
  - शीतकाल के आगमन से पूर्व इन राज्यों में धान की कटाई की जाती है। धान की जब हाथ से कटाई की जाती है, तो इसकी भूमि के अत्यंत निकट से कटाई की जाती है। हालांकि, घटती श्रम आपूर्ति, मजदूरी में वृद्धि एवं सब्सिडी जैसे कारकों ने मशीनीकरण के स्तर तथा हार्वेस्टर की बिक्री में वृद्धि की है। **कंबाइन हार्वेस्टर से अपेक्षाकृत अधिक फसल अवशेष शेष रह जाते हैं। हालाँकि, अन्य बेहतर मशीनें भी उपलब्ध हैं, परंतु उनका उपयोग अत्यंत सीमित है।**
  - वर्ष 2009 में पंजाब सरकार ने **"पंजाब प्रिज़र्वेशन ऑफ सबसॉयल वॉटर एक्ट, 2009"** लागू किया। इस अधिनियम ने इस समस्या में और अधिक वृद्धि की है। इस अधिनियम के अनुसार, किसान अब अप्रैल में चावल की बुवाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऐसा करने के लिए उन्हें जून के मध्य (अधिसूचित तिथियों) तक प्रतीक्षा करनी होती है। **हरियाणा ने भी पंजाब का अनुसरण किया** है तथा ऐसा ही एक कानून पारित किया है। इस प्रकार **धान की बुवाई एवं कटाई के चक्र को कृत्रिम रूप से लगभग 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया** है। इस प्रकार वर्ष 2009 से, किसानों के पास गेहूं की बुवाई के लिए अपनी भूमि को तैयार करने हेतु **मात्र 15 दिन** शेष रह जाते हैं।
  - मशीनीकरण के कारण फसल अवशेषों में वृद्धि तथा जून के मध्य के बाद ही चावल की बुवाई की अनुमति देने की सरकार की नीति, दोनों कारक एक साथ मिलकर दिल्ली की वायु के लिए एक **घातक संयोजन** सिद्ध हो रहे है। किसानों के पास अगली फसल की बुवाई हेतु मात्र 15 दिनों का समय शेष होता है, अतः वे फसल अवशेष का दहन करने हेतु बाध्य होते हैं।
    - **पवन प्रतिरूप:** अधिकांशतः समय दिल्ली में पवन का प्रवाह उत्तर-पश्चिम दिशा से होता है और कभी-कभी पवन का प्रवाह पश्चिम दिशा से होता है। चूंकि यह पवन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों के ऊपर से होकर प्रवाहित होती है, अतः दिल्ली में प्रवेश करने से पूर्व यह प्रमुख स्रोतों (जैसे- फसल अवशेष के दहन) और दीर्घावधिक उत्सर्जन स्रोतों से प्रदूषकों को ग्रहण करती है तथा उन्हें अपने साथ प्रवाहित करती है।

इस प्रकार, शीत ऋतु के दौरान पराली दहन दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का एक प्रमुख कारण है। हालांकि प्रदूषण में यह वृद्धि मुख्य रूप से एक अस्थायी वृद्धि है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट (TERI) तथा ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा किए गए **"स्रोत प्रभाजन अध्ययन 2018"** (source apportionment study 2018) के अनुसार पूरे शीतकाल (विशेष रूप से उन दिनों में जब पराली का दहन किया जाता है) के दौरान प्रदूषण के लिए उत्तरदायी विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं:

- **वाहन उत्सर्जन:** वर्ष 2018 में दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की संख्या लगभग 11 मिलियन थी। इनमें से **66 प्रतिशत दोपहिया वाहन, खराब उत्सर्जन मानकों के कारण प्रमुख वायु प्रदूषक के रूप में माने गए हैं।** इसके अतिरिक्त, 3.6 मिलियन से अधिक वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जो पुराने उत्सर्जन एवं प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों पर आधारित हैं।

VISION IAS

- **TERI के अध्ययन** से ज्ञात हुआ है कि वाहन प्रदूषण के कारण दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में **PM 2.5 का 28 प्रतिशत उत्सर्जन होता है।** दिल्ली के भीतर विद्यमान उत्सर्जन स्रोतों में, PM 2.5 उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी (39 प्रतिशत) है।
- **वर्ष 2015 में IIT कानपुर द्वारा किये गए सोर्स 'इन्वेंट्री एंड अपॉर्शन्मन्ट स्टडी'** में पाया गया है कि वाहन, वर्ष भर प्रदूषण के सबसे स्थायी एवं प्रमुख स्रोत हैं, जबकि अधिकांशत: अन्य स्रोत परिवर्तनशील हैं।

- **उद्योग:** दिल्ली-NCR में स्थापित लगभग 3,182 उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण के माध्यम से वायु गुणवत्ता को ख़राब करने में 18.6 प्रतिशत का योगदान करते हैं। **TERI के अध्ययन के अनुसार**, उद्योग PM 2.5 के स्तर में लगभग 30 प्रतिशत तक का योगदान करते हैं, जिसमें से लघु उद्योगों का योगदान 14 प्रतिशत है।
- **धूल:** IIT कानपुर के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि PM 10 के लिए मृदा एवं सड़क की धूल का योगदान शीतकाल के दौरान 14.4 प्रतिशत एवं ग्रीष्मकाल के दौरान 26.5 प्रतिशत होता है। इसी प्रकार, PM 2.5 के लिए यह शीतकाल के दौरान 4.3 प्रतिशत एवं ग्रीष्मकाल के दौरान 27.1 प्रतिशत होता है। धूलकण, मुख्य रूप से निर्माण स्थलों के साथ-साथ पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल से प्राप्त होती है।
- **नगरपालिका ठोस अपशिष्ट:** दिल्ली में प्रतिदिन 8,370 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है एवं औसतन 3,240 टन ठोस अपशिष्ट को उपचार संयंत्रों में भस्मीकृत किया जा रहा है। ताप विद्युत् संयंत्र और अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, दोनों अन्य अत्यधिक उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रों में सम्मिलित हैं, जो कुल प्रदूषण में 3.9 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- **ईंट के भट्टे:** दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों, जैसे- झज्जर, फरीदाबाद एवं गाजियाबाद में लगभग 360 ईंट भट्टे कार्यरत हैं। चूंकि, इन भट्टों का मुख्य कारोबारी समय दिसंबर से जून तक होता है, इसलिए शीतकाल के महीनों के दौरान इन ईंटों के भट्टों से होने वाले उत्सर्जन में भी वृद्धि हो जाती है।

दिल्ली NCR में उत्सर्जन के स्रोतों पर किए गए कुल 5 अध्ययन (CPCB 2010; IIT कानपुर 2015; TERI 2018; SAFAR 2018; गुट्टीकुंडा 2018) के आधार पर स्पष्ट होता है कि **परिवहन क्षेत्र PM 2.5 कणिकीय पदार्थों का सबसे बड़ा उत्सर्जक (17 प्रतिशत से 39.2 प्रतिशत) है तथा सड़क की धूल PM 10 कणों की सर्वाधिक प्रमुख योगदानकर्ता (35.6 प्रतिशत से 65.9 प्रतिशत) है।**

दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया जाता है,** जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियों के अनुसार प्रत्येक स्रोत हेतु चरणबद्ध उपाय सम्मिलित हैं।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)**, वर्ष 2024 तक **कणकीय पदार्थों की सांद्रता (PM10 & PM2.5)** को 20-30 प्रतिशत तक कम करने के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण पहल है। यह दिल्ली सहित एक देशव्यापी कार्यक्रम है।
- **भारत स्टेज-VI मानदंडों को अप्रैल 2020 से लागू करने के स्थान पर अप्रैल 2018 से ही लागू कर दिया गया।** दिल्ली BS VI ईंधन मानकों को लागू करने वाला **प्रथम** शहर बन गया है।
- उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में **हाइड्रोजन-सीएनजी (H-CNG) ईंधन से चलने वाली बसे** चलाने की योजना है।

प्रदूषण नियंत्रण उपायों की सीमित सफलता के कारण

- किसी भी प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में किए जाने वाले प्रयासों की सफलता हेतु एक **कुशल शासन तंत्र** की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से, EPCA द्वारा अधिसूचित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को कम से कम 16 विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उनमें से कुछ केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं, कुछ दिल्ली सरकार के अधीन हैं और कुछ पड़ोसी राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। सामान्य तौर पर, उनमें राजनीतिक एवं कार्यकारी स्तर पर समन्वय का अभाव है।
- **दिल्ली का वायु प्रदूषण एक क्षेत्रीय समस्या है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस (IIASS)** एवं **NEERI** (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) द्वारा किए गए एक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दिल्ली में लगभग 60 प्रतिशत PM 2.5 प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य उत्तरदायी हैं। ज्ञातव्य है कि क्षेत्रीय कारकों को ध्यान में रखे बिना किसी भी नीति के सफल होने की संभावना कम ही होती है। अंतर-एजेंसी प्रयासों को एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा नियंत्रित एवं समन्वित किए जाने की आवश्यकता है।
- **दिल्ली में उत्सर्जन के स्रोतों का पता लगाने की आवश्यकता है।** विगत एक दशक के दौरान प्रदूषण के स्रोतों को ज्ञात करने हेतु 16 अध्ययन किए गए हैं। यद्यपि सभी अध्ययनों में उत्सर्जन के स्रोत तो समान हैं परन्तु दिल्ली के प्रदूषण में विभिन्न स्रोतों के योगदान के संदर्भ में सभी अत्यधिक भिन्नता दर्शाते हैं। यह मौजूदा अध्ययनों की अविश्वसनीयता एवं सटीक अनुमान लगाने में कठिनाई दोनों विषयों को रेखांकित

VISION IAS

करता है। यह विभिन्नता आंशिक रूप से दिल्ली के जटिल मौसम विज्ञान और उत्सर्जन के स्रोतों की बदलती प्रकृति के कारण स्थानीय और कालिक दोनों स्तरों पर व्याप्त है।

- **अंत में, दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।** दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए आवश्यक बसों में से केवल आधी संख्या में ही बसें उपलब्ध हैं। इसका अर्थ यह है कि निजी वाहनों के उपयोग में निरंतर वृद्धि होने से वायु प्रदूषण की समस्या और अधिक बढ़ रही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को शहर में वायु प्रदूषण नियमों के अनुपालन को लागू करने का अधिकार है, लेकिन यह वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यबल की गंभीर कमी (1990 के बाद से लगभग तीन-चौथाई है) से ग्रस्त है। सार्वजनिक अवसंरचना सबंधी ये अंतराल शहर की बढ़ती वायु प्रदूषण समस्या को दूर करने की क्षमता में लोगों के विश्वास में कमी करता है।

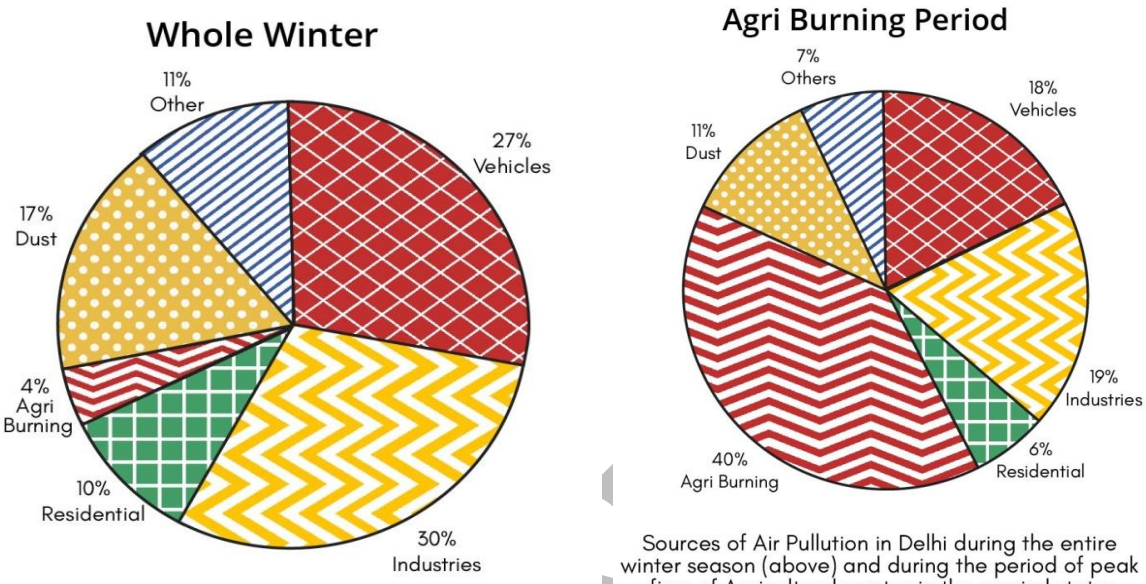

Sources of Air Pullution in Delhi during the entire winter season (above) and during the period of peak fires of Agricultural wastes in the upwind states

ऑड-ईवन स्कीम का आकलन

- दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ऑड-ईवन स्कीम लागू की है। हालांकि, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में इस नीति की उपयोगिता पर प्रश्न उठाया तथा प्रदूषण नियंत्रण पर इसके प्रभाव के संबंध में प्रासंगिक आकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
- ऑड-ईवन नीति का उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर वाहनों के उपयोग को कम करके प्रदूषण के स्तर को कम करना है। यद्यपि यह PM 2.5 के सर्वाधिक बड़े स्रोत को लक्षित कर रही है, किन्तु क्या यह इसका प्रभावी रूप से समाधान करने में सक्षम हो पा रही है? **पूर्व में लागू की गई ऑड-ईवन स्कीम के बारे में विभिन्न शोधों में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं।**

जर्नल/प्रकाशन/शोध	**परिणाम**
एनवायर्नमेंटल साइंस एंड पॉलिसी	दिल्ली के तीन स्थानों पर PM 2.5 के स्तर में 8-10 प्रतिशत तक की कमी हुई है लेकिन अन्य भागों में यह केवल 2-3 प्रतिशत तक कम हो पाया। दिल्ली में केवल वाहनों की संख्या को सीमित करने से PM 2.5 की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	ऑड-ईवन स्कीम से प्रदूषण संभवतः कम हुआ होगा, किन्तु दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को अत्यधिक रूप में कम करने हेतु केवल एक कारक या कार्रवाई पर्याप्त नहीं है।
करंट साइंस	ऑड-ईवन स्कीम ने वास्तव में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि की है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिक यात्रियों ने ऑड-ईवन के प्रारंभ होने से पहले यात्रा की या यात्री परिवहन के अन्य रूपों (जैसे- मोटर बाइक और तिपहिया वाहन) से यात्रा की।
NCAER इंडिया पॉलिसी फोरम 2017	जनवरी 2016 में ऑड-ईवन स्कीम के दौरान दिन के समय PM 2.5 का स्तर औसतन से 14-16 प्रतिशत कम था लेकिन रात्रिकाल या अप्रैल 2016 में जब इस स्कीम को पुनः लागू किया गया तो कोई प्रभाव दृष्टिगत नहीं हुए।

हालांकि, विभिन्न अध्ययनों द्वारा ऑड-ईवन स्कीम के संबंध में विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं, तथापि ये प्रदूषण नियंत्रण करने के संदर्भ में अपने समग्र निष्कर्ष के संबंध में एकमत हैं: दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली, बीजिंग से सीख ले सकती है।

- **चीन की सफलता की कहानी:** बीजिंग में **प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए**, चीन की सरकार द्वारा विभिन्न संलग्न क्षेत्रों में **एकीकृत नियोजन, एकीकृत निगरानी एवं चेतावनी** और **एकीकृत मानकों** से युक्त दृष्टिकोण को अपनाया गया।
    - वर्ष 2017 में, बीजिंग, तियानजिन आदि शहरों के लिए एक संयुक्त कार्य योजना को अपनाया गया था, जिसमें **"2 + 26" शहरों के लिए PM 2.5 की औसत सांद्रता** और अत्यधिक प्रदूषण वाले दिनों की संख्या को विगत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया था।
    - बीजिंग के निकटवर्ती 15 प्रांतों (स्वायत्त क्षेत्रों और नगर पालिकाओं) में **संयुक्त निगरानी एवं निरीक्षण प्रणाली** हेतु **"बीजिंग एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन टीम"** उत्तरदायी है।

निष्कर्ष

वायु गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु, हमें प्रभावी उत्सर्जन मापन विधियों को डिजाइन करने की आवश्यकता है। साथ ही, उनमें सामंजस्य स्थापित करने की भी आवश्यकता है। बेहतर उत्सर्जन आकड़ें एकत्रित करने के लिए हमें डेटा पारदर्शिता में सुधार करने, अनिश्चितताओं की मात्रा निर्धारित करने, प्रदूषण के वार्षिक आंकड़ों, सामान्य दिशा-निर्देशों को विकसित करने एवं विभिन्न कार्यप्रणालियों में भी सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।

5.2. स्वच्छ उद्योग के लिए कार्य योजना (Action Plan for Cleaner Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** द्वारा **स्वच्छ उद्योग (क्लीन इंडस्ट्री)** पर एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट नीति आयोग एवं भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के नेतृत्व में गठित एक टास्क फोर्स द्वारा तैयार की गई है।

पृष्ठभूमि

- नीति आयोग ने CII के साथ मिलकर वर्ष 2016 में **दिल्ली NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)** में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सरकारी एजेंसियों, उद्योगों एवं शैक्षणिक समुदायों, अनुसंधान संगठनों और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी के साथ एक संयुक्त **"स्वच्छ वायु, बेहतर जीवन"** नामक एक पहल आरंभ की थी।
- इसके उपरांत, स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ परिवहन, स्वच्छ उद्योग और जैवभार प्रबंधन हेतु उपयुक्त हस्तक्षेप की सिफारिश करने के लिए चार कार्य बलों का गठन किया गया था।
- यह रिपोर्ट **दिल्ली NCR में औद्योगिक प्रदूषण के स्रोतों** की पहचान करती है तथा **स्वच्छ उद्योग हेतु एक कार्य योजना की सिफारिश करती है।**

Objectives of Cleaner Air Better Life Initiative

Developing an integrated approach that brings together policy makers, industry and academia	Building consensus amongst stakeholders on the options for improving air quality in NCR	Catalysing voluntary commitments from stakeholders towards reducing air pollution	Promoting adherence to existing policies and advocating better policies

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)

- इसकी **स्थापना वर्ष 1895 में की गई थी।**
- यह एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-आधारित एवं उद्योग-प्रबंधित संगठन है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य भारतीय उद्योग को विकसित करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि सरकार और समाज एक समग्र रूप में, उद्योग की आवश्यकताओं एवं राष्ट्र के कल्याण दोनों में इसके योगदान को समझें।

दिल्ली NCR में औद्योगिक वायु प्रदूषण के स्रोत

इस टास्क फोर्स ने अग्रलिखित तीन प्रमुख वायु प्रदूषकों पर विचार किया: सड़क/मृदा धूल, फ्लाई ऐश और द्वितीयक कण। इन प्रदूषकों के उत्सर्जन में योगदान देने वाली विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो स्रोतों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है:

- **अस्थायी कणिकीय पदार्थ (PM) उत्सर्जन:** निकास एवं चिमनियों (जैसे- चिमनी, पाइप, छिद्र या नलिका) (बिंदु स्रोत) जैसे विशिष्ट उत्सर्जन बिंदु के विपरीत स्थानिक रूप से वितरित स्रोत एवं विभिन्न गतिविधियों (गैर-बिंदु स्रोत) से निकलने वाले वायु प्रदूषक, अस्थायी उत्सर्जन कहलाते हैं।
  - अस्थायी उत्सर्जन के **धरातल के निकट उत्सर्जित एवं वितरित होने के कारण उनमें अधिकाधिक धरातलीय स्तर के प्रभाव उत्पन्न करने की संभावना होती है।**
  - दिल्ली NCR की परिधि में केंद्रित **संबद्ध निर्माण उद्योग** (जैसे- रेडी-मिक्स कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स, स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे आदि) **अस्थायी PM उत्सर्जन** के स्रोत हैं।
- **ऊर्जा से संबद्ध उत्सर्जन:** ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन, विभिन्न औद्योगिक उप-क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं और ये निम्नलिखित से संबंधित हैं:
  - टेलीकॉम, IT, आतिथ्य, रियल-एस्टेट, निर्माण आदि जैसे विभिन्न उप-क्षेत्रों में डीजल जनरेटर का उपयोग।
  - दिल्ली के 300 किमी के भीतर कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों से गैसीय (SOx और NOx) और कणिकीय पदार्थों का उत्सर्जन।
  - होटल एवं रेस्तरां उद्योग में तंदूर में जलाने के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोग।

ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल में वायु प्रदूषण

- इस रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के स्रोतों तथा ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल में उनके योगदान को संबोधित किया गया है।
- शुष्क मौसमी स्थितियों, धूल के आवधिक तूफानों तथा वायु के तीव्र प्रवाह (जो धूल और फ्लाई ऐश कणों को वायुवाहित बनाते हैं) के कारण ग्रीष्मकाल में सड़क/मृदा धूल एवं फ्लाई ऐश की अधिकता पाई जाती है।

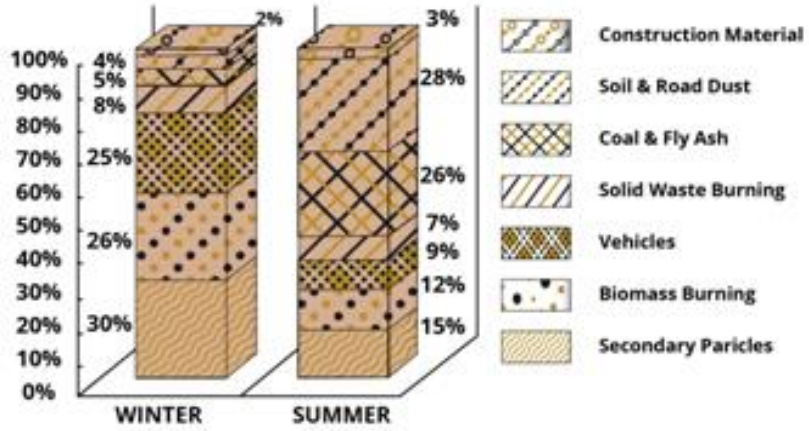

स्वच्छ उद्योग के लिए अनुशंसित कार्य योजना

- इस रिपोर्ट में उपर्युक्त दो व्यापक श्रेणियों के स्रोतों से निपटने हेतु रणनीतियों के निम्नलिखित दो भिन्न समुच्चयों की अनुशंसा की गई है:

अस्थायी PM उत्सर्जन की रोकथाम एवं नियंत्रण

- **स्वच्छ निर्माण के लिए अनिवार्य संविदात्मक दायित्वों** को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'पर्यावरणीय मंजूरियों' तथा स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों द्वारा 'भवन परमिट/अनुमोदन' के तंत्र के तहत व्यक्तियों/संगठनों के लिए निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है।
- **स्वच्छ निर्माण प्रथाओं हेतु हरित प्रोत्साहन प्रदान करना:** वर्तमान में कई प्रोत्साहन विद्यमान हैं जो उन परियोजनाओं को प्रदान किए जाते हैं जिन्हें अस्थायी रूप से GRIHA (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंन्ट), IGBC (इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल), LEEDS (लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन) आदि जैसी भवन रेटिंग प्रणालियों द्वारा ग्रीन रेटिंग प्रदान की जाती है।
- **परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अनिवार्य धन आवंटन:** यह अनुशंसा की गयी है कि वे शहर/कस्बे (वर्ष 2018 में CPCB के अनुसार 102 शहर), जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनके एयरशेड क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु **निगमित पर्यावरणीय उत्तरदायित्व (CER) निधि** का व्यय किया जाना चाहिए।
  - **एयरशेड (airshed)** एक सामान्य क्षेत्र होता है, जहां प्रचलित मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां प्रदूषकों के प्रकीर्णन (छितराव) को सीमित करती हैं। इसलिए ऐसे संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता होती है।
- **परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए भवन संहिता एवं भवन उपनियम को सुदृढ़ बनाना:** यह अनुशंसा की गयी है कि सभी वाणिज्यिक और शहरी आवासीय भवनों में संहिता के अनुपालन को बढ़ावा देने हेतु तथा राष्ट्रीय स्तर पर भवनों के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक एकीकृत भवन संहिता अपनायी जानी चाहिए।
- **शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता का विकास:** स्थानीय निकायों को NCR में पर्यावरणीय अनुपालन की निगरानी और उसके प्रवर्तन हेतु आवश्यक संसाधनों एवं उपकरणों की आवश्यकता है।

बायोमास को-फायरिंग (Biomass co-firing)

- बायोमास को-फायरिंग से आशय, उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलर में एक आंशिक वैकल्पिक ईंधन के रूप में जैवभार का उपयोग करने से है।

- को-फायरिंग, जैवभार को एक कुशल एवं स्वच्छ तरीके से विद्युत में परिवर्तित करने तथा विद्युत संयंत्र के GHG उत्सर्जन को कम करने हेतु एक निम्न लागत वाला विकल्प है।
- विद्युत मंत्रालय की मौजूदा नीति, मौजूदा कोयला ताप विद्युत इकाइयों में 5-10 प्रतिशत जैवभार तक को-फायरिंग की सिफारिश करती है।

ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जनों का शमन

- **स्वच्छ ईंधन एवं प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देना:** NCR क्षेत्र तथा निम्न वायु गुणवत्ता से गंभीर रूप से प्रभावित अन्य सघन शहरी क्षेत्रों के लिए यह अनिवार्य है। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित के उपयोग की सिफारिश की गई है:
  - गैस आधारित ताप विद्युत इकाइयाँ।
  - SOx, NOx और PM हेतु उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के साथ कोयला-आधारित ताप विद्युत इकाइयाँ।
  - मौजूदा कोयला विद्युत इकाइयों में **बायोमास को-फायरिंग** के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
  - उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में कोयला विद्युत संयंत्रों में (50 प्रतिशत तक) उन्नत बायोमास को-फायरिंग को त्वरित रूप से अपनाना।
- **डीजल जनरेटर, होटल एवं रेस्तरां में फ्यूल स्विच का उपयोग:** जिन स्थानों पर गैस की उपलब्धता है, वहां फ्यूल इंजेक्शन किट या गैस संचालित जनरेटरों का उपयोग करना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य विकल्प है। उन स्थानों पर गैस या विद्युत-आधारित तंदूरों का उपयोग करना, जहां विद्युत तथा पाइप्ड प्राकृतिक गैस अवसंरचना उपलब्ध हैं।
- **सभी डीजल जनरेटरों हेतु उत्सर्जन मानदंड स्थापित करना:** रेट्रोफिट डिवाइस (retrofit devices) हेतु न्यूनतम प्रदर्शन आवश्यकताओं के साथ-साथ डीजल जेनरेटरों के लिए कठोर उत्सर्जन मानदंडों हेतु सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी एवं उत्सर्जन मानकों को अपनाना।
- **पॉल्यूशन-अंडर-कंट्रोल (PUC) व्यवस्था:** यह एक सशक्त रियल-टाइम पॉल्यूशन-अंडर-कंट्रोल (PUC) व्यवस्था की सिफारिश करता है, जिसमें पोर्टेबल इमिशन मेजरमेंट सिस्टम (PEMS) का उपयोग कर यादृच्छिक जाँच, **जैसे- अभिनव एवं लागत प्रभावी निगरानी/अनुपालन उपाय तथा अनुपालन की क्राउडसोर्सिंग (प्रत्यक्षतः प्रदूषणकारी डीजल उपकरणों की रिपोर्टिंग के लिए नागरिक हेल्पलाइन) शामिल हैं।**

5.3. रोडमैप फॉर एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी इन इंडिया (Roadmap for Access to Clean Cooking Energy in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **'रोडमैप फॉर एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी इन इंडिया'** (भारत में खाना पकाने हेतु स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच के लिए रोडमैप) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गयी।

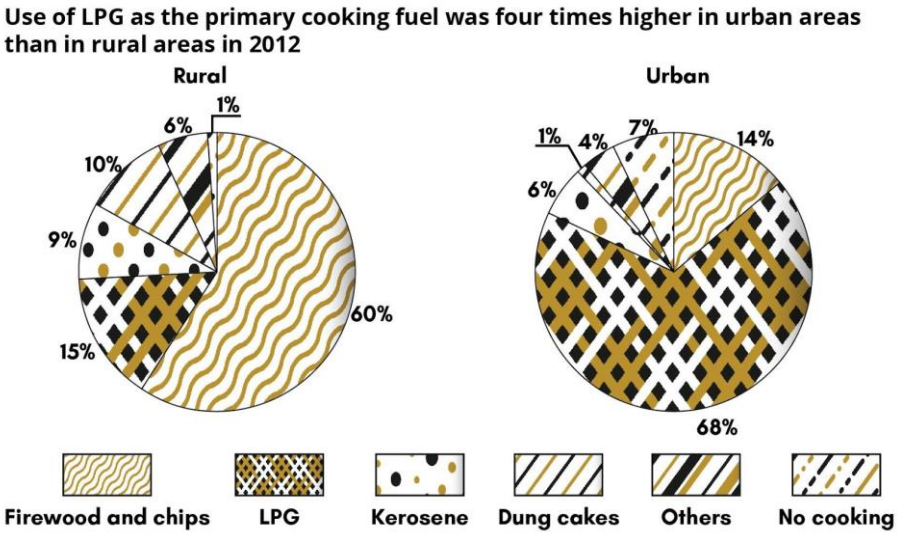

संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट **नीति आयोग, GIZ** (एक जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी) और **काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर** (दिल्ली स्थित एक गैर-लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान) के सहयोग से विकसित की गई है।
- इस रिपोर्ट में वर्ष 2025 तक भारत में **घरेलू वायु प्रदूषण (Household Air Pollution: HAP)** हेतु उत्तरदायी **खाना पकाने की सभी पद्धतियों के उपयोग को समाप्त करने की** रणनीतियाँ प्रस्तुत की गई हैं।
- NSSO (2011-12) के 68वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार **ग्रामीण भारत में दो-तिहाई से अधिक परिवार** अभी भी खाना पकाने हेतु प्राथमिक ईंधन आवश्यकताओं के लिए लकड़ी एवं गोबर पर निर्भर हैं।
- खाना पकाने हेतु बायोमास को जलाने से HAP उत्पन्न होता है, जिससे देश भर में प्रत्येक वर्ष **कम से कम 8,00,000 लोगों** की असामयिक मृत्यु होती है। HAP के उच्च स्तर के संपर्क में आने से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर अत्यधिक गंभीर प्रभाव उत्पन्न होते हैं तथा ईंधन इकट्ठा करने का कठिन कार्य भी प्रायः उनके द्वारा ही किया जाता है।

- अप्रैल 2019 तक लगभग **94 प्रतिशत भारतीय परिवारों के पास LPG कनेक्शन** थे। हालांकि, ऊर्जा पहुंच से सबसे अधिक वंचित राज्यों में से छह, यथा- बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए एक अध्ययन में उदघाटित हुआ है कि **केवल एक तिहाई ग्रामीण आबादी द्वारा ही LPG को अपने प्राथमिक कुकिंग ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।**

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा **खाना पकाने हेतु वैकल्पिक समाधान** प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है:

- **उन्नत चूल्हा अभियान:** ईंधन की लकड़ी की खपत को कम करने हेतु उन्नत बायोमास कुक स्टोव (उच्चतर दक्षता और निम्न उत्सर्जन) को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को जून 2014 में आरंभ किया गया था।
- **राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (NBMMP):** ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों की खाना पकाने संबंधी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जलाऊ लकड़ी के उपयोग को कम करने के लिए, पारिवारिक स्तर पर घरेलू बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है।
- **सोलर कुकर को प्रोत्साहन** ताकि इनडोर वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।

क्लीन कुकिंग एनर्जी रोडमैप के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

- **प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट प्रासंगिक दृष्टिकोण:** उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्रों में, यदि HAP को समाप्त करना है, तो स्पेस हीटिंग और उपलब्ध अन्य तापन आवश्यकताओं हेतु विकल्प प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
- **बहुआयामी और बहु-ईंधन दृष्टिकोण:** उदाहरण के लिए, मवेशियों की पर्याप्त संख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, **LPG के पूरक के रूप में बायोगैस** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **बहु-हितधारक दृष्टिकोण** द्वारा हितों को संरेखित करके **अंगीकरण में सुधार करना** और क्षेत्र में सभी संबंधित अभिकर्ताओं की भूमिकाओं को एकीकृत करना।
- मूल्य श्रृंखला में चुनौतियों के समाधान के लिए परिवेश-आधारित दृष्टिकोण को अपनाना।
- विभिन्न मंत्रालयों के मौजूदा सरकारी योजनाओं में स्वच्छ कुकिंग ऊर्जा को एकीकृत करके **एक विकासात्मक लक्ष्य के रूप में स्वच्छ कुकिंग ऊर्जा तक पहुंच स्थापित करना।**

सभी स्वच्छ कुकिंग ऊर्जा समाधानों तक पहुंच में सुधार करने की रणनीतियाँ:

- पंहुच में सुधार के लिए ईंधन-विशिष्ट रणनीतियाँ भी प्रस्तावित की गई हैं, जैसे-

ईंधन	रणनीतियाँ
LPG	• तापीय दक्षता में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना। (यह LPG स्टोव के लिए लगभग 55–57 प्रतिशत है, जो इंडक्शन स्टोव की 84 प्रतिशत दक्षता की तुलना में बहुत कम है।) • SHGs व लचीली भुगतान योजनाओं के माध्यम से LPG रिफिल करने हेतु परिवारों को निम्न-ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना।
पाइप्ड प्राकृतिक गैस	• PNG कनेक्शन के लिए क्रेडिटेड-लिंक्ड किस्तें; • प्रीपेड मीटर को अपनाना जो अपेक्षाकृत अल्प राशियों में आवर्ती भुगतान की सुविधा प्रदान करता है; तथा • LNG की आपूर्ति और वितरण को विकेंद्रीकृत करना।

- **अन्य रणनीतियाँ:**
  - **पारंपरिक बायोमास चूल्हों के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना:** निकटतम पहुंच बिन्दुओं, जैसे- उप-केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, **आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री** तथा LPG पंचायतों जैसी अभिनव प्रणालियों द्वारा जागरूकता का प्रसार करना।
  - **बाजार और उपभोक्ताओं को समझना:** खाद्य आदतों, भुगतान करने की इच्छा, ईंधन मिश्रण, खाना पकाने की आवृत्ति, इलेक्ट्रिक स्टोव आदि के संबंध में एक संदर्भ-आधारित उपभोक्ता विभाजन (context-based consumer segmentation) द्वारा बाजार और उपभोक्ताओं को समझना।

- **सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को समझना:** उपभोक्ताओं की धारणाएँ, घरेलू और सामुदायिक सामाजिक-आर्थिक संरचनाएँ, यह अनिवार्य बनाती हैं कि हमें सभी समस्याओं के लिए एक ही प्रकार के समाधान को अपनाने वाले दृष्टिकोण (वन सलूशन फिट्स-फॉर-आल एप्रोच) से बचना चाहिए।
- **रसोई की डिजाइन और वेंटिलेशन संबंधी पहलुओं पर ध्यान देना:** वर्ष 2011 तक, भारत में लगभग 40 प्रतिशत घरों में एक पृथक रसोई घर की उपलब्धता नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत बेहतर वेंटिलेशन के लिए डिजाइन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **ऊर्जा तक पहुंच के लिए डेटा उपलब्धता में सुधार करना:** केवल कनेक्शन आधारित आकंड़ों के एकत्रीकरण के अतिरिक्त अन्य उपायों को अपनाने और कुकिंग ऊर्जा ईंधन एवं प्रौद्योगिकियों के उपयोग के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा दस्तावेजीकरण के माध्यम से डेटा उपलब्धता में सुधार करना।
- स्वच्छ कुकिंग ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेशों को रणनीतिक रूप से प्रोत्साहित करके सार्वजनिक फंड के पूरक के रूप में वैकल्पिक वित्तपोषण समाधानों का लाभ उठाना, जैसे- कार्बन फाइनेंस।

5.4. उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट (The Emissions Gap Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme: UNEP) द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट (Emissions Gap Report), 2019 जारी की गई।

उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के बारे में

- यह एक वार्षिक विज्ञान-आधारित मूल्यांकन है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों द्वारा **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में की गई कमी** तथा **वर्तमान सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2° सेल्सियस तक सीमित रखने हेतु उत्सर्जन में कमी के प्रयासों के मध्य के अंतराल** का विश्लेषण किया जाता है।
- यह रिपोर्ट इस अंतराल को कम करने हेतु आवश्यक उत्सर्जन में कमी की गति को तीव्र करने के लिए प्रत्येक देश के समक्ष मौजूद प्रमुख अवसरों की पहचान करती है।
- उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, निम्नलिखित तीन प्रमुख प्रवृत्तियों का मापन और अनुमान व्यक्त करता है:
  - वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष होने वाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा;
  - अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धताएं तथा इन प्रतिबद्धताओं का समग्र उत्सर्जन में कमी पर पड़ने वाले प्रभाव;
  - उत्सर्जन में कमी को किस दर से कम किया जाना चाहिए कि वह तापमान में वृद्धि को 1.5° सेल्सियस तक आसानी से सीमित कर सके।

अन्य संबंधित तथ्य

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization: WMO) की **"ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन"** यह दर्शाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की वैश्विक औसत सांद्रता वर्ष 2017 के 405.5 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) से बढ़कर वर्ष 2018 में 407.8 ppm हो गई।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- विगत चार दशकों में हुए कुल उत्सर्जन में शीर्ष चार उत्सर्जकों (चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत) का 55 प्रतिशत से अधिक का योगदान रहा है।
  - इसमें निर्वनीकरण जैसे भू-उपयोग परिवर्तन द्वारा जनित उत्सर्जन को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- चीन, यूरोपीय संघ, भारत, मैक्सिको, रूस और तुर्की द्वारा मौजूदा नीतियों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना है। भारत, रूस एवं तुर्की द्वारा अपने लक्ष्यों से लगभग 15 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन करने का अनुमान है।
- वर्ष 2018 में, विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के समतुल्य 55.3 गीगाटन CO_2 का उत्सर्जन हुआ, जो वर्ष 2017 के उत्सर्जित 54 गीगाटन के पिछले रिकॉर्ड से अधिक था।
  - रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5° सेल्सियस तापमान के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विश्व के देशों को वर्ष 2020 एवं 2030 के मध्य प्रत्येक वर्ष अपने उत्सर्जन में 7.6 प्रतिशत की कटौती करनी होगी।
  - यह रिपोर्ट दर्शाती है, कि वैश्विक तापमान में 1.5° सेल्सियस से अधिक की वृद्धि को रोकने के लिए "**राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution: NDC)"** के अंतर्गत किए जाने वाले सामूहिक प्रयासों को वर्तमान स्तर की तुलना में पांच गुना तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

5.5. पाइप्ड पेयजल की गुणवत्ता पर रिपोर्ट (Report on The Quality of Piped Drinking Water)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार के "उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" के **उपभोक्ता मामले विभाग** ने भारत के प्रमुख शहरों में **"पाइप्ड पेयजल की गुणवत्ता पर रिपोर्ट"** (अर्थात् नलों के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता पर रिपोर्ट) जारी की है।

रिपोर्ट के बारें में

- यह परीक्षण **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** द्वारा आयोजित किया गया था।
- प्रथम चरण में ऑर्गेनोलेप्टिक (Organoleptic) और भौतिक परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, विषाक्त पदार्थों और बैक्टीरिया परीक्षण जैसे **विभिन्न मापदंडों पर आधारित** परीक्षण किए गए थे।
- **रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष**
  - एक या अधिक मापदंडों पर, भारतीय मानक (IS) 10500: 2012 (BIS द्वारा निर्धारित पेयजल मानदंड) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में परीक्षण हेतु एकत्रित अधिकांश नमूने विफल रहे हैं।
  - दिल्ली में जल की गुणवत्ता खराब पाई गयी; चेन्नई और कोलकाता को भी निम्न रैंक प्राप्त हुई है। केवल मुंबई एकमात्र शहर है जिसकी जल की गुणवत्ता स्वीकार्य मानदंडों के अनुरूप पाई गयी।

मुंबई में पेयजल स्वच्छ क्यों है?

- मुंबई का पेयजल अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है, क्योंकि आमतौर पर यह वर्षा जल (जल के शुद्धतम स्रोत) से प्राप्त होता है।
- वर्ष 2012-13 से, ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने धरातलीय पेयजल वितरण के लिए स्टील के पाइप का उपयोग करना बंद कर दिया है। वर्तमान में जलापूर्ति 14 भूमिगत कंक्रीट जल सुरंगों के माध्यम से की जा रही है।
- कई मलिन बस्तियों में पाइप लाइन के आड़े-तिरछे नेटवर्क (स्पैगेटी नेटवर्क) को छह इंच के एकल पाइप से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- परिणामों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) की सहायता से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया गया है तथा जल के नमूने प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित किया गया है।

पेयजल की खराब गुणवत्ता के कारण

- **केवल क्लोरीनीकरण पर फोकस:** क्लोरीनीकरण केवल जीवाणुओं एवं अन्य सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है, लेकिन जल का स्वरूप, गंध और स्वाद आदि पहलुओं की उपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, क्लोरीनीकरण के द्वारा जल में घुलित लवण, क्षारीयता, जहरीली धातुओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- **पाइपलाइनों में संदूषण:** जलापूर्ति वाले पाइपों के पुराने होने के कारण जल का रिसाव होता रहता है। इसके अतिरिक्त, प्राय: जलापूर्ति लाइनों और सीवरेज लाइनों को साथ-साथ स्थापित किया जाता है जिससे जल के दूषित होने का जोखिम अधिक होता है।
- **भूजल प्रदूषण:** आर्सेनिक जैसे कैंसरजन्य प्रदूषकों द्वारा भूजल गंभीर रूप से दूषित होता है। इसे प्राय: शहर की अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिए पाइप्ड जलापूर्ति के साथ मिश्रित कर दिया जाता है।
- **आधिकारिक एजेंसियों की जवाबदेही में कमी:** वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की भांति जल की गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मानकों को प्राप्त करने के लिए एजेंसियों पर कोई कानूनी बाध्यता भी नहीं है।
  - **हितों का टकराव** भी एक मुद्दा है क्योंकि जो एजेंसी जलापूर्ति करती है, उसी एजेंसी द्वारा नियमित रूप से जल की गुणवत्ता का परीक्षण भी किया जाता है।
- **समन्वय का अभाव:** संघ, राज्य और स्थानीय प्रशासन के मध्य समन्वय का अभाव है, क्योंकि जल, **राज्य सूची का विषय** है।
- **अन्य कारक:** इनमें तीव्र शहरीकरण, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जल प्रदूषण, स्थानीय जल निकायों का संदूषण और इनमें जल की कमी आदि सम्मिलित हैं।

अन्य प्रासंगिक जानकारी

- **समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composition Water Management Index: CWMI) रिपोर्ट के अनुसार:**
  - लगभग 70 प्रतिशत जल के संदूषित होने के कारण, भारत को वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में से 120वां स्थान प्राप्त है।
- **केंद्रीय भूजल बोर्ड** का अनुमान है कि शहरी स्थानीय निकायों का लगभग पांचवां भाग पहले से ही जल के अत्यधिक दोहन, मानसून की विफलता तथा अनियोजित विकास के कारण जल संकट का सामना कर रहे है।

VISION IAS

पेयजल की खराब गुणवत्ता के परिणाम

- **स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव:** विकासशील देशों में लगभग 80 प्रतिशत बीमारियों का कारण जल आपूर्ति की खराब गुणवत्ता है।

कारण	बीमारी
जीवाणु संक्रमण (Bacterial Infections)	टाइफाइड, हैजा, पैराटीफॉइड बुखार (Paratyphoid fever), बेसिलरी पेचिश (Bacillary dysentery)
विषाणु संक्रमण	संक्रामक हेपेटाइटिस (पीलिया), पोलियोमाइलाइटिस
प्रोटोजोआ संक्रमण	अमीबीय पेचिश
कीटनाशक	प्रजनन एवं अंतःस्रावी क्षति
भारी धातु	तंत्रिका तंत्र और किडनी की क्षति तथा अन्य चयापचय संबंधी व्यवधान
सीसा, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स आदि	केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, दांतों का पीलापन और रीढ़ की हड्डी की क्षति, जठरांत्र क्षेत्र (digestive tract) संबंधी कैंसर आदि।

- **उच्च आर्थिक लागत:** स्वास्थ्य देखभाल के लिए आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय में वृद्धि, श्रम उत्पादकता में कमी और पर्यटकों के आगमन में कमी।
- **प्रदूषण के संदर्भ में सकारात्मक फीडबैक लूप का समर्थन:** खराब पेयजल, प्लास्टिक की बोतल में पेयजल की बिक्री का प्रमुख कारण है। हालाँकि, बोतलबंद जल से प्लास्टिक प्रदूषण में वृद्धि होती है तथा यह पुन: जल प्रदूषण को बढ़ाता है।
- **संसाधनों का अपव्यय:** RO (रिवर्स ऑस्मोसिस) जल शुद्धिकरण प्रणालियों द्वारा पेयजल की जितनी मात्रा को स्वच्छ किया जाता है, उससे दोगुने जल का इस प्रक्रिया के दौरान अपव्यय हो जाता है। इसके अतिरिक्त, RO प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक खनिज और लवण भी हटा दिए जाते हैं, जिन्हें बाद में कृत्रिम रूप से जोड़ा जाता है, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है।

पेयजल उपलब्धता के संबंध में हालिया सरकारी पहलें

- **जल जीवन मिशन:** पेयजल और स्वच्छता विभाग (जल शक्ति मंत्रालय) ने वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत **हर घर जल** (पाइप जलापूर्ति) सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।
- **मिशन भगीरथ:** तेलंगाना सरकार ने राज्य के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी घरों तक सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस मिशन को प्रारंभ किया है। इस परियोजना के माध्यम से **गोदावरी नदी** और **कृष्णा नदी** के जल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी।

आगे की राह

- **आंकड़ा-आधारित समर्थन प्रणाली:** जल की गुणवत्ता का निरंतर परीक्षण किया जाना चाहिए तथा प्राप्त निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
  - इससे नागरिकों की भागीदारी, संवेदनशीलता एवं जागरूकता में वृद्धि होगी तथा सेवा प्रदाताओं और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी।
- **अनिवार्य अनुपालन:** स्थानीय निकायों के लिए पेयजल की गुणवत्ता हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **जल का मूल्य निर्धारण:** समाज के सुविधा-संपन्न वर्गों के लिए पेयजल के लिए मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है ताकि पेयजल संसाधनों के उचित रखरखाव हेतु लागत वसूल की जा सके। प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को पुनर्संरचित किया जाना चाहिए ताकि संसाधनों के अपव्यय को रोका जा सके।
- **बेहतर प्रबंधन:** लंबी दूरी की पेयजल पाइपलाइनों की स्थापना में कमी की जानी चाहिए तथा जल उपचार संयंत्रों को स्थानीय स्तरों पर स्थापित किया जाना चाहिए।
- **तकनीकी समाधान:** खतरनाक अकार्बनिक प्रदूषकों और घुलित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए जल उपचार संयंत्रों का उन्नयन किया जाना चाहिए।
- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग** को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **जल जीवन मिशन** के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप्ड पेयजल उपलब्ध कराने का सरकार का प्रयास इस दिशा में एक उचित कदम है।

VISION IAS

5.6. गंगा नदी के लिए ई-प्रवाह मानदंड (E-Flow Norms for River Ganga)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga: NMCG) द्वारा अधिसूचित **ई-प्रवाह मानदंडों** को दिसंबर 2019 से लागू किया जाना है।

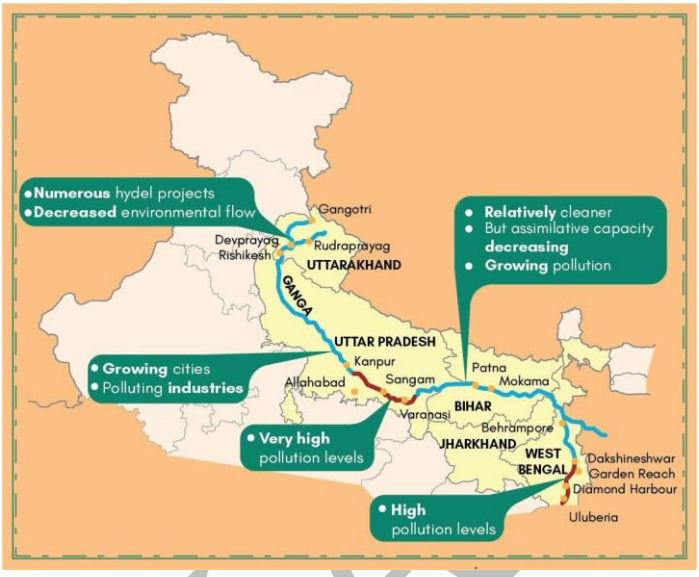

ई-प्रवाह मानदंडों के बारे में

- **ई-प्रवाह या पर्यावरणीय प्रवाह (e-flow or environmental flow)** मानदंडों को गंगा नदी की सफाई और कायाकल्प हेतु उत्तरदायी शीर्ष निकाय NMCG द्वारा **सितंबर 2018 में अधिसूचित** किया गया था, जिसे दिसंबर 2019 से लागू किया जाना है।
- पर्यावरणीय प्रवाह का आशय एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य तथा इस पर आश्रित प्रजातियों के संरक्षण हेतु आवश्यक **जल के न्यूनतम प्रवाह** को बनाए रखने से है।
- न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखते हुए नदियों की पारिस्थितिक गुणवत्ता को बनाए रखा जाना चाहिए। नदियों को सूखने नहीं देना चाहिए या उनके अपवाह तंत्र के जलविज्ञान और पारिस्थितिक कार्यप्रणाली के संरक्षण हेतु उनकी भौतिक व्यवस्थाओं (physical regimes) में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन किया जाना चाहिए।
- ई-प्रवाह मानदंड, इस **नदी को प्राकृतिक रूप से स्वयं को स्वच्छ रखने तथा इसकी जलीय जैव-विविधता के संरक्षण हेतु नदी को सक्षम बनाने के लिए** बांधों और बैराज में से निर्मुक्त की जाने वाली जलराशि को निर्धारित करता है।
- ई-प्रवाह अधिसूचना, 2018 निर्दिष्ट करती है कि गंगा के ऊपरी भागों (हिमनदों से इसकी उत्पत्ति से हरिद्वार तक) में प्रवाह को निम्नलिखित रूप में बनाए रखना होगा, जैसे:
  - नवंबर एवं मार्च (शुष्क ऋतु) के मध्य पूर्ववर्ती 10 दिनों के मासिक औसत प्रवाह का 20 प्रतिशत;
  - अक्टूबर, अप्रैल और मई के दौरान औसत प्रवाह का 25 प्रतिशत; तथा
  - जून-सितंबर के मानसून के महीनों के दौरान मासिक औसत का 30 प्रतिशत।
- इसका आशय है कि अनुप्रवाह (downstream) क्षेत्र में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लाभों को सुनिश्चित करने हेतु, विकास परियोजनाओं के लिए जल का उपयोग करने के पश्चात् **नदी प्रणाली के अनुप्रवाह क्षेत्र में पर्याप्त जल निर्मुक्त करना।**

नमामि गंगे कार्यक्रम

- **नमामि गंगे कार्यक्रम**, एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसे जून 2014 में **राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी व संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने हेतु** 20,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।
- **गंगा कायाकल्प** की परिकल्पना के अंतर्गत निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाना है:
  - "अविरल धारा" (निरंतर प्रवाह);
  - "निर्मल धारा" ("प्रदूषणरहित प्रवाह"); तथा
  - भूगर्भिक और पारिस्थितिकी अखंडता।

इन मानदंडों से संबंधित चिंताएँ

- **अपर्याप्त न्यूनतम प्रवाह मानदंड:** मसौदा गंगा अधिनियम के अंतर्गत, न्यायमूर्ति **गिरधर मालवीय पैनल** ने स्वच्छता एवं निर्बाध प्रवाह (निर्मलता और अविरलता) के लिए जवाबदेही और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु इन विशिष्टताओं की तुलना में कठोर प्रावधानों का सुझाव दिया है।
- **परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों का अभाव:** न्यूनतम प्रवाह के साथ-साथ, परियोजनाओं हेतु आवश्यक संशोधनों के लिए भी दिशा-निर्देशों का निर्धारण आवश्यक है।
- **जलीय जैव-विविधता का कोई उल्लेख नहीं:** इन सीमाओं के निर्धारण के दौरान प्रजातियों के स्वतंत्र प्रवास को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जल की मात्रा पर विचार नहीं किया जाता है। यह ई-प्रवाह के उद्देश्य को सीमित करता है, जो इन प्रजातियों के मुक्त प्रवास को सुनिश्चित करता है।
- **पर्यावरणविदों का दृष्टिकोण:** कुछ पर्यावरणविदों का मानना है कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने हेतु हरिद्वार-कुंभ क्षेत्र में सभी **पनबिजली परियोजनाओं के साथ-साथ खनन गतिविधियों** पर पूर्णतः प्रतिबंध आरोपित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, तीन बांधों के मालिकों ने कहा कि वे अपने जलाशयों से प्रवाह में वृद्धि नहीं कर सकते हैं (जैसा कि अधिसूचना द्वारा आवश्यक है), क्योंकि **यह उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता को बाधित करेगा तथा व्यापक वित्तीय घाटे की स्थिति उत्पन्न करेगा।**
    - इन परियोजनाओं से होने वाली **राजस्व हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए** कोई तंत्र विद्यमान नहीं है।

आगे की राह

- **नदी के अपेक्षाकृत व्यापक हितों की तुलना में वित्तीय हानि अस्थायी है।** चूँकि यह नदी सभी के अस्तित्व हेतु उत्तरदायी है, अतः सभी हितधारकों को एक साथ लाकर इन मानदंडों को बिना किसी असफलता के लागू किया जाना चाहिए।
- गंगा नदी संबंधी इस अधिसूचना को यमुना एवं अन्य नदियों की **ई-प्रवाह अधिसूचना के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।**
- जैसा कि कुछ पर्यावरणविदों का दावा है कि ये मानदंड अपर्याप्त हैं, अतः **समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन्हे संशोधित** किया जाना चाहिए।

5.7. एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रोडमैप (Energy Storage System Roadmap)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम (ISGF) ने वर्ष 2019 से 2032 की अवधि हेतु भारत के लिए **"एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) रोडमैप"** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है।

इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम (ISGF) के बारे में

- यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (MoP) की एक **सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल** है।
- ISGF, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट शहरों पर वैश्विक रूप से ख्याति प्राप्त **थिंक-टैंक** के रूप में विकसित हुआ है।
- **अधिदेश:** भारत में स्मार्ट ग्रिड्स को बढ़ावा देने हेतु नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को परामर्श प्रदान करना; मानकों के विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कार्य करना; तथा प्रौद्योगिकी चयन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में उपयोगिताओं, नियामकों एवं उद्योगों की सहायता करना।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित रोडमैप के बारे में:

- ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ, एक प्रकार की प्रौद्योगिकी या प्रणाली होती है, जिसमें विद्युत ऊर्जा संचित (loaded) की जाती है और तत्पश्चात, आवश्यकता के अनुसार, विद्युत को नेटवर्क में प्रवाहित किया जाता है।
- इस रिपोर्ट में भारत में ई-मोबिलिटी, टेलीकॉम टॉवर, डेटा सेंटर, डीजल जनरेटरों के प्रतिस्थापन और परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा (Variable Renewable Energy: VRE) के ग्रिड में एकीकरण हेतु, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में निवेश का अनुमान किया गया है, जो भारत में एक विश्वसनीय और निम्न कार्बन ग्रिड का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- **रोडमैप के उद्देश्य:**
    - वितरण ग्रिड स्तर के मुद्दों का व्यापक विश्लेषण और ESS के माध्यम से ग्रिड प्रत्यास्थता में वृद्धि कर उनका समाधान करना।
    - भारत की पेरिस समझौते के तहत निर्धारित इसके उत्सर्जन में कमी से संबंधित निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करना:
        - वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33-35% तक कम करना;
        - वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में 40% गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित विद्युत उत्पादन; तथा
        - वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन करना।
    - बैटरी पैक और सेलों हेतु आयात निर्भरता में कमी करना।

क्रम संख्या	उत्पन्न चिंताएँ	इन चिंताओं का समाधान करने में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) की भूमिका
1.	**नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिर (Non-continuous) या परिवर्तनशील प्रकृति:** रूफटॉप सौर पैनल, लघु पवन टरबाइन आदि जैसे ऊर्जा वितरण के विभिन्न स्रोतों के पैठ (penetration) में वृद्धि हुई है, जो अस्थिर, अनिश्चित, परिवर्तनशील स्रोत हैं तथा विद्युत् प्रणाली में इनके वितरण से ग्रिड संचालन के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।	**ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों** की विश्वसनीयता को बढ़ाते हुए भविष्य में, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा के साथ, हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु बेस लोड प्रदान करेंगे। इसलिए, नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशील प्रकृति को देखते हुए, ESS को अपनाना महत्वपूर्ण हो जाता है।

VISION IAS

2.	**ग्रिड स्थिरता:** ग्रिड स्थिरता DISCOMs के लिए एक चिंता का विषय है और यह सुविधाप्रदाताओं की ऊर्जा योजना को प्रभावित करती है। • नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की पैठ, ग्रिड स्थिरता को और अधिक प्रभावित करेगी।	उपयोगकर्ताओं की मांग के प्रति अनुक्रिया और व्हीकल ग्रिड इंटीग्रेशन (VGI) के साथ युग्मित ESS, ग्रिड की लोचशीलता (flexibility) में वृद्धि करेगा।
3.	**आयात पर अत्यधिक निर्भरता:** स्थानीय विनिर्माण की कमी, जो भविष्य में व्यापक मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगी। उदाहरण के लिए- वर्ष 2032 तक ESS की संचयी मांग 2,700 GWh से अधिक होने का अनुमान है।	यह रिपोर्ट भारत में गीगा-स्केल बैटरी विनिर्माण संयंत्रों की त्वरित स्थापना के लिए एक सुदृढ़ मामला प्रस्तुत करती है।
4.	**मांग-आपूर्ति असंतुलन:** ऊर्जा की खपत के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य विभिन्न योजनाओं (बॉक्स देखें) के तहत निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण (2018-19) के अनुसार भारत, विश्व की प्राथमिक ऊर्जा का लगभग 6% उपयोग करता है। इसे उच्च-मध्यम आय समूह में प्रवेश करने के लिए अपनी ऊर्जा खपत को तीन गुना बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। • इसके अतिरिक्त, EVs हेतु बैटरियों की अपेक्षित आवश्यकताएं, ग्रिड समर्थन हेतु अपेक्षित आवश्यकताओं की तुलना में अत्यधिक हैं।	• **विद्युत प्रणालियों में लोचशीलता की मांग:** परिवर्तनशील पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन की अत्यधिक पहुँच पर, ESS निरंतर ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में अत्यधिक सहायक होगा क्योंकि एक समय में ऊर्जा भविष्य के उपयोग हेतु संग्रहित की जा सकती है। • ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ, विद्युत प्रेषित करते हुए विद्युत संयंत्र की भांति कार्य कर सकती हैं। • **ऊर्जा की बर्बादी को कम करना:** अतिरिक्त ऊर्जा को बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता है।

रिपोर्ट में कुछ अभिनव सुझाव

- **V2G (व्हीकल टू ग्रिड) अवधारणा:** V2G अवधारणा, ग्रिड संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यहां, व्हीकल तक और व्हीकल द्वारा, दोनों से प्रवाहित ऊर्जा इसे पोर्टेबल बैटरी बैंक के रूप में परिवर्तित कर देती है।
  - V2G का डेनमार्क और नीदरलैंड में पहले ही व्यवसायीकरण हो चुका है।
- **एनर्जी स्टोरेज इंडिया टूल (ESIT),** इस अध्ययन के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है।
  - इस उपकरण का मूल कार्य नेटवर्क लोड संबंधी आंकड़े प्राप्त करना और ऊर्जा भंडारण क्षमता को इष्टतम बनाना है।
  - इसमें भंडारण की पहुँच और फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और ग्राहक स्तर पर इसके लाभों का विश्लेषण करने की क्षमता है।

रिपोर्ट में प्रस्तावित नीतिगत दिशा-निर्देश

- **ऊर्जा मास्टर प्लान और ऊर्जा रणनीति में ऊर्जा भंडारण को एकीकृत करना।** यह ऊर्जा भंडारण की भूमिका को स्पष्ट करता है और ग्रिड द्वारा आवश्यक सेवाओं की बहुलता प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धी तरीकों के बारे में वार्ता आरंभ करता है।
- ऊर्जा भंडारण को राजस्व के स्रोतों के रूप में परिवर्तित करना (ग्रिड को प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत सेवाओं हेतु)।
- **मूल्य विकृतियों को समाप्त करने और मूल्य पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु** टाइम-ऑफ़-यूज़ टैरिफ, पे-फॉर सर्विसेज टैरिफ आदि प्रस्तावित करना।
- ऊर्जा भंडारण और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के **विकास और वित्तपोषण को बढ़ावा देना।**
- प्रतिपादित परियोजनाओं और नवीन संचालकों को लक्षित तरीके से सहायता करना, जैसे- ऋण गारंटी, निम्न ब्याज वाले ऋण, अनुदान आदि।

VISION IAS

5.8. पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण (Ecological Fiscal Transfers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट (CGD) द्वारा प्रकाशित एक पेपर में राज्य के बजटों का मूल्यांकन किया गया है कि पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण ने राज्य वानिकी व्यय को प्रभावित किया है अथवा नहीं।

पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण (Ecological Fiscal Transfers: EFTs) के लिए सशर्त भुगतान की अवधारणा

- जैव-विविधता संरक्षण से संबंधित लागत और लाभों का स्थानिक रूप से असमान वितरण, पर्यावरण संरक्षण हेतु सशर्त भुगतान की अवधारणा को प्रेरित करता है, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लाभार्थी, भू-उपयोग निर्णय-निर्माताओं को ऐसा करने पर उन्हें मौजूदा सशर्त भुगतान करके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण या पुनरुत्थान हेतु प्रोत्साहित करते हैं।
- EFTs, एक प्रकार का सशर्त पर्यावरणीय भुगतान होता है जिसमें किसी देश की सरकार के उच्च स्तरों (जैसे- राष्ट्रीय) से निचले स्तर (जैसे- राज्य या स्थानीय) पर किए जाने वाले सशर्त भुगतान शामिल होते हैं।
  - संरक्षित क्षेत्रों या वाटरशेड प्रबंधन क्षेत्रों आदि जैसे पारिस्थितिक संकेतकों के अनुसार EFTs अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण और राजस्व साझाकरण योजनाओं के एक भाग को आवंटित करते हैं। इस प्रकार ये संरक्षित क्षेत्र सरकारों को प्राप्त होने वाली आय का एक स्रोत बन जाते हैं।
  - जैव-विविधता से संबंधित राजकोषीय हस्तांतरण शासन के उच्च स्तर पर जैव-विविधता संरक्षण के लाभों के साथ स्थानीय स्तर पर आने वाली संरक्षण लागतों के सामंजस्य का एक शक्तिशाली साधन है। इस प्रकार, EFTs को स्थानीय सरकारों को जैव-विविधता संरक्षण गतिविधियों को बनाए रखने अथवा बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक अभिनव नीति साधन के रूप में देखा जाता है, जो सामान्य रूप से समाज को पारिस्थितिक लाभ प्रदान करते हैं।
- **REDD+ (रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस) और PES (पेमेंट फॉर एनवायरनमेंटल सर्विसेज) की तुलना में EFTs के अनेक संभावित लाभ हैं:**
  - नए संस्थानों को डिजाइन करने अथवा नए संपत्ति अधिकारों को प्रदान करने की आवश्यकता के बिना, भुगतानकर्ता, सरकारों के स्तरों के मध्य राजकोषीय हस्तांतरण के लिए पूर्व में स्थापित संरचनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  - PES की तुलना में EFTs संभावित रूप से अधिक मात्रा में वित्त को एकत्र कर सकते हैं, जिससे व्यापक कवरेज और पर्याप्त रूप से प्रति हेक्टेयर डॉलर प्रोत्साहन दोनों प्राप्त करने की संभावना में वृद्धि हो जाती है।
  - PES के तहत अनुबंधित क्षेत्र या REDD+ के तहत वन ह्रास में होने वाली कमी के संदर्भ में प्रदान किए जाने वाले भुगतान के विपरीत, EFTs द्वारा सभी वनीय क्षेत्रों को भुगतान किया जाता है।
  - EFTs, कुछ हद तक, REDD+ के तहत राष्ट्रीय सरकारों से स्थानीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों से संबंधित चुनौतियों का समाधान कर सकता है। EFTs उत्सर्जन को कम करने के लिए बाह्य वित्त-प्रदाताओं से राष्ट्रीय सरकारों को भुगतान तथा वनावरण के संरक्षण और पुनरुत्थान हेतु राष्ट्रीय से राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों के लिए EFTs प्राप्त करने हेतु संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय REDD+ भुगतान के साथ मिलकर कार्य कर सकता है।
- **हालांकि, EFTs की एक प्रोत्साहन तंत्र के रूप में निम्नलिखित सीमाएं भी हैं:**
  - EFTs से प्राप्त धन वानिकी बजट से असंबद्ध (untied) होता है और इसे राज्य सरकारों के विवेकानुसार किसी भी क्षेत्र (जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना) में व्यय किया जा सकता है।
  - इन्हें स्थानीय सरकारों के बजटों के समान करने या स्थानीय संसाधनों की क्षतिपूर्ति करने हेतु तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के वर्धित प्रावधान हेतु प्रोत्साहन तंत्र के रूप में EFTs को डिजाइन करने के लिए केवल सीमित स्वतंत्रता ही प्राप्त है।
  - इसके अतिरिक्त, EFTs सार्वजनिक क्षेत्र के प्राप्तकर्ता तक ही सीमित हैं और PES के समान व्यक्तिगत परिवारों को प्रोत्साहन प्रत्यक्षत: हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

भारत में EFTs का विकास

- 1990 के दशक में संरक्षित क्षेत्रों (PA) के तहत आरोपित भू-उपयोग प्रतिबंधों के लिए नगरपालिकाओं को मुआवजा देने हेतु EFT को प्रारम्भ करने वाला ब्राज़ील विश्व का प्रथम देश बन गया।
- वर्ष 2014 तक EFTs के कुछ उदाहरणों में प्रायः संरक्षित क्षेत्र ही शामिल थे। जब 14वें वित्त आयोग (FC) ने प्रत्येक राज्य को केंद्र सरकार द्वारा आबंटित वार्षिक कर राजस्व की मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फार्मूले में वनावरण को शामिल किया था तब वित्त वर्ष 2014-15 में, वनों हेतु विश्व का प्रथम EFTs भारत में अधिनियमित किया गया था।

VISION IAS

- 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2013 में राज्य वनावरण को राज्यों के मध्य क्षैतिज अंतरण सूत्र (horizontal devolution formula) के एक तत्व के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले कर राजस्व में इसका भारांश 7.5% निर्धारित किया गया है।
- यह कार्य मुख्य रूप से 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वनों को अन्य उपयोगों में परिवर्तित करने के संभावित अवसरों की उपेक्षा करने के कारण उत्पन्न "राजकोषीय अक्षमता (fiscal disability)" हेतु राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए किया गया था। आयोग के साथ परामर्शों के दौरान पूर्वोत्तर में उच्च वनावरण वाले राज्यों द्वारा इस मुद्दे को निरंतर उठाया गया।
- **12वें और 13वें वित्त आयोगों द्वारा फारेस्ट-कवर-प्रपोर्शनल फण्ड को पहले ही राज्यों को उपलब्ध कराया गया था, किन्तु 14वें वित्त आयोग (FC) की अनुशंसाएं इसकी पूर्ववर्ती अनुशंसाओं से तीन महत्वपूर्ण मामलों में भिन्न थीं-**
    - 14वें FC द्वारा 30 से 250 गुना अधिक वित्त की अनुशंसा की गई थी।
    - 13वें FC द्वारा स्वीकृत निधियों का तीन-चौथाई आबंटन कार्य-योजनाओं के निर्माण और अन्य पूर्व-स्थितियों पर भारित था; इसके विपरीत EFTs का आबंटन बिना किसी पूर्व शर्त के स्वचालित था।
    - 12वें और 13वें FCs से अनुदानों को राज्यों द्वारा वन-संबंधी बजट मदों पर व्यय किया जाना था, जबकि EFTs का संचालन राज्यों के सामान्य बजट में एक शुद्ध हस्तांतरण के रूप में किया जाता है, जो कि 14वें FC द्वारा प्रस्तावित सामान्य प्रयोजन हस्तांतरण के लिए निर्धारित अनुदान से केंद्र से राज्य को होने वाले स्थानांतरण का भाग होता है।

भारत में EFT के संभावित प्रभाव: एक सतत वनावरण-आनुपातिक राजकोषीय हस्तांतरण (sustained forest-cover-proportional fiscal transfer) के परिणामस्वरूप मध्यम-से-दीर्घावधि में निम्नलिखित कार्रवाईयां संचालित हो सकती है:

- राज्य सरकारें वन प्रबंधन हेतु बजट में वृद्धि कर सकती हैं;
- राज्य सरकारें अपने नियंत्रण के भीतर मौजूदा **प्रो-फ़ॉरेस्ट पॉलिसी** (समर्थकारी वन नीतियां) के उपयोग और प्रभावशीलता को बढ़ावा दे सकती हैं;
- राज्य सरकारें राज्य की सीमाओं के भीतर स्थानीय सरकारों द्वारा **प्रो-फ़ॉरेस्ट एक्शन** (समर्थकारी वन कार्रवाईयां) को प्रोत्साहित करने हेतु नए तरीके विकसित कर सकती हैं।
- यह ध्यान रखा जाना महत्वपूर्ण है कि केवल भारत के EFTs ही वनावरण के संदर्भ में सशर्त हैं तथा वनों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना करने हेतु राज्यों के पास कोई सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार, भारत के लिए यह अवलोकित करना आवश्यक होगा कि क्या दो अतिरिक्त कार्रवाईयां की जानी चाहिए अथवा नहीं:
    - **सामाजिक सुरक्षा उपायों का अभाव,** वन संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने से स्थानीय लोगों के दमनकारी और अन्यायपूर्ण बहिष्कार को बढ़ावा देता है।
    - **जैव-विविधता सुरक्षा उपायों का अभाव,** स्थानीय वनों की पुनरुत्थान की कीमत पर तीव्रता से वर्धित व्यावसायिक प्रजातियों सहित पुनर्वनरोपण को प्रोत्साहित करता है।

नीतिगत अनुशंसाएं

CDG के अध्ययन में यह अवलोकित किया गया है कि वनावरण के प्रभावों को ज्ञात करना अभी जल्दबाजी होगी। इसके लिए इसने निम्नलिखित अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं:

- EFTs द्वारा प्रदान किए गए राजकोषीय प्रोत्साहनों पर राज्य सरकारों द्वारा अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है क्योंकि 2019 के बाद भी क्षैतिज अंतरण सूत्र के एक तत्व के रूप में वनावरण को बनाए रखा जा सकता है।
- किन्तु फिर भी, उन कारणों पर विचार किया जाना चाहिए कि सुधार के प्रत्यक्ष प्रभाव क्यों नहीं प्राप्त हुए हैं -
    - निकट भविष्य में वर्धित राज्य राजस्व के परिणामस्वरूप वर्तमान लोक नीति में होने वाले परिवर्तनों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है; या
    - नीति को प्रभावित करने हेतु राजकोषीय प्रोत्साहन (व्यापक अर्थों में, EFTs का प्रति वर्ष 5.7 बिलियन डॉलर अभी भी कुल राज्य राजस्व का लगभग 2% ही है) अत्यल्प हो सकते हैं; या
    - यह भी संभव है कि अत्यधिक वनोन्मूलन पर राज्य सरकारों का प्रभाव न रहे।
- इस पृष्ठभूमि में, 15वें वित्त आयोग के पास राज्यों को अधिक से अधिक निश्चितता प्रदान करने का अवसर है अर्थात् FC द्वारा राज्यों के वनावरण में वृद्धि के लिए प्रतिफल राज्यों को प्रदान किए जाने वाले राजस्व में वृद्धि करने के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके लिए निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
    - वनों को अगले 5 वर्षों के लिए क्षैतिज अंतरण सूत्र के अंतर्गत रखा जाना चाहिए; तथा

VISION IAS

- उस वर्ष को अद्यतित करना {(2013 के पश्चात् वर्ष का निर्धारण करना (उदाहरण- 2019)} जिसके लिए वनावरण का मापन किया जाना है।

ऐसा करने से भारत के EFTs, वनों के संरक्षण और पुनर्बहाली (जलवायु परिवर्तन का शमन करने हेतु भारत के व्यापक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण तत्व) हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव तंत्र के रूप में अपनी क्षमता को पूर्ण कर सकता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए सशर्त भुगतान के अन्य तरीके:

- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (PES)** 'लाभार्थी भुगतान सिद्धांत' पर ध्यान केंद्रित करता है और इसलिए पहले से ही अमूल्यंकित (un-priced) पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर मूल्य आरोपित करने का अवसर प्रदान करता है।
- **निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती (रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस: REDD+):** इसका उद्देश्य वनों की हानि या उनके क्षरण की रोकथाम करने हेतु स्थानीय लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है।

भारत में EFTs पर CGD अध्ययन - 2019 के निष्कर्ष

- तीन वर्ष पूर्व EFTs की शुरुआत के पश्चात् तीन वर्षों में राज्यों ने अपने वानिकी बजट में 19% की वृद्धि की है।
- हालांकि, यह वृद्धि इस समान समयावधि के दौरान समग्र बजट में हुई 42% की वृद्धि से काफी कम है।
- EFTs से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों ने अपने वानिकी बजट में व्यवस्थित रूप से वृद्धि नहीं की है।

इन परिणामों को निम्नलिखित कारण श्रृंखला (causal chain) के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है-

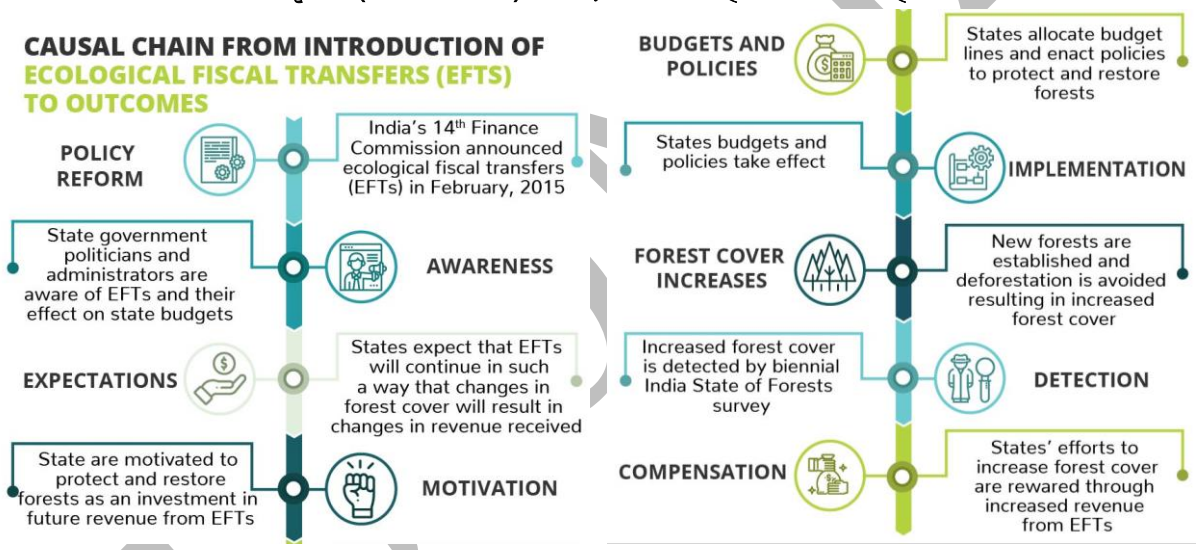

5.9. हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन - कार्य योजना की तैयारी हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (National Guidelines for Preparation of Action Plan-Prevention and Management of Heat Wave)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन कार्य योजना की तैयारी हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

भारत में हीट वेव

हीट वेव भारत के प्रमुख मौसमी खतरों में से एक के रूप में उभरा है। हीट वेव असाधारण उच्च तापमान (अधिकतम सामान्य तापमान से अधिक) की अवधि होती है। हीट वेव्स मुख्य रूप से मार्च से जून के दौरान भारत के उत्तरी-पश्चमी भागों में प्रभावी होती है तथा कुछ दुर्लभ मामलों में इसका प्रवाह जुलाई माह तक भी विस्तारित हो जाता है।

- इस वर्ष (2019) 32 बार हीट वेव्स की बारम्बारता ने 23 राज्यों को प्रभावित किया है, जो रिकॉर्ड किए गए उच्च तापमान की दूसरी सबसे लंबी अवधि रही है।
- वर्ष 2019 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में "चरम" तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो इस वर्ष शुष्क मौसम की सबसे लंबी अवधि रही।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन में विलंबता के कारण देश के लगभग दो-तिहाई भाग में हीट वेव की अवधि लंबी हो जाती है।

हीट वेव क्या है?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्र के लिए 40° सेल्सियस या उससे अधिक, तटीय क्षेत्रों के लिए 37° सेल्सियस या इससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30° सेल्सियस या अधिक पहुंच जाता है, तो उसे हीट वेव माना जाता है।

हीट वेव घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया जाता है:

- सामान्य से अधिक तापमान बढ़ने पर आधारित
  - **हीट वेव:** तापमान में सामान्य से 4.5°C से 6.4°C की अधिक वृद्धि
  - **गंभीर हीट वेव:** तापमान में सामान्य से 6.4°C या इससे अधिक की वृद्धि
- वास्तविक अधिकतम तापमान पर आधारित (केवल मैदानी क्षेत्रों के लिए)
  - **हीट वेव:** जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C या इससे अधिक पहुँच जाए
  - **गंभीर हीट वेव:** जब वास्तविक अधिकतम तापमान 47°C या इससे अधिक पहुँच जाए
- हीट वेव घोषित करने के लिए, उपर्युक्त मानदंड कम से कम लगातार दो दिनों तक किसी एक उप-मौसम विभाग में न्यूनतम दो स्टेशनों (स्थानों) पर प्राप्त होने चाहिए तथा तब दूसरे दिन ऐसी स्थिति को हीट वेव घोषित कर दिया जाता है।

हीट सुभेद्यता को प्रभावित करने वाले कारक

- इसके अंतर्गत आवास और निर्मित परिवेश की गुणवत्ता, स्थानीय शहरी भौगोलिक स्थिति, लोगों की जीवन शैली, आय स्तर, रोजगार प्रवृत्तियां, सामाजिक नेटवर्क तथा जोखिम की स्व-धारणा शामिल हैं।
- अनियोजित शहरी वृद्धि और विकास, भूमि उपयोग और भूमि आवरण में परिवर्तन, सघन आवसित क्षेत्र और बढ़ता शहरी विस्तार तथा इससे संबंधित विशेष चुनौतियाँ जैसे शहरों में शहरी ऊष्मा द्वीप (अर्बन हीट आइलैंड) प्रभाव हीट वेव के प्रभाव में वृद्धि कर रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन, भारत में हीट वेव की बारम्बारता और गंभीरता बढ़ाने के साथ-साथ तापमान में वृद्धि कर रही है।
- **हीट वेव एक्शन प्लान (HWAP)** में हीट वेव्स के मूल कारण को अभी तक आपदा के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है जैसा कि सरकार द्वारा **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के तहत परिभाषित किया गया है। हीट वेव को **राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष** के नियमों के अंतर्गत राहत के लिए निर्दिष्ट 12 आपदाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह निम्नलिखित कारणों से HWAP को तैयार किए जाने हेतु अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है:

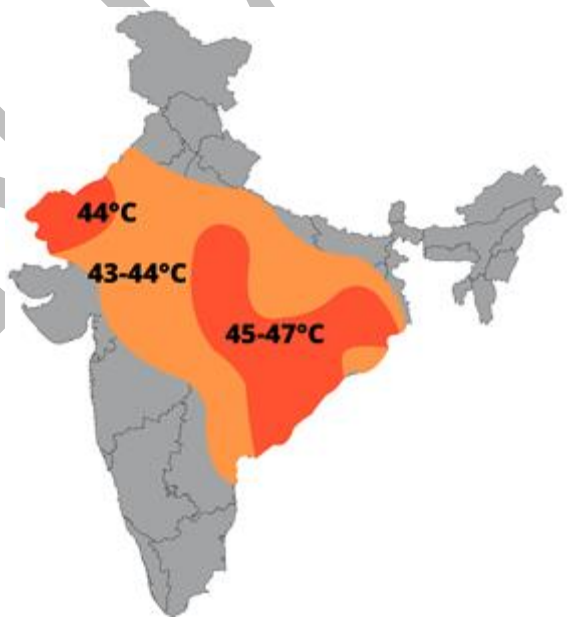

  - **बढ़ता भौगोलिक विस्तार:** हीट वेव की अवधि के दौरान उत्तरी-पश्चिमी भारत के अधिकांश राज्य, गंगा के मैदान, मध्य भारत और भारत के पूर्वी तट प्रभावित होते हैं।
  - **हीट वेव के कारण होने वाली मृत्यु:** यह एक "आकस्मिक आपदा (साइलेंट डिजास्टर)" है। NDMA के अनुसार, हीट वेव के कारण विभिन्न राज्यों में वर्ष 1992 से 2015 तक 24,223 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि, संभावना यह है कि यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है क्योंकि हीट वेव जनित रोगों को प्रायः गलत तरीके से दर्ज किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त करना कठिन कार्य होता है।
  - **सुभेद्य जनसंख्या:** समाज के अधिकांश कमजोर वर्गों को अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु अत्यधिक गर्मी में कार्य करना पड़ता है और हीट वेव के कारण शरीर में जल की कमी (dehydration), हीट और सन स्ट्रोक के प्रतिकूल प्रभावों के लिए अत्यधिक सुभेद्य होते हैं।
  - **निरंतर अद्यतन के साथ प्रमाण आधारित योजना:** एक साक्ष्य आधारित योजना, प्रभावी कार्यान्वयन और हालिया वैज्ञानिक विकास के अनुरूप लगातार अद्यतन करने से हीट वेव से होने वाली मृत्यु की रोकथाम की जा सकती है। इसलिए, वर्ष 2017 के NDMA के हीट वेव दिशा-निर्देशों को अद्यतित किए जाने की आवश्यकता है।

दिशा-निर्देश

ये दिशा-निर्देश हितधारकों से अपेक्षा करते हैं कि वे विगत अनुभवों से सीखें, अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार करें और सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करें।

VISION IAS

- **सरकार की संलग्नता:** राज्य और जिला स्तर के नेताओं, नगरीय स्वास्थ्य एजेंसियों, आपदा प्रबंधन अधिकारियों और स्थानीय साझेदारों की सहभागिता को अनिवार्य बनाना।
- विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रीष्म ऋतु से पूर्व टेबल टॉप एक्सरसाइज (विचार विमर्श अभ्यास), सिमुलेशन और ड्रिल (पूर्व अभ्यास) का आयोजन करने के लिए **राज्य नोडल एजेंसी और अधिकारी को नियुक्त करना।**
- **सुभेद्यता का मूल्यांकन और हीट-हेल्थ थ्रेशोल्ड तापमानों को स्थापित करना:** यह ताप की चेतावनियों और गतिविधियों के लिए प्राथमिकताओं एवं न्यूनतम सीमा को स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। राज्य को ताप सीमाओं को विकसित करने के लिए IMD के साथ समन्वय करना चाहिए।
- **हीट एक्शन प्लान का प्रारूप तैयार और विकसित करना:** राज्य नोडल अधिकारी ग्रीष्म ऋतु के पूर्वानुमानों को प्राप्त करने और रंग संहिताओं पर आधारित प्रारंभिक चेतावनी और दैनिक सतर्कता प्रणाली स्थापित करने के लिए स्थानीय IMD कार्यालय के साथ समन्वय कर सकता है।
- **दल की तैयारी और समन्वय:** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के अधिकारी और एजेंसी ग्रीष्म ऋतु के लिए बेहतर तरीके से सुप्रशिक्षित हैं और उनके पास ग्रीष्म ऋतु से पूर्व, मौसम के दौरान और उसके बाद की गतिविधियों के संबंध में सूचनाएं हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से चुनी हुई भूमिकाओं और सूचनाओं के प्रवाहों के साथ, स्पष्ट रूप से परिभाषित अंतर-एजेंसी आकस्मिक प्रतिक्रिया योजना विकसित करनी चाहिए।
- **कार्यान्वयन एवं निरीक्षण:** सूचना, शिक्षा और संचार अग्रिम रूप से समुदायों को प्रमुख संदेशों को व्यापक रूप से प्रसारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - हीट वेव के दौरान "क्या करना है और क्या नहीं करना है" संबंधी दिशा-निर्देशों को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना चाहिए और इन्हें सोशल मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए।
- **योजना का मूल्यांकन और उन्नयन:** प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु के पश्चात्, शहर या राज्य को प्रक्रियाओं, परिणामों और प्रभावों सहित इसके 'हीट एक्शन प्लान' की प्रभावकारिता का आकलन करना चाहिए।
- **अत्यधिक गर्मी के जोखिम को कम करने और जलवायु परिवर्तन (दीर्घकालिक योजनाएं) को अनुकूल बनाने की रणनीतियाँ:** राज्यों को शमन रणनीतियों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI) प्रभाव को कम करने के लिए शहर में हरित क्षेत्र के विस्तार में वृद्धि करना या ठंडी छतों (cool roofs) को क्रियान्वित करना।

5.10. राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (National Landslide Risk Management Strategy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा 'राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (NLRMS)' जारी की गई।

पृष्ठभूमि

- भारत विभिन्न प्रकार के भूस्खलनों के प्रति सुभेद्य है, जो जन-धन क्षति के संदर्भ में अत्यंत विनाशकारी होते हैं।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के अनुसार, हमारे देश के लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर अर्थात् **12.6 प्रतिशत भूमि** भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत निहित है।
- हाल के वर्षों में, चरम मौसमी घटनाओं, साथ ही मानवीय हस्तक्षेप एवं अन्य मानवजनित गतिविधियों के परिणामस्वरूप हुए पर्यावरणीय ह्रास के कारण **भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि** हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन, पशुधन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई है।
- इसने **NRLM के सृजन संबंधी आवश्यकता पर बल** दिया है। NDMA ने भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर रणनीति तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

- **भूस्खलन** को **शैल, मलबे या मृदा के खिसकने** के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूस्खलन एक प्रकार का **"वृहद क्षरण"** है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टानी मलबे एवं भू-सतह जैसे ढलान पर स्थित पदार्थों के नीचे तथा बाहर की ओर संचलन को दर्शाता है।
- **भूस्खलन के कारण:**
    - नदी अपरदन, खनन, सुरंग एवं सड़कों की खुदाई के कारण गिरिपदीय क्षेत्रों में होने वाला क्षरण, इत्यादि।
    - बाह्य भार, जैसे- भवन, जलाशय, राजमार्ग यातायात, मलबे का भंडार, ढलान पर जलोढ़ जमाव, आदि।
    - जल की मात्रा में वृद्धि के कारण ढलान सामग्री के इकाई भार में वृद्धि।

- भूकंप, ब्लास्टिंग, ट्रैफिक आदि के कारण होने वाले कंपन, जिससे कर्तन प्रतिबल (shearing stresses) में वृद्धि होती है।
- वनों की कटाई के कारण ढलान के स्वरुप में परिवर्तन।

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के भूस्खलन जोखिम क्षेत्रों का मानचित्रण किया है। भू-स्खलन जोखिम क्षेत्र (Landslide Hazard Zonation: LHZ) के मानचित्रण एवं विशिष्ट क्षेत्रों के लिए उत्तरोत्तर बड़े पैमाने पर NDMA के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।
  - **लैंडस्लाइड ज़ोनिंग:** यह एक तंत्र या प्रक्रिया है जो वास्तविक या संभावित भूस्खलन की संभावना, खतरे या जोखिम के अनुसार समान स्थानिक क्षेत्रों/ढलान के रूप में पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों का विभाजन करता है।

रणनीति की मुख्य विशेषताएं

- **भू-स्खलन जोखिम क्षेत्र (LHZ):** यह सूक्ष्म एवं वृहत स्तर पर LHZ मानचित्रण तैयार करने की आवश्यकता पर बल देता है। इन क्षेत्रों के मानचित्रण में मानव रहित वाहन (UAV), टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर एवं हाई-रिज़ॉल्यूशन अर्थ ऑब्जरवेशन (EO) डेटा जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग शामिल है।
- **भूस्खलन निगरानी एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली:** रेनफॉल थ्रेसहोल्ड, संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (NWP), स्वचालित वर्षा गेज प्रणाली (ARGS) आदि के विकास और कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सिफारिश के रूप में इन सभी को शामिल किया गया है।
- **जागरूकता कार्यक्रम:** एक सहभागी दृष्टिकोण को परिभाषित किया गया है ताकि समुदाय का प्रत्येक वर्ग जागरूकता अभियान में सम्मिलित हो सके। चूंकि किसी भी सहायता के पहुंचने से पूर्व आपदा का सामना सर्वप्रथम समुदाय द्वारा ही किया जाता है, इसलिए समुदाय को इसमें भागीदार बनाने एवं शिक्षित करने के लिए जागरूकता प्रणाली विकसित की गयी है।
- **हितधारकों की सक्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण:** यह भूस्खलन आपदा जोखिम प्रतिक्रिया पर प्रशिक्षण देने हेतु लक्षित समूह की पहचान करने तथा जमीनी स्तर पर सुभेद्य समुदायों के सक्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिक्रिया ढांचे को सुदृढ़ता प्रदान करने पर केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
  - देश में विशेषज्ञता-पूर्ण एक तकनीकी-वैज्ञानिक पूल बनाने के लिए **सेंटर फॉर लैंडस्लाइड रिसर्च स्टडीज एंड मैनेजमेंट (CLRSM)** का निर्माण किया जाना चाहिए।
- **पर्वतीय क्षेत्र विनियमन एवं नीति तैयार करना:** यह रणनीति भू-उपयोग नीतियों के निर्माण एवं तकनीकी विधिक व्यवस्था, भवन सहिंताओं के अपडेशन एवं प्रवर्तन, साथ ही भूस्खलन प्रबंधन के लिए BIS कोड/दिशा-निर्देशों की समीक्षा एवं संशोधन, नगर एवं ग्राम नियोजन संबंधी विधायी योजनाओं में प्रस्तावित संशोधन तथा प्राकृतिक रूप से जोखिम प्रवण क्षेत्रों आदि के लिए भूमि उपयोग मानचित्रण आदि को सम्मिलित करती है।

5.11. वैश्विक तापन के कारण वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन (Global Warming Alters Rainfall Pattern)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में हुए, एक अध्ययन में पाया गया है कि हिंद-प्रशांत महासागर तेजी से गर्म हो रहा है तथा यह परिवर्तन वैश्विक वर्षा प्रतिरूप को प्रभावित कर रहा है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- निरंतर तापन के कारण **इंडो-पैसिफिक वार्म पूल** (पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर के मध्य उष्ण महासागरीय क्षेत्र) में वर्ष 1981 और वर्ष 2018 के मध्य दो गुना विस्तार हुआ है।
- इस **तीव्र तापन** एवं सागरीय सतह के तापमान में वृद्धि के कारण **मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO)** चक्र में परिवर्तन हुआ है।
  - जहाँ हिंद महासागर में MJO मेघों की उपस्थिति (सामान्य से) कम रही है, वहीं पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पर उनकी उपस्थिति में वृद्धि हुई है।
- इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप **बंगाल की खाड़ी** की ओर **उष्ण सागरीय सतह का प्रतिस्थापन** हो सकता है तथा यह मानसून की अवधि के पश्चात् **चक्रवात संबंधी गतिविधियों में वृद्धि** कर सकता है।
  - इससे उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की मात्रा में कमी हो सकती है।
- **वैश्विक मौसमी प्रतिरूप** में भी परिवर्तन हुआ है:
  - उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी प्रशांत, अमेज़न बेसिन, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हुई है।
  - अमेरिका के पश्चिमी एवं पूर्वी तट, उत्तर भारत, पूर्वी अफ्रीका और चीन में यांग्त्ज़ी नदी बेसिन के साथ-साथ मध्य प्रशांत क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में कमी हुई है।

मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO)

- MJO तरंग पश्चिम से पूर्व की ओर आवधिक रुप से गतिशील निम्न दाब युक्त क्षेत्र की एक वैश्विक मेखला (बैंड) है। यह निम्न दाब युक्त क्षेत्रों/अवदाबों/चक्रवातों की उत्पति और तीव्रता को निर्धारित करती है तथा इस प्रक्रिया के तहत मानसून का आगमन भी निर्धारित होता है।
- यह मेघ, वर्षण, पवन और दाब में होने वाला परिवर्तन है जो पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में (30° उत्तर और 30° दक्षिण के मध्य) गतिशील होते हैं तथा औसतन 30 से 60 दिनों के भीतर पुन: अपनी प्रारंभिक स्थिति में स्थापित हो जाते हैं।

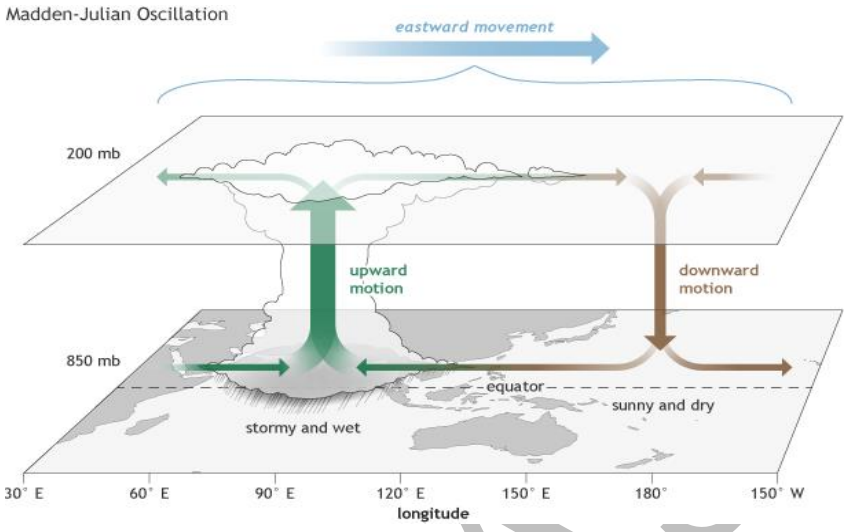

(इसके अतिरिक्त, जून 2019 के मासिक करेंट अफेयर्स में लेख "मानसून के आगमन में विलंब" का भी संदर्भ लें सकते हैं)

5.12. वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 (World Energy Outlook 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने वर्ष 2019 के लिए "वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक" रिपोर्ट जारी की।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency: IEA)

- यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ढाँचे के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में देशों को तेल आपूर्ति में होने वाले व्यवधानों की स्थिति में सामूहिक प्रतिक्रिया देने में सहायता करने के लिए की गई थी।
- IEA का सदस्य बनने हेतु एक देश को OECD सदस्य होना चाहिए।
- भारत वर्ष 2017 में 'एसोसिएट मेंबर' के रूप में IEA में सम्मिलित हुआ।
- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के अतिरिक्त यह "ग्लोबल एनर्जी" और "CO2 स्टेटस रिपोर्ट" भी तैयार करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वैश्विक ऊर्जा प्रणाली में **"अत्यधिक परिवर्तन"** (profound shifts) के बावजूद, जब तक जलवायु परिवर्तन के संबंध में अति महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक वैश्विक स्तर पर CO2 उत्सर्जन में वृद्धि जारी रहेगी।
- हालाँकि, कोयले की अत्यधिक खपत के साथ-साथ, तेल और गैस की बढ़ती मांग के कारण वैश्विक उत्सर्जन संपूर्ण आउटलुक अवधि में अर्थात् वर्ष 2040 तक जारी रहेगा।
- **आउटलुक अवधि के अंतर्गत निम्नलिखित तीन वैकल्पिक "परिदृश्यों" को शामिल किया गया है:**
  - **निर्धारित नीतिगत परिदृश्य (Stated Policies Scenario: STEPS):** यह परिदृश्य उस दिशा की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जिसमें वर्तमान नीतिगत महत्वाकांक्षाएं ऊर्जा क्षेत्र का भविष्य निर्धारित करेंगी।
  - **सतत विकास परिदृश्य (Sustainable Development Scenario: SDS):** यह परिदृश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2° C से नीचे रखने और 1.5° C तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए पूर्णतः पेरिस समझौते के अनुरूप दृष्टिकोण को दर्शाता है और सार्वभौमिक ऊर्जा उपलब्धता एवं स्वच्छ वायु से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करता है।
  - **वर्तमान नीतिगत परिदृश्य:** वर्तमान नीतिगत परिदृश्य एक आधारभूत चित्र प्रस्तुत करता है कि यदि सरकारें अपनी मौजूदा नीतियों और प्रयासों में कोई परिवर्तन न करें तो वैश्विक ऊर्जा बाजार कैसे विकसित होंगे।

5.13. ओलिव रिडले टर्टल (Olive Ridley Turtles)

सुर्ख़ियों में क्यों?

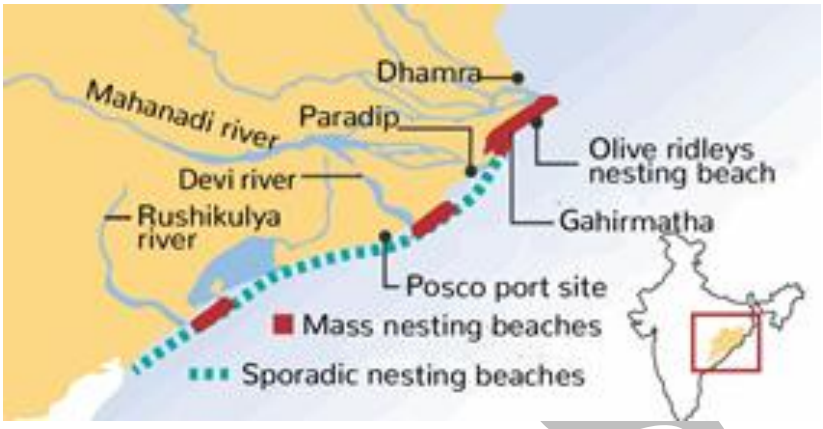

- हाल ही में, ओडिशा वन विभाग द्वारा ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा हेतु राज्य के **गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य** में नवंबर 2019 से मई 2020 के मध्य मत्स्यन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ओडिशा में स्थित गहिरमाथा को ओलिव रिडले कछुओं की **विश्व के सबसे बड़े नेस्टिंग स्थल** के रूप में जाना जाता है।
- ये नवंबर माह में अभ्यारण्य के निकटवर्ती जलीय क्षेत्रों में लाखों की संख्या में मेटिंग हेतु एकत्रित होते हैं। जबकि मादा कछुए मार्च में अंडे देती हैं।
- ट्रॉलर और नाव चलाने वालों को सागरीय तट के 20 किलोमीटर के भीतर मछली न पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया है।

ओलिव रिडले टर्टल के बारे में

- ओलिव रिडले टर्टल प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के उष्ण जल में पाए जाते हैं तथा ये विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में आकार में सबसे छोटी प्रजाति है लेकिन इनकी संख्या सर्वाधिक है।
- रिडले टर्टल अपने सामान प्रजाति के केम्प्स रिडले कछुए के साथ, **अरिबडा (Arribada)** नामक अपने अद्वितीय सामूहिक नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जहाँ अंडे देने के लिए एक ही तट पर हजारों की संख्या में मादा कछुए एक साथ एकत्रित होती हैं।
- इस प्रजाति को **IUCN रेड लिस्ट द्वारा वल्नरेबल (Vulnerable) श्रेणी** में शामिल किया गया है। साथ ही, इन्हें **CITES के परिशिष्ट 1** में भी सम्मिलित किया गया है।
- ये **मांसाहारी** होते हैं और मुख्य रूप से जेलिफ़िश, झींगा, घोंघे, केकड़े, मोलस्क और विभिन्न प्रकार की मछलियां और उनके अंडे इनके भोजन के प्रमुख स्रोत हैं।
- रिडले टर्टल अपना संपूर्ण जीवन समुद्र में व्यतीत करते हैं तथा वर्ष के दौरान भोजन एवं प्रजनन स्थलों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।

ऑलिव रिडले कछुओं के समक्ष खतरे:

- विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों, जैसे- कछुओं के प्रतिकूल मत्स्यन गतिविधि, बंदरगाहों एवं पर्यटन स्थलों के विकास के चलते नेस्टिंग स्थलों का विनाश तथा प्रकाशीय प्रदूषण के कारण ओलिव रिडले को अपने प्रवास मार्गों, पर्यावास एवं नेस्टिंग स्थलों के समक्ष गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता हैं।
- यद्यपि इन कछुओं एवं इनके उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित है, फिर भी मांस, खोल एवं चमड़े के लिए इनका व्यापक रूप से शिकार किया जा रहा है। कछुए के अंडों को एकत्रित करना गैर-कानूनी है फिर भी तटीय क्षेत्रों की बाजारों में ये बहुतायत रूप से उपलब्ध रहते हैं।

सरकारी पहलें

- भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के मध्य समुद्र में प्रजनन संबंधी अल्पविश्राम को सुनिश्चित (mid-sea sojourn of breeding) करने के लिए अपने वार्षिक मिशन के हिस्से के रूप में **'ओलीवा अभियान'** शुरू किया है।
- **ऑपरेशन सेव-कूर्म:** यह वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा कछुओं की प्रजाति से संबंधित विशेष अभियान है।
- **वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972** और वर्ष 2006 में इसके नवीनतम संशोधन ने राज्य के सभी समुद्री कछुओं की प्रजातियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं।

VISION IAS

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. पब्लिक गुड के रूप में शिक्षा (Education as a Public Good)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन में कोष की कमी के कारण छात्रावासों की फीस में वृद्धि की गई है। इससे यह परिचर्चा शुरू हो गयी है कि शिक्षा एक पब्लिक गुड (सार्वजनिक वस्तु) है या निजी वस्तु।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में शिक्षा को समता आधारित बनाने पर बल दिया गया है।

भारत की शिक्षा नीतियों में एक पब्लिक गुड के रूप में शिक्षा का विकासक्रम:

- इस दिशा में प्रयास सर्वप्रथम **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948)** की नियुक्ति के साथ आरंभ हुआ था। **डॉ. एस. राधाकृष्ण** इस आयोग के अध्यक्ष थे तथा उन्होंने हमारे संविधान के पांच आधारभूत सिद्धांतों, यथा- **लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समता** तथा **बंधुत्व** के संदर्भ में उच्च शिक्षा के पुनर्विन्यास पर चर्चा की।
- डॉ. राधाकृष्णन की अनुशंसाओं को वर्ष 1952 में गठित डॉ. एल. एस. मुदिलियार की अध्यक्षता वाले **माध्यमिक शिक्षा आयोग** के द्वारा समर्थन प्रदान किया गया।
- इसके पश्चात् **डी. एस. कोठारी** की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गयी। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968** का निर्माण किया गया। इसने सार्वजनिक शिक्षा हेतु सामान्य विद्यालयी प्रणाली पर बल दिया, जिससे सभी सामाजिक स्तर के बच्चों को शिक्षा का समान अभिगम (पहुँच) प्राप्त हो तथा जो परिमाण एवं गुणवत्ता दोनों संदर्भ में पर्याप्त हो। इसकी अनुशंसाओं में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा एवं शिक्षा के लिए वित्तीय व्यय में वृद्धि करने के संबंध में भारतीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की झलक मिलती थी।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1979** के मसौदे में वयस्क शिक्षा पर बल दिया गया, जिसको इस नीति के अंतर्गत पुनर्संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Programme) का अभिन्न अंग माना गया।
- **वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 1992 में संशोधित किया गया।** नई शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया कि पिछड़े वर्गों, दिव्यांग जनों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे के विकास के लिए उनकी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाए। साथ ही, शिक्षा के वाणिज्यीकरण हेतु संस्थानों की स्थापना को रोकने के लिए कदम उठाए जाने पर भी बल दिया गया।
- **वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणाम अग्रलिखित हैं:** सर्व शिक्षा अभियान, मध्यावधि भोजन योजना, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय तथा शिक्षा में IT का उपयोग आदि।
- **वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन** के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में रखा गया तथा **वर्ष 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम** के द्वारा शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया।

सार्वजनिक वस्तु (Public Good) क्या है?

सार्वजनिक वस्तुओं की अवधारणा संसाधनों के आबंटन में सरकार की भूमिका के आर्थिक विश्लेषण पर आधारित है। सार्वजनिक वस्तुओं को निम्नलिखित दो विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया जाता है:

1. **गैर-बहिष्करण (Non-excludability):** गैर-भुगतानकर्ताओं को उस वस्तु का उपयोग करने से वंचित नही किया जाता है।
2. **उपभोग में प्रतिद्वंद्विता का अभाव (Non-rivalry in consumption):** यदि अतिरिक्त लोग उस वस्तु का उपयोग करते हैं तो इस कारण से दूसरों को प्राप्त होने वाले लाभ कम नहीं होते हैं।

शिक्षा एक पब्लिक गुड क्यों होनी चाहिए?

- **सेवा के रूप में शिक्षा:** शिक्षा उन महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है, जिसे एक आधुनिक राज्य से अपने लोगों को प्रदान किए जाने की अपेक्षा की जाती है। यह एक ऐसी सेवा है, जिसे सबसे सुगम रूप में प्रदान करने का प्रत्येक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य पर दायित्व होता है।
- **मानवाधिकार के रूप में शिक्षा:** संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 1948 में अपनाए गए ऐतिहासिक **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा** के अनुच्छेद 26 में यह घोषणा की गई है कि "सभी को शिक्षा का अधिकार है"। इसमें यह भी उल्लेख है कि **"कम से कम प्रारंभिक और मौलिक चरण में शिक्षा नि:शुल्क होगी"** तथा "प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी" और यह कि 'शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास एवं मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित की जाएगी'।
- **ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था:** 2030-2032 तक भारत दस ट्रिलियन डॉलर से अधिक की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि ज्ञान आधारित संसाधनों से संचालित होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

VISION IAS

उस ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण होगी, जिसके लिए वर्तमान में भारत के कुछ भागों में प्रयास चल रहे हैं लेकिन इसमें संपूर्ण देश को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

- **समानता:** शिक्षा या रोजगार के बाजारों में प्रतिस्पर्धा केवल तभी उचित होती है जब प्रतियोगी समान शक्ति धारक होते हैं। इस आवश्यकता को शिक्षा के निजीकरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।
- **जनसांख्यिकी लाभांश:** भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग अनुकूल जनसांख्यिकीय चरण में विद्यमान है। वहनीय एवं सुलभ शिक्षा भारत को अपनी क्षमता को साकारित करने में सहायता करेगी।
- **गरिमापूर्ण जीवन यापन:** भारत की जनसंख्या का लगभग पाँचवाँ भाग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। ऐसे में शिक्षा की सार्वजनिक उपलब्धता उन्हें सीखने एवं सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का मार्ग प्रदान करती है। शिक्षा को अभाव के विपरीत विकास के एक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए तथा इसे एक ऐसी वस्तु नहीं माना जा सकता है, जहां बाजार की शक्तियां कुछ विशिष्ट प्रकार की शिक्षा (उदाहरण: कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की मांग उत्पन्न करती हैं।
- **वित्त पोषण:** भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 2.7 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करता है, जबकि भारत जैसी ही विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, यथा- चीन और ब्राजील क्रमशः अपने GDP का 4 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत तक शिक्षा पर व्यय करती हैं। यहां तक कि यदि शिक्षा को IIT एवं IIM जैसे संस्थानों में भी नि:शुल्क किया जाता है, तो केवल वार्षिक बजट का लगभग 0.1 प्रतिशत ही अतिरिक्त व्यय होगा।
- **नामांकन अनुपात:** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत में सकल नामांकन अनुपात 2018-19 में केवल 26.3 प्रतिशत था।
- **परोपकारी दान:** यहां तक कि विशिष्ट आइवी लीग विश्वविद्यालय (Ivy League universities) (हार्वर्ड जैसे आठ संस्थानों का एक समूह), उदार परोपकारी दान के द्वारा आरंभ किए गए थे, जो वर्तमान में एक सार्वजनिक संस्थान की तरह कार्य करते हैं।

शिक्षा को पब्लिक गुड बनाने के विपक्ष में तर्क

- **वित्तीय बाधाएं:** विकसित देशों के विपरीत, भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,000 डॉलर से कुछ ही अधिक है, आयकर की दर 42.74 प्रतिशत और कर-GDP अनुपात 11 प्रतिशत से भी कम है। इसलिए, सस्ती उच्च शिक्षा प्रदान करना एक कठिन कार्य है।
- **उच्च शिक्षा विशुद्ध रूप से पब्लिक गुड नहीं है।** जो लोग शिक्षा को पब्लिक गुड कहते हैं उनका आशय यह होता है कि इसकी **सकारात्मक बाह्यताएं होती हैं** अर्थात् इसके सभी लाभ छात्रों को प्राप्त नहीं होते हैं, अपितु जब अधिक लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो समाज को लाभ होता है। हालांकि, छात्रों को इसके एक महत्वपूर्ण अंश का लाभ मिलता है। इस प्रकार, यह उचित ही है कि छात्रों को उच्च शिक्षा की लागत का समुचित अंश वहन करना चाहिए।
- **उच्च शिक्षा को पब्लिक गुड के रूप में व्यवहार करने का अर्थ** शिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित करने का प्राथमिक लक्ष्य न रखना, अपितु उनके साथ **सार्वजनिक लाभ के साधन** के रूप में व्यवहार करना है। जितना अधिक हम यह मानते हैं कि शिक्षा का प्राथमिक औचित्य इसके द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला सार्वजनिक लाभ है, उतना ही हम सरकार द्वारा उनके लिए अच्छी माने जाने वाली शिक्षा की तुलना में अपनी पसंद से उच्च शिक्षा प्राप्त करने को प्राथमिकता कम देते हैं।
- साथ ही, **अमेरिका के अधिकांश शीर्ष संस्थान, जैसे- स्टैनफोर्ड एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय निजी स्वामित्व वाले हैं** और वे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं।
- शिक्षा को पब्लिक गुड बनाने से सदैव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नौकरशाही, सीमित प्रतिस्पर्धा, संसाधनों, प्रतिभाओं को आकर्षित करने की सीमित आवश्यकता जैसी बाधाएं परिलक्षित होती हैं।
- कई वित्तीय संस्थान छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं जिसे वे आय अर्जन करने पर वापस चुका सकते हैं (अभी अध्ययन करें, बाद में भुगतान करें का ऑस्ट्रेलियाई मॉडल)। इस तरह से गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा क्योंकि संस्थानों के पास संवितरण के लिए अधिक धनराशि विद्यमान रहेगी।

निष्कर्ष

पिछले कुछ दशकों में, शासन मॉडल के रूपांतरण, नागरिक समाज संगठनों की बढ़ती भागीदारी के साथ-साथ निजीकरण और शिक्षा को वस्तु माने जाने की अवधारणा की बढ़ती प्रवृत्ति, आर्थिक, पर्यावरणीय और बौद्धिक पहलुओं के कारण शैक्षिक परिदृश्य में गंभीर परिवर्तन हुए हैं जो शिक्षा के प्रति ऐसे मानवतावादी एवं समग्र दृष्टिकोण का आह्वान करते हैं जो "मानव अस्तित्व के कई आयामों को एकीकृत करने के लिए संकीर्ण उपयोगितावाद एवं अर्थवाद" से परे हो।

VISION IAS

6.2. लर्निंग पावर्टी (Learning Poverty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा **"एंडिंग लर्निंग पावर्टी"** (Ending Learning Poverty) नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है।

अधिगम असर्थता (लर्निंग पावर्टी)

- अधिगम असर्थता की परिभाषा: "**10 वर्ष की आयु के बच्चों का वह प्रतिशत, जो एक सरल कहानी को भी पढ़ने एवं समझने में असमर्थ होते हैं"।**
- विश्व बैंक का अनुमान है कि निम्न एवं मध्यम आय वर्ग वाले देशों में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले 53 प्रतिशत बच्चे एक सरल कहानी भी पढ़ और समझ नहीं पाते हैं।

भारत का परिदृश्य

- गैर-लाभकारी संगठन **'प्रथम'** द्वारा प्रकाशित **शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report: ASER) 2018** से भारतीय विद्यालयों (सरकारी एवं निजी दोनों) के छात्रों में मूलभूत पाठन और अंकगणितीय कौशल की अधिगम संबंधी कमी और असर्थता की व्यापकता का पता चलता है।
- इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कक्षा V के सभी छात्र-छात्राओं में से केवल आधे विद्यार्थी ही (50.3 प्रतिशत) कक्षा II के विद्यार्थियों हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तकों को पढ़ पाने में समर्थ हैं।
- शिक्षा स्तर की गुणवत्ता सीधे भारत के भविष्य के कार्यबल, उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश छात्र-छात्राओं के सीखने के स्तर पर निर्भर करता है।

अधिगम असर्थता की समाप्ति हेतु अनुशंसाएँ

- **लक्षित दृष्टिकोण:** इस रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक, पढ़ने में असमर्थ 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या में को कम करके कम से कम आधी करने का लक्ष्य रखा गया है।
  - इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु साक्षरता के लिए स्पष्ट लक्ष्यों, साधनों एवं उपायों के प्रति राजनीतिक और तकनीकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **प्रदर्शन का आकलन:** यह आवश्यक है कि मूल्यांकन प्रणालियों में मूल्यांकन परिणामों के आधार पर शैक्षणिक सुधारों हेतु निर्देश देने के लिए सुपरिभाषित उपायों को शामिल किया जाना चाहिए।
  - इन प्रणालियों हेतु परिणामों की उचित अभिकल्पना, कार्यान्वयन, प्रलेखन और प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है।
  - यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल्यांकन परिणाम समय के साथ देश के भीतर तुलनीय बने रहें, ताकि देश की प्रगति का निरंतर मापन हो सके।
- **शिक्षकों की गुणवत्ता हेतु सुधार करना, जैसे कि:**
  - शिक्षण को इसके दर्जे, प्रतिपूर्ति नीतियों एवं करियर की प्रगति संबंधी संरचना में सुधार करके आकर्षक पेशा बनाकर।
  - यह सुनिश्चित करके कि शिक्षक संक्रमण करने और कक्षा में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हों।
  - शिक्षकों के गुणात्मक चयन को बढ़ावा देकर।
  - शिक्षकों को निरंतर सुधार में समर्थ बनाने के लिए निरंतर समर्थन एवं प्रेरणा प्रदान करके।
  - प्रौद्योगिकी के बुद्धिमतापूर्ण उपयोग द्वारा शिक्षकों की प्रत्येक छात्र-छात्रा तक पहुँचने की क्षमता बढ़ाना तथा उनके सुदृढ़ता और विकास में वृद्धि करना।
- **परिवारों एवं समुदायों की भूमिका:** शिक्षा की माँग सृजित करने, शिक्षा हेतु बेहतर वातावरण निर्मित करने और सही शिक्षा सुधारों का समर्थन करने में परिवारों एवं समुदायों की भूमिका पर पुन: ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **बहु-क्षेत्रकीय दृष्टिकोण:** सभी बच्चे पढ़-लिख सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर जलापूर्ति और स्वच्छता, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण, वंचित आबादी के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा, सिविल सेवा सुधार एवं लोक सेवाओं के सुदृढ़ प्रबंधन तथा वित्तपोषण की आवश्यकता है।
- **आयु एवं कौशल के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराना:** गुणवत्ता युक्त व आयु के अनुरूप उपयुक्त पठन-पाठन सामग्री की उपलब्धता एक सुदृढ़ प्रारंभिक साक्षरता की पहचान है। जिन बच्चों की पुस्तकों तक पहुंच नहीं होती है या जिनका मुद्रित या डिजिटल और लिखित सामग्रियों से संपर्क नहीं होता है, उन्हें सामान्यत: पढ़ने-लिखने-सीखने के क्रम में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
- **मातृभाषा का महत्व:** शोधों से पता चलता है कि यदि बच्चों को आरंभ में उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो बच्चे पठन में प्रवीणता हासिल कर लेते हैं। ऐसी भाषा में पढ़ना सिखाने पर बच्चों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसे वे घर पर प्रयुक्त नहीं करते हों।

VISION IAS

- **बदलती प्रवृत्तियों के साथ कौशल को पुनर्परिभाषित करना:** विश्व तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि विघटनकारी प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और तेजी से विकसित हो रही जनसांख्यिकी जैसे वैश्विक रुझान निरंतर उन कौशलों को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं जिन्हें शिक्षार्थियों को आज विकसित करने की आवश्यकता है ताकि वे कल उत्पादक श्रमिक एवं संलग्न नागरिक बन सकें।
- **अन्य क्षेत्रों का अन्वेषण करने के प्रवेश द्वार के रूप में अधिगम कौशल:** यह रिपोर्ट विशेष रूप से बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने पर केंद्रित है क्योंकि छात्र-छात्राओं में पढ़ने का कौशल अन्य क्षेत्रों से अवगत होने का माध्यम है। जब बच्चे पढ़ने में प्रवीण हो जाते हैं, तो इससे सभी प्रकार के पुस्तकों में समाहित विस्तृत ज्ञान तक पहुँच प्राप्त हो सकती है।

6.3. डिजिटल लर्निंग पर औद्योगिक दिशा-निर्देश (Industry Guidelines on Digital Learning)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 'डिजिटल लर्निंग पर औद्योगिक दिशा-निर्देश'** का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रस्तुत किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये प्रारूप दिशा-निर्देश, टेक 2018 (TECH 2018) में डिजिटल लर्निंग पर वाइजैग घोषणा-पत्र के प्रत्युत्तर में **यूनेस्को, महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान (MGIEP)** द्वारा विकसित किए गए हैं।
  - टेक 2018 वस्तुतः MGIEP तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था।

भारत में डिजिटल लर्निंग

- **परिभाषा:** डिजिटल लर्निंग वस्तुतः डिजिटल प्रौद्योगिकी अथवा डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करने वाली अध्ययन पद्धति द्वारा समर्थित अधिगम प्रक्रिया है। यह अध्यापन कार्य तथा अधिगम को अपेक्षाकृत सहज व अनुभव-जन्य बनाती है, क्योंकि इसमें एनिमेशन, गेमीफिकेशन (किसी कार्य को खेल की भांति मनोरंजक बनाना), ऑडियो-विज़ुअल इफेक्ट्स आदि सम्मिलित होते हैं।
- **दायरा:** KPMG तथा गूगल के एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ऑनलाइन शिक्षा बाज़ार वर्ष 2016 के 1.6 मिलियन उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) तथा 247 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ कर वर्ष 2021 तक 9.6 मिलियन उपयोगकर्ताओं तथा 1.96 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है।
  - वर्तमान में, रि-स्किलिंग तथा ऑनलाइन सर्टिफिकेशन सबसे बड़ी श्रेणी (कैटगरी) है, प्राथमिक तथा द्वितीयक सहायक शिक्षा वर्ष 2021 तक सबसे बड़ी कैटगरी बन जाएगी तथा परीक्षा के लिए कराई जाने वाली तैयारी वर्ष 2021 तक सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाली कैटगरी बन जाएगी।
- **डिजिटल लर्निंग संबंधी दिशा-निर्देशों की आवश्यकता:** डिजिटल लर्निंग संबंधी संसाधनों की बढती उपलब्धता ने शिक्षकों, माता-पिता तथा स्कूल प्रमुखों हेतु सटीक डिजिटल लर्निंग, जैसे- गेम, एप्लीकेशन तथा टूल्स के चुनाव को बहुत कठिन बना दिया है।
  - सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में अन्तर्निहित शान्ति, भेदभाव रहित तथा संधारणीय विकास के मूल्यों को शामिल करने वाली डिजिटल शिक्षण पद्धतियों के साथ बेहतर शिक्षण के समेकन हेतु ये चुनौतियाँ शिक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी के विकासकर्ताओं के लिए दिशा-निर्देशों के एक समुच्चय के निर्माण के महत्व को रेखांकित करती हैं।

महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान (Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development: MGIEP)

- इसकी स्थापना भारत सरकार के सहयोग से UNESCO द्वारा नवम्बर, 2012 में की गयी थी।
- यह भारत में UNESCO के सहयोग से स्थापित प्रथम विशेषीकृत शैक्षिक संस्थान है तथा यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में **कैटगरी-1** वाला प्रथम संस्थान है।
  - **कैटगरी-1** संस्थान, UNESCO के अभिन्न अंग हैं तथा उनका लक्ष्य सदस्य राष्ट्रों की वैज्ञानिक क्षमता में वृद्धि करना है।
- यूनेस्को MGIEP वस्तुतः सामाजिक एवं भावनात्मक अधिगम, नवोन्मेषी डिजिटल शिक्षण विधियों तथा युवाओं का सशक्तीकरण करने वाले कार्यक्रमों का विकास कर सम्पूर्ण विश्व में शांतिपूर्ण तथा संधारणीय समाजों का निर्माण करने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के SDG 4.7 की प्राप्ति पर बल देता है।

प्रारूप दिशा-निर्देश

- इन प्रारूप दिशा-निर्देशों को दो बड़े खण्डों में विभाजित किया गया है– अनिवार्य तथा अनुशंसित।
- अनिवार्य विशेषताएं किसी भी डिजिटल लर्निंग संबंधी एप्लीकेशन के लिए प्राथमिक आवश्यकता हैं तथा इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - कोई भेद-भाव नहीं;
  - किसी प्रकार की अनावश्यक हिंसा नहीं; तथा

VISION IAS

- शिक्षार्थी केन्द्रित।
- अनुशंसित विशेषताएं, ऐच्छिक लक्षण को सूचीबद्ध करते हैं जो MGIEP तथा SDG 4 के आधारभूत मूल्यों के साथ एप्लीकेशन को संरेखित करती हैं तथा जिनमें विषय-वस्तु की गुणवत्ता, अधिगम रणनीतियाँ, डेटा की गोपनीयता, अभिगम्यता तथा स्वास्थ्य सरोकार सम्मिलित हैं।

ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य

- **हाइब्रिड-चैनल आधारित दृष्टिकोण:** सर्वव्यापी सामग्री तथा अधिगम प्रदान करने हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन चैनलों के मध्य सहयोग। ऑनलाइन अभिकर्ताओं को छात्रों के लिए ऑफलाइन टच-पॉइंट प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑफलाइन अभिकर्ता को मूल्य वर्द्धित सेवाएं प्रदान करने तथा समग्र अधिगम अनुभव में वृद्धि करने हेतु अपने ऑनलाइन सामग्री का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **सतत अधिगम की अवधारणा का विकास:** निम्नलिखित तीन प्रकार की आवश्यकताओं द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को सभी आयु वर्गों के द्वारा अपनाया जाना संभव है:
  - **रोज़गार योग्य:** जॉब मार्केट में प्रासंगिक बने रहने की आवश्यकता;
  - **सामाजिक अधिगम:** अनौपचारिक शिक्षण तथा सामाजिक कौशल विकास; एवं
  - **उद्यमिता।**
- **ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवसाय मॉडल का विकास:**
  - ऑनलाइन शिक्षा के कथित महत्व में वृद्धि करने हेतु ऑनलाइन अभिकर्ताओं तथा उद्योग जगत द्वारा सह-विकसित शैक्षणिक सामग्री।
  - शैक्षणिक वृद्धि करने हेतु छात्रों के बीच समकक्षों से सीखने की प्रवृत्ति।
  - छात्रों को प्रायोगिक अनुभव प्रदान करने के लिए नियमित पाठ्यक्रम के साथ इंटर्नशिप तथा लाइव प्रोजेक्ट जैसी मूल्य वर्द्धित सेवाएं प्रदान करना।
- **तकनीकी नवाचार:**
  - विशिष्ट रूप से निर्मित सामग्री के डिज़ाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा बिग डेटा का उपयोग।
  - परिधेय उपकरणों (wearable devices) तथा वर्चुअल लैब जैसी तकनीकों के प्रयोग से शैक्षणिक सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
  - क्लाउड पर डेटा स्टोरेज से किसी भी उपकरण पर किसी भी समय पहुँच सुनिश्चित होगा।
- **गेमीफिकेशन:** यह उत्पाद या सेवा के साथ संलग्नता को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग तकनीक हेतु खेल के विशिष्ट तत्वों (उदाहरण के लिए- पॉइंट स्कोरिंग, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्द्धा, खेल के नियम) का एप्लीकेशन है।
  - अवधारणाओं के अनुकरण, प्रोत्साहन-आधारित अधिगम, लेवल बढ़ने पर दिए जाने वाले बैजेज़ और लाइक्स आदि के द्वारा इस अनुप्रयोग में वृद्धि होगी। यह उपयोकर्ताओं की संलग्नता को प्रेरित करेगा तथा इससे ज्ञान प्राप्ति में वृद्धि होगी।

भारत में ऑनलाइन शिक्षा के विकास के कारण

- **निम्न-लागत वाला विकल्प:** अपेक्षाकृत निम्न अवसंरचना लागत एवं अपेक्षाकृत व्यापक विद्यार्थी आधार, इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल का लाभ उठाने में सहायता करते हैं तथा इस प्रकार ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से मूल्य कम करने में सहायता करते हैं।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता:** उन क्षेत्रों में जहाँ ऑफलाइन शिक्षा की गुणवत्ता की उपलब्धता निम्न है, वहाँ गैर-परम्परागत शिक्षा प्रणालियों को अपेक्षाकृत अधिक अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए- केरल, बिहार तथा जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में लगभग 4 लाख डिस्टेंस लर्निंग नामांकन दर्ज किए गए हैं।
- **रोज़गार अनुपात:** भारत में वर्ष 2050 तक नौकरियों की खोज में लगे लगभग 280 मिलियन लोग रोज़गार बाज़ार में प्रवेश करेंगे। रोज़गार की तलाश करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या उद्योग-परक प्रशिक्षण की मांग में वृद्धि करती है। एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के अनुसार, लगभग 20 लाख लोगों द्वारा वर्ष 2019 में ऑनलाइन AI (आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस) कोर्स में नामांकन कराया गया है।
- **परम्परागत शैक्षणिक प्रणाली की अक्षमता**: पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के सभी भागों तथा कौशल विकास बाज़ार को सेवाएं प्रदान करने में अक्षम है; इस प्रकार संभावित शिक्षार्थी वैकल्पिक स्रोतों की खोज कर रहे हैं।
- **सरकार की डिजिटल पहल:** SWAYAM, ई-बस्ता, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), PMDISHA, स्किल इंडिया तथा डिजिटल भारत जैसी डिजिटल पहलें छात्रों हेतु ऑनलाइन अध्ययन के लिए आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करेंगी।
- **इंटरनेट तथा स्मार्टफ़ोन की पैठ में वृद्धि:** वर्ष 2021 तक भारत में लगभग 735 मिलियन लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे होंगे। स्मार्टफोन प्रयोक्ताओं की संख्या में वर्ष 2021 तक लगभग 180 मिलियन और अधिक प्रयोक्ताओं के जुड़ने की आशा है। यह आम जनता के मध्य प्रौद्योगिकी अंगीकरण को प्रेरित करेगा।

VISION IAS

भारत में डिजिटल लर्निंग के समक्ष चुनौतियाँ

- **निःशुल्क शिक्षण सामग्री की प्रचुरता:** स्ट्रीमिंग साइटों तथा अन्य माध्यमों पर निःशुल्क शिक्षण सामग्रियों की अत्यधिक उपलब्धता के परिणामस्वरूप प्रयोक्ता आधार (यूज़र बेस) में अनिच्छुक शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि होती है जिससे इन ग्राहकों से प्राप्त होने वाली आय की क्षति होती है। निःशुल्क शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धता, भुगतान के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली शिक्षण सामग्रियों के कथित मूल्य को कम कर देती है।
- **निर्णयन को प्रभावित करने वाले कई कारक:** ऑनलाइन समाधान प्राप्त करने संबंधी निर्णय माता-पिता, साथियों, शिक्षकों जैसे हितधारकों तथा इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना, द्वारा प्रभावित होते हैं, जिससे उन्हें अपनाए जाने में अनावश्यक विलंब होता है।
- **जागरूकता का अभाव:** ऑन-लाइन प्रस्तावों के प्रति जागरूकता का अभाव इस श्रेणी के तीव्र विकास को अवरुद्ध करता है।
- **सामग्रियों का अनुपयोगी हो जाना:** ऑन-लाइन सामग्रियों की व्यवहार्यता संबंधी अवधि कम होती है, जिससे उन्हें लगातार संशोधित एवं अद्यतित करने की आवश्यकता होती है। चूँकि ऐसा करने की लागत उच्च होती है, इसलिए इस श्रेणी के अभिकर्ताओं के लिए शिक्षण सामग्रियों का अद्यतनीकरण मुख्य चुनौती बनी हुई है।
- **कक्षा में प्राप्त अनुभव की आवश्यकता:** ऑन-लाइन चैनलों की ऑफ-लाइन चैनलों के विभिन्न पहलुओं, जैसे- समूह शिक्षण, साथियों से संवाद व विमर्श, व्यावहारिक कौशल के विकास आदि का अनुकरण कर पाने की अक्षमता, अंततः व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है।
- **व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता:** वर्तमान में, ऑनलाइन चैनल का व्यावहारिक घटक सीमित है जो चिकित्सा, सिविल तथा यांत्रिक अभियांत्रिकी जैसे क्षेत्रों में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को प्रभावित करता है।
- **विनियम:** ऑनलाइन शिक्षा को प्रबंधित करने वाले सुदृढ़ ढाँचे का अभाव प्रामाणिकता संबंधित चुनौतियों को उत्पन्न करता है। ज्ञातव्य है कि पाठ्यक्रमों एवं डिग्री की प्रामाणिकता संबंधी विभिन्न चिंताएं भी विद्यमान हैं।

निष्कर्ष

उभरता हुआ डिजिटल लर्निंग समुदाय ऐसे प्रभावी समाधानों का विकास करे जो SDG 4 तथा 21वीं शताब्दी की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। सरकार को विविध एप्लीकेशन एवं सेवाओं की समग्र गुणवत्ता, प्रासंगिकता एवं प्रवीणता के परिणाम का मूल्यांकन एवं उनका तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए ताकि उपभोक्ता सुविज्ञ विकल्पों का चयन कर सके।

6.4. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 {The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक** पारित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2014 में, **NALSA बनाम भारत संघ वाद में**, सर्वोच्च न्यायालय ने उभयलिंगी के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों को अपनी लैंगिक पहचान (पुरुष, महिला या तृतीय लिंग के रूप में) के स्व-निर्धारण के अधिकार को मान्यता प्रदान की थी।
- उभयलिंगी व्यक्तियों को अधिकारों की गारंटी प्रदान करने और कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए वर्ष 2014 में राज्य सभा में एक गैर-सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। हालांकि यह राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया था, परंतु लोकसभा में इसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।
- अगस्त 2016 में, सरकार द्वारा लोकसभा में **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया गया**। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति को संदर्भित किया गया। हालांकि, 16वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह विधेयक व्यपगत हो गया था।

इस अधिनियम की आवश्यकता

- **सामाजिक बहिष्कार,** उभयलिंगियों द्वारा सामना की जानी वाली एक प्रमुख समस्या है। परिवार उन्हें स्वीकार करने से मना कर देते हैं; स्वास्थ्य सुविधाएं/पेशेवर उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति अनुकूल नहीं हैं और उनकी गोपनीयता संबंधी चिंताओं की अनदेखी की जाती है; उनके लिए रोजगार और शिक्षा के पर्याप्त अवसरों का अभाव है; उन्हें आवासीय सुविधाएं आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं, आदि कुछ ऐसी अन्य समस्याएं बनी हुई हैं।
- **भेदभाव:** उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में विशेष रूप से पुत्र और पुत्रियों का उल्लेख किया गया है, परंतु उभयलिंगी व्यक्तियों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है।
- **वे कई प्रकार की हिंसा के प्रति सुभेद्य होते हैं:** जिनमें बाल शोषण, यौन हिंसा, घृणा अपराध आदि सम्मिलित हैं।

NALSA बनाम भारत संघ वाद (2014): उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई रूपरेखा:

- लिंग चयन का अधिकार, जीवन के अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का भाग है।
- सभी आधिकारिक दस्तावेजों/प्रपत्रों में "तृतीय लिंग" सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- तीन लैंगिक विकल्पों में से एक का चयन, केवल व्यक्ति के स्वनिर्धारण पर निर्भर करेगा।
- इसमें **OBC कोटे के भीतर 'हाशिए पर स्थित' इस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान** किया गया है।
- यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीय SC/ST आयोग की तर्ज पर **इस समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक आयोग स्थापित** किया जाना चाहिए।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **उभयलिंगी व्यक्ति की परिभाषा:** यह अधिनियम उभयलिंगी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है। इसमें उभयलिंगी-पुरुष और उभलिंगी-महिलाएं, मध्यलिंगी भिन्नताओं वाले व्यक्ति, समलैंगिक व्यक्ति तथा किन्नर और हिजड़ा जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं।
- **भेदभाव का निषेध:** यह अधिनियम उभयलिंगी व्यक्ति के विरूद्ध 8 प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है, जिसमें सम्मिलित हैं - शिक्षा; रोजगार; स्वास्थ्य सेवा; सार्वजनिक वस्तुओं और सुविधाओं तक पहुंच के संबंध में सेवा से मना करना या अनुचित व्यवहार; संचरण का अधिकार; निवास करने, किराए पर रहने या अन्यथा किसी संपत्ति को अधिभोग में लेने संबंधी अधिकार; सार्वजनिक या निजी पद धारण करने का अवसर; और सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों, जिनकी अभिरक्षा में कोई उभयलिंगी व्यक्ति है, में पहुँच का अधिकार।
- **पहचान की मान्यता:** यह **स्व-अनुभूत लिंग पहचान का अधिकार** प्रदान करता है। उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में पहचान का प्रमाण-पत्र **जिला मजिस्ट्रेट** द्वारा जारी किया जा सकता है। **लिंग पुन: नियतन शल्यक्रिया (Sex Reassignment Surgery: SRS)** के बाद संशोधित प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जा सकता है।
- **अपराध और दंड:** यह उभयलिंगी व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नलिखित अपराधों को चिन्हित करता है तथा इन अपराधों के लिए छह महीने से दो वर्ष तक कारावास की सजा अथवा अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है:
  - बलात या बंधुआ श्रम (सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सरकारी सेवा को छोड़कर);
  - सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित करना;
  - घर और गाँव से निकालना; तथा
  - शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक उत्पीड़न।
- **राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद** की स्थापना की जाएगी, जिसमें सरकार, उभयलिंगी समुदाय के प्रतिनिधि और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। यह परिषद सरकार को इस समुदाय के लिए नीति निर्माण के विषय में परामर्श देगी; और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी; शिकायतों का निपटान करेगी, आदि।
- **सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय:** सरकार, उनके बचाव और पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए कदम उठाएगी तथा उभयलिंगी संवेदनशील योजनाओं का निर्माण करेगी और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी।
- **स्वास्थ्य सेवा:** सरकार एक **पृथक HIV निगरानी केंद्र** और **SRS** सहित उभयलिंगी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी। सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उनके लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजना प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद (NCT): NCT में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (अध्यक्ष);
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष);
- सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव;
- स्वास्थ्य, गृह और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों से एक प्रतिनिधि।

अन्य सदस्यों में सम्मिलित हैं:

- NITI आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि;
- **राज्य सरकारों** को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा;
- **उभयलिंगी समुदाय के पांच सदस्य; और**
- **गैर-सरकारी संगठनों से पांच विशेषज्ञ।**

VISION IAS

इस विधेयक से संबंधित मुद्दे

- **आत्म-पहचान के प्रमाणीकरण का कोई अधिकार नहीं:** इस अधिनियम में जिला अनुवीक्षण समिति का प्रावधान सम्मिलित नहीं है और यह प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान करता है।
- **कोई समीक्षा तंत्र नहीं:** यदि उभयलिंगी व्यक्ति को पहचान प्रमाण-पत्र से वंचित किया जाता है, तो यह अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट के ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील करने या समीक्षा करने का कोई तंत्र नहीं प्रदान करता है।
- NALSA निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अधिदेश के बावजूद, यह रोजगार या शिक्षा में **सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं करता है।**
- हालांकि अधिनियम कल्याणकारी उपायों और स्वास्थ्य संबंधी उपबंधों का प्रावधान करता है, जो एक सकारात्मक कदम है, परंतु **चिकित्सा पेशेवरों में उभयलिंगियों के शरीर के संबंध में पूर्ण ज्ञान का अभाव है।**

निष्कर्ष

- यह अधिनियम अनुच्छेद 14, 19 और 21 के सार को प्रतिबिंबित करता है क्योंकि वर्षों से सामना किए जा रहे असमान व्यवहार के विरूद्ध उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा।
- उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में प्रचार-प्रसार में तत्काल प्रगति की जानी चाहिए। गैर-सरकारी संगठनों को जागरूकता के प्रसार और साथ ही उभयलिंगी व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जाने पर, यह अधिनियम लोगों द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। साथ ही, यदि उपर्युक्त मुद्दों का समाधान किया जाता है, तो परिणामस्वरुप अधिनियम का कार्यान्वयन बेहतर होगा जो उभलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।

6.5. मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट (Maternal Mortality Decline)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण (Sample Registration Survey: SRS) द्वारा जारी किए गए मातृत्व मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन में भारत में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है।

मातृत्व मृत्यु

- WHO के अनुसार, **मातृत्व मृत्यु से तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु हो जाने से है, जो कि** गर्भावस्था की अवधि आदि के विपरीत गर्भावस्था या इसके प्रबंधन से संबंधित या इसके द्वारा प्रेरित किसी भी कारण से हो सकती हैं, किन्तु किसी दुर्घटनावश या आकस्मिक कारण से नहीं होनी चाहिए।
- लगभग **75 प्रतिशत मातृत्व मृत्यु** के लिए उत्तरदायी प्रमुख **जटिलताएं** इस प्रकार हैं:
  - गंभीर रक्तस्राव (मुख्यत: प्रसव के बाद);
  - संक्रमण (सामान्यत: प्रसव के बाद);
  - गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप; तथा
  - प्रसव एवं असुरक्षित गर्भपात की जटिलताएं।
- इनमें से अधिकांश **जटिलताएं रोकथाम या उपचार योग्य हैं।**
- महिलाओं को गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान **देखभाल प्राप्त करने से रोकने वाले कारक निम्नलिखित हैं:**
  - निर्धनता;
  - सुविधाओं से दूरी;
  - जानकारी का अभाव;

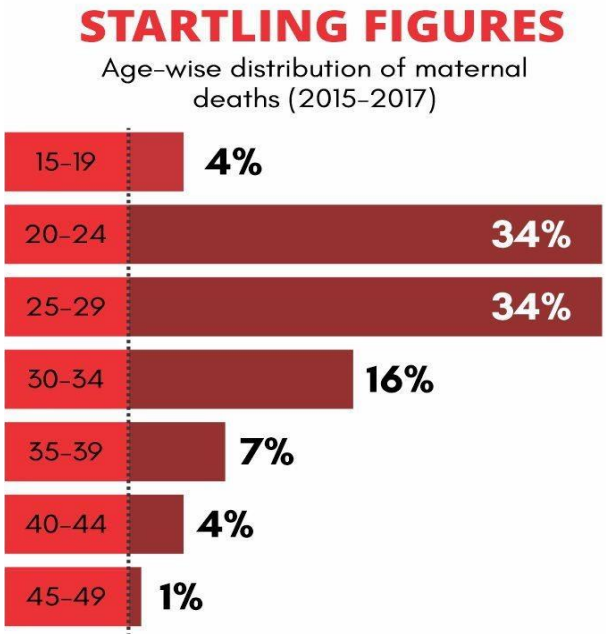

VISION IAS

- अपर्याप्त और खराब गुणवत्ता वाली सेवाएं;
- सांस्कृतिक मान्यताएं एवं प्रथाएं।

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (SDG) के अंतर्गत 2030 तक **वैश्विक MMR को घटाकर 70 (प्रति एक लाख जीवित जन्म पर) से कम करने का लक्ष्य है।**

प्रासंगिक सरकारी पहलें

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन;
- लक्ष्य (LaQshya);
- POSHAN अभियान;
- प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान;
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम;
- जननी सुरक्षा योजना;
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना;
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पहल (SUMAN), आदि।

इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- भारत में **मातृत्व मृत्यु दर (MMR) 2014-2016 के 130 से घटकर 2015-17 में 122** रह गई है। MMR को सूचित 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृत्व मृत्यु के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- 2014-2016 के पिछले सर्वेक्षण के आंकड़ों के बाद से इसमें **6.15 प्रतिशत की कमी** दर्ज की गई है। इससे पहले, भारत में 2013 के बाद MMR में 26.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी।
- **SRS ने राज्यों को निम्नलिखित तीन समूहों में वर्गीकृत किया है:**
  - **सशक्त कार्रवाई समूह (Empowered Action Group: EAG) राज्य:** बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम। EAG राज्यों में 188 से 175 तक गिरावट सबसे महत्वपूर्ण रही है।
  - **दक्षिणी राज्य:** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यहां MMR 77 से घटकर 72 रह गई है।
  - **अन्य राज्य:** शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में MMR **93** से घटकर **90** रह गई है।
- केरल जैसे एकल राज्यों में MMR निम्नतम (42) है, जबकि असम में यह सर्वाधिक (229) है।
- जहां कर्नाटक में MMR में सर्वाधिक गिरावट आई है, वहीं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में MMR में 15 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।

6.6. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 (Swachh Survekshan Grameen Awards 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व शौचालय दिवस (19 नवंबर)** के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को **जल शक्ति मंत्रालय** द्वारा **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019** प्रदान किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **परिमाणात्मक और गुणात्मक स्वच्छता मापदंडों** के आधार पर भारत के सभी जिलों को रैंकिंग प्रदान करने का प्रयास करता है।
- शीर्ष तीन राज्य **तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात** हैं।
- **शीर्ष 3 जिले** - 1) पेद्दापल्ली (तेलंगाना), 2) फरीदाबाद (हरियाणा), 3) रेवाड़ी (हरियाणा) हैं।
  - उत्तर प्रदेश, अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य है।

VISION IAS

- **मापदंडों के इन विभिन्न समुच्चयों को निम्नलिखित भारांश प्रदान किए गए हैं:**
  - **30 प्रतिशत भारांश:** शोधकर्ताओं का **प्रत्यक्ष निरीक्षण** जिसमें वे शौचालयों की उपलब्धता और उपयोग, जल भराव एवं प्लास्टिक अपशिष्ट की स्थिति की जांच करते हैं।
  - **35 प्रतिशत:** समूह की बैठकों के दौरान एवं प्रमुख प्रभावकों (key influencers) तथा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त नागरिक प्रतिक्रिया।
  - **35 प्रतिशत:** सेवा स्तर पर प्रगति।
- **अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष**
  - **सर्वेक्षण में** सम्मिलित **97.5%** लोग SSG 2019 से **अवगत** थे।
  - **81.3%** उत्तरदाताओं द्वारा स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) को **स्वच्छता स्तर में पर्याप्त सुधार** हेतु श्रेय दिया गया है।
  - **83%** उत्तरदाताओं द्वारा अपने गावँ के स्तर पर किए जा रहे तरल अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के संबंध में सूचना प्रदान की गई।
  - **84.1%** नागरिकों द्वारा अपने गावँ के स्तर पर किए जा रहे ठोस कचरे के बेहतर प्रबंधन के संबंध में सूचना प्रदान की गई।

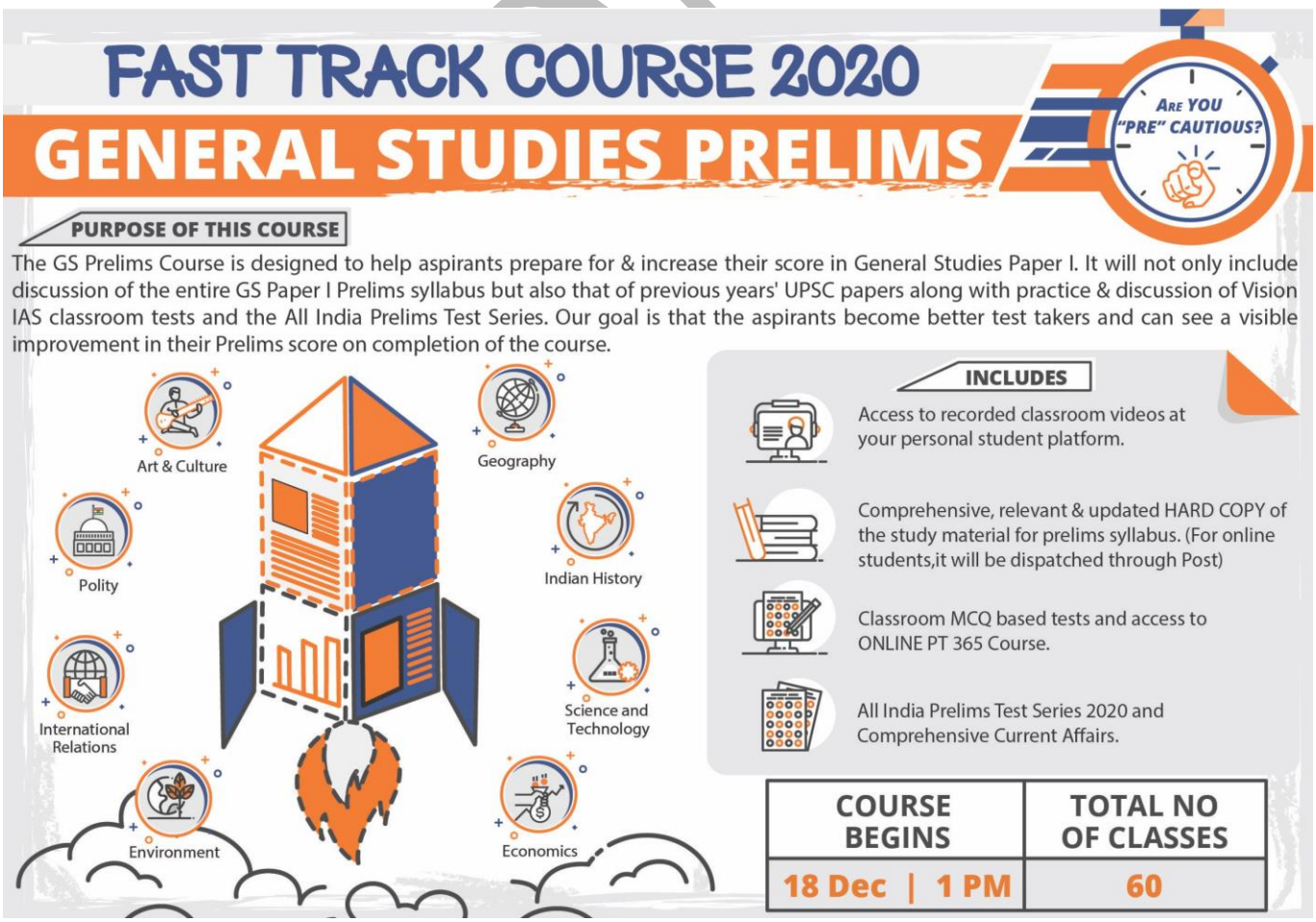

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. ई-सिगरेट पर प्रतिबंध (Banning E-Cigarettes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019** पारित किया गया। यह विधेयक सितंबर 2019 में प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **ई-सिगरेट की परिभाषा:** यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) को एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में परिभाषित करता है, जो अंतःश्वसन के लिए वायुधुंध (धुआं) पैदा करने हेतु निकोटिन और महक सहित या उसके बिना किसी द्रव्य को गर्म करती है, जिससे पीने वाला कश के रूप में भाप खींचता है न कि धुआं। इन ई-सिगरेट्स में विभिन्न फ्लेवर हो सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम (ENDS) के सभी प्रकार, जैसे- हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का और ऐसे ही अन्य उपकरण इनमें शामिल हैं।
- **ई-सिगरेट पर प्रतिबंध:** यह अधिनियम ई-सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय (ऑनलाइन विक्रय सहित), वितरण अथवा विज्ञापन (ऑनलाइन विज्ञापन सहित) को प्रतिबंधित करता है तथा इनके उल्लंघन को **एक संज्ञेय अपराध** माना गया है।
- **ई-सिगेट्स का भंडारण:** इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ई-सिगरेट के स्टॉक के भंडारण हेतु किसी भी स्थान का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ई-सिगरेट के स्टॉक का भण्डारण करता है तो उसे छह माह तक का कारावास अथवा 50 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, अधिनियम के लागू होने के उपरांत, ई-सिगरेट के मौजूदा भंडारों के मालिकों को इन भंडारों की स्वत: घोषणा करनी होगी तथा इसे प्राधिकृत अधिकारी के निकटवर्ती कार्यालय में जमा कराना होगा।
- **प्राधिकृत अधिकारियों के अधिकार:** यदि प्राधिकृत अधिकारी यह मानता है कि विधेयक के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है तो वह ऐसे किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है जहां ई-सिगरेट्स का व्यापार, उत्पादन, भण्डारण या विज्ञापन किया जाता है। इस तलाशी के दौरान प्राधिकृत अधिकारी ई-सिगरेट्स से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह इस अपराध से संबंधित किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है।

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध आरोपित करने के पक्ष में तर्क

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) दोनों ने ई-सिगरेट के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रेखांकित किया है।
    - निकोटिन वस्तुतः तंबाकू उत्पादों का व्यसनकारी (addictive) घटक होता है। इसकी लत के अतिरिक्त, निकोटिन हृदय संबंधी रोगों को बढ़ावा देता है। साथ ही, यह गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
    - निकोटिन के अतिरिक्त, **ई-सिगरेट के कार्ट्रिज में रसायन, फ्लेवर तथा धातुएं** होती हैं जो कैंसर और हृदय, फेफड़े तथा मस्तिष्क के रोगों के लिए उत्तरदायी होती हैं।
- **इसके उपयोग में वृद्धि:** WHO का मानना है कि फ्लेवरिंग और प्रचार रणनीतियों के उपयोग द्वारा अत्यधिक मात्रा में युवाओं को ई-सिगरेट का विक्रय किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरुप युवाओं में ई-सिगरेट के उपयोग में तीव्रता से वृद्धि हुई है।
    - उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ई-सिगरेट का सेवन करने वाले युवाओं का प्रतिशत वर्ष 2011 के 1.5% से बढ़कर वर्ष 2018 में 20.8% हो गया था। भारत में, 2016-17 और 2018-19 के मध्य 1,91,781 डॉलर मूल्य के ई-सिगरेट का आयात किया गया।
- **निष्क्रिय धूम्रपान (पैसिव स्मोकिंग):** ई-सिगरेट के उपयोगकर्ताओं द्वारा निष्कर्षित धुएं में अवशिष्ट निकोटिन का स्तर उच्च होता है जो पैसिव स्मोकिंग करने वाले निकटवर्ती लोगों (जो अनजाने में धुएं को श्वास लेते समय ग्रहण कर लेते हैं) को बुरी तरह से प्रभावित करता है।
- **धूम्रपान छोड़ने के विकल्प के रूप में नहीं:** उद्योगों द्वारा ई-सिगरेट को सामान्यतः धूम्रपान छोड़ने के विकल्प के रूप में प्रचारित किया जाता है, किन्तु इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा को धूम्रपान छोड़ने के सहायक विकल्प के रूप में अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है। WHO भी ई-सिगरेट को तंबाकू का सेवन छोड़ने में सहायता करने वाले विकल्प के रूप में समर्थन नहीं करता है।
- **सरकार का उत्तरदायित्व:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 47** के तहत, पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा देना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है। ई-सिगरेट का व्यापक उपयोग और इसका अनियंत्रित प्रसार एवं इस प्रकार के उपकरणों का उपयोग सरकारी प्रयासों (तंबाकू के उपयोग के प्रसार को कम करने हेतु किये जा रहे) को दुर्बल एवं बाधित करते हैं।
- **ई-सिगरेट के विनियमन का अभाव:** पारंपरिक सिगरेट के विपरीत, ई-सिगरेट में तंबाकू का उपयोग नहीं किया जाता है और इसलिए इसे COTPA अधिनियम {सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003} के तहत विनियमित नहीं किया जाता है।

VISION IAS

- COTPA अधिनियम, 2003 भारत में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विक्रय, उत्पादन और वितरण को विनियमित करता है तथा सिगरेट के विज्ञापन पर प्रतिबंध आरोपित करता है।

- **अंतर्राष्ट्रीय अनुभव:** भारत, **WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC)** का एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। वर्ष 2014 में, WHO FCTC ने अपने सभी हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों को अपने देशों में ई-सिगरेट को प्रतिबंधित या विनियमित करने पर विचार करने हेतु आमंत्रित किया था। ब्राजील और सिंगापुर सहित 25 देशों ने ई-सिगरेट पर पूर्णतः प्रतिबंध आरोपित किया है।

7.2. पारंपरिक औषधि (Traditional Medicine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आयुष मंत्रालय द्वारा **पारंपरिक औषधियों के उपयोग हेतु मानकीकृत शब्दावली और बेंचमार्क दस्तावेजों को विकसित** करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- **WHO** द्वारा आयुर्वेद, पंचकर्म एवं यूनानी पद्धतियों से उपचार के लिए **बेंचमार्क दस्तावेज़** तथा आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी पद्धतियों में **अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली दस्तावेज़** विकसित किया जा रहा है।
- **WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटेजी 2014-2023** के अंतर्गत **पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग हेतु** विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं आयुष मंत्रालय के मध्य हस्ताक्षरित परियोजना सहयोग समझौते (Project Collaboration Agreement: PCA) के तहत इन बेंचमार्क दस्तावेजों का विकास किया जाना है।

पारंपरिक चिकित्सा क्या है?

- पारंपरिक चिकित्सा, दीर्घकाल से उपयोग की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों और उत्पादों के एक समूह को वर्णित करती है।
- यह प्रायः देशज संस्कृतियों द्वारा विकसित चिकित्सीय ज्ञान को संदर्भित करती है, जिसके अंतर्गत रोगों के उपचार तथा बेहतर स्वास्थ्य के लिए विकसित पादप, पशु और खनिज आधारित औषधियों, आध्यात्मिक उपचारों एवं मैनुअल तकनीकों को शामिल किया गया है।
- भारत में प्रमुख पारंपरिक चिकित्सा में शामिल हैं: आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी, सोवा-रिग्पा, प्राकृतिक चिकित्सा आदि।

पारंपरिक चिकित्सा के लाभ

- **यह स्वास्थ्य सेवाओं में विद्यमान अंतराल को कम करती है:** मुख्यतः निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में पारंपरिक चिकित्सा उपचार सरलता से उपलब्ध होते हैं और उपयोग किए जाते हैं।
  - WHO द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत में 70 प्रतिशत जनसंख्या पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर है।
  - पारंपरिक औषधियां अल्प लागत वाली होती हैं और ऐसा माना जाता है कि इनके दुष्प्रभाव भी कम होते हैं।
- **प्रमुख रोगों का उपचार:** WHO द्वारा स्वीकार किया गया है कि पारंपरिक चिकित्सा और इसके चिकित्सक, चिरस्थायी रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं तथा कुछ असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करने में सफल रहे हैं।
- **उपचार हेतु समग्र दृष्टिकोण:** आयुर्वेद में, मानव को शरीर, मन, आत्मा और इंद्रियों से युक्त माना गया है। इसलिए, किसी भी रोग को उपचारित करने हेतु शरीर के इन सभी तत्वों को ध्यान में रखा जाता है और यह दृष्टिकोण रोगी के समग्र उपचार को संभव बनाता है।
- **नई औषधियों का विकास:** संभावित चिकित्सीय लक्षणों वाले पादप पदार्थों का चयन और औषधि के रूप में उनके निष्कर्षण के संदर्भ में पारंपरिक ज्ञान, अति महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है।
  - पारंपरिक औषधियां, कुछ आधुनिक मलेरिया-रोधी औषधियों के स्रोत हैं।

पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित मुद्दे

- **अविनियमित:** पारंपरिक चिकित्सा उत्पाद अनेक देशों में अविनियमित हैं तथा इसलिए उपभोक्ताओं हेतु जोखिम संबंधी कई चिंताएं औषधीय उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़ी हुई हैं।
  - रिपोर्ट की गई समस्याओं में गलत पादपों की प्रजातियों का विक्रय और पारंपरिक चिकित्सा उपचारों का संदूषण एवं मिलावट शामिल हैं।
- **अप्रशिक्षित चिकित्सक:** WHO ने चिन्हित किया है कि "पारंपरिक औषधियों या पद्धतियों का अनुचित उपयोग नकारात्मक या खतरनाक प्रभाव डाल सकता है"।
- **वित्तीय सहायता का अभाव:** पारंपरिक चिकित्सा में प्रायः पारंपरिक ज्ञान के विकास और संरक्षण हेतु आवश्यक वित्तीय सहयोग की कमी बनी रहती है।
- **मानव संसाधनों का अभाव:** बेहतर अवसरों की प्राप्ति हेतु चिकित्सक इस पारंपरिक प्रणाली का त्याग कर रहे हैं।

WHO पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023 (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023)
रणनीति के दो प्रमुख लक्ष्य हैं:

- स्वास्थ्य, कल्याण और जन केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल हेतु पारंपरिक चिकित्सा के संभावित योगदान के दोहन में सदस्य राज्यों को समर्थन प्रदान करना।
- उत्पादों, पद्धतियों और चिकित्सकों के विनियमन के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना।

इन लक्ष्यों को निम्नलिखित तीन रणनीतिक उद्देश्यों को कार्यान्वित कर पूरा किया जाएगा:

- ज्ञान/सूचनाओं का एकत्रण और राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना;
- विनियमन के माध्यम से सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता को सुदृढ़ करना; तथा
- पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में स्व-स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देना।

आगे की राह

- **पारंपरिक चिकित्सा का प्रचार:** पारंपरिक चिकित्सा, उपचार एवं पद्धतियों के ज्ञान को प्रत्येक देश में परिस्थितियों के आधार पर व्यापक तौर पर एवं उचित रूप से प्रोत्साहित, संरक्षित, प्रचारित और संचारित किया जाना चाहिए।
- **नियामक संरचना में सुधार:** अपने लोगों के स्वास्थ्य हेतु सरकार उत्तरदायी होती है। अतः पारंपरिक चिकित्सा के उचित, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीतियों, विनियमों एवं मानकों को (व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के एक भाग के रूप में) तैयार किया जाना चाहिए।
- **चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण और मानकीकृत प्रैक्टिस:** सरकारों को पारंपरिक चिकित्सा से संलग्न चिकित्सकों की योग्यता, मान्यता या लाइसेंसिंग के लिए प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। पारंपरिक चिकित्सा से संलग्न चिकित्सकों को अपने ज्ञान और कौशल को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपग्रेड करना चाहिए।
- **औपचारिक और पारंपरिक चिकित्सा प्रदाताओं के मध्य सहयोग:** चूंकि उपभोक्ताओं द्वारा प्रायः दोनों उपचारों का एक साथ उपयोग किया जाता है, इसलिए पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त पारंपरिक चिकित्सकों और औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के मध्य सहयोग में सुधार किया जाना आवश्यक है।

7.3. टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन (Typhoid Conjugate Vaccine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसित टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन (TCV) की शुरुआत करने वाला पाकिस्तान विश्व का पहला देश बन गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- पाकिस्तान द्वारा **एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस (XDR)** टाइफाइड के प्रकोप के विरुद्ध अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में **टाइपबार TCV** नामक TCV की शुरुआत की गई है।
- पाकिस्तान में **टाइपबार TCV** का संचालन **ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव (GAVI)** के वित्तीय समर्थन से किया जा रहा है।
- टाइपबार TCV, एक भारतीय कंपनी, **'भारत बायोटेक'** द्वारा विनिर्मित की जाती है। यह WHO द्वारा पूर्व-अनुमोदित विश्व का पहला कंजुगेट वैक्सीन बन गया है।

कंजुगेट वैक्सीन

- कंजुगेट वैक्सीन का उपयोग **एक प्रतिजन** (प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचान किए गए एक विदेशज जीवाणु या विषाणु) **के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्पन्न** करके रोगों की रोकथाम हेतु किया जाता है।
- इस वैक्सीन में सामान्यतः **निष्क्रिय या मृत जीवाणु या विषाणु** का उपयोग किया जाता है, ताकि बाद के समय में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रतिजन (antigen) की पहचान की जा सके। कई वैक्सीन में **एक एकल प्रतिजन** होता है जिसे शरीर द्वारा पहचान कर लिया जाएगा।
- हालांकि, कुछ जीवाणुओं के प्रतिजन प्रतिरक्षा प्रणाली से एक सुदृढ़ प्रतिक्रिया नहीं करते, इसलिए इस दुर्बल प्रतिजन के विरुद्ध टीकाकरण के पश्चात् भी आने वाले समय में प्रतिजन व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाएगा।
- **कंजुगेट वैक्सीन** इस **दुर्बल प्रतिजन को एक वाहक के रूप में एक सुदृढ़ प्रतिजन से जोड़ते** हैं ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली दुर्बल प्रतिजन के प्रति एक सुदृढ़ प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके।

ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव (GAVI)

- GAVI, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों की वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है, जिसका उद्देश्य **"सभी के लिए टीकाकरण"** के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

VISION IAS

- इसे अनेक वैश्विक संगठन द्वारा समर्थन प्राप्त है, जिसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, WHO, विश्व बैंक और यूनिसेफ शामिल हैं। निर्धन देशों में वैक्सीन की अल्प लागत सुनिश्चित करने हेतु यह वैक्सीन की थोक खरीद करता है।

7.4. कार्टोसैट-3 (CARTOSAT-3)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से कार्टोसैट-3 और 13 वाणिज्यिक नैनो सैटेलाइट्स का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।

कार्टोसैट-3 के बारे में

- कार्टोसैट-3, हाई रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग क्षमता वाला तीसरी पीढ़ी का एक उन्नत उपग्रह है।
- कार्टोसैट-3 का मिशन कार्यकाल 5 वर्ष है।
- अगले वर्ष, इसी प्रकार से निर्मित कार्टोसैट-3A और 3B नामक उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा।
- **कक्षीय स्थिति:** 509 किमी की ऊंचाई पर स्थित सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (Sun synchronous Polar Orbit: SSPO) में।
    - **SSPO** ध्रुवीय कक्षाएं होती हैं, जो सूर्य-तुल्यकालिक होती हैं अर्थात् उपग्रह से देखने पर (समान कोण से) इन कक्षाओं में, पृथ्वी की सतह सदैव प्रकाशित होती रहती है।
- **प्रक्षेपण-यान: PSLV-C47**
- इसरो द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी विक्रम प्रोसेसर का उपयोग करते हुए और देश में विनिर्मित इस उपग्रह को पहली बार संचालित किया गया।
    - विक्रम प्रोसेसर का उपयोग रॉकेट के नेविगेशन, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा सामान्य प्रोसेसिंग अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाएगा।

अनुप्रयोग

- यह व्यापक पैमाने पर नगर नियोजन, ग्रामीण संसाधन एवं अवसंरचना विकास, तटीय भूमि का उपयोग तथा भूमि आच्छादन आदि के लिए प्रयोक्ताओं की बढ़ती मांगों की पूर्ति करेगा।
- **आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रमों** जैसे कि चक्रवात और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मानचित्रण एवं निगरानी, भूस्खलन क्षेत्रों का मानचित्रण एवं निगरानी, कृषि सूखा, दावानल, भूकंप आदि में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।
- सैन्य निगरानी (military reconnaissance) एवं मानचित्रण में इससे सहायता मिलने की उम्मीद है।

अन्य संबंधित तथ्य

कार्टोसैट उपग्रह

- कार्टोसैट उपग्रह, **भू-अवलोकन उपग्रह (earth observation satellites)** होते हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरों की सहायता से व्यापक स्तर पर पृथ्वी के मानचित्रण हेतु किया जाता है।
- ये प्राकृतिक भौगोलिक (natural geographical) या मानव जनित वैशिष्ट्य (man-made features) में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में सहायक हैं।

कार्टोसैट-3 के साथ प्रक्षेपित अन्य उपग्रह

- संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 वाणिज्यिक नैनो सैटेलाइट्स को भी उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक अन्तः स्थापित किया गया।
- इनमें 12 सुपरडोव भू-अवलोकन उपग्रह (जिन्हें **"फ्लॉक-4P"** नाम दिया गया है) तथा **"मेशबेड" (MESHBED)** नामक एक कम्युनिकेशन टेस्ट बेड सैटेलाइट शामिल हैं।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की वाणिज्यिक शाखा **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)** के साथ वाणिज्यिक समझौते के तहत इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया।

कार्टोसैट श्रृंखला के विगत प्रक्षेपण

- **कार्टोसैट-1** को वर्ष 2005 में प्रक्षेपित किया गया था। यह पहला सुदूर संवेदन उपग्रह था जो कक्षीय त्रिविम प्रतिबिंब (orbit stereo images) प्रदान करने में सक्षम था।
- **कार्टोसैट-2** को वर्ष 2007 में प्रक्षेपित किया गया था तथा इसकी सहायता से इमेजिंग रिज़ॉल्यूशन क्षमता को एक मीटर तक बढाया गया था।
- इसके पश्चात् **कार्टोसैट-2A** से लेकर **2F** तक छह और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग मुख्य रूप से सैन्य निगरानी के लिए किया जाता है।

VISION IAS

7.5. अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट (Space-Based Internet)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **स्पेस-एक्स (SpaceX)** नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 60 लघु उपग्रहों (प्रत्येक 500 किलोग्राम से कम वजन वाले) को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित किया। **स्टारलिंक नेटवर्क** नामक इस परियोजना के तहत पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर नॉन-स्टॉप एवं कम लागत वाले इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु 42,000 उपग्रहों के एक समूह के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

स्पेस इंटरनेट के लाभ

- **बेहतर पहुंच:** इंटरनेट प्रदान करने के पारंपरिक तरीकों, जैसे- फाइबर-ऑप्टिक केबल अथवा वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों या दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं हो पाता है।
- **अत्यधिक वहनीयता:** इकॉनमी ऑफ़ स्केल और महंगी आधारभूत अवसंरचनाओं पर लगभग शून्य निवेश के कारण यह अत्यधिक वहनीय है।
- **उपलब्धता:** बिना किसी अवरोध के 24x7 इंटरनेट की उपलब्धता।
- **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** तकनीक की सहायता से क्रांतिकारी परिवर्तन होने की संभावना है, उदाहरार्थ- मानव रहित कारों की परिचालन सेवाएं सहज हो जाएंगी।

मुद्दे

- उपग्रहों के **टकराव** संबंधी जोखिमों के कारण **अंतरिक्ष मलबे** में वृद्धि हो सकती है।
- **प्रकाशीय-प्रदूषण में वृद्धि** अर्थात् इन मानव निर्मित उपग्रहों से परावर्तित प्रकाश प्रकाशीय-प्रदूषण में वृद्धि कर सकता है। साथ ही, यह भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं कि इन प्रकाशों के स्रोत अन्य खगोलीय पिंड हैं।
- अंतरिक्ष के अन्य पिण्डों के निरीक्षण और उनके संकेतों का पता लगाने हेतु यह लाइन ऑफ साइट को बाधित कर सकता है।

पूर्व में किए गए प्रयासों से भिन्नता

अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा प्रणाली अनेक वर्षों से उपयोग में है। हालांकि, यह केवल कुछ उपयोगकर्ताओं तक सीमित रही है। प्रारंभिक प्रणालियों और स्टारलिंक प्रोजेक्ट के मध्य निम्नलिखित भिन्नताएं हैं:

मानक	प्रारंभिक प्रणालियां	स्टारलिंक
कक्षा	भू-स्थिर कक्षा (35,786 किलोमीटर)	लो अर्थ ऑर्बिट (350 किमी. से 1,200 किमी.)
सिग्नल ट्रांसमिशन में समय अंतराल या विलंबता	600 मिली-सेकंड	20-30 मिली-सेकंड
प्रत्येक उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर सेवित क्षेत्र	पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई भाग शामिल है	शामिल किया गया क्षेत्र तुलनात्मक रूप से बहुत कम है

7.6. अरोकोथ- अल्टिमा थुले का परिवर्तित नाम (Ultima-Thule Renamed as Arrokoth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ और माइनर प्लेनेट्स सेंटर (कुइपर बेल्ट के पिंडों के नामकरण के लिए वैश्विक निकाय) ने आधिकारिक रूप से न्यू होराइजंस कुइपर बेल्ट फ्लाईबाई ऑब्जेक्ट को **'अरोकोथ'** नाम दिया है।

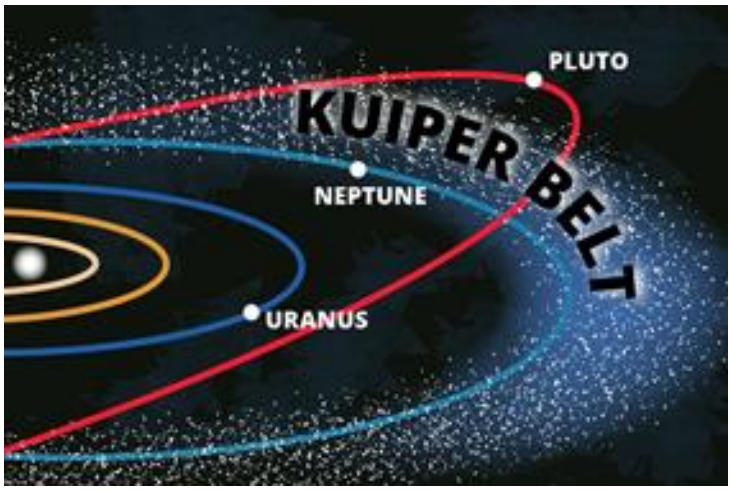

अन्य संबंधित तथ्य

- अरोकोथ, **कूइपर बेल्ट** में स्थित हजारों ज्ञात छोटे बर्फीले पिंडों में से एक है। उल्लेखनीय है कि कुइपर बेल्ट सौर प्रणाली का विशाल "थर्ड जोन" है, जो आंतरिक स्थलीय ग्रहों और बाह्य विशाल गैसीय ग्रहों से अत्यधिक दूर अवस्थित है।
- नवीन नामित अरोकोथ से प्राप्त डेटा से **ग्रहों के निर्माण** और हमारे **ब्रह्मांडीय उत्पत्ति** के संबंध में **साक्ष्य** प्राप्त हुए हैं।

VISION IAS

- **वर्ष 2014 में न्यू होराइजन्स टीम** द्वारा शक्तिशाली हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके इसकी खोज की गई थी।
- नासा द्वारा **न्यू होराइजन्स मिशन** को जनवरी 2006 में प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2015 में यह प्लूटो के निकट से गुजरा था, तत्पश्चात जनवरी 2019 में इसे **अरोकोथ** के समीप से गुजरने के कारण **अल्टिमा थुले** नामक अस्थायी नाम दिया गया था।
- अरोकोथ वस्तुतः एक अमेरिकी शब्द है। पोवहटन/अल्गोनुकियन भाषा में इसका अर्थ "स्काई" (आकाश) है।

7.7. जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस ऑफ इंडिया (Geochemical Baseline Atlas of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **CSIR-NGRI** (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान) द्वारा विकसित 'जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस ऑफ इंडिया' को पहली बार जारी किया गया, जिसका उपयोग नीति निर्माताओं द्वारा पर्यावरणीय क्षति का आकलन करने हेतु किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस एटलस में भारतीय मृदाओं की उपरी एवं निचली सतह में स्थित **धातुओं, ऑक्साइड्स** एवं **तत्वों** के लगभग **45 मानचित्र** शामिल हैं।
- वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक इस मानचित्र की सहायता से उपरी मृदा अर्थात् मृदा की उपरी सतह (25 सेमी. की गहराई तक) और मृदा की निचली सतह (100 सेमी. की गहराई तक) पर स्थित तत्वों का पता लगाया गया है।
- इन मानचित्रों में प्रस्तुत जियो-केमिकल डेटा, **इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज (IUGC)** द्वारा तैयार किए जाने वाले वैश्विक मानचित्र के भाग होंगे।
- यह एक संदर्भ के रूप में कार्य करेगा, जो देश की भावी पीढ़ियों को पृथ्वी की सतह संबंधी रासायनिक-संरचनात्मक परिवर्तनों का आकलन करने में सक्षम बनाएगा।
- मानवीय गतिविधियां और प्राकृतिक प्रक्रियाएं, दोनों ही हमारे पर्यावरण की रासायनिक संरचना को निरंतर परिवर्तित करते रहे हैं। पर्यावरण प्रबंधन के संदर्भ में ये मानचित्र बुनियादी आधार प्रदान करेंगे।
- ये मानचित्र देश भर के उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों के कारण होने वाले भावी संदूषण का पता लगाने में सहायक सिद्ध होंगे। भूमि उपयोग संबंधी योजनाओं के निर्माण में इन मानचित्रों के उपयोग से सरकार और नीति निर्धारक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- NGRI द्वारा प्रकाशित मानचित्रों की शृंखला का यह तीसरा मानचित्र है। इससे पूर्व, **द ग्रेविटी मैप ऑफ़ इंडिया** और **सीस्मिक मैप ऑफ़ इंडिया** को जारी किया जा चुका है।

8. संस्कृति (Culture)

8.1. गुरु नानक (Guru Nanak)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाई गई।

गुरु नानक देव के बारे में

- गुरु नानक देव सिख धर्म के **संस्थापक** एवं **प्रथम गुरु** (आदि गुरु) थे।
- उनका जन्म वर्ष 1469 में लाहौर के पास **राय-भोए-दी-तलवंडी** (आगे चलकर **ननकाना साहिब** के रूप में पुनःनामकरण) में हुआ था।
- माना जाता है कि वर्ष 1499 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा उन्होंने 'ईश्वर की आवाज' को सुना और स्वंय को पूरी तरह से मानव सेवा हेतु समर्पित कर दिया।
    - अपने संदेश को प्रसारित करने हेतु उन्होंने उपदेश यात्राएं (उदासियाँ) आरंभ की।
    - उन्होंने वर्ष 1500 से 1524 ई. तक ऐसी पांच उदासियाँ सम्पन्न की, जिसके अंतर्गत उन्होंने न केवल भारत के अधिकांश हिस्सों का भ्रमण किया, अपितु मक्का, श्रीलंका, नेपाल आदि स्थानों की भी यात्राएं की।
- अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, गुरु नानक देव पंजाब में रावी नदी के तट पर अवस्थित **करतारपुर** शहर में बस गए थे। गुरु नानक देव ने ही इस शहर को बसाया था।
    - हाल ही में, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, जो भारत के पंजाब राज्य में स्थित **डेरा बाबा नानक साहिब गुरुद्वारे** को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में स्थित पवित्र स्थल **गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर** से जोड़ता है।
    - यह कॉरिडोर रावी नदी से होकर गुजरता है।
    - गुरुद्वारा दरबार साहिब का निर्माण वर्ष 1921-1929 के मध्य पटियाला के महाराजा द्वारा कराया गया था।
- 70 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव का निधन हो गया। उन्होंने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तथा उनका नाम बदलकर गुरु अंगद कर दिया।
- गुरु अंगद ने **गुरुमुखी** नामक एक नई लिपि में गुरु नानक देव की रचनाओं को संकलित किया तथा इसमें उन्होंने अपनी रचनाओं को मिला दिया।
- गुरु नानक देव एवं अन्य सिख गुरुओं की रचनाओं और शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव जैसे अन्य महापुरुषों की कृतियों को **गुरु ग्रंथ साहिब** (सिखों का पवित्र ग्रंथ) में संकलित किया गया है।
- गुरु नानक देव के जीवन के अधिकांश जीवनी लेख **जन्म-सखियों** (शाब्दिक रूप से जन्म की कहानियां) में शामिल हैं।
    - **जन्म-सखियां** ऐसी रचनाएं हैं, जिन्हें गुरु नानक देव की जीवनियों के रूप में दावा किया जाता है। इनकी रचना उनकी मृत्यु के पश्चात् विभिन्न चरणों में की गयी।

गुरु नानक देव के उपदेश

- उनका मानना था कि ईश्वर निराकार **(निरंकार)** है, तथा एक ही ईश्वर **(एक ओंकार)** है जो अपने द्वारा सृजित प्रत्येक प्राणियों में निवास करता है और सभी मनुष्य बिना किसी अनुष्ठान या पुजारी के ईश्वर तक प्रत्यक्ष पहुंच स्थापित कर सकते हैं।
- **समानता एवं बंधुत्व प्रेम पर आधारित** एक अद्वितीय आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंच की स्थापना करते हुए, गुरु नानक देव ने हिंदू धर्म में प्रचलित जाति-व्यवस्था की आलोचना की तथा मुगल शासकों के धर्मतंत्र (theocracy) की निंदा की।
- मोक्ष (लिबरेशन) का उनका विचार निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता की एक दृढ़ भावना के साथ **सक्रिय जीवन का अनुसरण करना** था।
- पंथ, जाति या लिंग संबंधी भिन्नता के बावजूद उनके अनुयायी सामूहिक रसोईघर (लंगर) में एक साथ भोजन ग्रहण करते थे।
- गुरु नानक देव ने सिख धर्म के 3 स्तंभों की स्थापना की एवं उन्हें औपचारिक स्वरूप प्रदान किया:
    - **नाम जपना:** ईश्वर के नाम और सद्गुणों के गहन अध्ययन तथा उनकी समझ के पश्चात् पाठ, जप, गायन और निरंतर स्मरण के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करना।
    - **किरत करनी:** ईमानदारी द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रयास से उपार्जन करना तथा दुःख और सुख दोनों को ईश्वर का उपहार एवं आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना।
    - **वंड छकना:** सिखों को वंड छकना के व्यवहार द्वारा समुदाय के भीतर अपने धन को साझा करने के लिए कहा गया- **"एक दूसरे के साथ साझा एवं उपभोग करें"।**

VISION IAS

8.2. तिरुवल्लुवर (Thiruvalluvar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केसरिया रंग के परिधान में तिरुवल्लुवर का चित्र ट्वीट** करने से तमिलनाडु में एक विवाद आरम्भ हो गया था।

तिरुवल्लुवर के बारे में

- सामान्यतः **वल्लुवर** के नाम से प्रसिद्ध तिरुवल्लुवर, एक तमिल संत, कवि और दार्शनिक थे। प्रायः चित्रों में उन्हें एक सफेद शॉल धारण किए हुए दिखाया जाता है।
- तिरुवल्लुवर का वास्तविक नाम, जन्म तिथि एवं जन्मस्थान, धार्मिक संबद्धता और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है। अनेक शोधकर्ताओं का मानना है कि उनका जन्म प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था।
- तिरुवल्लुवर का **नैतिक दर्शन** मानव-केंद्रित है क्योंकि इसके तहत पारलौकिक सुख की तुलना में इहलौकिक सुख पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
    - इसके अतिरिक्त, उन्होंने दुःखों के निरपेक्षीकरण और इसके लिए आदर्श निर्मित करने तथा उनको पारलौकिक बनाने का विरोध किया।
- उन्होंने दृढ़तापूर्वक अनुशासन, आत्म-नियंत्रण, पवित्रता, अहिंसा, संयम और भक्तिमय जीवन का समर्थन किया।
- उनकी सर्वाधिक पहचान **तिरुक्कुरल** के रचयिता के रूप में है। तिरुक्कुरल वस्तुतः नैतिकता, राजनीति, आर्थिक मामलों और प्रेम पर 1,330 दोहों का एक संग्रह है।
    - तिरुक्कुरल में, **'आदि भगवान'** वाक्यांश के माध्यम से, तिरुवल्लुवर ने कहा था कि **सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी ईश्वर सार्वभौमिक है।**

तिरुक्कुरल के बारे में

- तमिल भाषा में रचित, यह आचार संहिता एवं सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है।
- यह एक नैतिक संकलन है जिसे अग्रलिखित तीन प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है- अराम (धर्म), पोरुल (अर्थ) और इब्म (काम):
    - इन शीर्षकों का वैचारिक निहितार्थ यह है कि सभी को नैतिक साधनों के माध्यम से ही धन अर्जित करना चाहिए।
    - यह दृष्टिकोण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संस्कृत परंपरा के समान है।
- जीवन के चार पहलुओं (पुरुषार्थ), यथा- अराम, पोरुल,इब्म और विदु (मोक्ष) में से **तिरुक्कुरल केवल प्रथम तीन को ही संबोधित करते हैं** तथा इनके माध्यम से विदु तक पहुँचने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इन तीनों को **मुप्पल (3 तत्व)** कहा जाता है।
- यह व्यक्तियों हेतु सामाजिक दिशा-निर्देश प्रदान करने का प्रयास करता है (जैसे- तपस्वी, परिवार के सदस्य आदि), जो स्वयं और दूसरों के लिए उत्तरदायी हैं।
- ये नियमावली वर्तमान समय में भी विश्व के सभी वर्गों के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक लोकतांत्रिक स्वायत्तता तथा तीसरी सहस्राब्दी के अत्यंत उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए भी अनुप्रयोज्य हैं। इस प्रकार, अनेक लोगों द्वारा इसे एक नैतिक आचार संहिता के रूप में स्वीकार किया जाता है।

8.3. भारतीय इतिहास की व्याख्या में यात्रा वृतांतों की भूमिका (Travelogues in Decoding Indian History)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सुनाए गए अयोध्या निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने तीन यूरोपीय यात्रियों (जोसेफ टेफेन्थैलर, विलियम फिंच और मॉन्टगोमरी मार्टिन) के विवरणों को भी संदर्भ के तौर पर प्रयुक्त किया।

इन यात्रियों से संबंधित अन्य तथ्य

जोसेफ टेफेन्थैलर

- वह इसाई मिशनरी से संबद्ध एक इतालवी यात्री था तथा उसने 18वीं शताब्दी में 27 वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया।
- भारत में, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह की प्रसिद्ध वेधशाला में उसे नियुक्त किया गया था, उसके उपरांत वह आगरा के जेसुइट कॉलेज से भी संबद्ध रहा।
- वह पाँच वर्षों से अधिक समय के लिए **अवध क्षेत्र में भी रहा था, जहाँ पर अयोध्या स्थित है।**
- अपनी पुस्तक "डिस्क्रिप्शन हिस्टोरिक एट जियोग्रफिक डे एल इंडे" (Description Historique Et Geographique de L'Inde) में उसने अयोध्या की अपनी यात्रा के बारे में विवरण दिया है।

VISION IAS

विलियम फिंच

- वह वर्ष 1608 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिनिधि सर विलियम हॉकिंस के साथ भारत आया था।
- उसके बारे में यह कहा जाता है कि **उसने सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में कश्मीर का विवरण प्रदान किया। साथ ही, उसने पंजाब और पूर्वी तुर्किस्तान तथा पश्चिमी चीन को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का विवरण प्रस्तुत किया।**
- फिंच ने **वर्ष 1608 और वर्ष 1611** के मध्य अयोध्या का दौरा किया था तथा उसे इस्लामिक उद्भव के महत्व की कोई इमारत प्राप्त नहीं हुई।
- इतिहासकार सर विलियम फोस्टर ने वर्ष 1921 में रचित अपनी पुस्तक **'अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया' (1583-1619)** में विलियम फिंच के विवरणों को शामिल किया था।

रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन

- वह एक **आंग्ल-आयरिश लेखक और सिविल सेवक** था। उसने **सीलोन (वर्तमान श्रीलंका), पूर्वी अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में एक चिकित्सक के तौर पर कार्य किया था।**
- इसके पश्चात् मार्टिन कोलकाता में कार्य करने हेतु चला गया, जहाँ उसने **'बंगाल हेराल्ड'** के प्रकाशन में योगदान दिया। तत्पश्चात वह इंग्लैंड लौट गया, जहां पर उसने ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में लिखा।
- उसने तीन खंडों में **'हिस्ट्री, एंटीक्विटीज, टोपोग्राफी एंड स्टेटिस्टिक्स ऑफ़ ईस्टर्न इंडिया'** नामक एक पुस्तक की रचना की तथा इसमें अपने विवरणों को दर्ज किया।
- उसने अयोध्या क्षेत्र में भगवान राम की पूजा, मंदिरों के विध्वंस और मस्जिदों के निर्माण के बारे में लिखा था।

8.4. यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UNESCO's Creative Cities Network)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज डे (विश्व शहर दिवस : 31 अक्टूबर) के अवसर पर **मुंबई** और **हैदराबाद** सहित विश्व के 66 शहरों को 'क्रिएटिव सिटीज' के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की।

अन्य संबंधित तथ्य

- मुंबई को **क्रिएटिव सिटी ऑफ़ फिल्मस** और हैदराबाद को **क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी (Gastronomy)** के तौर पर नामित किया गया है।
- इससे पूर्व, यूनेस्को ने **चेन्नई** और **वाराणसी** को सिटीज ऑफ़ म्यूजिक (संगीत का शहर) तथा **जयपुर** को सिटी ऑफ़ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स (शिल्प एवं लोक कलाओं का शहर) के तौर पर इस नेटवर्क में शामिल किया था।

यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज (रचनात्मक शहर) नेटवर्क के बारे में

- इस पहल को वर्ष 2004 में उन शहरों के साथ और उनके मध्य सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रारम्भ किया गया था, जिन्होंने रचनात्मकता को संधारणीय शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- वर्तमान में इस नेटवर्क के तहत सम्मिलित **180 शहर** एक साझा उद्देश्य की दिशा में एक साथ कार्य कर रहे हैं:
  - रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उनकी विकास योजनाओं के केंद्र में रखना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सहयोग स्थापित करना।
- इस नेटवर्क में शामिल होने के उपरांत, शहर सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं के सृजन, उत्पादन, वितरण एवं प्रसार को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा साझेदारी विकसित करने के लिए सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज के साथ प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं।
- इस नेटवर्क के अंतर्गत निम्नलिखित **सात रचनात्मक क्षेत्र** (seven creative fields) सम्मिलित हैं:
  - शिल्प और लोक कला (Crafts and Folk Arts);
  - मीडिया आर्ट्स;
  - फिल्म;
  - डिज़ाइन;
  - पाक-कला (Gastronomy);
  - साहित्य; तथा
  - संगीत।

VISION IAS

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता (Need of Scientific Temper)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री ने देश के विकास में तीव्रता लाने के लिए लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की आवश्यकता पर बल दिया है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण **तर्कसंगत और विवेकपूर्ण चिंतन की अभिवृत्ति** को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला माना जाता है, यदि वह:
  - ज्ञान के नवीन क्षेत्रों की खोज करता है।
  - बिना प्रमाण या परीक्षण के कुछ भी स्वीकार नहीं करता है।
  - नवीन साक्ष्यों के आलोक में अपने मत को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है।
  - प्रेक्षणीय साक्ष्यों के स्थान पर पूर्व-कल्पित धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है।
- इसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रश्न पूछना, भौतिक वास्तविकता का अवलोकन करना, परीक्षण करना, परिकल्पना करना, विश्लेषण करना और संचार करना सम्मिलित हैं।
- **वैज्ञानिक दृष्टिकोण के घटक:** चर्चा, तर्क-वितर्क एवं विश्लेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण घटक हैं और इस प्रकार, इसमें निष्पक्षता, समानता तथा लोकतंत्र के तत्व विकसित हो जाते हैं।
- **पूर्वापेक्षाएँ:** अन्वेषण की भावना और प्रश्न करने व पूछने के अधिकार की स्वीकृति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधारभूत अंग हैं। यह व्यक्ति से वस्तु, घटना या परिघटना के संबंध में 'कैसे', 'क्या', और 'क्यों' जैसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है।

मूल कर्त्तव्य

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 51A(h)** के अनुसार, "**वैज्ञानिक दृष्टिकोण**, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना" भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्त्तव्य है।

अन्य संबंधित तथ्य

संज्ञानात्मक असंगति (Cognitive dissonance): यह असंगत विचार, विश्वास या दृष्टिकोण रखने की स्थिति को संदर्भित करता है, विशेष रूप से व्यवहारात्मक निर्णयों और अभिवृत्ति में परिवर्तन के संबंध में।

मध्यम मार्ग का सिद्धांत (Golden Mean Principle): अरस्तू द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग का सिद्धांत वस्तुतः दो अतिवादी स्थितियों के मध्य संतुलन स्थापित करने वाला एक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य बातचीत की रणनीति के स्थान पर हितधारकों और सामान्य जन के सर्वोत्तम हित की पूर्ति करना है।

व्यक्ति के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व

वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल विज्ञान का अनुप्रयोग नहीं है, अपितु यह जीवन में अधिक **तर्कसंगत और सूचित विकल्प चुनने** में सक्षम होने को संदर्भित करता है। यह व्यक्ति की निम्नलिखित रूप में सहायता करता है:

- यह व्यक्ति के चरित्र को सुदृढ़ बनाता है और मूल्य प्रणाली विकसित करता है, जैसे-
  - **विवेक (Prudence):** यह स्वयं को शासित करने हेतु तर्क का प्रयोग करने एवं विभिन्न परिस्थितियों में व्यावहारिक रूप से उचित निर्णय लेने की क्षमता को संदर्भित करता है, उदाहरणार्थ- राजकोषीय विवेक का अर्थ विवेकपूर्ण तरीके से धन का उपयोग करना और व्यर्थ के व्ययों से बचना है।
  - **बुद्धिमत्ता (Wisdom):** सुकरात का कहना था कि "वास्तविक ज्ञान यह जानने में निहित है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं"। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला एक व्यक्ति न केवल अपने अनुभव और ज्ञान के उपयोग के आधार पर निर्णय लेता है अपितु वह प्रत्येक परिस्थिति से सीखता भी है। यह **संज्ञानात्मक असंगति को दूर करने** में भी सहायता करता है।
  - **सत्यता और विश्वसनीयता (Truthfulness and Trustworthiness):** चूंकि निर्णय योग्यता पर आधारित होते हैं और पूर्वाग्रहों या रूढ़ियों पर निर्भर नहीं होते है, इसलिए वे विश्वसनीय हो जाते हैं।

VISION IAS

- **सत्यनिष्ठा (Integrity):** यह व्यक्ति के चरित्र की सुसंगतता, असंदिग्ध ईमानदारी और अखंडता (सत्यनिष्ठा) को संदर्भित करती है। यह तभी संभव होता है, जब निर्णय तर्कसंगत होते हैं और बाहरी दबावों या व्यक्तिगत इच्छा के अनुरूप परिवर्तित नहीं होते हैं।
- **सहिष्णुता (Tolerance):** यह असहमति, मतभेदों और वैकल्पिक मतों का सम्मान करने की क्षमता को संदर्भित करता है। सूचित विकल्प के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति को अधिक लोकतांत्रिक और सहिष्णु बनाते हैं।
- **न्याय (Justice):** एक तार्किक व्यक्ति स्थापित नियमों के साथ-साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर न्याय की अपेक्षा करता है।
- **आत्मसंयम (Temperance):** यह कार्य, विचार या भावना के संबंध में संयमित रहने को संदर्भित करता है। सूचित और तर्कसंगत निर्णय लापरवाहियों तथा अतियों जैसे दोषों से बचाता है। इसलिए, यह हमें अरस्तू के मध्यम मार्ग के सिद्धांत के निकट लाता है।

- **सामाजिक पूंजी के निर्माण में सहायता करता है:** चरित्र और व्यवहार में विश्वसनीयता, सत्यता एवं पूर्वानुमेयता (predictability) अंततः दीर्घकालिक और सुदृढ़ सामाजिक संबंधों को विकसित करते हैं।
- एक तर्कसंगत व्यक्ति के विचार को कोई अन्य व्यक्ति **सरलता से परिवर्तित नहीं** कर सकता है। वहीं दूसरी ओर, तर्क और बुद्धि का उपयोग करके ऐसे व्यक्ति को आसानी से समझाया (अनुनय) जा सकता है।
- **प्रगति के लिए आवश्यक:** सभी हठधर्मी विश्वास सभ्यता की निरंतर प्रगति के मार्ग में बाधक होते हैं।
- **नागरिक भावना को प्रोत्साहित करता है:** उदाहरण के लिए, धर्म या विधि हमें सड़कों पर कचरा न फेंकने से वर्जित कर सकते हैं लेकिन व्यक्ति इन निर्देशों का पालन कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। लेकिन दृढ़ विश्वास इस वैज्ञानिक समझ से विकसित होते हैं कि सड़कों पर कचरा न फेंकने से हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचेगी।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के समक्ष चुनौतियां

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिन-प्रतिदिन के अनुप्रयोग के बजाए शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है। छात्र-छात्राओं से पाठ्यपुस्तकों में जो कुछ दिया है उसे स्वीकार करने और इसके आधार या निहितार्थों पर संदेह न करने की अपेक्षा की जाती है।
- **रुढ़िवाद:** वैज्ञानिक सिद्धांतों को निरर्थक मानने वाली पारंपरिक प्रथाओं को महिमामंडित करना और सती प्रथा, निकाह हलाला आदि जैसी सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने का प्रयास करना।
- **तथाकथित धर्मगुरु या रहस्यवादी:** ये लोग किसी व्यक्ति द्वारा सत्य होने का दावा किए गए ज्ञान पर संदेह न करने की प्रवृत्ति का लाभ उठाते हैं और यहां तक कि लोगों को गुमराह भी करते हैं।
- **व्यावहारिक ज्ञान का अभाव:** प्रायः छात्र-छात्राओं को व्यावहारिक या कार्य करते हुए सीखने के दृष्टिकोण से अवगत नहीं कराया जाता है।

आगे की राह

वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्तियों और समाजों के लिए जीवन का एक तरीका होना चाहिए। मीडिया, स्कूल, कॉलेज, सहकर्मी समूह आदि जैसे नीतिशास्त्र या समाजीकरण के सभी निर्धारकों के सामूहिक प्रयास से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। हमारे समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- महिला से संबंधित मुद्दों, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों, मूलभूत मानवाधिकारों आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के संबंध में **समाज को संवेदनशील बनाना चाहिए।**
- व्यावहारिक समझ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ शिक्षकों द्वारा स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- महाराष्ट्र के अंधविश्वास और काला जादू रोधी अधिनियम जैसे कानूनों को **अधिनियमित किया जाना चाहिए** जो इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाते हैं।
- **सामाजिक जागरूकता को प्रोत्साहित करने** और वैज्ञानिक एवं तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय स्रोत, ड्रामा, रोड शो जैसे चैनलों का उपयोग करना चाहिए।
- न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBSA), इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) जैसे **मीडिया विनियामकों** को ऐसे उदाहरणों की जाँच करनी चाहिए, जिनमें अंधविश्वास या ऐसी पारंपरिक प्रथाओं को T.V, सोशल मीडिया आदि पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

VISION IAS

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short)

10.1. मेघालय का आगंतुकों के प्रवेश संबंधी कानून (Meghalaya Brings Entry Law for Visitors)

- हाल ही में, मेघालय मंत्रिमंडल द्वारा "**मेघालय निवासी संरक्षा और सुरक्षा अधिनियम (Meghalaya Residents Safety and Security Act: MRSSA) 2016"** में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- यह अधिनियम केवल उन लोगों पर ही लागू होगा, जो पर्यटक, श्रमिक, छात्र या व्यावसायिक गतिविधियों हेतु राज्य में प्रवेश करेंगे।
- इस अधिनियम को इनर लाइन परमिट (ILP) जैसी व्यवस्था की माँगों और असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से बाहर हुए लोगों के मेघालय में प्रवेश करने के प्रयास संबंधी आशंकाओं की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है।
- इस प्रकार यह अधिनियम ऐसे कानून को निर्मित करने हेतु प्रेरित करेगा, जिनके अंतर्गत अनिवासी आगंतुकों को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम की इनर लाइन परमिट प्रणाली की तर्ज पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
    - इनर लाइन परमिट प्रणाली "**बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट (BEFRA), 1873"** पर आधारित है। यह भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ या एक विशेष परमिट है, जो संरक्षित क्षेत्र में किसी भारतीय नागरिक को सीमित अवधि के लिए भ्रमण करने की अनुमति प्रदान करता है।

10.2.पत्थलगड़ी आंदोलन (Pathalgadi Movement)

- पत्थलगड़ी आंदोलन में शामिल होने के कारण, झारखंड के खूंटी कस्बे के लगभग 10,000 आदिवासी लोगों (इस जिले की जनसंख्या का 2% भाग) पर **IPC की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह का आरोप** लगाया गया है।
- **पत्थलगड़ी आंदोलन** (शाब्दिक आशय 'पत्थर गढ़ना') के अंतर्गत, आदिवासियों द्वारा अपने संवैधानिक एवं अन्य अधिकारों के बारे में जनजातीय लोगों को जागरूक करने हेतु बड़े शिलालेखों पर अपनी विधियों और कानूनों को लिखने की परंपरा है।
    - समान्यत: इन शिलालेखों में **भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची** एवं **पेसा {पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996}** के तहत आदिवासी क्षेत्रों को प्राप्त विशेष स्वायत्तता को भी प्रदर्शित किया जाता है।
    - इसके अतिरिक्त, आदिवासियों द्वारा इनका उपयोग अपने क्षेत्रों को सीमांकित करने के लिए किया जाता है। साथ ही आदिवासी, पत्थलगड़ी क्षेत्रों में पुलिस एवं अर्द्ध-सैनिक बलों जैसे बाहरी लोगों की उपस्थिति को अवांछित मानते हैं।
- यह आन्दोलन, झारखंड सरकार द्वारा औपनिवेशिक युग के अधिनियमों में किए गए संशोधनों के उपरांत प्रारम्भ हुआ। इन संशोधनों द्वारा वन भूमि पर जनजातियों के अधिकारों को कम कर दिया गया था।

10.3. विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम {Special Protection Group (Amendment) Act}

- हाल ही में, **विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2019** को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।
- **इस विधेयक के प्रावधान**
    - इस विधेयक द्वारा **विशेष सुरक्षा दल (Special Protection Group: SPG) अधिनियम, 1988** में संशोधन किया गया है।
        - **बीरबल नाथ समिति (वर्ष 1985)** की अनुशंसाओं पर SPG का गठन किया गया था।
    - SPG, **प्रधानमंत्री** एवं उनके परिवार (जो उनके साथ उनके आधिकारिक निवास में निवास करते हों) को सुरक्षा प्रदान करना जारी रखेगा।
    - यह किसी **पूर्व प्रधानमंत्री** एवं उसके निकटस्थ पारिवारिक सदस्यों को भी उसके पद त्यागने की तिथि से **पांच वर्ष की अवधि हेतु** सुरक्षा प्रदान करेगा।
        - प्रारम्भ में इस अधिनियम में, एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसी सुरक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान था। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्रियों या उनके निकटस्थ पारिवारिक सदस्यों हेतु SPG सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई न्यूनतम कट ऑफ अवधि निर्धारित नहीं थी क्योंकि खतरे की आशंका के आधार पर इसे एक वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाया जा सकता था।
        - इस प्रकार, **SPG सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या** संभावित रूप से **अत्यधिक हो सकती है।** ऐसे परिदृश्य में, SPG के संसाधनों, प्रशिक्षण एवं संबंधित बुनियादी ढांचे से संबंधित गंभीर चुनौतियां परिलक्षित हो सकती हैं।
    - यदि पूर्व प्रधानमंत्री से SPG सुरक्षा वापस ली जाती हैं, तो उसके निकटस्थ पारिवारिक सदस्यों से भी इसे वापस ले ली जाएगी।
        - इससे पूर्व, यदि किसी भी निकटस्थ पारिवारिक सदस्यों के समक्ष खतरे की आशंका की स्थिति में SPG द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती थी।

VISION IAS

10.4. कुलभूषण जाधव केस (Kulbhushan Jadhav Case)

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया गया था।
  - **"वियना कन्वेंशन ऑन कांसुलर रिलेशन"** के अनुच्छेद 36 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई राष्ट्र किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करता है या हिरासत में लेता है, तो उस देश पर, संबंधित व्यक्ति को राजनयिक पहुँच प्रदान करने और उसके देश को सूचित करने का उत्तरदायित्व होगा।
  - जासूसी के आधार पर राजनयिक पहुँच के अधिकार से वंचित करने के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 में इस अधिकार से वंचित करने का कोई उल्लेख नही हैं, यहाँ तक की जासूसी के संदेह वाले मामलो में भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice: ICJ)

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र (UN) का प्रमुख न्यायिक अंग है।
- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में इसकी स्थापना की गई थी।
- इस न्यायालय की भूमिकाओं के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनी विवादों (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में) का समाधान करना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों एवं विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी विषयों पर परामर्श देना शामिल है।

10.5. एच-1बी वीजा निरस्तीकरण (H-1B Visa Denials)

- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा "बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन (Buy American and Hire American)" के शासकीय आदेश के माध्यम से **H-1B प्रदान करने** की प्रक्रिया को कठोर बना दिया गया है। **H-4 वीजा जारी करने की दर में भी गिरावट हुई है।**
- वर्ष 2018 में जारी किए गए कुल H-1B आवेदनों में से 74 प्रतिशत भारतीयों द्वारा किए गए थे। इसलिए, **वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को कठोर बनाने से भारतीय आवेदक सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।**
- **H-1B वीजा** अमेरिकी कंपनियों को अस्थायी रूप से विदेशी कर्मचारियों को (विशेष व्यवसायों में) तीन वर्ष के लिए नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करता है, जिसे छह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- **H-4 वीजा,** H-1B श्रमिकों के निकटस्थ पारिवारिक सदस्यों, जैसे जीवन-साथी एवं बच्चों अदि को जारी किया जाता है।

10.6. मूल्य न्यूनता भुगतान (Price Deficiency Payment)

- हाल ही में, हरियाणा सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने एवं फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु **भावांतर भरपाई योजना (BBY) के अंतर्गत और अधिक फसलों** को शामिल किए जाने का निर्णय किया है।
  - यह **हरियाणा की मूल्य न्यूनता (भावांतर) भुगतान योजना** है, जिसका उद्देश्य किसानों के जोखिम को कम करने (बाजार में सब्जियों के उचित मूल्य न मिल पाने की स्थिति में) हेतु उन्हें संरक्षित मूल्य प्रदान करना है।
  - इस योजना में अब आलू, प्याज, टमाटर एवं गोभी (जो आरंभ में भी शामिल थे) के साथ-साथ **गाजर, मटर, किनोवा, अमरूद, शिमला मिर्च और बैंगन** भी शामिल होंगे।
- **मूल्य न्यूनता भुगतान** के अंतर्गत, किसानों को चयनित फसलों हेतु उनके वास्तविक बाजार मूल्यों एवं सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मध्य के अंतर की राशि को क्षतिपूर्ति के तौर पर भुगतान की जाती है।
  - इस प्रणाली का उद्देश्य फसलों की MSP आधारित खरीद में निहित अंतरालों को समाप्त करना है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रारम्भ किए गए एक समग्र योजना **'प्रधानमंत्री अन्नदता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)'** के एक घटक के रूप में मूल्य न्यूनता भुगतान योजना को भी शामिल किया गया है, जबकि अन्य घटकों के रूप में **मूल्य समर्थन योजना (PSS)** तथा **निजी खरीद और स्टॉक स्कीम (PPSS)** शामिल हैं।
- इसी तरह की योजना वाले अन्य राज्यों में **मध्य प्रदेश** द्वारा **भावान्तर भुगतान योजना (BBY)** एवं **कर्नाटक** द्वारा **दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन** शामिल हैं।

10.7. पेटेंट अभियोजन राजमार्ग कार्यक्रम (Patent Prosecution Highway Programme)

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय पेटेंट कार्यालय और अन्य इच्छुक देशों के पेटेंट कार्यालयों के मध्य द्विपक्षीय **पेटेंट अभियोजन राजमार्ग (PPH) कार्यक्रम** के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

- इसके साथ ही, भारत एवं जापान के पेटेंट कार्यालयों द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए **PPH केन्द्रित पायलट कार्यक्रम में** शामिल भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों को पेटेंट के लिए शीघ्र अनुदान प्रदान किए जाने हेतु एक समझौता किया गया है।
- इस पायलट कार्यक्रम के अंतर्गत, **भारतीय पेटेंट कार्यालय** केवल विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, भौतिकी, सिविल, यांत्रिकी, वस्त्र, ऑटोमोबाइल एवं धातु विज्ञान जैसे कुछ निर्दिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में ही पेटेंट हेतु आवेदन स्वीकार किया जायेगा, जबकि **जापान के पेटेंट कार्यालय** में **प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों से संबंधित आवेदन** किए जा सकते हैं।
- **PPH कार्यक्रम से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे,** जैसे:
  - निस्तारण समय और पेटेंट आवेदनों के विलंबन को कम करना
  - स्वीकृत पेटेंट की गुणवत्ता की निरंतरता को सुनिश्चित करना
  - कंपनियों द्वारा अधिक इनबाउंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा
  - नई तकनीकों की शुरुआत होगी जिससे **मेक इन इंडिया** को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

10.8. खादी हेतु पृथक एच.एस. कोड आवंटित (Khadi Gets Separate HS Code)

- हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा खादी हेतु एक पृथक **हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS)** कोड आवंटित किया गया है।
- एक पृथक HS कोड न होने के कारण खादी क्षेत्र अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में अक्षम बना हुआ था, क्योंकि इसके निर्यातों को वर्गीकृत करने एवं उनकी गणना करने में कठिनाई आ रही थी।
- हार्मोनाइज्ड सिस्टम **WCO (वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनाइजेशन) द्वारा विकसित छह अंकों का एक पहचान कोड है।**
  - यह सभी भागीदार देशों को सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए एकसमान आधार पर व्यापारिक वस्तुओं को वर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - सीमा शुल्क संगठन द्वारा इस कोड का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करने या परिवहित होने वाली वस्तुओं की निगरानी करने हेतु किया जाता है।
- WCO एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता एवं दक्षता में वृद्धि करना है।

10.9. ओ.ई.सी.डी. इकोनॉमिक आउटलुक 2019 (OECD Economic Outlook 2019)

- इकोनॉमिक आउटलुक, **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)** द्वारा वर्ष में दो बार प्रकाशित किया जाने वाला आर्थिक विश्लेषण है, जिसमें OECD देशों एवं अन्य चयनित गैर-सदस्य देशों का आर्थिक विश्लेषण तथा भविष्य में उनके आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में पूर्वानुमान किए जाते हैं।

इकोनॉमिक आउटलुक 2019 के प्रमुख निष्कर्ष

- इसके द्वारा इस वर्ष के लिए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 2.9 प्रतिशत वृद्धि होने और वर्ष 2020-21 के लिए वृद्धि दर 3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात् से यह सबसे कम अनुमानित दर है।
- **भारत के संदर्भ में:** इसने वर्ष 2019 के लिए भारत के आर्थिक संवृद्धि के अनुमान में आंशिक रूप से कटौती कर 5.8 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, यह भी कहा गया है कि वर्ष 2020 में यह बढ़कर 6.2 प्रतिशत और वर्ष 2021 में 6.4 प्रतिशत हो जाएगी।

10.10. क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी सर्विस आवास पोर्टल (Credit-Linked Subsidy Services Awas Portal)

- हाल ही में, **आवास और शहरी मामलों के मंत्री** द्वारा **क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी सर्विस आवास पोर्टल (CLAP)** लॉन्च किया गया है।
- यह पोर्टल **प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)** के अंतर्गत क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी सेवाओं (CLSS) के लाभार्थियों हेतु एक सुदृढ़ पारदर्शी और वास्तविक समय आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली प्रदान करता है।
- इस पोर्टल का उपयोग करके, एक लाभार्थी **वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता** है साथ ही, यह पोर्टल **अधिक व्यापक और संगठित ढंग से लाभार्थियों** की शिकायतों का समाधान करने में सहायक होगा।
- CLAP, लाभार्थियों को समय पर सब्सिडी जारी करने के लिए **अन्य हितधारकों के साथ तालमेल स्थापित करने** में सहायता करेगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में **सभी के लिए आवास** सुनिश्चित करना है।

10.11. जूट बोरियों में अनिवार्य पैकेजिंग (Mandatory Packaging in Jute Materials)

- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट वर्ष 2019-20 के लिए खाद्यान्न और चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैकेजिंग को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- सरकार द्वारा विगत वर्ष के समान **जूट पैकेजिंग सामग्री (JPM) अधिनियम, 1987** के तहत अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के विस्तार को बनाए रखा है।
- प्लास्टिक पैकेजिंग से जूट क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने हेतु JPM अधिनियम को अधिनियमित किया गया है।

- इसके अंतर्गत, सरकार ने अधिदेशित किया है कि 100 प्रतिशत खाद्यान्न एवं 20 प्रतिशत चीनी की पैकेजिंग अनिवार्य रूप जूट की बोरियों में की जानी चाहिए।

10.12. 'आइसडैश' एवं 'अतिथि' (ICEDASH and ATITHI)

- हाल ही में, सरकार ने दो नई सूचना प्रोद्योगिकी पहलों, यथा- **'आइसडैश (ICEDASH)'** और **'अतिथि (ATITHI)'** की शुरुआत की है।

आइसडैश के बारे में

- **आइसडैश,** भारतीय सीमा शुल्क विभाग का **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड** है, जो आयातित कार्गो के दैनिक क्लीयरेंस टाइम की निगरानी द्वारा सामान्य उपभोक्ताओं/लोगों को सहयोग प्रदान करता है। जिससे व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलता है।
- इस डैशबोर्ड को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)** द्वारा विकसित किया गया है।

अतिथि के बारे में

- **अतिथि, CBIC द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन** है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अग्रिम कस्टम क्लीयरेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- कस्टम द्वारा हवाई अड्डों पर सुगम आगमन और त्वरित क्लीयरेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों एवं अन्य आगंतुकों के अनुभवों में सुधार किया जायेगा।

10.13. कूर्ग का कोडावास समुदाय (Kodavas Community of Coorg)

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने कोडावास समुदाय को बिना लाइसेंस पिस्तौल, रिवाल्वर और डबल बैरल शॉटगन जैसे आग्नेयास्त्रों को रखने संबंधी ब्रिटिश काल से प्रदान की जा रही छूट को जारी रखने का निर्णय किया है।
- वर्तमान छूट को 10 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात 2029 तक विस्तारित किया गया है।
- **कोडावास समुदाय के बारे में**
  - कोडावस (कोगडू के रूप में भी जाना जाता है) कर्नाटक में **कूर्ग क्षेत्र का एक प्रसिद्ध योद्धा समुदाय है।**
  - ये **'कालीपोढ़' उत्सव पर शस्त्रों की पूजा** करते हैं तथा यह देश में एकमात्र समुदाय है, जिसे **बिना लाइसेंस शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान** की गई है।
  - ये **देश के रक्षा क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान** के लिए भी जाने जाते हैं और इसलिए कूर्ग को **सेनाध्यक्षों की भूमि** भी कहा जाता है।
  - इस समुदाय की **विशिष्ट विशेषता** यह भी है कि यहाँ महिलाओं को उच्च प्रस्थिति/दर्जा प्राप्त है जैसे कि बाल विवाह की अनुपस्थिति एवं दहेज प्रथा वर्जित है तथा विधवा पुनर्विवाह प्रचलित है।
  - कोडावास समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले **अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार हैं** 'पुत्तरि' (धान के फसल की पहली कटाई के दौरान मनाया जाने वाला) और 'कावेरी संक्रमण'।

10.14. अग्नि- II का रात्रि परीक्षण (Night Trial of Agni-II)

- हाल ही में, भारत द्वारा पहली बार अग्नि-II मिसाइल के रात्रि परीक्षण को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है।
- **AGNI-II मिसाइल के विषय में**
  - यह **सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की परमाणु क्षमता युक्त बैलिस्टिक मिसाइल** है।
  - इसे **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)** द्वारा विकसित किया गया है।
  - इसे पहले ही सशस्त्र बलों में शामिल किया जा चुका है।
  - इसकी **लंबाई 20-मीटर** और **मारक क्षमता 2,000 कि.मी**. है। इसका प्रक्षेपण भार 17 टन है और यह 1,000 किलोग्राम तक का पेलोड का वहन करने में सक्षम है।
  - यह उन्नत **उच्च सटीकता वाले नेविगेशन सिस्टम से युक्त दो चरण वाली मिसाइल है, जिसे एक अत्याधुनिक कमांड और नियंत्रण प्रणाली** द्वारा निर्देशित किया जाता है तथा यह **ठोस रॉकेट प्रणोदक प्रणाली द्वारा संचालित** होती है।

10.15. सैन्य अभ्यास (Military Exercises)

- **आतंकवाद-निरोधी टेबल टॉप अभ्यास (CT-TTX):** यह **"क्वाड" देशों** (U.S., भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के मध्य प्रथम आतंकवाद-रोधी अभ्यास है, जिसे हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था।
- **अभ्यास सूर्य किरण-XIV:** यह **भारत-नेपाल** के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- **अभ्यास मित्र शक्ति-VII:** यह **भारत-श्रीलंका** के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- **अभ्यास शक्ति-2019:** यह भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य आयोजित द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसे भारत और फ्रांस में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- **अभ्यास ज़ाएर-अल-बहर:** यह **भारत और कतर** की नौ सेनाओं के मध्य आयोजित **संयुक्त समुद्री अभ्यास** है।

- **टाइगर ट्रायम्फ:** यह **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका** के मध्य आयोजित प्रथम त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। यह मुख्य रूप से मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) के संचालन पर केंद्रित अभ्यास था।
- **दस्तलिक-2019:** यह **भारत और उज्बेकिस्तान** के मध्य आयोजित प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

10.16. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, 2019 (Global Terrorism Index: GTI, 2019)

- इस सूचकांक को सिडनी स्थित **इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP)** द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- यह सूचकांक, **वर्ष 2000 के बाद से आतंकवादी घटनाओं पर प्रमुख वैश्विक रूझानों और पैटर्न का एक गहन विश्लेषण** प्रदान करता है।
- यह **आतंकवाद से प्रभावित देशों की एक क्रमिक रैंकिंग प्रदान करने हेतु एक समग्र स्कोर/अंक तालिका** का प्रयोग करता है।
- **वर्ष 2019 के सूचकांक के अनुसार**
  - वर्ष 2018 में **आतंकवाद के कारण वैश्विक स्तर पर होने वाली मृत्यु में 15.2% की गिरावट दर्ज** की गई है, जबकि चरमपंथी हिंसा से प्रभावित देशों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई।
  - **वर्ष 2018 में सर्वाधिक गिरावट इराक** (जिसके द्वारा वर्ष 2017 में IS पर सैन्य जीत की घोषणा की गयी थी) में दर्ज की गई, वहीँ **सोमालिया,** जहां वर्ष 2017 के पश्चात् से अमेरिकी सेना द्वारा अल-शबाब चरमपंथियों से निपटने के लिए हवाई हमले किए गए हैं।
  - इराक, नाइजीरिया और सीरिया को पीछे छोड़ते हुए **अफ़ग़ानिस्तान सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश** बन गया है, जहां **तालिबान द्वारा** IS को नियंत्रित कर नेतृत्व को अपने हाथ में ले लिया गया है।

10.17. सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु (Migratory Birds Die in Sambhar Lake)

- हाल ही में, राजस्थान की सांभर झील में **एवियन बोटुलिज़्म (Avian botulism)** के कारण हजारों प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई।
- उनकी मृत्यु का कारण **क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम (Clostridium botulinum)** नामक जीवाणु था।
- **यह पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है,** जिससे उनके पैर और पंख तथा गर्दन लकवाग्रस्त हो जाता है।
- यह पाया गया है कि सांभर झील में जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गई थी, जिससे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के प्रसार को बढ़ावा मिला।
  - **क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम** उष्मा-रोधी होते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्पन्न एवं वृद्धि करते हैं तथा तत्पश्चात विषाक्त पदार्थों को निर्मुक्त करते हैं।
- **सांभर झील के बारे में**
  - यह राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है।
  - इसे रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित किया गया है।
  - बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो सहित विभिन्न प्रकार के शीतकालीन प्रवास करने वाले जलपक्षियों के लिए यह स्थल महत्वपूर्ण है। यहाँ होने वाली मानवीय गतिविधियों में नमक उत्पादन और पशुचारण शामिल हैं।

10.18. लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना (Loktak Inland Waterways Project)

- **जहाजरानी मंत्रालय** ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत मणिपुर में **लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग सुधार परियोजना** के विकास हेतु स्वीकृति प्रदान की है।
- यह परियोजना पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन कनेक्टिविटी विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा प्रदान करेगी।
- **लोकटक झील** पूर्वोत्तर भारत की **सबसे बड़ी ताजे जल की झील** है, जोकि मणिपुर के मोइरांग में स्थित है।
  - यह तैरते हुए **फुमडी** (वनस्पति, मृदा और कार्बनिक पदार्थों से निर्मित पुंज) और **केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान** के लिए प्रसिद्ध है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
  - केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, **संगाई हिरण** (इन्जेन्डर प्रजाति) के प्राकृतिक पर्यावास स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है।

10.19. NTCA की 'मानव-भक्षक' बाघों पर नई नीति (NTCA's New Policy On 'Man-Eater' Tigers)

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority: NTCA) ने अपने नए दिशा-निर्देशों में बाघों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द **'मानव-भक्षक' को 'मानव जीवन के लिए खतरनाक'** के रूप में परिवर्तित कर दिया है।
- इससे पूर्व, वन विभाग द्वारा किसी बाघ को पकड़ने या मारने का आदेश देने से पूर्व यह सिद्ध करने हेतु प्रमाण/साक्ष्य एकत्रित करने होते थे कि उस बाघ के कारण मानवीय जीवन की क्षति हुई है। हालांकि, इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप समय और मानव जीवन दोनों की क्षति होती थी।

- किंतु अब बाघ को **'मानव जीवन के लिए खतरनाक'** के रूप में वर्गीकृत किए जाने से वन विभाग, बाघ द्वारा किसी मानव बस्ती में प्रवेश की स्थिति में कार्रवाई करने तथा उस बाघ को बिना 'मानव-भक्षक' सिद्ध किए पकड़ने में सक्षम होगा।
- नए दिशा-निर्देश **गैर-विभागीय व्यक्तियों (जैसे कि- निजी शार्पशूटर)** को बाघों को शांत-शिथिल करने/जीवन समाप्त करने या पकड़ने संबंधी ऑपरेशन में भाग लेने पर भी **प्रतिबंध आरोपित करते हैं।**

10.20. मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज (Meghalaya Living Root Bridges)

- हाल ही में, जर्मन शोधकर्ताओं द्वारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक पत्रिका में "लिविंग रूट ब्रिजे स्टडी" को प्रकाशित किया गया है।

लिविंग रूट ब्रिज के बारे में (जिंग कींग ज्री)

- यह मेघालय के वनवासियों विशेषकर ख़ासी और जयंतिया लोगों का समुदाय जनित नवाचार है जिसमें भारतीय **रबर के पेड़ (फिकस इलास्टिका) की जड़ों और एरेका कतेचू या देशी बांस को परस्पर जोड़कर हुए पुल तैयार किया** जाता है।
- भारतीय रबर के पेड़ तीन मुख्य गुणों के कारण पुलों के विकास हेतु अत्यधिक अनुकूल होते हैं अर्थात् **ये लचीले होते हैं, जड़ें आसानी से संघटित हो जाती हैं और पौधे खुरदरी, चट्टानी मृदा में भी वृद्धि करने में सक्षम होते हैं।**
- 15 से 250 फीट के मध्य विस्तारित और शदियों से निर्मित होते चले आ रहे इन पुलों का, मुख्य रूप से जल सरिताओं तथा नदियों को पार करने के एक साधन के रूप उपयोग किया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण के केंद्र बिंदु भी बन गए हैं।

10.21. ग्लाईफोसेट- आधारित शाकनाशी (Glyphosate-Based Herbicides)

- फार्मास्युटिकल कंपनी **बेयर (Bayer)** द्वारा निर्मित एक शाकनाशी (जो कि ग्लाईफोसेट नामक एक यौगिक पर आधारित है) के संबंध में कंपनी पर कई मुकदमें दायर किए गए हैं।
- वर्ष 1970 में विकसित ग्लाईफोसेट का **कीट को मारने के लिए पौधों की पत्तियों पर** छिडकाव किया जाता है।
- भारत में मुख्यतः **महाराष्ट्र** (गन्ना, मक्का और फलों की अन्य फसलों के लिए), **पश्चिम बंगाल** और **असम** (चाय की कृषि के लिए) में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रकाशित एक शोध के पश्चात्, यह विवाद का विषय बन गया है, जिसमें कहा गया है कि ग्लाईफोसेट सम्भवतः **"मनुष्यों के लिए कैंसरकारी"** होता है।

10.22. न्यूजेन मोबिलिटी समिट (Nugen Mobility Summit)

- हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र (International Centre for Automotive Technology: ICAT)** द्वारा गुरुग्राम के मानेसर में **न्यूजेन मोबिलिटी समिट** का आयोजन किया गया।
- इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नए विचारों, शिक्षाओं, वैश्विक अनुभवों, नवाचारों और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के त्वरित अनुकरण एवं क्रियान्वयन तथा एक अधिक स्मार्ट एवं हरित भविष्य के लिए उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के विकास को साझा करना था।
- मानेसर स्थित **ICAT,** भारत सरकार के NATRiP (नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) के तहत एक ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन और अनुसंधान एवं विकास हेतु सेवा प्रदाता है।
- **NATRiP,** देश के ऑटोमोटिव क्षेत्र में एक अत्याधुनिक परीक्षण, मान्यता और अनुसंधान एवं विकास के लिए आधारभूत संरचना के सृजन हेतु (भारत सरकार, कई राज्य सरकारों और भारतीय मोटर वाहन उद्योग के मध्य सहयोग द्वारा) एक पहल है।

10.23. SACEP की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग (Governing Council Meeting of SACEP)

- हाल ही में, **दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (South Asia Cooperative Environment Programme: SACEP) की 15वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ढाका (बांग्लादेश) में आयोजित की गई।**
- SACEP के साथ-साथ, दक्षिण एशिया समुद्र कार्यक्रम (SASP) की 6वीं अंतर-सरकारी बैठक भी आयोजित की गई थी।

SACEP के बारे में

- **SACEP** एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसे वर्ष1982 में स्थापित किया गया था।
- इसके सदस्य देश **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका** हैं तथा इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण, प्रबंधन एवं संवर्धन को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है।

SASP के बारे में

- SASP वर्ष 1995 में दक्षिण एशिया के पांच समुद्र-तटीय देशों यथा **बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका** के मध्य हिंद महासागर को साझा करने वाला एक क्षेत्रीय समझौता है।
- SASP **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण** के तत्वावधान में स्थापित **वैश्विक क्षेत्रीय समुद्र कार्यक्रम** का भाग है।

- इसका उद्देश्य **समुद्री पर्यावरण तथा संलग्न तटीय पारिस्थितिक तंत्र का पर्यावरणीय दृष्टि से दक्ष और संधारणीय संरक्षण एवं प्रबंधन** करना है।
- SACEP दक्षिण एशियाई समुद्र कार्यक्रम के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

10.24. ग्रीन क्लाइमेट फंड (Green Climate Fund: GCF)

- तीन तटीय राज्यों में जलवायु सुनम्यता के संवर्धन हेतु **ग्रीन क्लाइमेट फंड** से भारत को 43 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान किया गया है।
- छह वर्षीय परियोजना द्वारा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं ओडिशा में 1.7 मिलियन लोगों के लिए जलवायु-अनुकूल आजीविका का निर्माण किया जायेगा और इसकी सहायता से 3.5 मिलियन टन कार्बन को समायोजित (ऑफसेट) किया जाएगा। साथ ही यह सुभेद्य पारिस्थितिक तंत्रों को भी सुरक्षा प्रदान करेगी तथा बेहतर तटीय संरक्षण के साथ अन्य 10 मिलियन लोगों को लाभान्वित करेगी।

जलवायु वित्तपोषण तंत्र

- **ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF):**
  - GCF विकासशील देशों को अपने ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान करता है।
  - इसे वर्ष 2010 में **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** के वित्तीय तंत्र के भाग के रूप में स्थापित किया गया था।
  - वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के दौरान GCF ने पेरिस समझौते के क्रियान्वयन और इसके लक्ष्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था।
  - GCF का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन, न्यून उत्सर्जन और जलवायु-सुनम्य विकास में निवेश करने के लिए जलवायु वित्त के प्रवाह को प्रेरित करना है।
- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility: GEF):**
  - GEF की स्थापना वर्ष 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन (रियो डी जनेरियो) के दौरान की गई थी ताकि अत्यंत विकट पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्राप्त हो सके। **विश्व बैंक, GEF के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता** है तथा इस फंड का प्रबंधन भी करता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों और समझौतों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संक्रमणशील अर्थव्यवस्था वाले देशों तथा विकासशील देशों के लिए GEF फंड उपलब्ध है।
- **विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (Special Climate Change Fund: SCCF):**
  - SCCF की स्थापना UNFCCC के अंतर्गत वर्ष 2001 में सभी विकासशील देश की अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण आदि से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए की गई थी।
  - SCCF को संचालित करने हेतु GEF (वित्तीय तंत्र की एक संचालन इकाई के रूप में) को हस्तांतरित किया गया है।
- **अनुकूलन निधि (Adaptation Fund):**
  - इसे वर्ष 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों की स्थापना हेतु स्थापित किया गया था जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से सुभेद्य हैं।
  - यह स्वच्छ विकास तंत्र (the clean development mechanism: CDM) परियोजना की गतिविधियों से प्राप्त प्रतिलाभ और वित्तपोषण के अन्य स्रोतों से वित्तपोषित किया जाता है।

10.25. चेन्नई में बाढ़ शमन हेतु रेड एटलस मैप और कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम ऐप (Red Atlas Map and CFLOWS App for Flood Mitigation in Chennai)

- **'रेड एटलस एक्शन प्लान मैप'** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया जाने वाला अपनी तरह का यह एक पहला मानचित्र है।
  - यह चेन्नई में प्रभावी बाढ़ शमन में सहयोग प्रदान करेगा जो कि वर्ष 2015 में सर्वाधिक रूप से बाढ़ से प्रभावित रहा है।
  - व्यक्तिगत निगम वार्डों के बारे में सूचना प्रदान करने हेतु, इसमें सभी ऐतिहासिक डेटासेट को ध्यान में रखते हुए **विभिन्न वर्षा अवधियों के संभावित परिदृश्य को शामिल किया गया** है।
  - इसके उद्देश्यों के अंतर्गत **बाढ़ शमन, तैयारियों, संचालन और प्रबंधन संबंधी पहलु शामिल** हैं।

- **'कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम ऐप'** (CFLOWS-चेन्नई) एक पूर्णत: वेब GIS-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है जिसमें क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान, तूफान महोर्मि और लगभग 796 बाढ़ परिदृश्यों के कपलिंग मॉडल (coupling models) को शामिल किया गया है।
    - **बाढ़-पूर्व शमन योजना के संचालन हेतु और वास्तविक समय में** राहत कार्य जैसे पहलुओं के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

10.26. एशियन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस (Asian Dendrochronology Conference)

- हाल ही में, छठी एशियन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस (एशियाई वृक्ष कालानुक्रमिकी सम्मेलन) का आयोजन लखनऊ में किया गया।
- इस सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए शोध पत्रों में **तापमान, वर्षा और वृक्ष के वलय की चौड़ाई (tree ring width) के मध्य घनिष्ठ संबंध को दर्शाया गया।**
- कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य को रेखांकित करती है कि विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों से लेकर वनस्पति जगत की विगत प्रतिक्रियाओं के पुनर्निर्धारण द्वारा मौसम और अन्य पर्यावरणीय मापदंडों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है।
- डेंड्रोक्रोनोलॉजी (वृक्ष कालानुक्रमिकी), वृक्ष वलय (ट्री रिंग्स) का अध्ययन है जो न केवल किसी वृक्ष के विकास अवधि एवं अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है बल्कि उस पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी सूचना प्रदान करता है जिसमें वह वृक्ष जीवित है।
    - वृक्ष वलय, वृक्ष द्वारा किए गए (एक वर्ष में) विकास/वृद्धि को संदर्भित करने वाली परतें होती हैं। पुरानी लकड़ी का रंग नई लकड़ी की तुलना में सदैव गहरा होता है जो वर्ष दर वर्ष वलय (भिन्न रंग वाले) के निर्माण को प्रदर्शित करती है।
    - पौधों की बेहतर वृद्धि/विकास के दौरान वलय की चौड़ाई बढ़ती जाती है, जो कि संसाधनों की बेहतर आपूर्ति को प्रदर्शित करता है, हालांकि पारिस्थितिक तंत्र में संसाधनों की अत्यल्प कमी आपूर्ति की स्थिति में यह पतली होती जाती है।

10.27. यौन संबंधों द्वारा डेंगू वायरस का संचरण (Sexual Transmission of Dengue Viruses)

- हाल ही में, स्पेनिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने **यौन संबंधों द्वारा डेंगू वायरस के संचरण (विश्व का ऐसा पहला मामला है) की पुष्टि** की है। अभी तक यही माना जाता था कि डेंगू केवल मच्छरों द्वारा संचारित होता है।
- डेंगू मुख्य रूप से **एडीज एजिप्टी मच्छर** (जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पनपता है) के माध्यम से संचारित होने वाला एक विषाणु जनित रोग है।

10.28. 3S परियोजना (3S Project)

- केंद्र सरकार द्वारा **स्मार्ट सुरक्षा निगरानी (Smart Safety Surveillance) या 3S कार्यक्रम** की पहुंच को विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है।
- यह प्राथमिकता वाली दवाओं और टीकों की **पोस्ट-मार्केटिंग निगरानी को अत्यधिक बेहतर बनाने** के उद्देश्य से निर्मित की गई एक परियोजना है।
    - भारत में वितरित किए गए टीकों की सीमित सुरक्षा आंकड़ों को देखते हुए, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी।
    - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किए गए टीके सुरक्षित हैं या नहीं।
- 3S परियोजना के भाग के रूप में, **भारत द्वारा हाल ही में प्रारम्भ किए गए रोटावायरस टीकों का मूल्यांकन किया जा रहा है।**
- इसके तहत उच्च स्तर की सतर्कता को सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) जैसे प्रमुख हितधारकों के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

10.29. इंडियन ब्रेन एटलस {Indian Brain Atlas (IBA 100)}

- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद **(IIIT हैदराबाद)** के शोधकर्ताओं द्वारा **IBA 100 नामक प्रथम इंडियन ब्रेन एटलस** का निर्माण किया गया है।
- शोधकर्ताओं ने **100 भारतीयों के MRI स्कैन** के आधार पर भारतीय जनसंख्या आधारित विशिष्ट मानव मस्तिष्क एटलस का निर्माण किया है।
- इस एटलस के अध्ययन से ज्ञात होता है कि **कोकेशियान और पूर्वी (चीनी और कोरियाई) प्रजातियों के लोगों की तुलना में एक भारतीयों के औसत मस्तिष्क का आकार (ऊंचाई, चौड़ाई और भार में) छोटा** था।
- किंतु अब तक, मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (MNI) के **कोकेशियान मस्तिष्क** का प्रयोग मानक के रूप में किया जाता था। हालांकि, ये MNI नमूने नृजातियों में अंतर के कारण भारतीय जनसंख्या के लिए आदर्श नहीं थे और मस्तिष्क के आकार में अंतर के कारण रोग की पहचान न हो पाने का भी खतरा बना रहता था।
- IBA 100, **अल्जाइमर और मस्तिष्क संबंधी अन्य रोगों के बेहतर/प्रारंभिक निदान में सहायता प्रदान** करेगा।
- MNI और इंटरनेशनल कंसोर्टियम फॉर ब्रेन मैपिंग (ICBM) द्वारा वर्ष **1993 में पहली बार डिजिटल मानव मस्तिष्क एटलस का निर्माण किया गया था।**

10.30. फास्टैग (Fastag)

- टैग के अभाव के कारण सरकार द्वारा फास्टैग की समय सीमा में एक माह की वृद्धि कर दी गई है। ज्ञातव्य है कि इस नई व्यवस्था की शुरुआत 15 दिसंबर से की जानी थी।
- एक नई योजना **"वन नेशन वन फास्टैग"** के तहत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा इस मुद्दे पर सभी राज्यों को एक साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सभी राजमार्गों पर सुगमतापूर्वक एक टैग का उपयोग किया जा सके, चाहे राजमार्ग को राज्य अथवा केंद्र द्वारा प्रबंधित किया जाता हो।
- यह प्रत्यक्ष रूप से लिंक्ड प्रीपेड या बचत खाते से भुगतान करने हेतु **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक** का उपयोग करता है। इस टैग को वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है जो बूथ को क्रॉस करते हुए (वाहन के बिना रुके) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान को सफल बनाता है।
- एक फास्टैग पांच वर्ष के लिए वैध होता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे रिचार्ज किया जा सकता है।

10.31. एक्सेलेरेटर लैब (Accelerator Lab)

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम **(UNDP)** ने अपनी नई पहल **एक्सेलेरेटर लैब** के **भारतीय संस्करण (India chapter)** की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत एक साझेदार देश के रूप में जर्मनी और कतर को शामिल किया गया है।
- इसके तहत **नवप्रवर्तन संबंधी प्रयास के माध्यम से** भारत द्वारा सामना किए जा रहे अत्यंत ज्वलंत मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इन मुद्दों के अंतर्गत वायु प्रदूषण, सतत जल प्रबंधन और ग्राहक-अनुकूल आजीविका (client-resilient livelihoods) शामिल हैं।
  - इस परियोजना को सरकार के **अटल इनोवेशन मिशन** की सहायता से प्रारम्भ किया गया है।
- ये स्थानीय अभिकर्ताओं के साथ मिलकर **जमीनी स्तर पर समाधानों की पहचान** करते हैं और विकास में तीव्रता लाने हेतु अपनी क्षमता को प्रमाणित करते हैं।
- प्रक्रियागत समाधानों (scale solutions) हेतु एक्सेलेरेटर लैब्स को सरकारों और UNDP के सहयोग से निर्मित किया गया है। इसे भारतीय एक्सलेरेटर लैब टीम की अवधारणा में **'वर्क आउट लाउड' (work out loud)'** या मुद्दों को साझा करने को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है।

10.32. सौर-मंडल में बौने ग्रह (Dwarf Planets in Solar System)

- हाल ही में, खगोलविदों द्वारा सुझाव दिया गया कि **हाइगिया (Hygiea)** को एक बौना ग्रह की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।
- वर्तमान में, हमारे सौर-मंडल में **आधिकारिक रूप से पांच बौने ग्रह** स्थित हैं, यथा- **प्लूटो, एरिस, मेकमेक, हुमा और सेरेस।**
- **अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (International Astronomical Union)** ने बौने ग्रह के संदर्भ में चार मानदंड निर्धारित किए हैं, जो हैं - यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो; यह किसी का उपग्रह न हो; यह अपने निकटवर्ती पिंडो की कक्षाओं में प्रवेश न करता हो तथा अंतिम निर्धारक आधार यह है कि उसका द्रव्यमान कम-से-कम इतना हो कि वह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आकार को लगभग गोलीय बनाएँ रख सके।
- **हाइगिया** जिसे अब तक एक **क्षुद्रग्रह** माना जाता था, जो **मंगल** और **बृहस्पति** के मध्य क्षुद्रग्रह पट्टी में स्थित है। प्रारंभ से यह माना जाता था कि हाइगिया केवल **पहले तीन** मानदंडों को ही पूरा करता है।
- किंतु अब, वेरी लार्ज टेलीस्कोप (VLT) आधारित यूरोपीय अंतरिक्ष संगठन के **SPHERE उपकरण** के माध्यम से किए गए अवलोकनों से ज्ञात होता है कि हाइगिया **चौथे** मानदंड की भी पुष्टि करता है तथा यह एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत होने वाले मानदंडों को पूरा करता है।

10.33. 'सांस' अभियान (SAANS Campaign)

- हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा **'सांस' (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully: SAANS)** अभियान का शुभारंभ किया गया है।
- **इसका लक्ष्य है;**
  - निमोनिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु दर को कम करना।
  - निमोनिया से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को संगठित करना।
  - इस रोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्राथमिकता आधारित उपचार प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करना।
- इस अभियान के अंतर्गत, **आशा कार्यकर्ताओं** द्वारा निमोनिया से पीड़ित बच्चों को **एंटी-बायोटिक एमोक्सिसिलिन की पूर्व-निर्दिष्ट खुराक (pre-referral dose)** के साथ उपचारित किया जा सकता है।
- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र किसी बच्चे के रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर की पहचान करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर यंत्र का उपयोग कर सकते हैं तथा उपचार हेतु आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जा सकता है।

- **निमोनिया फेफड़ों के संक्रमण से संबंधित रोग है,** जो मुख्यतः विषाणु या जीवाणु के कारण होता है। यह संक्रमण प्राय: संक्रमित लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है।

10.34. अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए विंटर-ग्रेड डीजल (Winter-Grade Diesel for High Altitude Regions)

- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) द्वारा लद्दाख जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए एक विशेष प्रकार के **विंटर-ग्रेड डीजल** को विकसित किया गया है।
- श्यानता और स्नेहकता (viscosity and lubrication) में सुधार लाने हेतु **प्रचलित डीजल ईंधन में पैराफिन मोम** मिश्रित किया जाता है, किन्तु -30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, यह गाढ़ा हो जाता है या "जेली" के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप डीजल जम जाता है।
- IOC द्वारा विकसित **विंटर-ग्रेड डीजल** का लो पोर पॉइंट (low pour point) होता है अर्थात यह -33 डिग्री सेल्सियस तक तरल अवस्था में बना रह सकता है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें कुछ ऐसे योजक शामिल होते हैं, जो शीत ऋतु में लद्दाख या कारगिल जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निम्न तापमान में भी ईंधन को तरल अवस्था में बनाए रखने में सक्षम होते हैं।
  - **पोर पॉइंट (Pour Point):** यह एक विशिष्ट तापमान को संदर्भित करता है जिससे कम तापमान पर कोई तरल पदार्थ अपनी तरलता (flow characteristics) को बनाए रखने में अक्षम हो जाता है।
- यह शीत ऋतु के दौरान परिवहन और गतिशीलता के संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का समाधान करने में सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को सुविधाजनक बनाने में सहायता प्राप्त होगी।

10.35. जीनोम अनुक्रमण द्वारा एच.आई.वी. के नए उप-प्रकार की खोज (New HIV Subtype Found By Genetic Sequencing)

- हाल ही में, जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से एड्स के लिए उत्तरदायी **ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस (HIV)** के एक नए उप-प्रकार की खोज की गई है।
- इसे **HIV-1 ग्रुप M, उप-प्रकार L** कहा गया है। विगत दो दशकों में यह पहली बार है जब इस प्रकार की खोज की गई ।
- HIV के **दो प्रमुख प्रकार** हैं। विश्व भर में **HIV-1** संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या सर्वाधिक है जबकि **HIV-2** का विस्तार कम क्षेत्रों में है तथा यह मुख्य रूप से पश्चिम तथा मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में केंद्रित है।
- **ग्रुप M** वायरस वैश्विक महामारी के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसे उप-सहारा अफ्रीका में **डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC)** में खोजा गया था।
- **जीनोम अनुक्रमण (Genome sequencing):** यह किसी जीव के जीनोम में सम्मिलित समस्त DNA अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। इसकी सहायता से किसी जीनोम में, DNA न्यूक्लियोटाइड्स या क्षारों (bases) के क्रम का पता लगाया जाता है, अर्थात किसी जीव के DNA का निर्माण करने वाले एडीनीन, साइटोसीन, गुआनीन और थाइमीन के क्रम को ज्ञात करना।

10.36. ग्लोबल बायो-इंडिया समिट, 2019 (Global Bio-India Summit, 2019)

- हाल ही में, **'ग्लोबल बायो-इंडिया समिट, 2019'** का आयोजन दिल्ली में किया गया था। यह भारत का **पहला सबसे बड़ा जैव-प्रौद्योगिकी सम्मेलन था।**
- इसे **जैव-प्रौद्योगिकी विभाग** (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन) और **जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)** द्वारा आयोजित किया गया था।
- यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत के **जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता** को प्रदर्शित करता है।
- **BIRAC** एक गैर-लाभकारी, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा स्थापित किया गया था।
  - यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए, **रणनीतिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उभरते बायोटेक उद्यमों को सुदृढ़ तथा सशक्त** बनाने हेतु एक अंतरापृष्ठ एजेंसी (इंटरफ़ेस एजेंसी) के रूप में कार्य करता है।

10.37. एशिया के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (QS World University Rankings for Asia)

- **QS (Quacquarelli Symonds) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2020 में,** एशिया के 550 शीर्ष संस्थानों में **96 भारतीय संस्थान** (शीर्ष 100 में 8 और शीर्ष 250 में 31) शामिल हैं।
- इसमें केवल चीन देश के संस्थानों की संख्या भारत के संस्थानों की तुलना में अधिक है। इस वर्ष शीर्ष 10 में चीन के चार संस्थान शामिल हैं, जबकि **शीर्ष 30 में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है।**

- भारत के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थान के अंतर्गत **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे** (विगत वर्ष की तुलना में एक स्थान गिरकर कर 34वें स्थान पर), इसके पश्चात् **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली** (43वां स्थान) और **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास** (50वां स्थान) शामिल हैं।
- QS रैंकिंग **11 मेट्रिक्स** पर आधारित एक पद्धति का उपयोग करती है जैसे- 'शैक्षणिक प्रतिष्ठा (Academic Reputation)', 'नियोक्ता की प्रतिष्ठा (Employer Reputation)', 'प्रति संकाय शोध-पत्रों की संख्या (Papers per Faculty)', 'प्रति शोध-पत्र उद्धरणों की संख्या (Citations per Paper)', 'PhD धारक कर्मचारी (Staff with PhD)' आदि।
- सात संस्थानों के साथ भारत **'PhD धारक कर्मचारी'** श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसका स्कोर पूर्णत: 100 रहा है। ये सभी सातों संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) हैं।

10.38. भारतीय पोषण कृषि कोष (Bharatiya Poshan Krishi Kosh)

- हाल ही में, **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD),** द्वारा भारतीय पोषण कृषि कोष (BPKK) प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।
- BPKK के अंतर्गत भारत में **बेहतर पोषक उत्पादों की प्राप्ति हेतु 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों पर बल** दिया जाएगा।
- इस कोष का उद्देश्य कृषि सहित बहु-क्षेत्रीय परिणाम आधारित संरचना के माध्यम से देशभर में महिलाओं और बच्चों के मध्य कुपोषण को कम करना है।
- परियोजना टीम द्वारा लगभग **12 उच्च फोकस राज्यों का चयन किया जाएगा** जो भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक विविधताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes In News)

11.1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: PMMVY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RTI आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत प्रदान किए जाने वाले 6,000 रूपए की राशि, अप्रैल 2018 से जुलाई 2019 के मध्य पंजीकृत लगभग 61 प्रतिशत लाभार्थियों को प्राप्त हो गई है।

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• गर्भवती महिला के वेतन कटौती के मामलों में नकद प्रोत्साहन के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना ताकि महिला को प्रथम जीवित बच्चे के जन्म से पूर्व और पश्चात् पर्याप्त आराम मिल सके।	• परिवार में प्रथम बच्चे को जन्म देने वाली सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM) शामिल होंगी। • गर्भपात / स्टिल बर्थ (मृत बच्चे का जन्म) / शिशु मृत्यु के मामलों के संदर्भ में, कोई लाभार्थी केवल एक बार इस योजना के तहत लाभ प्राप्ति हेतु पात्र होगा। • **गैर-लाभार्थी (Exclusion):** PW&LM, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उद्यमों में नियमित रोजगार में संलग्न हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रहीं हैं।	• PMMVY को **महिला और बाल विकास मंत्रालय** के ICDS अम्ब्रेला योजना की आंगनवाड़ी सेवा योजना के मंच का उपयोग करते हुए कार्यान्वित किया जाता है। • मातृ और बाल स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट शर्तों को पूरा करने हेतु परिवार के **प्रथम जीवित बच्चे के लिए** PW&LM के खाते में सीधे **5,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन** प्रदान किया जाता है। • प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहन से PW&LM को बेहतर स्वास्थ्य आवश्यक्ताओं की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। • तीन किस्तों में 5000 रूपये का **नकद प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा: ○ गर्भावस्था के शुरुआती पंजीकरण पर 1000 रुपये की पहली किस्त, ○ गर्भावस्था के छह माह के पश्चात् 2,000 रुपये की दूसरी किस्त, ○ बच्चे के जन्म के पंजीकरण कराने पर और बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस-बी या इसके समान/विकल्प के पहले चक्र का टीका लगवाने पर 2000 रुपये की तीसरी किस्त। • पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए **जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत प्रदत्त प्रोत्साहन राशि की हकदार** होंगी और JSY के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन का मातृत्व लाभ के रूप में प्रदान किया जाएगा ताकि औसतन एक महिला को 6,000 रूपए प्राप्त हो सके।

11.2. प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने CEFPPC (खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार) (Creation/Expansion of Food Processing & Preservation Capacities) योजना हेतु 271 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है, जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) का एक घटक है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• खाद्य प्रसंस्करण मेगा फूड पार्क/क्लस्टर और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना।	• PMKSY को पहले **सम्पदा (SAMPADA)** (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम) नाम दिया गया था।

VISION IAS

• प्रभावी बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज का निर्माण अर्थात् किसानों, प्रसंस्करण संलग्न इकाइयों और बाजारों को जोड़ना। • शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का सृजन करना।	• यह एक **व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेत/कृषि क्षेत्र से लेकर रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना** के निर्माण में सहायता मिलेगी। • यह **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास और किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने के क्रम में तीव्रता/व्यापक सहयोग** प्रदान करेगी। • यह **किसानों की आय दोगुनी करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसरों का सृजन करने**, कृषि उपज के अप-व्यय को कम करने और प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने में भी सहयोग करेगा। • भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग की समयावधि के साथ **वर्ष 2016-20 तक की अवधि** के लिए 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से एक नई **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** का अनुमोदन किया है। • यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वर्तमान योजनाओं को शामिल करने वाली एक **अम्ब्रेला योजना** है, जिसके परिणामस्वरूप खेत/कृषि क्षेत्र से लेकर रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का विकास होगा। • **PMKSY के तहत योजनाएं** ○ मेगा फूड पार्क योजना ○ एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना ○ खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना ○ खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार योजना ○ कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना योजना ○ बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजों का सृजन योजना ○ मानव संसाधन और संस्थान।

11.3. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana: PMMY)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत बढ़ते अशोध्य ऋण (बैड लोन) की समस्या पर चिंता व्यक्त की है।

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• उन लोगों की वित्त तक पहुंच प्रदान करना **जिनकी बैंक तक पहुँच नहीं हैं।** • **सूक्ष्म/लघु उद्यमों के लिए वित्त की लागत (अंतिम स्तर के ऋण प्रदाता) को कम करना, जो अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं।**	**कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास** गैर-कृषि क्षेत्र में आय सृजन गतिविधियों हेतु **एक व्यावसायिक योजना** हो, जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र तथा जिनकी ऋण की आवश्यकता 10 लाख रुपये से कम हो।	• MUDRA ऋण बैंकों, NBFC, MFI और अन्य पात्र वित्तीय मध्यस्थों (MUDRA लिमिटेड द्वारा अधिसूचित) द्वारा प्रदान किए जाते हैं। • योजना को लागू करने के लिए, सरकार ने एक नई संस्था की स्थापना की है, जिसका नाम है **माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA)।** • MUDRA बैंक, **सभी अंतिम स्तर के ऋण प्रदाताओं** जैसे कि नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, सहकारी समितियों, लघु बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को **पुनर्वित्तयन** हेतु उत्तरदायी होगा जो विनिर्माण, व्यापार और सेवाक्षेत्र संबंधी गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म/लघु संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत हैं। • **MUDRA की वर्तमान अधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रुपये है।** RBI ने **रिफाइनेंस कॉर्पस फंड बनाने** के लिए वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र में कमी कर 20,000 करोड़ रुपये

VISION IAS

		की राशि आवंटित की है। • सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक द्वारा आवंटित किए जाने वाले ऋण के **3 प्रकार हैं**: ○ **शिशु:** 50,000 रुपये तक के ऋण को शामिल करता है। ○ **किशोर:** 50,000 रूपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण को शामिल करता है। ○ **तरुण:** 5 लाख रूपये से 10 लाख रुपये तक के ऋण को शामिल करता है। • PMMY के तहत दिए गए ऋण हेतु कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है। हालाँकि, वर्तमान में, MUDRA द्वारा MFI/NBFC की ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट (BPS) की कमी कि गयी है, जो महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। • **सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्र में संलग्न इकाइयों हेतु बढ़ाए गए 10 लाख तक के ऋण** के मामलों में बैंकों को RBI द्वारा समर्थक/संपार्श्विक जमानत संबंधी मांग नहीं करने के लिए अधिदेश किया गया है।

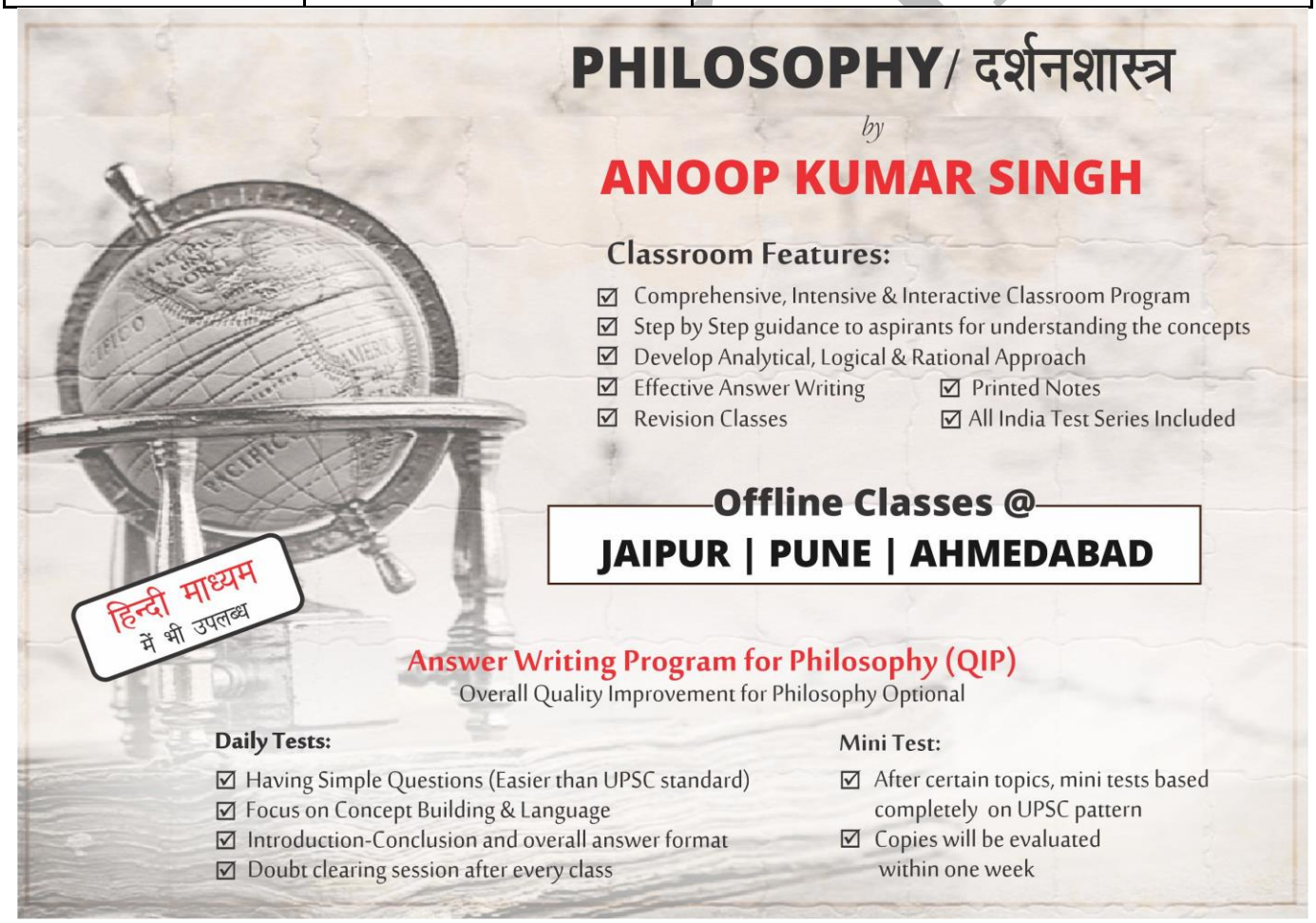

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS